



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे

2018-19



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार

विनियोग लेखे

वर्ष **2018-2019** के लिए

राजस्थान सरकार

विषय सूची

विनियोग लेखे की भूमिका	1
विनियोग लेखों का सारांश	2-15
भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	16-17
विनियोग लेखे :	
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	18
ब्याज अदायगियां	19
लोक सेवा आयोग	20
लोक ऋण	21
001. राज्य विधान मंडल	22-23
002. मंत्रि परिषद्	24
003. सचिवालय	25-26
004. जिला प्रशासन	27
005. प्रशासनिक सेवाएं	28-30
006. न्याय प्रशासन	31-32
007. निर्वाचन	33-34
008. राजस्व	35-36
009. वन	37-43
010. विविध सामान्य सेवाएं	44
011. विविध सामाजिक सेवाएं	45-47
012. अन्य कर	48-52
013. आबकारी	53-54
014. बिक्री कर	55-57
015. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	58
016. पुलिस	59-60
017. कारागार	61-62
018. जन-सम्पर्क	63
019. लोक निर्माण कार्य	64-80
020. आवास	81-83
021. सड़कें एवं पुल	84-95
022. क्षेत्र का विकास	96-101

023.	श्रम तथा रोजगार	102-106
024.	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	107-111
025.	कोषागार व लेखा प्रशासन	112-113
026.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	114-133
027.	पेय जल योजना	134-157
028.	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	158-161
029.	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	162-175
030.	जनजाति क्षेत्रीय विकास	176-247
031.	पुर्नवास एवं सहायता	248
032.	नागरिक आपूर्ति	249-252
033.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	253-273
034.	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	274-286
035.	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	287-292
036.	सहकारिता	293-294
037.	कृषि	295-309
038.	लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	310
039.	पशुपालन एवं चिकित्सा	311-316
040.	राजकीय उपक्रम	317
041.	सामुदायिक विकास	318-321
042.	उद्योग	322-324
043.	खनिज	325-327
044.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	328
045.	राज्य कर्मचारियों को ऋण	329
046.	सिंचाई	330-359
047.	पर्यटन	360-362
048.	विद्युत्	363-367
049.	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	368
050.	ग्रामीण रोजगार	369-370
051.	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	371-439
परिशिष्ट - व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदानवार विवरण		440-441

विनियोग लेखे की भूमिका

राजस्थान सरकार के वर्ष 2018-19 के विनियोग लेखों का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियम से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में, 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखों में:-

“मू” मूल अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“अ” अनुपूरक अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“पु” सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, प्रत्याहरणों या अभ्यर्णों के लिए प्रयुक्त है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे अंकों से दिखाये गये हैं।

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक <i>प्रभारित</i>	18,27,04	..	17,07,63
ब्याज अदायगियां <i>प्रभारित</i>	2,17,37,37,40	..	2,16,95,19,79
लोक सेवा आयोग <i>प्रभारित</i>	57,53,93	..	52,06,22
लोक ऋण <i>प्रभारित</i>	..	1,69,19,71,88	..
001. राज्य विधान मंडल दत्तमत <i>प्रभारित</i>	69,58,83 56,01	61,79,02 49,29
002. मंत्रिपरिषद् दत्तमत	19,33,02	..	16,10,20
003. सचिवालय दत्तमत <i>प्रभारित</i>	2,99,14,07 2	2,77,21,12 ..
004. जिला प्रशासन दत्तमत <i>प्रभारित</i>	4,97,46,70 7,82	4,93,29,23 7,76
005. प्रशासनिक सेवाएं दत्तमत <i>प्रभारित</i>	3,25,66,75 14,95	1 ..	2,98,56,61 14,64
006. न्याय प्रशासन दत्तमत <i>प्रभारित</i>	10,71,43,69 1,38,72,04	10,25,43,48 1,27,54,69

लेखों का सारांश

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ सहस्र में)			
..	1,19,41
..	42,17,61
..	5,47,71
1,69,14,79,82	..	4,92,06
..	7,79,81
..	6,72
..	3,22,82
..	21,92,95
..	2
..	4,17,47
..	6
..	27,10,14	1
..	31
..	46,00,21
..	11,17,35

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
007. निर्वाचन दत्तमत प्रभारित	3,90,36,71 33,44	3,75,72,93 33,02
008. राजस्व दत्तमत प्रभारित	8,33,86,89 1,35	7,51,50,91 1,30
009. वन दत्तमत प्रभारित	8,16,70,23 1,10,95	1,04,55,57 ..	7,11,98,91 81,45
010. विविध सामान्य सेवाएं दत्तमत	5,39,54,31	..	5,38,79,26
011. विविध सामाजिक सेवाएं दत्तमत प्रभारित	67,80,88 1,01	9,52,09 ..	55,63,91 1,00
012. अन्य कर दत्तमत प्रभारित	9,51,78,48 38,86	36,24,48 ..	8,22,96,34 38,81
013. आबकारी दत्तमत प्रभारित	1,79,19,91 6,40	1 ..	1,59,74,65 5,40
014. बिक्री कर दत्तमत प्रभारित	13,87,08,01 6	2 ..	11,20,87,25 ..
015. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ दत्तमत प्रभारित	2,06,04,85,05 12,00,04	2,03,94,93,39 1,32,56
016. पुलिस दत्तमत प्रभारित	62,82,84,61 22,25	2,20,50,58 ..	62,12,15,34 22,22
017. कारागार दत्तमत प्रभारित	2,06,49,16 2	1,89,73,54 ..

लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूँजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ सहस्र में)			
..	14,63,78
..	42
..	82,35,98
..	5
64,52,41	1,04,71,32	40,03,16
..	29,50
..	75,05
3,88,32	12,16,97	5,63,77
..	1
32,48,20	1,28,82,14	3,76,28
..	5
..	19,45,26	1
..	1,00
..	2,66,20,76	2
..	6
..	2,09,91,66
..	10,67,48
1,86,02,21	70,69,27	34,48,37
..	3
..	16,75,62
..	2

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	
	(₹ सहस्र में)		
018. जन-सम्पर्क दत्तमत प्रभारित	2,01,71,98 1	1,51,81,56 ..
019. लोक निर्माण कार्य दत्तमत प्रभारित	5,39,29,31 18,24	10,24,80,35 ..	4,76,81,76 17,31
020. आवास दत्तमत प्रभारित	65,26,29 1	25,33,75 ..	48,05,92 ..
021. सड़कें एवं पुल दत्तमत प्रभारित	16,68,64,60 99,65	49,29,30,77 ..	13,62,34,33 88,72
022. क्षेत्र का विकास दत्तमत प्रभारित	23,54,82 3	3,86,28,88 46	21,22,61 1
023. श्रम तथा रोजगार दत्तमत प्रभारित	6,52,80,14 5	17,66,81 ..	6,11,22,49 ..
024. शिक्षा, कला एवं संस्कृति दत्तमत प्रभारित	2,97,61,08,12 10,67,08	6,89,22,62 ..	2,92,58,72,25 9,74,55
025. कोषागार व लेखा प्रशासन दत्तमत प्रभारित	3,30,92,67 11,52	2,83,55,18 10,55
026. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई दत्तमत प्रभारित	99,22,00,57 1,16,15	2,44,31,79 ..	94,17,78,02 98,80
027. पेय जल योजना दत्तमत प्रभारित	38,43,16,55 90,13	37,44,05,04 ..	36,33,83,10 90,08

लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूँजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ सहस्र में)				
..	49,90,42
..	1
5,60,35,35	62,47,55	4,64,45,00
..	93
16,34,32	17,20,37	8,99,43
..	1
40,25,55,24	3,06,30,27	9,03,75,53
..	10,93
2.64,48,05	2,32,21	1,21,80,83
40	2	6
10,55,43	41,57,65	7,11,38
..	5
5,61,67,05	5,02,35,87	1,27,55,57
..	92,53
..	47,37,49
..	97
1,72,35,93	5,04,22,55	71,95,86
..	17,35
27,00,23,15	2,09,33,45	10,43,81,89
..	5

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	
	(₹ सहस्र में)		
028. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम दत्तमत प्रभारित	10,12,05,61 1	3,08,25,00 ..	7,69,29,34 ..
029. नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास दत्तमत प्रभारित	50,99,27,87 3	14,77,17,02 1	40,15,09,32 ..
030. जनजाति क्षेत्रीय विकास दत्तमत प्रभारित	1,27,32,62,59 18,53	36,82,01,97 ..	1,20,32,39,75 15,00
031. पुनर्वास एवं सहायता
032. नागरिक आपूर्ति दत्तमत प्रभारित	3,02,60,98 2	4,01,17 ..	2,94,56,16 ..
033. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण दत्तमत प्रभारित	64,53,75,91 54,94	2,02,07,32 ..	59,12,99,23 11,31
034. प्राकृतिक आपदाओं से राहत दत्तमत प्रभारित	43,44,12,59 1	35,70,18,88 ..
035. विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं दत्तमत	8,55,81,28	4,08,45,75	7,22,48,92
036. सहकारिता दत्तमत प्रभारित	22,31,21,00 1	7,62,13,42 ..	22,27,12,04 ..

लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूँजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ सहस्र में)				
1,54,12,50	2,42,76,27	1,54,12,50
..	1
12,80,36,89	10,84,18,55	1,96,80,13
..	3	1
29,03,20,90	7,00,22,84	7,78,81,07
..	3,53
..
61,89	8,04,82	3,39,28
..	2
1,61,51,09	5,40,76,68	40,56,23
..	43,63
..	7,73,93,71
..	1
4,03,39,02	1,33,32,36	5,06,73
6,34,19,98	4,08,96	1,27,93,44
..	1

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
037. कृषि दत्तमत प्रभारित	25,07,19,82 6,07,93	4,17,69,84 ..	20,13,91,40 6,04,51
038. लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण दत्तमत प्रभारित	1,37,89,09 2,71	56,02 ..	1,37,02,02 2,65
039. पशुपालन एवं चिकित्सा दत्तमत प्रभारित	11,21,47,68 1,01	28,77,33 ..	10,63,95,42 ..
040. राजकीय उपक्रम दत्तमत प्रभारित	1,68,72 1	2 ..	1,19,67 ..
041. सामुदायिक विकास दत्तमत प्रभारित	75,42,14,44 1	13,74,00 ..	44,50,66,25 ..
042. उद्योग दत्तमत प्रभारित	2,51,30,74 3	4,33,41,14 ..	2,14,90,46 ..
043. खनिज दत्तमत प्रभारित	1,42,54,52 12,26	2,23,50,12 ..	1,39,02,75 12,26
044. लेखन सामग्री एवं मुद्रण दत्तमत प्रभारित	39,57,60 1	12,10 ..	32,96,21 ..

लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूँजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ सहस्र में)				
1,83,52,97	4,93,28,42	2,34,16,87
..	3,42
19,85	87,07	36,17
..	6
23,66,96	57,52,26	5,10,37
..	1,01
(-) 25,31	49,05	25,33
..	1
4,46,55	30,91,48,19	9,27,45
..	1
21,93,74	36,40,28	4,11,47,40
..	3
1,29,14,04	3,51,77	94,36,08
..
12,10	6,61,39
..	1

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
045. राज्य कर्मचारियों को ऋण दत्तमत
046. सिंचाई दत्तमत	23,84,72,54	16,53,76,70	17,65,95,21
प्रभारित	5,43,69	2,53,10	5,40,33
047. पर्यटन दत्तमत	96,40,07	41,32,34	73,45,50
प्रभारित	1
048. विद्युत दत्तमत	1,53,88,49,45	28,31,48,32	1,44,54,60,89
049. स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन दत्तमत	20,87	..	8,43
050. ग्रामीण रोजगार दत्तमत	22,58,25,87	87,27,60	21,37,91,57
051. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना दत्तमत	1,44,06,78,17	52,93,38,84	1,36,83,68,58
प्रभारित	1
योग	16,08,61,79,76	2,93,00,98,79	14,84,85,31,31
<i>प्रभारित</i>	<i>2,19,93,27,69</i>	<i>1,69,22,25,45</i>	<i>2,19,20,41,86</i>
कुल योग	18,28,55,07,45	4,62,23,24,24	17,04,05,73,17

लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूँजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ सहस्र में)				
..
14,14,63,26	6,18,77,33	2,39,13,44
2,52,21	3,36	89
25,19,37	22,94,57	16,12,97
..	1
25,55,20,89	9,33,88,56	2,76,27,43
..	12,44
..	1,20,34,30	87,27,60
39,59,48,52	7,23,09,59	13,33,90,32
..	1
2,24,53,20,87	1,23,76,48,45	68,47,77,92
1,69,17,32,43	72,85,83	4,93,02
3,93,70,53,30	1,24,49,34,28	68,52,70,94

2018-19 के विनियोग लेखों का सारांश- (क्रमशः)

अधिक व्यय का नियमन आवश्यक है :-

क्र.स.	अनुदान की संख्या और नाम	आधिक्य	
		राजस्व	पूंजीगत
-----शून्य-----			

2018-19 के विनियोग लेखों का सारांश- (समाप्त)

चूंकि अनुदान और व्यय इस सकल राशि के लिये है जिनका व्यय करना अपेक्षित है तो उनके प्रति दर्शाये गये व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दिखाये जाते हैं ।

वर्ष 2018-19 के लिये विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिये वित्त लेखे में दिखाये गये आंकड़ों के बीच मिलान नीचे दर्शाया गया है:-

	दत्तमत		
	राजस्व 1	पूंजी 2	योग 3
	(₹ सहस्र में)		
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	14,84,85,31,31	2,24,53,20,87	17,09,38,52,18
घटाइये : वसूलियों का योग	36,32,52,57	17,04,43,75	53,36,96,32
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया निवल कुल व्यय	14,48,52,78,74	2,07,48,77,12	16,56,01,55,86
	प्रभारित		
	राजस्व 4	पूंजी 5	योग 6
	(₹ सहस्र में)		
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	2,19,20,41,86	1,69,17,32,43	3,88,37,74,29
घटाइये : वसूलियों का योग	2,10	..	2,10
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया निवल कुल व्यय	2,19,20,39,76	1,69,17,32,43	3,88,37,72,19

ऊपर दी गयी वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में पृष्ठ संख्या 440-441 पर दिया गया है ।

भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।


विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा राजस्थान सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाउचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

राजस्थान सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार, कार्यालय और/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जांच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले राजस्थान सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक: फरवरी 03, 2020

स्थान: नई दिल्ली,

राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक
(समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2012. राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल,
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	16,37,43	18,27,04	17,07,63	- 1,19,41
अनुपूरक	1,89,61			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित
राशि (31 मार्च 2019)

1,12,46

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

1. ₹ 1,19.41 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा लिया गया ₹ 1,89.61 लाख का प्रावधान अत्यधिक था ।
2. ₹ 1,19.41 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 6.95 लाख की राशि अन्अभ्यर्पित रही।

ब्याज अदायगियां (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2049. ब्याज अदायगियां

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	2,14,12,62,06			
		2,17,37,37,40	2,16,95,19,79	- 42,17,61
अनुपूरक	3,24,75,34			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				40,48,82

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

- ₹ 42,17.61 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, सितम्बर 2018 (₹ 0.20 लाख) तथा फरवरी, 2019 (₹ 3,24,75.14 लाख) में मुख्यतः बाजार कर्ज पर ब्याज के भुगतान हेतु लिया गया ₹ 3,24,75.34 लाख का अनुपूरक विनियोजन अत्यधिक था।
- ₹ 42,17.61 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 1,68.79 लाख की राशि अन्अभ्यर्पित रही।

लोक सेवा आयोग (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2051. लोक सेवा आयोग

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	42,07,72			
अनुपूरक	15,46,21	57,53,93	52,06,22	- 5,47,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				
				5,47,70

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

- ₹ 5,47.71 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 15,46.21 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2051. लोक सेवा आयोग				
102. राज्य लोक सेवा आयोग				
(01) राजस्थान लोक सेवा आयोग-प्रतिबद्ध				
मू.	42,07.72			
अ.	15,46.21	52,06.23	52,06.22	- 0.01
पु.	- 5,47.70			

फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा मुख्यतः विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 15,46.21 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 5,47.70 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 121 पदों के रिक्त रहने, (ii) राजस्थान लोक सेवा आयोग के माननीय सदस्यों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होने, (iii) परीक्षाओं का आयोजन कम होने तथा (iv) जिला कलेक्टरों द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित अनुपयोजित राशि वापिस लौटाने को आरोपित की गई।

लोक ऋण (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : पूंजी - 6003. राज्य सरकार का आंतरिक ऋण और
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
पूंजी				
मूल	1,68,35,69,55	1,69,19,71,88	1,69,14,79,82	- 4,92,06
अनुपूरक	84,02,33			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				4,92,05

टिप्पणी तथा टीका :

पूंजी

1. ₹ 4,92.06 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा लिया गया ₹ 84,02.33 लाख का प्रावधान अत्यधिक था ।

अनुदान संख्या 001 – राज्य विधान मण्डल

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	69,58,83			
अनुपूरक	..	69,58,83	61,79,02	- 7,79,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				7,78,54
प्रभारित				
मूल	46,01			
अनुपूरक	10,00	56,01	49,29	- 6,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				6,71

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 7,79.81 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 1.27 लाख की राशि अनुअभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल				
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल				
101. विधान सभा				
(01) विधान मंडल-प्रतिबद्ध				
मू.	28,35.19			
पु.	- 4,73.63	23,61.56	23,61.43	- 0.13
₹ 4,73.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।				

अनुदान संख्या 001 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
101. विधान सभा			
(04) भूतपूर्व सदस्यों को निःशुल्क यात्रा सुविधा-प्रतिबद्ध			
मू.	2,50.00		
		1,24.24	1,24.24
पु.	- 1,25.76		..

31 मार्च 2019 को ₹ 1,25.76 लाख का प्रावधान भूतपूर्व सदस्यों द्वारा निःशुल्क यात्रा सुविधा का कम लाभ उठाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

प्रभारित

1. ₹ 6.72 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा यात्रा प्रभार पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 10.00 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 002 – मंत्रिपरिषद् (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2013. मंत्रिपरिषद्

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	13,99,23			
		19,33,02	16,10,20	- 3,22,82
अनुपूरक	5,33,79			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				3,20,21

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

1. ₹ 3,22.82 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 5,33.79 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
2. ₹ 3,22.82 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 2.61 लाख की राशि अन्अभ्यर्पित रही।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2013. मंत्रिपरिषद्				
101. मंत्रियों और उप-मंत्रियों का वेतन				
(01) संस्थापन व्यय				
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	4,50.00			
अ.	83.79	3,77.46	3,77.46	..
पु.	- 1,56.33			

फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 83.79 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2019 को ₹ 1,56.33 लाख का प्रावधान विधानसभा चुनावों के बाद नई सरकार द्वारा राज्य में मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों की नियुक्ति नहीं करने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया।

105. मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान

(01) मुख्यमंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान की राशि-प्रतिबद्ध

मू.	50.00			
		4.33	4.18	- 0.15
पु.	- 45.67			

₹ 45.67 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 003 – सचिवालय

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2052. सचिवालय – सामान्य सेवाएं,
2251. सचिवालय – सामाजिक सेवाएं और
3451. सचिवालय – आर्थिक सेवाएं

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	2,82,97,58			
अनुपूरक	16,16,49	2,99,14,07	2,77,21,12	- 21,92,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				21,46,42
प्रभारित				
मूल	2			
अनुपूरक	..	2	..	- 2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				2

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 16,16.49 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 21,92.95 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 46.53 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
3. वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 22,90.39 लाख, ₹ 25,14.74 लाख, ₹ 18,99.59 लाख, ₹ 61,34.53 लाख तथा ₹ 21,92.95 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 5.49 प्रतिशत से 16.08 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं				
090. सचिवालय				
(01) मंत्रिमंडल एवं सामान्य सेवाएं (मुख्यमंत्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन, नागरिक उड्डयन के वेतन भत्ते)				
[07] निवासीय आयुक्त कार्यालय, दिल्ली (सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से)-प्रतिबद्ध				
मू.	7,65.65	4,82.87	4,82.86	- 0.01
पु.	- 2,82.78			
₹ 2,82.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।				

अनुदान संख्या 003 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
090. सचिवालय			
(02) कार्मिक विभाग			
[01] कार्मिक विभाग			
(कार्मिक विभाग, मुख्य सचिव कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, अल्पसंख्यक मामलात, स्टेट मिशन के वेतन तथा भत्ते)-प्रतिबद्ध			
मू.	66,51.52	58,35.64	58,35.64
पु.	- 8,15.88		..

₹ 8,15.88 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) राज्य सरकार से पदस्थापन आदेशों के लिए प्रतीक्षाकरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय, (iii) फर्नीचर, फैक्स मशीन, फोटो कॉपीयर, ए.सी., एल.सी.डी. टी.वी. इत्यादि की खरीद पर कम व्यय, (iv) न्यायालय में दायर कार्मिक विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकरणों से संबंधित वाद शुल्क तथा न्यायालय शुल्क के भुगतान हेतु बिलों के प्राप्त नहीं होने, (v) निविदा प्रक्रिया में देशी के कारण स्टेशनरी पर कम व्यय होने तथा माह मार्च, 2019 में कोषालय द्वारा कुछ बिलों को पारित किये बिना वापस लौटाये जाने तथा (vi) मैने विथ मशीन के कम किराये पर लिये जाने के कारण कम्प्यूटर तथा संचार पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

102. जिला योजना संगठन

(03) विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना द्वितीय चरण हेतु व्यय

मू.	5,00.00
पु.	- 5,00.00			

31 मार्च 2019 को ₹ 5,00.00 लाख का समस्त प्रावधान वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 004 – जिला प्रशासन
मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2053. जिला प्रशासन

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	4,92,36,25	4,97,46,70	4,93,29,23	- 4,17,47
अनुपूरक	5,10,45			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				3,77,68
प्रभारित				
मूल	4	7,82	7,76	- 6
अनुपूरक	7,78			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				6

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 4,17.47 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 5,10.45 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 4,17.47 लाख की अन्तिम बचत में से ₹ 39.79 लाख की राशि अन्अभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 005 – प्रशासनिक सेवाएं
 मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2051. लोक सेवा आयोग,
 2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं,
 2062. सतर्कता और
 2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं
 पूंजी – 4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	2,73,32,45	3,25,66,75	2,98,56,61	- 27,10,14
अनुपूरक	52,34,30			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				26,39,36
प्रभारित				
मूल	6	14,95	14,64	- 31
अनुपूरक	14,89			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				31
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1

टिप्पणियां तथा टीकारं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 27,10.14 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन तथा किराये के वाहनो पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 52,34.30 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 13,57.39 लाख, ₹ 10,06.12 लाख, ₹ 12,08.71 लाख, ₹ 21,85.89 लाख तथा ₹ 27,10.14 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 5.84 प्रतिशत से 9.81 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- ₹ 27,10.14 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 70.78 लाख की राशि अन्अभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 005 – (क्रमशः)

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
003. प्रशिक्षण			
(01) हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर			
[02] फर्म प्रशिक्षण-प्रतिबद्ध			
मू.	12,88.00	6,67.15	6,67.15
पु.	- 6,20.85		

₹ 6,20.85 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा राज्य सेवाओं के चयनित नवीन बैंच हेतु नियुक्ति आदेश जारी नहीं करने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी क्योंकि प्रकरण न्यायालय के अन्तर्गत विचाराधीन था।

003. प्रशिक्षण
(01) हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर
[07] कार्पस फण्ड (ह. मा. रा. लोक प्र. स.)

मू.	1,12.23
पु.	- 1,12.23		

31 मार्च 2019 को ₹ 1,12.23 लाख का समस्त प्रावधान वित्त विभाग द्वारा निधियां जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

114. वाहन का क्रय तथा रख रखाव
(06) नागरिक विमानन निदेशालय
[01] नागरिक विमानन निदेशालय-प्रतिबद्ध

मू.	24,05.52	11,60.88	11,60.90	+ 0.02
पु.	- 12,44.64			

₹ 12,44.64 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) अन्तर्राज्यीय वायु सेवाओं के बन्द होने, (ii) वरिष्ठ पायलेट अधिकारियों के पदों के रिक्त रहने तथा (iii) विभाग के जयपुर तथा किशनगढ़ एयरपोर्ट के पानी एवं बिजली के बिलों पर कम व्यय होने को आरोपित की गई।

115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि
(08) राजस्थान भवन वाशी, नवी मुम्बई -प्रतिबद्ध

मू.	3,23.00	1,94.85	1,94.84	- 0.01
पु.	- 1,28.15			

31 मार्च 2019 को ₹ 1,28.15 लाख का प्रावधान मुख्यतः वर्ष के दौरान राजस्थान भवन वाशी, नवी मुंबई में कम संख्या में अतिथियों के रूकने के परिणामस्वरूप कार्यालय व्यय, संविदा सेवाओं तथा मैस पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 005 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि			
(09) परिधि गृह			
[01] विश्राम भवन राजस्थान-प्रतिबद्ध			
मू.	43,52.01		
		39,12.44	- 10.79
पु.	- 4,39.57		

₹ 4,39.57 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) विश्रामगृहों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण नहीं होने से बकाया का भुगतान नहीं होने तथा (ii) छः नव नियुक्त क्लर्क ग्रेड- II में से चार क्लर्क ग्रेड- II का अन्य सेवाओं में चयन होने के परिणामस्वरूप वेतन पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 10.79 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

5. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन अत्यधिक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2051. लोक सेवा आयोग			
103. कर्मचारी चयन आयोग			
(01) राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा			
चयन बोर्ड- प्रतिबद्ध			
मू.	16,86.56		
अ.	52,00.00	70,09.82	- 51.01
पु.	1,23.26		

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,23.26 लाख की अतिरिक्त निधियां विज्ञापन एवं प्रसार पर अधिक व्यय हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, इसके तथा ₹ 51.01 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 006 – न्याय प्रशासन

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2014. न्याय प्रशासन

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	9,32,63,42	10,71,43,69	10,25,43,48	- 46,00,21
अनुपूरक	1,38,80,27			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				45,60,04
प्रभारित				
मूल	1,36,97,04	1,38,72,04	1,27,54,69	- 11,17,35
अनुपूरक	1,75,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				11,00,62

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 46,00.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, सितम्बर, 2018 (₹ 44,97.57 लाख) तथा फरवरी, 2019 (₹ 93,82.70 लाख) में लिया गया ₹ 1,38,80.27 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- ₹ 46,00.21 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 40.17 लाख की राशि अन्-अभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन				
105. सिविल और सेशन न्यायालय				
(01) जिला और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के न्यायालय				
मू.	4,27.46	38,90.75	38,90.74	- 0.01
अ.	44,97.56			
पु.	- 10,34.27			

सितम्बर, 2018 में ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना (फेज- II) हेतु भारत सरकार से प्राप्त निधियों को उपयोग करने की प्रत्याक्षा में लिया गया ₹ 44,97.56 लाख का अनुपूरक अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2019 को ₹ 10,34.27 लाख का प्रावधान (i) निविदा प्रक्रिया की कम दर प्राप्त होने, (ii) फर्म द्वारा कोर्ट में लेन कार्य पूरा नहीं करने, (iii) राजस्थान उच्च न्यायालय में जस्टिस क्लॉक स्थापित नहीं होने तथा (iv) फर्म द्वारा अभिलेखों का डिजिटाइजेशन की धीमी प्रक्रिया के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 006 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
105. सिविल और सेशन न्यायालय			
(03) मुंसिफ एवं न्यायिक दण्डनायकों के न्यायालय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,85,30.65	1,70,20.73	1,70,17.50
पु.	- 15,09.92		
- 3.23			

₹ 15,09.92 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः न्यायालयों में विभिन्न पदों के रिक्त रहने तथा न्यायिक अधिकारियों द्वारा एल.टी.सी. का कम उपभोग करने को आरोपित की गई।

प्रभारित

1. सितम्बर, 2018 में प्रथम अनुपूरक विनियोजन द्वारा लिया गया ₹ 1,75.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 11,17.35 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 16.73 लाख की राशि अन्वर्धित रही।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
102. उच्च न्यायालय			
(01) उच्च न्यायालय प्रशासन-प्रतिबद्ध			
मू.	1,36,97.01	1,27,71.42	1,27,54.69
अ.	1,75.00		
पु.	- 11,00.59		
- 16.73			

सितम्बर, 2018 में ₹ 1,75.00 लाख का प्रथम अनुपूरक विनियोजन मुख्यतः यात्रा तथा संविदा पर लगे होम गार्ड्स को भुगतान के व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2019 को ₹ 11,00.59 लाख का प्रावधान (i) माननीय न्यायाधीशों के पदों के रिक्त रहने, (ii) उच्च न्यायालय का नये भवन में स्थानान्तरण नहीं होने तथा (iii) वर्ष के दौरान भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण अन्वर्धित किया गया।

₹ 16.73 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 007 – निर्वाचन

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2015. निर्वाचन और
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	2,94,25,58	3,90,36,71	3,75,72,93	- 14,63,78
अनुपूरक	96,11,13			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				11,76,07
प्रभारित				
मूल	2	33,44	33,02	- 42
अनुपूरक	33,42			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				42

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 14,63.78 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 96,11.13 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 14,63.78 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 2,87.71 लाख अन्-अभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2015. निर्वाचन				
103. निर्वाचन नामावली तैयार करना और मुद्रण				
(01) चुनाव संबंधी प्रभार-प्रतिबद्ध				
मू.	59,02.33	60,25.66	59,80.66	- 45.00
अ.	7,91.13			
पु.	- 6,67.80			

फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 7,91.13 लाख का प्रावधान वेतन एवं भत्तों पर तथा मतदाता सूची के मुद्रण पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2019 को ₹ 6,67.80 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 45.00 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 007 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(01) पंचायत निर्वाचनों पर व्यय			
[02] महानिर्वाचन-प्रतिबद्ध			
मू.	2,50.00		
		60.54	55.74
पु.	- 1,89.46		- 4.80

31 मार्च 2019 को ₹ 1,89.46 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने तथा (ii) चुनाव आचार संहिता लगने के कारण पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध तिमाही उप चुनाव नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 4.80 लाख की अंतिम बचत अवशेष राशि के जमा कराने के कारण रही।

अनुदान संख्या 008 - राजस्व

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2029. भू-राजस्व और
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	8,33,86,89	8,33,86,89	7,51,50,91	- 82,35,98
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				81,56,60
प्रभारित				
मूल	4	1,35	1,30	- 5
अनुपूरक	1,31			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				4

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 82,35.98 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 79.38 लाख की राशि अनुभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 60,95.99 लाख, ₹ 1,14,46.44 लाख, ₹ 2,01,71.85 लाख, ₹ 81,02.85 लाख तथा ₹ 82,35.98 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 9.52 प्रतिशत से 23.60 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व				
102. सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य				
(02) जिला कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध				
मू.	54,06.01	41,40.07	41,35.75	- 4.32
पु.	- 12,65.94			

₹ 12,65.94 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 1,304 स्वीकृत पदों में से 930 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

₹ 4.32 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 008 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2029. भू-राजस्व			
103. भू-अभिलेख			
(02) जिला व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	6,99,30.11		
पु.	- 64,34.74	6,34,95.37	6,34,32.21
			- 63.16

₹ 64,34.74 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 63.16 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

103. भू-अभिलेख
(09) वैश्विक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला
[01] वैश्विक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला

मू.	11,70.00			
पु.	- 11,70.00

31 मार्च 2019 को ₹ 11,70.00 लाख का समस्त प्रावधान वैश्विक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला के सम्बन्ध में कार्य शुरू नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

800. अन्य व्यय
(01) कृषि गणना योजना

मू.	5,66.81			
पु.	- 1,12.21	4,54.60	4,50.51	- 4.09

₹ 1,12.21 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कृषि गणना 2015-16 के द्वितीय तथा तृतीय फेज के अन्तर्गत वेलीडेशन कार्य तथा फील्ड कार्य की अनुसूची की सूचना की डाटा एन्ट्री किये जाने के लिए भारत सरकार से सॉफ्टवेयर विलम्ब से प्राप्त होने तथा विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण खुली निविदा द्वारा कार्य निष्पादन के लिए निविदा प्रक्रियाओं में देरी को आरोपित की गयी।

₹ 4.09 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2029. भू-राजस्व			
103. भू-अभिलेख			
(03) प्रशिक्षण विद्यालय			
[03] राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर-प्रतिबद्ध			
मू.	24,63.85		
पु.	7,91.34	32,55.19	32,50.04
			- 5.15

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,91.34 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 5.15 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 009 – वन

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी

पूंजी – 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	8,16,70,23	8,16,70,23	7,11,98,91	- 1,04,71,32
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,03,59,65
प्रभारित				
मूल	1	1,10,95	81,45	- 29,50
अनुपूरक	1,10,94			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				28,43
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	1,04,55,57	1,04,55,57	64,52,41	- 40,03,16
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				38,90,05

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 1,04,71.32 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 1,11.67 लाख अनुभ्यर्पित रही ।
2. वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 1,17,24.21 लाख, ₹ 43,33.52 लाख, ₹ 79,58.79 लाख, ₹ 86,45.74 लाख तथा ₹ 1,04,71.32 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 5.78 प्रतिशत से 15.68 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये ।

अनुदान संख्या 009 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(19) जलवायु परिवर्तन एवं मरुप्रसार रोक			
मू.	5,13.12		
पु.	- 1,59.81	3,53.31	3,53.23
			- 0.08
31 मार्च 2019 को ₹ 1,59.81 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019) ।			
01. वानिकी			
102. समाज तथा फार्म वानिकी			
(25) बाह्य सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज- II			
मू.	34,98.83		
पु.	- 9,48.83	25,50.00	25,65.92
			+ 15.92
31 मार्च 2019 को ₹ 9,48.83 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 15.92 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. वानिकी			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) अधीनस्थ तथा दक्ष कर्मचारी वर्ग			
[01] संस्थापन-प्रतिबद्ध			
मू.	23,00.00		
पु.	- 12,83.38	10,16.62	10,16.62
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 12,83.38 लाख का प्रावधान (i) समस्त जिला परिषदों से पिछले वर्ष जारी की गयी निधियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा चालू वर्ष की मांग प्राप्त नहीं होने तथा (ii) कोषालयों द्वारा चुरू एवं जोधपुर जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में निधियों के हस्तान्तरण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(01) बाघ परियोजना, रणथम्भौर			
मू.	18,74.03		
पु.	- 13,77.88	4,96.15	4,93.90
			- 2.25
₹ 13,77.88 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019) ।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(02) बाघ परियोजना, सरिस्का			
मू.	6,20.11		
पु.	- 1,52.85	4,67.26	4,67.27
			+ 0.01
₹ 1,52.85 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019) ।			

अनुदान संख्या 009 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(06) ईको टूरिज्म का विकास			
मू.	2,00.00	42.89	42.89
पु.	- 1,57.11		..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,57.11 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(08) मुकुन्दरा नेशनल पार्क			
मू.	3,07.02	1,37.80	1,23.06
पु.	- 1,69.22		- 14.74
₹ 1,69.22 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 14.74 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(10) वन धन योजना			
मू.	1,54.21	18.82	18.59
पु.	- 1,35.39		- 0.23
31 मार्च 2019 को ₹ 1,35.39 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
112. सार्वजनिक उद्यान			
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध			
मू.	21,51.11	18,79.84	18,77.29
पु.	- 2,71.27		- 2.55
₹ 2,71.27 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 40,03.16 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 1,13.11 लाख अनुभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 88,48.59 लाख, ₹ 14,40.26 लाख, ₹ 13,20.50 लाख, ₹ 12,99.00 लाख तथा ₹ 40,03.16 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 10.00 प्रतिशत से 39.61 प्रतिशत के बीच थी। विभाग द्वारा इन निरन्तर बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

अनुदान संख्या 009 – (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
070. संचार तथा भवन			
(02) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग के माध्यम से			
मू.	2,27.00	98.75	98.75
पु.	- 1,28.25		..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,28.25 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(11) जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक			
मू.	8,47.06	5,21.98	5,07.88
पु.	- 3,25.08		- 14.10
31 मार्च 2019 को ₹ 3,25.08 लाख का प्रावधान जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक के लिए कम पौधारोपण होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 14.10 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(12) एकीकृत वन सुरक्षा योजना			
[01] सुरक्षा एवं विकास कार्य			
मू.	4,05.00	62.07	62.07
पु.	- 3,42.93		..
31 मार्च 2019 को ₹ 3,42.93 लाख का प्रावधान लघु कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. वानिकी			
102. समाज तथा फार्म वानिकी			
(14) नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य			
मू.	34,69.95	19,67.49	19,47.82
पु.	- 15,02.46		- 19.67
31 मार्च 2019 को ₹ 15,02.46 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 14,95.13 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 7.33 लाख) किया गया, जिसके तथा ₹ 19.67 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 009 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
800. अन्य व्यय			
(01) फार्म वन विद्या			
मू.	4,18.40		
पु.	- 1,04.06	3,14.34	3,09.46
			- 4.88
31 मार्च 2019 को ₹ 1,04.06 लाख का प्रावधान कम पौधारोपण के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 4.88 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. वानिकी			
800. अन्य व्यय			
(03) बड़े पौधों की तैयारी			
[01] विकास कार्य			
मू.	4,90.75		
पु.	- 1,37.18	3,53.57	3,41.15
			- 12.42
31 मार्च 2019 को ₹ 1,37.18 लाख का प्रावधान कम पौधारोपण के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 12.42 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव			
(11) बाघ परियोजना, सरिस्का			
[01] विकास कार्य			
मू.	1,60.00		
पु.	- 1,17.82	42.18	42.18
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,17.82 लाख का प्रावधान लघु कार्यो के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव			
(15) टाइगर सफारी आमली			
[01] विकास कार्य			
मू.	1,00.00		
पु.	- 1,00.00
			..
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव			
(16) आकल वुड फोसिल पार्क			
[01] विकास कार्य			
मू.	3,00.00		
पु.	- 3,00.00
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 4,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 009 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव			
(17) प्रोजेक्ट लेपर्ड			
[01] विकास कार्य			
मू.	5,00.00	2,99.48	2,99.48
पु.	- 2,00.52		..

31 मार्च 2019 को ₹ 2,00.52 लाख का प्रावधान लघु कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

02. पर्यावरण वानिकी तथा वन्य जीव			
800. अन्य व्यय			
(01) पर्यावरणिक पौधारोपण			
मू.	8,86.75	6,36.50	6,10.80
पु.	- 2,50.25		- 25.70

31 मार्च 2019 को ₹ 2,50.25 लाख का प्रावधान लघु कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 25.70 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 010 – विविध सामान्य सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2075. विविध सामान्य सेवाएं

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	5,03,30,47			
अनुपूरक	36,23,84	5,39,54,31	5,38,79,26	– 75,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				77,46

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 75.05 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 36,23.84 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 75.05 लाख की अंतिम बचत के संदर्भ में, ₹ 77.46 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 011 – विविध सामाजिक सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2250. अन्य सामाजिक सेवाएं,
 3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान और
 3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण
 पूंजी – 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय और
 5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान
 पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	67,80,88			
अनुपूरक	..	67,80,88	55,63,91	- 12,16,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				11,25,76
प्रभारित				
मूल	3			
अनुपूरक	98	1,01	1,00	- 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	9,52,09			
अनुपूरक	..	9,52,09	3,88,32	- 5,63,77
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				5,61,75

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 12,16.97 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 91.21 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 42,47.18 लाख, ₹ 34,12.26 लाख, ₹ 18,95.93 लाख, ₹ 28,94.92 लाख तथा ₹ 12,16.97 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 17.95 प्रतिशत से 37.34 प्रतिशत के बीच थी। इन निरन्तर बचतों के कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किये गये हैं।।

अनुदान संख्या 011 – (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
102. धार्मिक तथा पूर्ण अक्षयनिधि अधिनियमों का प्रशासन			
(01) देवस्थान तथा धर्मपुरा-प्रतिबद्ध			
मू.	21,42.08	18,06.73	17,98.76
पु.	- 3,35.35		

₹ 3,35.35 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 7.97 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

800. अन्य व्यय

(02) तीर्थ यात्रा योजना

[01] वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना

मू.	12,85.25	10,25.37	10,22.71
पु.	- 2,59.88		

31 मार्च 2019 को ₹ 2,59.88 लाख का प्रावधान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा जोकि माह नवम्बर, 2018 तथा मार्च, 2019 में शुरू होनी निर्धारित थी, विधान सभा तथा लोक सभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण संचालित नहीं होने से अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

01. भारतीय सर्वेक्षण

800. अन्य व्यय

(03) सरसेक/सेट कॉम नेटवर्क

मू.	2,15.00	44.45	44.45
पु.	- 1,70.55		

31 मार्च 2019 को ₹ 1,70.55 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 87.65 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 82.90 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

01. भारतीय सर्वेक्षण

800. अन्य व्यय

(05) विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण

मू.	3,60.42	2,30.87	2,27.03
पु.	- 1,29.55		

31 मार्च 2019 को ₹ 1,29.55 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

01. भारतीय सर्वेक्षण

800. अन्य व्यय

(09) प्रबन्ध सूचना तंत्र एवं पुस्तकालय

मू.	2,66.80	1.66	1.65
पु.	- 2,65.14		

31 मार्च 2019 को ₹ 2,65.14 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,64.46 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 0.68 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 011 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
01. भारतीय सर्वेक्षण			
800. अन्य व्यय			
(10) अनुसन्धान एवं विकास			
मू.	1,72.94		
		29.94	
पु.	- 1,43.00	29.94	..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,43.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

4. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्धन अनावश्यक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
800. अन्य व्यय			
(03) ट्रस्ट द्वारा संचालित मंदिरों के पुनरुत्थान हेतु सहायता			
मू.	3,15.11		
		2,83.00	
पु.	42.89	2,83.00	- 75.00
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 42.89 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 75.00 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

पूंजी

दत्तमत

- वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 16,28.96 लाख, ₹ 29,60.68 लाख, ₹ 25,95.72 लाख, ₹ 16,04.48 लाख तथा ₹ 5,63.77 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 59.21 प्रतिशत से 76.39 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण दिये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) विज्ञान एवं तकनीकी			
मू.	6,41.00		
		1,06.26	
पु.	- 5,34.74	1,06.26	..
31 मार्च 2019 को ₹ 5,34.74 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 4,84.74 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 50.00 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 012 - अन्य कर

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण,
2041. वाहन कर,
2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क और
3055. सड़क परिवहन
पूंजी - 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय और
7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	6,40,53,36	9,51,78,48	8,22,96,34	- 1,28,82,14
अनुपूरक	3,11,25,12			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,27,41,76
प्रभारित				
मूल	4	38,86	38,81	- 5
अनुपूरक	38,82			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				5
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	11,10,03	36,24,48	32,48,20	- 3,76,28
अनुपूरक	25,14,45			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				5,84,48

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 1,28,82.14 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 3,11,25.12 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से सितम्बर, 2018 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 3,11,25.11 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 1,28,82.14 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 1,40.38 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 82,18.47 लाख, ₹ 1,38,00.58 लाख, ₹ 80,24.66 लाख, ₹ 69,51.68 लाख तथा ₹ 1,28,82.17 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 8.17 प्रतिशत से 28.63 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 012 – (क्रमशः)

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण					
03. पंजीकरण					
001. निदेशन और प्रशासन					
(03) जिला संगठन					
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध					
मू.	50,92.23				
अ.	11,25.00		43,01.00	42,97.27	- 3.73
पु.	- 19,16.23				

सितम्बर, 2018 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा पंजीकृत दस्तावेजों की स्कैनिंग और इन्डेक्सिंग हेतु लिया गया ₹ 11,25.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अंतर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 19,16.23 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) सातवें वेतन आयोग में कार्मिकों के वेतन का स्थिरीकरण न होने तथा बकाया का भुगतान न होने तथा (ii) निविदा प्रक्रिया में देरी के कारण कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

2041. वाहन कर					
001. निदेशन और प्रशासन					
(04) संचालन परिवहन-प्रतिबद्ध					
[01] मुख्यालय-प्रतिबद्ध					
मू.	12,62.19				
पु.	- 1,94.92		10,67.27	10,60.55	- 6.72

₹ 1,94.92 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों तथा लेखन सामग्री/ मुद्रण पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, इसके तथा ₹ 6.72 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

101. संग्रहण प्रभार					
(03) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण					
मू.	20,83.85				
पु.	- 5,96.54		14,87.31	14,87.31	..

31 मार्च 2019 को ₹ 5,96.54 लाख का प्रावधान कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

101. संग्रहण प्रभार					
(04) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी					
[01] परिवहन विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध					
मू.	76,01.15				
पु.	- 10,49.41		65,51.74	65,37.72	- 14.02

₹ 10,49.41 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों, कार्यालय व्यय तथा संविदा व्यय पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, इसके तथा ₹ 14.02 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 012 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2041. वाहन कर			
102. मोटर वाहनों का निरीक्षण			
(02) निरीक्षण-प्रतिबद्ध			
मू.	41,14.25		
पु.	- 4,09.75	37,04.50	36,89.81
			- 14.69

₹ 4,09.75 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों तथा संविदा व्यय पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, इसके तथा ₹ 14.69 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क

103. संग्रहण प्रभार-विद्युत् शुल्क

(03) शीर्ष 2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर से स्थानान्तरित संयुक्त स्थापना का आनुपातिक व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	12,61.19			
पु.	- 2,14.94	10,46.25	10,45.60	- 0.65

31 मार्च 2019 को ₹ 2,14.94 लाख का प्रावधान बिक्री कर, विद्युत् कर, मनोरंजन कर एवं माल तथा सेवा कर (जी.एस.टी.) की राजस्व प्राप्ति के संग्रहण के अनुपात में व्यय के अनुसार संयुक्त स्थापना के आनुपातिक व्यय के समायोजन हेतु अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

3055. सड़क परिवहन

190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता

(08) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अन्य सहायता

मू.	0.03			
अ.	3,00,00.00	2,75,00.00	2,75,00.00	..
पु.	- 25,00.03			

, सितम्बर, 2018 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 3,00,00.00 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को सहायता हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2019 को ₹ 25,00.03 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

800. अन्य व्यय

(08) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि

[01] परिवहन विभाग के माध्यम से

मू.	89,42.25			
अ.	0.11	9,01.51	6,73.90	- 2,27.61
पु.	- 80,40.85			

₹ 80,40.85 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 2,27.61 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 012 - (क्रमशः)

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण			
02. स्टाम्प- न्यायिकेतर			
101. स्टाम्पों की लागत			
(01) स्टाम्प मुद्रण			
[01] नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प का मुद्रण-प्रतिबद्ध			
मू.	15,00.00		
		20,00.00	20,00.00
पु.	5,00.00		..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां सेन्ट्रल प्रेस, नासिक के बकाया बिलों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

3055. सड़क परिवहन

797. आरक्षित निधियां/जमा लेखाओं का अन्तरण

(01) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि

[01] समर्पित सड़क सुरक्षा निधि को अन्तरण

मू.	89,42.25		
		99,39.00	99,39.00
पु.	9,96.75		..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,96.75 लाख की अतिरिक्त निधियां समर्पित सड़क सुरक्षा निधि को अधिक निधियों के हस्तान्तरण करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

6. निम्न शीर्ष में अन्तिम आधिक्य को देखतु हुए, प्रावधान का आवर्द्धन अपर्याप्त था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण			
01. स्टाम्प- न्यायिक			
102. स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय			
(01) स्टाम्प विक्रय			
[01] अभिकर्ताओं को विक्रय पर कमीशन-प्रतिबद्ध			
मू.	55.00		
		60.00	1,62.89
पु.	5.00		+ 1,02.89

₹ 1,02.89 लाख के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 012 - (समाप्त)

पूँजी

दत्तमत

1. ₹ 3,76.28 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, सितम्बर, 2018 (₹ 20,00.05 लाख) तथा फरवरी, 2019 (₹ 5,14.40 लाख) में लिया गया ₹ 25,14.45 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
2. ₹ 3,76.28 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए ₹ 5,84.48 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
3. वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 3,00,00.03 लाख, ₹ 1,49,00.06 लाख, ₹ 2,01,00.02 लाख, ₹ 93,50.03 लाख तथा ₹ 3,76.28 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 10.38 प्रतिशत से 92.57 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण रहे।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(06) राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण			
मू.	1,10.00	10.00	10.00
पु.	-1,00.00		..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,00.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

5. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान में कटौती अत्यधिक थी:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5055. सड़क परिवहन पर पूजीगत परिव्यय			
050. भूमि तथा भवन			
(01) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि			
[01] सिविल कार्य			
अ.	5,14.43	30.00	2,38.20 + 2,08.20
पु.	- 4,84.43		
₹ 5,14.43 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा सड़क सुरक्षा कार्य हेतु लिया गया ₹ 5,14.40 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।			
31 मार्च 2019 को ₹ 4,84.43 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 2,08.20 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 013 – आबकारी

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2039. राज्य उत्पाद शुल्क
पूंजी – 5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,79,19,91	1,79,19,91	1,59,74,65	- 19,45,26
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				19,11,52
प्रभारित				
मूल	1	6,40	5,40	- 1,00
अनुपूरक	6,39			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,00

पूंजी

दत्तमत				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 19,45.26 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 33.74 लाख की राशि अन्अभ्यर्पित रही ।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2039. राज्य उत्पाद शुल्क				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध				
मू.	24,16.97	20,69.43	20,54.93	- 14.50
पु.	- 3,47.54			

₹ 3,47.54 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 224 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 43 पदों के रिक्त रहने, (ii) विश्लेषक सह प्रोग्रामर के 6 तथा सहायक प्रोग्रामर के 4 पदों को समाप्त करने तथा (iii) प्रचार-प्रसार तथा विज्ञापन पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।

₹ 14.50 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019) ।

अनुदान संख्या 013 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2039. राज्य उत्पाद शुल्क			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) निरोधक दल-प्रतिबद्ध			
मू.	97,62.05	87,27.03	87,20.27
पु.	- 10,35.02		
			- 6.76
₹ 10,35.02 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निरोधक गतिविधियों में कार्यरत कर्मचारियों के 3,234 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 1,265 पदों के रिक्त रहने तथा वर्ष के दौरान कुछ कर्मियों के सेवानिवृत्त होने को आरोपित की गई।			
₹ 6.76 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) अन्य संस्थापना-प्रतिबद्ध			
मू.	57,40.75	52,11.93	51,99.45
पु.	- 5,28.82		
			- 12.48
₹ 5,28.82 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधीनस्थ जिला आबकारी कार्यालयों में 1,139 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 321 (151 आबकारी गार्ड्स) पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
₹ 12.48 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 014 – बिक्री कर

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर और
2043. राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर संग्रहण प्रभार
पूंजी – 2047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	13,68,94,92	13,87,08,01	11,20,87,25	- 2,66,20,76
अनुपूरक	18,13,09			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				2,65,98,93
प्रभारित				
मूल	6	6	..	- 6
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				6
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	2	2	..	- 2
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				2

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- सितम्बर, 2018 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 18,13.09 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- ₹ 2,66,20.76 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 21.83 लाख अन्-अभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध				
मू.	36,24.98	32,48.47	32,47.93	- 0.54
पु.	- 3,76.51			

अनुदान संख्या 014 – (क्रमशः)

₹ 3,76.51 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) कोषालय द्वारा बिलों के पारित करने के बाद भी बैंक द्वारा ₹ 1,02.36 लाख का भुगतान जारी नहीं करने, (iii) वस्तु तथा सेवा कर (जी.एस.टी.) के लिए स्थापित कॉल सेन्टर्स में कर्मियों की संख्या में कटौती करने तथा (iv) में टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेज (टी.सी.एस.) को भुगतान नहीं करने को आरोपित की गयी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) डिजीजनल कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध			
मू.	29,59.23		
पु.	- 2,49.70		
	27,09.53	27,07.92	- 1.61
₹ 2,49.70 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी			
[01] मजदूरी/रोजगार अनुदान			
मू.	1,60.00		
पु.	- 1,60.00		

800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी			
[02] ब्याज अनुदान			
मू.	1,70.00		
पु.	- 1,70.00		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 3,30.00 लाख का समस्त प्रावधान वित्तीय वर्ष में निर्धारित अवधि के दौरान प्रकरणों का निपटान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी			
[04] इन्वेस्टमेंट सब्सिडि			
मू.	6,38,80.73		
पु.	- 1,64,08.11		
	4,74,72.62	4,74,72.62	..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,64,08.11 लाख का प्रावधान संशोधित अनुमानों के दौरान बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,45,34.69 लाख तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 18,73.42 लाख) किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी			
[05] एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडि			
मू.	30,25.00		
पु.	- 16,37.61		
	13,87.39	13,87.39	..

अनुदान संख्या 014 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी			
[07] इन्वेस्टमेंट सब्सिडि (रिफ्स-2014)			
मू. 1,02,25.00	41,20.72	41,20.72	..
पु. - 61,04.28			
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी			
[08] एम्पलायमेन्ट जनरेशन सब्सिडि (रिफ्स-2014)			
मू. 7,00.00	4,54.07	4,54.07	..
पु. - 2,45.93			

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 79,87.82 लाख का प्रावधान संशोधित अनुमानों के दौरान बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

2043. राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर सग्रहण प्रभार			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रधान कार्यालय			
[01] मुख्यालय-प्रतिबद्ध			
मू. 23,30.18	10,38.00	10,38.00	..
पु. - 12,92.18			

31 मार्च 2019 को ₹ 12,92.18 लाख का प्रावधान वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जी.एस.टी.एन.) में वास्तविक राज्यांश के अग्रिम भुगतान के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

अनुदान संख्या 015 – पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,96,99,52,95	2,06,04,85,05	2,03,94,93,39	- 2,09,91,66
अनुपूरक	9,05,32,10			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,33,13,22
प्रभारित				
मूल	12,00,04	12,00,04	1,32,56	- 10,67,48
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				4,20,04

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 2,09,91.66 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा मुख्यतः पेंशन एवं सेवानिवृत्ति परिलाभ तथा अंशदायी पेंशन योजना में सरकारी अंशदान के भुगतान हेतु ₹ 9,05,32.10 लाख का लिया गया प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 2,09,91.66 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 76,78.44 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

प्रभारित

- ₹ 10,67.48 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 6,47.44 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ				
01. सिविल				
106. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार				
(01) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन सम्बन्धी प्रभार				
[01] उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन सम्बन्धी प्रभार (प्रभृत) -प्रतिबद्ध				
मू.	12,00.00	7,80.00	1,32.56	- 6,47.44
घु.	- 4,20.00			

31 मार्च 2019 को ₹ 4,20.00 लाख का प्रावधान (i) सातवे वेतन आयोग के तहत पेंशन संशोधन के पश्चात् अनुमान से कम भुगतान होने, (ii) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन हितलाभ के वास्तविक भुगतान का निर्धारण विभागीय स्तर पर नहीं किया जा सकता तथा (iii) राज्य से बाहर रह रहे पेंशनर्स द्वारा पेंशन के आहरण का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि वास्तविक भुगतान सीधे ही कार्यालय महालेखाकार में बुक किया जाता है, के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 6,47.44 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 016 - पुलिस

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2055. पुलिस और
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं
पूंजी - 4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	60,34,96,31	62,82,84,61	62,12,15,34	- 70,69,27
अनुपूरक	2,47,88,30			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				64,92,88
प्रभारित				
मूल	4	22,25	22,22	- 3
अनुपूरक	22,21			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				3
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	1,04,99,23	2,20,50,58	1,86,02,21	- 34,48,37
अनुपूरक	1,15,51,35			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				34,48,36

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 70,69.27 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, सितम्बर, 2018 (₹ 31,23.96 लाख) तथा फरवरी, 2019 (₹ 2,16,64.34 लाख) में लिया गया ₹ 2,47,88.30 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- ₹ 70,69.27 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 5,76.39 लाख अन्-अभ्यर्पित रही।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 34,48.37 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, सितम्बर, 2018 (₹ 62,19.18 लाख) तथा फरवरी, 2019 (₹ 53,32.17 लाख) में लिया गया ₹ 1,15,51.35 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 19,93.09 लाख, ₹ 21,99.47 लाख, ₹ 4,70.27 लाख, ₹ 29,60.32 लाख तथा ₹ 34,48.37 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 11.27 प्रतिशत से 31.84 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 016 – (समाप्त)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
207. राज्य पुलिस			
(01) पुलिस आधुनिकीकरण			
[01] आपराधिक शाखा			
मू.	2,90.46		
अ.	2,82.17	2,53.53	2,53.53
पु.	- 3,19.10		..

फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण के अन्तर्गत मशीन एवं उपकरण की खरीद हेतु लिया गया ₹ 2,82.17 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2019 को ₹ 3,19.10 लाख का प्रावधान मार्च, 2019 के अंतिम कार्य दिवसों में कोषालय द्वारा पारित बिलों का भुगतान रोकने तथा मशीन एवं उपकरण की खरीद की कम आवश्यकता होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

207. राज्य पुलिस
(01) पुलिस आधुनिकीकरण
[02] सामान्य पुलिस

मू.	46,84.98		
अ.	27,24.70	49,80.28	49,80.28
पु.	- 24,29.40		..

फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण के अन्तर्गत मशीन एवं उपकरण की खरीद हेतु लिया गया ₹ 27,24.70 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 24,29.40 लाख की प्रत्याशित बचत मार्च, 2019 के अंतिम कार्य दिवसों में कोषालय द्वारा पारित बिलों का भुगतान रोकने तथा मशीन एवं उपकरण की खरीद की कम आवश्यकता होने को आरोपित की गयी।

207. राज्य पुलिस
(01) पुलिस आधुनिकीकरण
[03] वित्तु पुलिस

मू.	3,67.40		
अ.	10,93.75	10,77.62	10,77.62
पु.	- 3,83.53		..

फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण के अन्तर्गत मशीन एवं उपकरण की खरीद हेतु लिया गया ₹ 10,93.75 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2019 को ₹ 3,83.53 लाख का प्रावधान मार्च, 2019 के अंतिम कार्य दिवसों में कोषालय द्वारा पारित बिलों का भुगतान रोकने तथा मशीन एवं उपकरण की खरीद की कम आवश्यकता होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

211. पुलिस आवास
(01) राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण
निगम लिमिटेड के माध्यम से
[90] निर्माण कार्य

मू.	15,00.00		
अ.	12,50.00	12,50.00	12,50.00
पु.	- 2,50.00		..

31 मार्च 2019 को ₹ 2,50.00 लाख का प्रावधान बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 017 – कारागार

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2056. जेल

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	2,03,53,03	2,06,49,16	1,89,73,54	- 16,75,62
अनुपूरक	2,96,13			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				16,37,31
प्रभारित				
मूल	2	2	..	- 2
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				2

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,96.13 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम था।
2. ₹ 16,75.62 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 38.31 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2056. जेल				
101. जेल				
(01) मुख्य जेल-प्रतिबद्ध				
मू.	98,99.96	91,23.43	91,02.59	- 20.84
अ.	2,96.13			
पु.	- 10,72.66			

फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा जेल होम गार्ड्स को मानदेय के भुगतान हेतु लिया गया ₹ 2,96.13 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 10,72.66 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय हुआ क्योंकि 925 में से 728 प्रहरियों ने वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ की बजाय माह अगस्त, 2018 में कार्य ग्रहण किया, सातवे वेतन आयोग में वेतन निर्धारण नहीं होने, कुछ प्रहरियों द्वारा नौकरी छोड़ने तथा प्रान नम्बर जारी नहीं होने, (ii) विद्युत् प्रभार पर कम व्यय होने तथा (iii) 24 जिला जेलों में सी.सी.टी.वी. केमरे स्थापित करने के लिये स्वीकृति प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गयी।

₹ 20.84 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 017 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2056. जेल			
101. जेल			
(06) जेलों में विडियों काफ्रेसिंग सुविधा			
मू.	7,31.10		
		2,72.35	2,72.35
पु.	- 4,58.75		..

₹ 4,58.75 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) जैमर्स का क्रय नहीं होने, (ii) जनरेटर क्रय हेतु निविदा में कम दर प्राप्त होना तथा (iii) पब्लिक एड्रेस सिस्टम (26 नग), डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (36 नग), हैंड हैल्ड मेटल डिटेक्टर (151 नग), बरतन (84 नग) तथा एल.ई.डी. टी.वी. (84 नग) के बिलों के मार्च 2019 के कोषालय में सरवर डाउन होने से पारित नहीं होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 018 – जन-सम्पर्क

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2220. सूचना तथा प्रचार

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	81,23,43	2,01,71,98	1,51,81,56	- 49,90,42
अनुपूरक	1,20,48,55			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				
टिप्पणियां तथा टीकाएं :				
राजस्व				
दत्तमत				

- ₹ 49,90.42 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा विज्ञापन इत्यादि पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 1,20,48.55 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 49,90.42 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 78.16 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2220. सूचना तथा प्रचार			
60. अन्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निदेशालय संस्थापन-प्रतिबद्ध			
मू.	64,82.43	1,37,81.60	1,37,04.17
अ.	1,20,48.55		
पु.	- 47,49.38		
- 77.43			

फरवरी, 2019 में विज्ञापन इत्यादि पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 1,20,48.55 लाख का अनुपूरक अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 47,49.38 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 77.43 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 019 – लोक निर्माण कार्य

- मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य
- पूँजी – 4055. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय,
 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय,
 4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय,
 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय,
 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय,
 4211. परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय,
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय,
 4403. पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय,
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय,
 4700. मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय और
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	4,95,90,76			
अनुपूरक	43,38,55	5,39,29,31	4,76,81,76	- 62,47,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				61,93,48
प्रभारित				
मूल	1			
अनुपूरक	18,23	18,24	17,31	- 93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				93
पूँजी				
दत्तमत				
मूल	10,24,80,32			
अनुपूरक	3	10,24,80,35	5,60,35,35	- 4,64,45,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				4,62,74,63

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1. सितम्बर, 2018 (₹ 0.01 लाख) तथा फरवरी, 2019 (₹ 43,38.54 लाख) में लिया गया ₹ 43,38.55 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 62,47.55 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 54.07 लाख अनुभ्यर्पित रही।
3. वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 46,72.03 लाख, ₹ 38,04.05 लाख, ₹ 67,32.22 लाख, ₹ 47,36.46 लाख तथा ₹ 62,47.55 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 8.65 प्रतिशत से 14.33 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण दिये गये।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
[02] अधीक्षण-प्रतिबद्ध			
मू.	57,93.77		
अ.	5,18.00	58,24.73	58,17.19
पु.	- 4,87.04		- 7.54
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
[03] निष्पादन-प्रतिबद्ध			
मू.	2,43,38.39		
अ.	23,33.00	2,46,67.68	2,46,54.94
पु.	- 20,03.71		- 12.74

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा वेतन तथा भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 28,51.00 लाख का प्रावधान शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 24,90.75 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 20.28 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य
001. निदेशन तथा प्रशासन
(01) निदेशन
[11] प्रधान कार्यालय एवं संभागीय कार्यालय-प्रतिबद्ध

मू.	46,26.54		
अ.	9,49.00	49,91.69	49,84.79
पु.	- 5,83.85		- 6.90

फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा वेतन तथा भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 9,49.00 लाख का प्रावधान शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 5,83.85 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 6.90 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
004. योजना तथा अनुसंधान			
(01) अनुसंधान-प्रतिबद्ध			
मू.	18,86.08		
अ.	2,64.00	19,33.75	19,27.79
पु.	- 2,16.33		- 5.96

फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा वेतन तथा भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 2,64.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 2,16.33 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 5.96 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य
052. मशीनरी तथा उपस्कर
(01) मशीनों का संधारण
[02] जीर्णोद्धार एवं ढुलाई व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	12,33.00		
अ.	2,00.00	12,66.44	12,66.38
पु.	- 1,66.56		- 0.06

फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा वेतन तथा भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 2,00.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 1,66.56 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मजदूरी पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य
053. रखरखाव तथा मरम्मत
(04) पंजीयक, राजस्व मण्डल-प्रतिबद्ध

मू.	5,00.00		
पु.	- 3,48.43	1,51.57	1,48.12
			- 3.45

31 मार्च 2019 को ₹ 3,48.43 लाख का प्रावधान मरम्मत तथा रखरखाव के कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य
053. रखरखाव तथा मरम्मत
(06) महानिरीक्षक, जेल विभाग-प्रतिबद्ध

मू.	11,00.00		
पु.	- 6,26.21	4,73.79	4,72.26
			- 1.53

31 मार्च 2019 को ₹ 6,26.21 लाख का प्रावधान प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विलम्ब से जारी करने तथा वित्त विभाग द्वारा साख सीमा कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(08) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग-प्रतिबद्ध			
मू. 5,00.00	4,00.00	4,00.00	..
पु. - 1,00.00			

₹ 5,00.00 लाख का प्रावधान 59 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मरम्मत एवं रखरखाव कार्य के लिए अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2019 को ₹ 1,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत कुछ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नये भवन के निर्माण की स्वीकृति जारी होने तथा निविदा की दर कम होने के कारण अभ्यर्पित की गयी।

80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(10) आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग-प्रतिबद्ध			
मू. 2,78.34	59.49	59.45	- 0.04
पु. - 2,18.85			

31 मार्च 2019 को ₹ 2,18.85 लाख का प्रावधान मरम्मत तथा रखरखाव कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(12) महानिरीक्षक, पुलिस विभाग-प्रतिबद्ध			
मू. 14,50.00	6,32.32	6,26.40	- 5.92
पु. - 8,17.68			

31 मार्च 2019 को ₹ 8,17.68 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को साख सीमा जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 5.92 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(21) कार्मिक विभाग, सचिवालय-प्रतिबद्ध			
मू. 3,50.00	2,12.47	2,12.47	..
पु. - 1,37.53			

31 मार्च 2019 को ₹ 1,37.53 लाख का प्रावधान मरम्मत तथा रखरखाव कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

5. **उचन्त** – लघु शीर्ष “उचन्त” अस्थायी रूप से प्राप्तियों एवं संवितरणों को सम्मिलित करता है जो अंतरिम संव्यवहारों की प्रकृति के है। यद्यपि, उनको पूर्ण रूप देने और अंतिम रूप से लेखांकित करने के पूर्व मूल्यों का आगे भुगतान अथवा मूल्य का समायोजन आवश्यक है। तदनुसार, “उचन्त” में राशि वर्षानुवर्ष अग्रनीत की जाती है।

लोक निर्माण कार्यों के लेखों में उचन्त के तीन उप-भाग हैं, यथा (i) स्टॉक, (ii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम तथा (iii) वर्कशाप उचन्त, जैसा नीचे स्पष्ट किया गया है :-

- (i) **स्टॉक** – इस शीर्ष में किसी विशेष निर्माण कार्य हेतु नहीं अपितु खण्ड में सामान्य उपयोग हेतु जो सामग्रियां प्राप्त की जाती हैं, का मूल्य लेखांकित किया जाता है। विशेष कार्यों पर प्रयोग के लिए जारी की गयी या बेची गयी अथवा अन्य खण्डों को स्थानान्तरित सामग्रियों का मूल्य, अन्तरण द्वारा इस उपभाग के अन्तर्गत लेखों से हटाया जाता है। प्राप्त सामग्रियों के मूल्य जिसका, उसी माह में भुगतान नहीं किया गया हो, का अभिलेख रखने के लिये अब एक ब्यौरेवार शीर्ष “खरीद” भी परिचालित किया गया है। अतः उप भाग स्टॉक, भण्डार में रखी गयी सामग्रियों का पुस्तक मूल्य (बाजार मूल्यों से पृथक) और विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, जो इस उप भाग को प्रभारित किया जाता है जिसके द्वारा अभी भुगतान किये जाने वाले या समायोजित किये जाने वाले सामान का मूल्य घटाकर, रहे शेष को दर्शाता है।
- (ii) **विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम** – इस शीर्ष के अंतर्गत उधार बेची गयी सामग्री का मूल्य जमा निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा से अधिक किया गया व्यय, खोई गयी नकद राशि, भण्डार का मूल्य जो अभी अपलिखित नहीं किया गया हो तथा सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूली योग्य राशियां लेखा बद्ध की जाती हैं। शेष वसूली योग्य राशि का द्योतक है।
- (iii) **वर्कशाप उचन्त** – सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्कशापों में निष्पादित कार्यों अथवा अन्य संकायों के प्रभार, उनकी वसूली या समायोजन होने तक, इस उप शीर्ष में पुस्तांकित किये जाते हैं।

2018-19 में इस अनुदान में “उचन्त” लेन देनों का विश्लेषण “उचन्त” के विभिन्न उप-शीर्षों के अधीन प्रारम्भिक तथा अन्त शेष सहित दिया गया है :-

“उचन्त” लघु शीर्ष का उपभाग	प्रारम्भिक शेष नामे (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामे (+) जमा (-)
(₹ लाख में)				
स्टॉक	(+ 4,53.61	(+ 4,53.61
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+ 2,23.33	(+ 2,23.33
योग	(+ 6,76.94	(+ 6,76.94

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 4,64,45.00 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 1,70.37 लाख अनुभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 6,88,03.68 लाख, ₹ 3,19,13.49 लाख, ₹ 8,98,16.59 लाख, ₹ 6,25,15.12 लाख तथा ₹ 4,64,45.00 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 27.94 प्रतिशत से 55.52 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः निर्माण कार्यों के मूल अनुमान से धीमी प्रगति/कम निष्पादन होने के कारण बतायी गयी।

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
211. पुलिस आवास			
(02) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
[90] निर्माण कार्य			
मू. 38,90.22	32,49.15	32,46.80	- 2.35
पु. - 6,41.07			
31 मार्च 2019 को ₹ 6,41.07 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
211. पुलिस आवास			
(02) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू. 3,11.22	1,99.89	1,99.12	- 0.77
पु. - 1,11.33			
31 मार्च 2019 को ₹ 1,11.33 लाख का प्रावधान निर्माण कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू. 27,29.60	11,58.18	11,61.40	+ 3.22
पु. - 15,71.42			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू. 10,23.62	4,34.32	4,35.53	+ 1.21
पु. - 5,89.30			

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 21,60.72 लाख का प्रावधान निर्माण कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(01) सामान्य भवन (भू-राजस्व)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	37,79.53	21,00.99	20,78.18
पु.	- 16,78.54		- 22.81
31 मार्च 2019 को ₹ 16,78.54 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, इसके तथा ₹ 22.81 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(02) सामान्य भवन (अन्य प्रशासनिक सेवाएं-सामान्य प्रशासनिक भवन)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	15,09.30	11,30.33	11,27.61
पु.	- 3,78.97		- 2.72
31 मार्च 2019 को ₹ 3,78.97 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[01] नवीन उच्च न्यायालय भवन, जोधपुर (आर.एस.आर.डी.सी.सी. के माध्यम से)			
मू.	14,05.00	5,00.00	5,00.00
पु.	- 9,05.00		..
31 मार्च 2019 को ₹ 9,05.00 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[02] राजस्थान न्यायिक अकादमी भवन, जोधपुर (आर.एस.आर.डी.सी.सी. के माध्यम से)			
मू.	2,87.60	28.64	28.64
पु.	- 2,58.96		..
31 मार्च 2019 को ₹ 2,58.96 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[03] अन्य न्यायिक भवन			
मू.	85,75.29		
पु.	- 28,46.86	57,28.43	57,14.50 - 13.93
31 मार्च 2019 को ₹ 28,46.86 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 13.93 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[06] न्याय प्रशासन विभाग			
मू.	7,07.96		
पु.	- 2,67.95	4,40.01	4,30.50 - 9.51
31 मार्च 2019 को ₹ 2,67.95 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 9.51 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(04) सामान्य भवन (जेलों)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	24,38.21		
पु.	- 20,11.40	4,26.81	4,20.31 - 6.50
31 मार्च 2019 को ₹ 20,11.40 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 6.50 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(05) सामान्य भवन (पुलिस प्रशासनिक भवन)			
[02] गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग			
मू.	1,05.13		
पु.	- 1,05.13
31 मार्च 2019 को ₹ 1,05.13 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(06) सामान्य भवन (पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत बनने वाले भवन)			
मू.	8,84.95		
पु.	- 1,72.21	7,12.74	7,12.37
			- 0.37

31 मार्च 2019 को ₹ 1,72.21 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य सड़क विकास तथा निर्माण निगम लिमिटेड तथा राजस्थान पुलिस आवास निर्माण निगम लिमिटेड को राज्य सरकार की मांग के अनुरूप निधियां कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य
051. निर्माण
(07) सामान्य भवन (सहकारिता विभाग)
[01] मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से

मू.	1,54.87			
पु.	- 1,54.87

80. सामान्य
051. निर्माण
(07) सामान्य भवन (सहकारिता विभाग)
[02] पंजीयक, सहकारिता विभाग के माध्यम से

मू.	2,00.00			
पु.	- 2,00.00

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 3,54.87 लाख का प्रावधान परियोजना में बदलाव करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य
051. निर्माण
(13) सामान्य भवन (स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग)

मू.	6,25.92			
पु.	- 2,82.39	3,43.53	3,39.32	- 4.21

31 मार्च 2019 को ₹ 2,82.39 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 4.21 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य
051. निर्माण
(15) सामान्य भवन (राज्य आबकारी)

मू.	9,09.77			
पु.	- 1,29.67	7,80.10	7,76.32	- 3.78

31 मार्च 2019 को ₹ 1,29.67 लाख का प्रावधान संवेदकों से बिल प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(22) सामान्य भवन (वाणिज्यिक कर विभाग)			
मू.	45,01.90		
पु.	- 32,10.76	12,91.14	12,91.14
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 32,10.76 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(26) सामान्य भवन (रोजगार कार्यालय)			
मू.	2,50.69		
पु.	- 2,47.39	3.30	2.92
			- 0.38
31 मार्च 2019 को ₹ 2,47.39 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(27) सामान्य भवन (विधान सभा भवन का निर्माण)			
मू.	1,68.65		
पु.	- 1,55.77	12.88	12.88
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,55.77 लाख का प्रावधान चुनाव आचार संहिता लगने के कारण निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(36) कार्मिक विभाग का निर्माण कार्य (सचिवालय)			
मू.	5,27.10		
पु.	- 5,05.54	21.56	21.56
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 5,05.54 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(46) सामान्य भवन (पेंशन विभाग के लिए भवन)			
मू.	3,66.98		
पु.	- 1,27.35	2,39.63	2,39.63
			..

अनुदान संख्या 019 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(54) निदेशालय गोपालन में निर्माण कार्य			
मू.	1,59.29		
		39.48	39.48
पु.	- 1,19.81		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 2,47.16 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य
051. निर्माण
(55) सामान्य भवन (राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला)

मू.	8,84.96		
		7,10.87	7,10.87
पु.	- 1,74.09		..

31 मार्च 2019 को ₹ 1,74.09 लाख का प्रावधान संवेदकों से बिल प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य
051. निर्माण
(57) राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन
बोर्ड का भवन निर्माण
[01] कार्यालय भवन का निर्माण

मू.	7,50.00		
	
पु.	- 7,50.00		..

31 मार्च 2019 को ₹ 7,50.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य
051. निर्माण
(59) सामान्य भवन (निर्वाचन विभाग के लिए)
[01] निर्माण कार्य

मू.	24,13.27		
		15,99.07	15,82.20
पु.	- 8,14.20		- 16.87

31 मार्च 2019 को ₹ 8,14.20 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 16.87 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
052. मशीनरी तथा उपस्कर			
(01) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[92] औजार व संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	6,82.42		
	2,89.54	2,90.35	+ 0.81
पु.	- 3,92.88		
31 मार्च 2019 को ₹ 3,92.88 लाख का प्रावधान निर्माण कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
003. प्रशिक्षण			
(01) हरिश्चन्द्र माधुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	15,68.40		
	7,88.23	7,85.07	- 3.16
पु.	- 7,80.17		
31 मार्च 2019 को ₹ 7,80.17 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	8,26.68		
	1,32.71	1,32.71	..
पु.	- 6,93.97		
31 मार्च 2019 को ₹ 6,93.97 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	32,70.80		
	27,74.09	27,74.09	..
पु.	- 4,96.71		
31 मार्च 2019 को ₹ 4,96.71 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	26,95.79	7,91.71	7,91.71
पु.	- 19,04.08		..
31 मार्च 2019 को ₹ 19,04.08 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,15.66	40.14	40.14
पु.	- 1,75.52		..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,75.52 लाख का प्रावधान निर्माण कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(03) चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	10,72.45	7,73.73	7,28.87
पु.	- 2,98.72		- 44.86
31 मार्च 2019 को ₹ 2,98.72 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 44.86 लाख की अन्तिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(04) चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	7,64.60	1,30.49	1,27.01
पु.	- 6,34.11		- 3.48
31 मार्च 2019 को ₹ 6,34.11 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(05) चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	6,90.48	4,80.76	4,80.76
पु.	- 2,09.72		..
31 मार्च 2019 को ₹ 2,09.72 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(06) चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	7,72.57	3,49.67	3,49.67
पु.	- 4,22.90		..
31 मार्च 2019 को ₹ 4,22.90 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(11) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	3,02,75.00	1,26,05.17	1,26,05.17
पु.	- 1,76,69.83		..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,76,69.83 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,28,73.81 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 47,96.02 लाख) की गई। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य			
101. भवन			
(02) अन्य कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	2,56.88	1,09.00	1,09.00
पु.	- 1,47.88		..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,47.88 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(01) छात्रावास भवन निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	2,83.19	7.64	7.64
पु.	- 2,75.55		..
31 मार्च 2019 को ₹ 2,75.55 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
03. पिछड़ों वर्गों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(02) नाबार्ड सहायता योजना अन्तर्गत छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	1,50.00
पु.	- 1,50.00		..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,50.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
102. बाल कल्याण			
(01) भवन			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	5,84.07	1,03.08	1,03.08
पु.	- 4,80.99		..
31 मार्च 2019 को ₹ 4,80.99 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
02. समाज कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(02) रैबारी एवं अन्य माइग्रेटरी समुदाय के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों का निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	4,42.48	1,03.27	1,03.27
पु.	- 3,39.21		..
31 मार्च 2019 को ₹ 3,39.21 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(04) राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग के लिए भवन निर्माण एवं सुदृढीकरण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	2,03.02		
पु.	- 1,72.69	30.33	30.33
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,72.69 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा बजट सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
201. श्रम			
(02) खण्डीय एवं जिला कार्यालय			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	3,61.04		
पु.	- 3,59.46	1.58	1.58
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 3,59.46 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
203. रोजगार			
(02) प्रशिक्षण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	63,44.40		
पु.	- 26,22.33	37,22.07	37,22.07
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 26,22.33 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
203. रोजगार			
(02) प्रशिक्षण			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	5,07.55		
पु.	- 2,09.73	2,97.82	2,97.53
			- 0.29
31 मार्च 2019 को ₹ 2,09.73 लाख का प्रावधान निर्माण कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
203. रोजगार			
(09) अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आई.टी.आई. के भवन निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	9,80.60		
पु.	- 7,95.85	1,84.75	1,84.75
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 7,95.85 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 019 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु-पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य			
(07) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. XIX के अन्तर्गत			
पशु चिकित्सालयों एवं डिस्पेंसरियों के भवन का निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	7,07.96		
		3,40.07	3,39.78
पु.	- 3,67.89		- 0.29

31 मार्च 2019 को ₹ 3,67.89 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(05) सामान्य भवन (पुलिस प्रशासनिक भवन)			
[01] मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	32,72.50		
		68,73.15	68,72.26
पु.	36,00.65		- 0.89

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 36,00.65 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

उपरोक्त तथ्य मद में कुल मिलाकर अंतिम बचत दर्शाते हैं। यद्यपि शीर्षों के अन्तर्गत राज्य निधि के संबंध में ₹ 45,84.11 लाख का अधिक व्यय हुआ है जबकि राज्य सरकार ने पुनर्विनियोजन के माध्यम से शीर्षों के अन्तर्गत कन्द्रीय सहायता के ₹ 45,85.00 लाख जारी किये जो अनुपयोगी रहे जिसके कारण विस्तृत लेखे में राज्य निधि के अन्तर्गत ₹ 45,84.11 लाख का अधिक व्यय तथा केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत ₹ 45,85.00 लाख की बचत प्रतिबिंबित हुई जबकि यहाँ ₹ 0.89 लाख की अंतिम बचत दर्शायी गयी है।

80. सामान्य			
051. निर्माण			
(29) सामान्य भवन (यातायात भवनों का निर्माण)			
[01] भवनों का तथा ड्राइविंग ट्रेक का निर्माण			
मू.	3,51.53		
		4,95.28	4,95.23
पु.	1,43.75		- 0.05

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,43.75 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 020 - आवास

**मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2216. आवास
पूंजी - 4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	64,90,39			
अनुपूरक	35,90	65,26,29	48,05,92	- 17,20,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				16,86,58
प्रभारित				
मूल	1			
अनुपूरक	..	1	..	- 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	25,33,75			
अनुपूरक	..	25,33,75	16,34,32	- 8,99,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				8,99,96

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा सरकारी आवासीय भवनों के मरम्मत हेतु लिया गया ₹ 35.90 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 17,20.37 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 33.79 लाख अनुअभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 020 – (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2216. आवास			
05. साधारण पूल आवास			
053. रख रखाव तथा मरम्मत			
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य व्यय)			
[01] कार्य प्रभारित स्थापना-प्रतिबद्ध			
मू. 18,05.05	14,79.34	14,77.72	- 1.62
पु. - 3,25.71			

31 मार्च 2019 को ₹ 3,25.71 लाख का प्रावधान मुख्यतः मजदूरी पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

05. साधारण पूल आवास
053. रख रखाव तथा मरम्मत
(02) न्याय विभाग
[02] अन्य रख रखाव व्यय -प्रतिबद्ध

मू. 7,30.00	4,74.97	4,54.13	- 20.84
पु. - 2,55.03			

31 मार्च 2019 को ₹ 2,55.03 लाख का प्रावधान न्याय विभाग के आवासों के रख-रखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 20.84 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

05. साधारण पूल आवास
053. रख रखाव तथा मरम्मत
(08) पुलिस विभाग के रिहायशी भवन-प्रतिबद्ध

मू. 14,50.00	4,35.79	4,28.04	- 7.75
पु. - 10,14.21			

31 मार्च 2019 को ₹ 10,14.21 लाख का प्रावधान मरम्मत एवं रख रखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 9,28.50 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 85.71 लाख) किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 7.75 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

पूँजी

दत्तमत

- ₹ 8,99.43 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 8,99.96 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 18,70.07 लाख, ₹ 3,07.62 लाख, ₹ 8,36.59 लाख, ₹ 14,69.95 लाख तथा ₹ 8,99.43 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट का 31.52 प्रतिशत से 74.23 प्रतिशत तक रही। निरन्तर बचत के कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किये गये हैं।

अनुदान संख्या 020 - (समाप्त)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(01) सामान्य आवासीय भवन (न्याय विभाग)			
[90] निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से)			
मू.	3,90.21		
पु.	- 1,20.69	2,69.52	2,69.51
			- 0.01
31 मार्च 2019 को ₹ 1,20.69 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019) ।			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(03) सामान्य आवासीय भवन (राजस्व विभाग के लिए)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	7,28.46		
पु.	- 2,35.97	4,92.49	4,92.49
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 2,35.97 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019) ।			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(08) मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के बगलें			
[90] निर्माण कार्य-स्कीम			
मू.	1,76.99		
पु.	- 1,24.41	52.58	52.58
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,24.41 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की एवज में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कम भुगतान करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(09) V एवं VI श्रेणी तथा अन्य आवास			
[90] निर्माण कार्य-स्कीम			
मू.	1,76.99		
पु.	- 1,16.87	60.12	60.12
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,16.87 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की एवज में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कम भुगतान करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 021 – सड़कें एवं पुल

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 3054. सड़क तथा सेतु
 पूंजी – 4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय और
 7075. अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	15,35,23,33	16,68,64,60	13,62,34,33	– 3,06,30,27
अनुपूरक	1,33,41,27			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				3,12,66,71
प्रभारित				
मूल	1	99,65	88,72	– 10,93
अनुपूरक	99,64			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				10,93
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	46,20,20,77	49,29,30,77	40,25,55,24	– 9,03,75,53
अनुपूरक	3,09,10,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				8,98,10,73

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- सितम्बर, 2018 (₹ 40,54.50 लाख) तथा फरवरी, 2019 (₹ 92,86.77 लाख) में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,33,41.27 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- ₹ 3,06,30.27 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 3,12,66.71 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 93,06.84 लाख, ₹ 4,36,22.26 लाख, ₹ 1,43,84.87 लाख, ₹ 3,17,66.53 लाख तथा ₹ 3,06,30.27 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 5.41 प्रतिशत से 24.18 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 021 – (क्रमशः)

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
03. राजकीय राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) संधारण एवं जीर्णोद्धार			
[01] सड़कों का संधारण-प्रतिबद्ध			
मू.	1,37,23.25	1,17,65.61	1,17,64.72
पु.	- 19,57.64		
			- 0.89

31 मार्च 2019 को ₹ 19,57.64 लाख का प्रावधान कार्यभारित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के बकाया का कम भुगतान अनुमान से कम होने एवं अनुरक्षण तथा मरम्मत की बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. राजकीय राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(03) एशियन विकास बैंक द्वारा पोषित निजी सहभागिता परियोजना			
[01] अतिरिक्त परिचालन लागत			
मू.	1,41.00	9.66	9.67
पु.	- 1,31.34		
			+ 0.01

31 मार्च 2019 को ₹ 1,31.34 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

03. राजकीय राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(03) एशियन विकास बैंक द्वारा पोषित निजी सहभागिता परियोजना			
[02] आधुनिकीकरण			
मू.	2,15.00	23.47	23.47
पु.	- 1,91.53		
			..

31 मार्च 2019 को ₹ 1,91.53 लाख का प्रावधान विशिष्ट एवं वृत्तिक सेवाओं पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(01) जिला सड़कों का संधारण एवं जीर्णोद्धार			
[01] जिला सड़कें-प्रतिबद्ध			
मू.	70,09.70	60,45.19	60,44.31
पु.	- 9,64.51		
			- 0.88

31 मार्च 2019 को ₹ 9,64.51 लाख का प्रावधान कार्यभारित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के बकाया का अनुमान से कम भुगतान होने तथा अनुरक्षण तथा मरम्मत की बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 021 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(01) जिला सड़कों का संधारण एवं जीर्णोद्धार			
[03] अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	3,00.00		
अ.	40,54.50	2,22.67	2,22.67
पु.	- 41,31.83		..

सितम्बर, 2018 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा शिलान्यास, शुरुआत, त्यौहारों तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे के दौरान आयोजित प्रदर्शनियों हेतु लिया गया ₹ 40,54.50 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि शीर्ष के अन्तर्गत वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधानों से कम था।

31 मार्च 2019 को ₹ 41,31.83 लाख की प्रत्याशित बचत को बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़कों की मरम्मत-प्रतिबद्ध			
मू.	2,85,08.15		
पु.	- 65,83.47	2,19,24.68	2,18,96.92
			- 27.76

31 मार्च 2019 को ₹ 65,83.47 लाख का प्रावधान अनुरक्षण तथा मरम्मत एवं मजदूरी पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

₹ 27.76 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण सड़कें			
[05] विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना (आधुनिकीकरण)			
मू.	10,21.00		
पु.	- 9,38.39	82.61	82.61
			..

31 मार्च 2019 को ₹ 9,38.39 लाख का प्रावधान विशिष्ट एवं वृत्तिक सेवाओं पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण सड़कें			
[06] प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
मू.	10,00.00		
पु.	- 6,97.11	3,02.89	3,02.89
			..

31 मार्च 2019 को ₹ 6,97.11 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 021 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
3054. सड़क तथा सेतु			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(06) महानगरीय सड़कों का संधारण एवं जीर्णोद्धार-प्रतिबद्ध			
मू.	13,03.15	11,01.15	11,01.08
पु.	- 2,02.00		
			- 0.07

31 मार्च 2019 को ₹ 2,02.00 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षण तथा मरम्मत पर बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

80. सामान्य

797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण

(03) केन्द्रीय सड़क निधि को अन्तरण (100% केन्द्र)

मू.	7,00,00.00	5,91,86.30	5,91,86.34
पु.	- 1,08,13.70		
			+ 0.04

31 मार्च 2019 को ₹ 1,08,13.70 लाख का प्रावधान केन्द्रीय सड़क निधि को कम राशि, जो भारत सरकार से प्राप्त हुई, का हस्तान्तरण करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 65,39.82 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 42,73.88 लाख) किया गया ।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
3054. सड़क तथा सेतु			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(02) राज्य सड़क विकास निधि को अन्तरण			
मू.	1,25,00.00	2,60,34.12	2,60,34.12
अ.	92,86.77		
पु.	42,47.35		
			..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 42,47.35 लाख की अतिरिक्त निधियां पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर संग्रहित उपकर को राज्य सड़क विकास निधि को अन्तरण करने हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

6. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान में कटौती अत्यधिक थी:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से (100% केन्द्र)			
[02] संधारण एवं जीर्णोद्धार			
मू.	1,73,49.00	85,42.89	92,08.89
पु.	- 88,06.11		+ 6,66.00

₹ 1,73,49.00 लाख का प्रावधान गत वर्षों के व्यय के रुझान के अनुसार अनुमानित था क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों पर व्यय सीधे ही सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा किया गया जिसके लिए स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की गयी।

31 मार्च 2019 को ₹ 88,06.11 लाख का प्रावधान सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा कम व्यय होगा, की प्रत्याशा में अभ्यर्षित किया गया। यद्यपि, वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान से अधिक था जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 6,66.00 लाख का आधिक्य रहा, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

7. **केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता:-** मोटर स्प्रिट पर उत्पाद एवं आयात शुल्कों से प्राप्त राजस्व का एक भाग भारत सरकार द्वारा गठित 'केन्द्रीय सड़क निधि' में जमा किया जाता है। उस निधि से राज्यों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास योजनाओं पर व्यय करने के लिए कुल जमाओं का 80 प्रतिशत अर्थ सहाय्य प्रदान किया जाता है। अर्थ सहाय्य के रूप में प्राप्त राशि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान के रूप में लेखों में जमा की जाती है तथा इन अनुदान में किये गये प्रावधान में से लोक लेखे के अंतर्गत निक्षेप शीर्ष 'केन्द्रीय सड़क निधि' में अन्तरित कर दी जाती है।

प्रति वर्ष इस अनुदान के अंतर्गत पुस्तांकित किया गया व्यय, सरकार द्वारा निर्णित सीमा तक, इस अनुदान के अंतर्गत व्यय में से कम करके निक्षेप शीर्ष में से राशि के अंतरण द्वारा पूरित किया जाता है। वर्ष के दौरान ₹ 5,91,86.34 लाख का अर्थ सहाय्य प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान अनुमोदित योजनाओं पर ₹ 5,31,53.81 लाख व्यय हुए।

31 मार्च 2019 को निक्षेप शीर्ष में ₹ 68,06.55 लाख का शेष था।

2018-19 के दौरान निक्षेप शीर्ष के लेन-देन का लेखा वित लेखे 2018-19 के विवरण संख्या 21 तथा 22 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "8449" में दर्शाया गया है।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 9,03,75.53 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 5,64.80 लाख अन्अभ्यर्षित रही।
- सितम्बर, 2018 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 3,09,10.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधानों से कम था।
- वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 8,81,42.84 लाख, ₹ 6,05,49.40 लाख, ₹ 12,63,40.86 लाख, ₹ 1,86,88.73 लाख तथा ₹ 9,03,75.53 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 4.49 प्रतिशत से 36.45 प्रतिशत के बीच थी। विभाग द्वारा इन निरन्तर बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये।

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(04) सड़कों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु प्रावधान			
मू. 1,82,17.70	23,86.98	23,76.10	- 10.88
पु. - 1,58,30.72			

31 मार्च 2019 को ₹ 1,58,30.72 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 10.88 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

03. राज्य राजमार्ग
337. सड़क निर्माण कार्य
(05) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें

मू. 4,80,34.00	3,52,82.37	3,51,35.76	- 1,46.61
पु. - 1,27,51.63			

31 मार्च 2019 को ₹ 1,27,51.63 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 1,46.61 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

03. राज्य राजमार्ग
337. सड़क निर्माण कार्य
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें
[90] निर्माण कार्य

मू. 2,50,52.98	1,58,51.94	1,57,48.42	- 1,03.52
अ. 30,38.94			
पु. - 1,22,39.98			

सितम्बर, 2018 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा राज्य सड़क विकास निधि से सड़कों के निर्माण कार्य हेतु लिया गया ₹ 30,38.94 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि शीर्षों के अन्तर्गत वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधानों से कम था।

31 मार्च 2019 को ₹ 1,22,39.98 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 1,03.52 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

03. राज्य राजमार्ग
337. सड़क निर्माण कार्य
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)

मू. 20,04.24	12,63.98	12,57.58	- 6.40
अ. 2,43.11			
पु. - 9,83.37			

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[92] औजार व संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	5,01.06		
अ.	60.78	3,15.99	3,14.40
पु.	- 2,45.85		- 1.59
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	7,51.59		
अ.	91.17	4,73.99	4,71.59
पु.	- 3,68.77		- 2.40
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत सितम्बर, 2018 में प्रथम अनुपूर्क अनुदान द्वारा प्रतिशतता व्यय के समायोजन हेतु लिया गया ₹ 3,95.06 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि शीर्ष के अन्तर्गत वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधानों से कम था।			
उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 15,97.99 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(10) निजी जन सहभागिता (पी.पी.पी.) से सड़कों का निर्माण			
मू.	3,64.35		
पु.	- 1,75.80	1,88.55	1,74.88
			- 13.67
31 मार्च 2019 को ₹ 1,75.80 लाख का प्रावधान निविदा प्रक्रिया में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 13.67 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(16) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण			
[01] एन.सी.आर. में सड़क का निर्माण कार्य			
मू.	5,30,97.35		
पु.	- 3,31,85.86	1,99,11.49	1,99,11.49
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 3,31,85.86 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 021 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(16) हवाई पट्टियों का निर्माण			
मू.	44,49.05		
पु.	- 16,51.13	27,97.92	27,59.60
			- 38.32
31 मार्च 2019 को ₹ 16,51.13 लाख का प्रावधान कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 38.32 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) अन्य सड़क निर्माण कार्यक्रम			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू.	10,53,02.65		
पु.	- 1,87,22.04	8,65,80.61	8,63,57.84
			- 2,22.77
31 मार्च 2019 को ₹ 1,87,22.04 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 2,22.77 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(06) शहरी सड़कें			
मू.	36,43.54		
पु.	- 9,18.41	27,25.13	27,21.40
			- 3.73
31 मार्च 2019 को ₹ 9,18.41 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[17] सड़क उन्नयन परियोजना (एकविंशतित्मः)			
मू.	42,85.93		
पु.	- 35,55.60	7,30.33	7,20.00
			- 10.33
31 मार्च 2019 को ₹ 35,55.60 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 10.33 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(21) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र			
आधुनिकीकरण परियोजना			
[01] ग्रामीण सम्पर्क सड़कें			
मू.	39,82.30		
पु.	- 13,14.31	26,67.99	24,71.78
			- 1,96.21

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(21) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना			
[02] सड़क सुरक्षा प्रबन्धन			
मू.	8,84.96		
		3,83.91	3,61.98
			- 21.93
पु.	- 5,01.05		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 18,15.36 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 2,18.14 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(21) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	3,89.37		
		2,25.09	2,36.26
			+ 11.17
पु.	- 1,64.28		
31 मार्च 2019 को ₹ 1,64.28 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 11.17 लाख के अंतिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,11,62.50		
		1,57,28.52	1,56,16.65
			- 1,11.87
पु.	- 54,33.98		
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय			
[93] सड़क एवं सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	79,35.96		
		58,98.20	58,56.24
			- 41.96
पु.	- 20,37.76		

अनुदान संख्या 021 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(01) मशीन और उपकरण			
[92] औजार तथा संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	52,90.63		
		39,32.13	39,04.16
पु.	- 13,58.50		- 27.97

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 88,30.24 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,81.80 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) निर्माण			
मू.	72,87.08		
		78,96.77	78,79.69
पु.	6,09.69		- 17.08

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 6,09.69 लाख की अतिरिक्त निधियों तथा ₹ 17.08 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(11) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- I (ए.डी.बी.)			
मू.	2,97,29.85		
		3,31,66.35	3,28,85.69
पु.	34,36.50		- 2,80.66

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 34,36.50 लाख की अतिरिक्त निधियों तथा ₹ 2,80.66 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[15] सड़क उन्नयन परियोजना (नवदशम्)			
मू.	2,42.90		
		7,24.50	7,23.84
पु.	4,81.60		- 0.66

अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[16] सड़क उन्नयन परियोजना (विंशतित्मः)			
मू.	60.73		
पु.	1,29.58	1,90.31	1,40.31
			- 50.00
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[18] सड़क उन्नयन परियोजना (द्विविंशतित्मः)			
मू.	12,14.51		
पु.	10,89.07	23,03.58	22,90.80
			- 12.78
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[20] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIV (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	91,08.85		
पु.	42,00.82	1,33,09.67	1,33,09.67
			..
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 59,01.07 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
शीर्ष "5054-04-800(11) [16] तथा [18] " के अंतर्गत ₹ 62.78 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	83,49.78		
अ.	2,43,15.04	4,68,11.66	4,68,11.58
पु.	1,41,46.84		
			- 0.08
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,41,46.84 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 021 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू. 6,67.98			
अ. 19,45.21	37,26.75	36,91.36	– 35.39
पु. 11,13.56			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[92] औजार एवं संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू. 1,67.00			
अ. 4,86.30	9,31.69	9,22.84	– 8.85
पु. 2,78.39			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू. 2,50.49			
अ. 7,29.45	13,97.53	13,84.26	– 13.27
पु. 4,17.59			

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,09.54 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹ 57.51 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

6. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान में कटौती अनावश्यक थी:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(03) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से			
मू. 42,00.00			
पु. – 7,00.00	35,00.00	43,52.03	+ 8,52.03

₹ 42,00.00 लाख का प्रावधान गत वर्षों के व्यय के रूझान के अनुसार अनुमानित किया गया था क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों पर व्यय सीधे ही सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा किया गया जिसके लिए स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की गयी।

31 मार्च 2019 को ₹ 7,00.00 लाख का प्रावधान सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा कम व्यय होगा, की प्रत्याशा में अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान से भी अधिक था जिसके परिणामस्वरूप शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 8,52.03 लाख का आधिक्य रहा, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 022 - क्षेत्र का विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम और

2705. कमान क्षेत्र विकास

पूंजी - 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय और

4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	23,54,82		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)	23,54,82	21,22,61	- 2,32,21
प्रभारित			
मूल	3		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)	3	1	- 2
दत्तमत			
मूल	3,86,28,88		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)	3,86,28,88	2,64,48,05	- 1,21,80,83
प्रभारित			
मूल	5		
अनुपूरक	41		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)	46	40	- 6
			6

अनुदान संख्या 022 - (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम			
02. पिछड़े क्षेत्र			
102. मेवात क्षेत्र का विकास			
(01) मेवात विकास बोर्ड			
[01] मुख्यालय			
मू.	60.00
पु.	- 60.00

31 मार्च 2019 को ₹ 60.00 लाख का समस्त प्रावधान मुख्यतः अध्यक्ष तथा निजी सहायक के पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित (₹ 58.65 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1.35 लाख) किया गया ।

2705. कमान क्षेत्र विकास

102. चम्बल क्षेत्र का विकास

(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से

[01] निदेशन एवं प्रशासन

मू.	5,34.97	4,63.73	4,62.78	- 0.95
पु.	- 71.24			

₹ 71.24 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सहायक अभियन्ताओं (5), वरिष्ठ लेखाधिकारी (1), लेखाधिकारी (1), सहायक भूमि बन्दोबस्त अधिकारी (1) तथा कनिष्ठ सहायक (11) के पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी ।

107. गंग नहर परियोजना

(01) आयुक्त क्षेत्रीय विकास के माध्यम से

[01] निदेशन एवं प्रशासन

मू.	5,22.27	4,58.05	4,58.04	- 0.01
पु.	- 64.22			

₹ 64.22 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019) ।

अनुदान संख्या 022 – (क्रमशः)

पूँजी

दत्तमत

1. ₹ 1,21,80.83 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 1,21.66 लाख अन्व्यर्पित रही।
2. वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 90,45.39 लाख, ₹ 74,49.71 लाख, ₹ 37,12.97 लाख, ₹ 75,17.58 लाख तथा ₹ 1,21,80.83 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 10.56 प्रतिशत से 31.53 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत के कारणों में से एक भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति रहा।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
01. डांग जिले			
101. डांग क्षेत्र का विकास			
(01) कार्य निष्पादन			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	33,37.00		
	16,92.88	16,92.88	..
पु.	- 16,44.12		
31 मार्च 2019 को ₹ 16,44.12 लाख का प्रावधान <i>डांग क्षेत्र के विकास</i> के अन्तर्गत निर्माण कार्यों का कम निष्पादन हुआ जिसके परिणामस्वरूप जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में इस योजना में निधियों की अधिक उपलब्धता के कारण राज्य सरकार द्वारा अगली किश्त जारी नहीं करने के कारण अन्व्यर्पित किया गया।			
02. पिछड़े क्षेत्र			
102. मेवात क्षेत्र का विकास			
(01) कार्य निष्पादन			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	33,44.00		

पु.	- 33,44.00		
31 मार्च 2019 को ₹ 33,44.00 लाख का समस्त प्रावधान <i>मेवात क्षेत्र के विकास</i> के अन्तर्गत निर्माण कार्यों का कम निष्पादन होने के परिणामस्वरूप जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में इस योजना में निधियों की अधिक उपलब्धता के कारण राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी नहीं करने के कारण अन्व्यर्पित (₹ 24,76.42 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 8,67.58 लाख) किया गया।			
02. पिछड़े क्षेत्र			
103. मगरा क्षेत्र का विकास			
(01) कार्य निष्पादन			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	33,20.00		
	16,92.50	16,92.50	..
पु.	- 16,27.50		
31 मार्च 2019 को ₹ 16,27.50 लाख का प्रावधान <i>मगरा क्षेत्र के विकास</i> के अन्तर्गत निर्माण कार्यों का कम निष्पादन होने के परिणामस्वरूप जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में इस योजना में निधियों की अधिक उपलब्धता के कारण राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी नहीं करने के कारण अन्व्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 022 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
800. अन्य व्यय			
(02) जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)			
[01] श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन (राष्ट्रीय रूबर्न मिशन)			
मू.	66,74.00	44,87.74	44,87.74
पु.	- 21,86.26		..
31 मार्च 2019 को ₹ 21,86.26 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. सीमा क्षेत्र का विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)			
मू.	1,30,62.50	1,10,48.74	1,10,48.74
पु.	- 20,13.76		..
31 मार्च 2019 को ₹ 20,13.76 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
102. चम्बल क्षेत्र का विकास			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[01] भूमि विकास			
मू.	20,19.46	11,34.25	11,20.54
पु.	- 8,85.21		- 13.71
₹ 8,85.21 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार द्वारा सिंचाई अन्तर को कम करने के लिए प्रोत्साहन परियोजना के लिए दिशा निर्देश जारी नहीं करने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी नहीं करने को आरोपित की गयी।			
₹ 13.71 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
107. गंग नहर परियोजना			
(01) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास (इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर) के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य (गंग नहर परियोजना क्षेत्र से)			
मू.	17,99.72	14,69.06	14,62.41
पु.	- 3,30.66		- 6.65
₹ 3,30.66 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 175 पदों में से 105 पदों के रिक्त रहने तथा (ii) कार्यभारित कर्मचारियों के छः पदों के रिक्त रहने से मजदूरी पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
₹ 6.65 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 022 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
107. गंग नहर परियोजना			
(01) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास (इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर) के माध्यम से			
[02] निदेशक, प्रशासन गंग कैनाल परिसर			
मू.	14,46.20		
पु.	- 3,23.72	11,22.48	11,21.94
			- 0.54

31 मार्च 2019 को ₹ 3,23.72 लाख का प्रावधान 233 पदों में से 121 पदों के रिक्त रहने तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा बढ़े हुए मंहगाई भत्ते तथा अन्य बकाया बिलों का आहरण नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

108. भाखरा सिंचाई परियोजना
(01) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास, (इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर) के माध्यम से
[01] भूमि विकास कार्य (भाखरा सिंचाई परियोजना)

मू.	25,56.01		
पु.	- 4,35.15	21,20.86	21,15.46
			- 5.40

₹ 4,35.15 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 125 पदों में से 69 पदों के रिक्त रहने तथा राज्य सरकार द्वारा जनवरी से मार्च, 2019 की अवधि के साख-पत्र जारी नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।

₹ 5.40 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
107. गंग नहर परियोजना			
(01) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास (इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर) के माध्यम से			
[03] भूमि विकास कार्य (गंग नहर परियोजना क्षेत्र) फेज- II			
मू.	6,80.00		
पु.	8,05.00	14,85.00	13,90.96
			- 94.04

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,05.00 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से माह दिसम्बर, 2018 में ₹ 7,43.00 लाख की अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्य सरकार द्वारा शेष अनुरूप राशि जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 94.04 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 022 - (समाप्त)

5. **मण्डी विकास निधि** - चम्बल सिंचाई परियोजना द्वारा सिंचित अथवा इससे लाभान्वित क्षेत्र की मण्डियों का तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए 1965-66 में मण्डी विकास निधि स्थापित की गयी थी।

इस निधि में जो कि एक ब्याज रहित रिजर्व है, मण्डियों में भूमि के अनुमानित विक्रय मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर राजस्व से वार्षिक अंशदानों से राशि आती है।

वर्ष 2018-19 के दौरान निधि में कोई अंशदान नहीं किया गया। वर्ष के दौरान मण्डियों के विकास पर व्यय नहीं किया गया। 31 मार्च 2019 को निधि में जमा शेष ₹ 4.67 लाख था जो कि वर्ष 2018-19 के वित्त लेखे के विवरण संख्या 22 में दिखाया गया है।

अनुदान संख्या 023 – श्रम तथा रोजगार

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास तथा
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
पूंजी – 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	6,52,80,11	6,52,80,14	6,11,22,49	- 41,57,65
अनुपूरक	3			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				41,55,78
प्रभारित				
मूल	4	5	..	- 5
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				5
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	17,66,81	17,66,81	10,55,43	- 7,11,38
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				7,11,38

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास				
01. श्रम				
101. औद्योगिक सम्बन्ध				
(01) डिविजनल और जिला कार्यालय-प्रतिबद्ध				
मू.	21,78.83	18,65.50	18,64.33	- 1.17
पु.	- 3,13.33			

₹ 3,13.33 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 490 स्वीकृत पदों में से 208 पदों के रिक्त रहने तथा वर्ष के दौरान कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के विरुद्ध पदस्थापन नहीं होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 023 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास			
01. श्रम			
101. औद्योगिक सम्बन्ध			
(03) चलिष्णु औद्योगिक न्यायालय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	9,39.50		
पु.	- 1,10.63	8,28.87	8,28.69
			- 0.18

₹ 1,10.63 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 130 स्वीकृत पदों में से 40 पदों के रिक्त रहने तथा वर्ष के दौरान कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के विरुद्ध पदस्थापन नहीं होने को आरोपित की गयी।

01. श्रम
103. सामान्य श्रम कल्याण
(07) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण
मण्डल, राजस्थान-प्रतिबद्ध

मू.	4,00,00.00			
पु.	- 61,40.08	3,38,59.92	3,38,59.92	..

31 मार्च 2019 को ₹ 61,40.08 लाख का प्रावधान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान के निजी निक्षेप खाते में श्रमिक कल्याण उपकर के संग्रहण के अनुसार हस्तान्तरण करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 41,47.44 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 19,92.64 लाख) किया गया।

02. रोजगार सेवाएं
101. रोजगार सेवाएं
(01) सामान्य कार्यालय

मू.	3,68.00			
पु.	- 2,25.15	1,42.85	1,42.85	..

31 मार्च 2019 को ₹ 2,25.15 लाख का प्रावधान (i) रोजगार कार्यालय की वार्षिक व्यय सीमा में कटौती होने, (ii) लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लगने के कारण इस दौरान रोजगार सहायता कैम्प आयोजित नहीं होने तथा (iii) जयपुर और चुरु जिलाधीशों द्वारा सेना भर्ती रैली में आवश्यक व्यवस्था पर कम व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. रोजगार सेवाएं
101. रोजगार सेवाएं
(05) रोजगार कार्यालय
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	17,68.39			
पु.	- 2,24.48	15,43.91	15,43.91	..

₹ 2,24.48 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण तथा सुनिश्चित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) सम्बन्धी मामले प्रक्रियाधीन होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 023 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास			
03. प्रशिक्षण			
003. शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
(06) मॉडल आई.टी.आई. की स्थापना			
मू.	2,50.00
पु.	- 2,50.00

₹ 2,50.00 लाख का प्रावधान केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अपग्रेड करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर को मॉडल आई.टी.आई. बनाने हेतु अनुमानित था। योजना के दिशा निर्देश के अनुसार 70 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा जारी करना था तथा राज्य सरकार का अंशदान 30 प्रतिशत था। यद्यपि, 31 मार्च 2019 को ₹ 2,50.00 लाख का समस्त प्रावधान पूर्व में जारी 80 प्रतिशत राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र के अभाव में भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. प्रशिक्षण			
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय			
[01] राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय			
मू.	2,15.00
पु.	- 2,15.00

31 मार्च 2019 को ₹ 2,15.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
108. शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[02] आई.ई.सी. एक्टीविटीज			
मू.	3,91.64	1,76.95	1,76.96 + 0.01
पु.	- 2,14.69		

31 मार्च 2019 को ₹ 2,14.69 लाख का प्रावधान विज्ञापन के लिए भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
800. अन्य व्यय			
(09) राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू.	19,00.00	40,92.69	40,92.48 - 0.21
पु.	21,92.69		

अनुदान संख्या 023 – (क्रमशः)

₹ 19,00.00 लाख का प्रावधान *अक्षय योजना* के अन्तर्गत पुरुष लाभार्थियों को ₹ 650 प्रतिमाह तथा महिला और विशेष योग्यजन लाभार्थियों दोनों को ₹ 750 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता के भुगतान हेतु अनुमानित था। फरवरी, 2019 में श्रम तथा रोजगार विभाग ने *मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना* प्रारम्भ की तथा प्रत्येक पुरुष लाभार्थी को ₹ 650 प्रतिमाह से ₹ 3,000 तथा महिला व विशेष योग्यजनों दोनों लाभार्थियों हेतु प्रतिमाह ₹ 750 से ₹ 3,500 की वृद्धि की गई परिणामस्वरूप 31 मार्च 2019 को ₹ 21,92.69 लाख की अतिरिक्त निधियां पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास 03. प्रशिक्षण 003. शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण (05) अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आई.टी.आई.			
मू.	1,83.58		
पु.	1,11.32	2,94.90	2,94.89
			- 0.01

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,11.32 लाख की अतिरिक्त निधियां अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थानों में रिक्त पदों को स्थानान्तरण द्वारा भरने एवं सातवे वेतन आयोग के एरियर भुगतान के परिणामस्वरूप वेतन एवं भत्तों पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करवायी गयी।

3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
191. नगर निगम को सहायता
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
[01] विकास कार्य

मू.	4,99.78			
पु.	3,98.88	8,98.66	8,98.66	..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,98.88 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां अधिक प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
[01] विकास कार्य

मू.	12,23.61			
पु.	7,76.63	20,00.24	20,00.24	..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,76.63 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां अधिक प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

पूँजी

दत्तमत

1 वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 2,87.68 लाख, ₹ 24,48.39 लाख, ₹ 25,72.90 लाख, ₹ 27,45.44 लाख तथा ₹ 7,11.38 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 40.26 प्रतिशत से 71.29 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः कार्यों के निष्पादन अनुमान से कम होने के कारण बतायी गयी।

अनुदान संख्या 023 - (समाप्त)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
203. रोजगार			
(04) प्रशिक्षण			
[01] संयंत्र और उपकरण			
मू.	13,56.79		
पु.	- 4,07.04	9,49.75	9,49.75
			..

₹ 13,56.79 लाख का प्रावधान महानिदेशक, रोजगार तथा प्रशिक्षण द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद तथा नई आई.टी.आई.डी. की स्थापना के लिए मशीनरी एवं उपकरण के क्रय हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2019 को ₹ 4,07.04 लाख का प्रावधान (i) व्यय सीमा में कटौती होने, (ii) फर्म द्वारा मशीनरी तथा उपकरणों की आपूर्ति नहीं करने तथा (iii) फर्म द्वारा आपूर्ति की गयी कुछ सामग्री निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नहीं होने से निरस्त करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

203. रोजगार
(10) अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आई.टी.आई.
[01] संयंत्र और उपकरण

मू.	4,00.00		
पु.	- 2,94.32	1,05.68	1,05.68
			..

₹ 4,00.00 लाख का प्रावधान महानिदेशक, रोजगार तथा प्रशिक्षण द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के आई.टी.आई. के लिये मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2019 को ₹ 2,94.32 लाख का प्रावधान (i) व्यय सीमा में कटौती होने, (ii) फर्मों द्वारा मशीनों तथा उपकरणों की आपूर्ति न करने तथा (iii) फर्म द्वारा आपूर्ति की गयी कुछ सामग्री निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नहीं होने से निरस्त करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 024 - शिक्षा, कला एवं संस्कृति

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं,
 2202. सामान्य शिक्षा,
 2203. तकनीकी शिक्षा,
 2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं और
 2205. कला एवं संस्कृति

पूंजी - 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	2,80,70,68,80	2,97,61,08,12	2,92,58,72,25	- 5,02,35,87
अनुपूरक	16,90,39,32			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				4,92,86,49
प्रभारित				
मूल	21	10,67,08	9,74,55	- 92,53
अनुपूरक	10,66,87			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				20,96
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	5,88,50,62	6,89,22,62	5,61,67,05	- 1,27,55,57
अनुपूरक	1,00,72,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,27,55,57

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 5,02,35.87 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, सितम्बर, 2018 (₹ 0.08 लाख) तथा फरवरी, 2019 (₹ 16,90,39.24 लाख) में लिया गया ₹ 16,90,39.32 लाख अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- ₹ 5,02,35.87 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 9,49.38 लाख अनुभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 024 – (क्रमशः)

प्रभारित

- ₹ 92.53 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, सितम्बर, 2018 (₹ 6,55.60 लाख) तथा फरवरी, 2019 (₹ 4,11.27 लाख) में लिया गया ₹ 10,66.87 लाख का अनुपूरक विनियोजन अत्यधिक था।
- ₹ 92.53 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 71.57 लाख अन्-अभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
101. निरीक्षण			
(01) सामान्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	0.01		
अ.	5,69.18	5,59.06	- 71.56
पु.	- 10.13		

सितम्बर, 2018 (₹ 2,35.53 लाख) तथा फरवरी, 2019 (₹ 3,33.65 लाख) में अनुपूरक विनियोजन द्वारा ₹ 5,69.18 लाख प्रावधान न्यायालय निर्णय की अनुपालना में लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 81.69 लाख की कुल बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 71.56 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

पूँजी

दत्तमत

- सितम्बर, 2018 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,00,72.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 28,46.92 लाख, ₹ 3,10.85 लाख, ₹ 22,99.19 लाख, ₹ 1,44,02.96 लाख तथा ₹ 1,27,55.57 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 3.47 प्रतिशत से 53.05 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(15) मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना			
[01] विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास			
मू.	17,49.99		
पु.	- 7,26.71	10,23.28	10,23.28

31 मार्च 2019 को ₹ 7,26.71 लाख का प्रावधान निर्माण कार्य के लिए सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(17) नाबार्ड आर आई डी एफ XXIII के तहत निर्माण कार्य			
[01] माध्यमिक विद्यालयों के तहत निर्माण कार्य			
मू.	2,00,00.00		
		1,13,21.00	
पु.	- 86,79.00	1,13,21.00	..

31 मार्च 2019 को ₹ 86,79.00 लाख का प्रावधान नाबार्ड आर आई डी एफ XXIII के तहत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से निर्माण कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 59,37.85 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 27,41.15 लाख) किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019) ।

- 01. सामान्य शिक्षा
- 203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा
- (06) संस्कृत महाविद्यालय
- [01] भवन

मू.	3,85.00		
		2,21.07	
पु.	- 1,63.93	2,21.07	..

31 मार्च 2019 को ₹ 1,63.93 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

- 01. सामान्य शिक्षा
- 205. भाषा विकास
- (01) राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
- [01] संस्कृत शिक्षा विभाग के माध्यम से

मू.	1,00.00		
	
पु.	- 1,00.00

31 मार्च 2019 को ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों के निष्पादन नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

- 02. तकनीकी शिक्षा
- 104. बहुशिल्प (पॉलिटैक्निक)
- (02) निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से

मू.	10,03.55		
	
पु.	- 10,03.55

31 मार्च 2019 को ₹ 10,03.55 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से 15 नये पॉलिटैक्निक्स के लिये मशीनरी तथा उपकरण खरीदने तथा वर्तमान पॉलिटैक्निक्स को क्रमोन्नत करने हेतु निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
03. खेलकूद तथा युवा सेवा			
102. खेलकूद स्टेडिया			
(01) खेल विभाग के माध्यम से -जिला खेल कॉम्प्लेक्स			
मू.	7,18.26
पु.	- 7,18.26
31 मार्च 2019 को ₹ 7,18.26 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019) ।			
04. कला तथा संस्कृति			
104. अभि लेखागार			
(01) अकावल म्यूजियम			
मू.	4,46.04
पु.	- 4,46.04
31 मार्च 2019 को ₹ 4,46.04 लाख का समस्त प्रावधान व्यय सीमा में बजट कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि द्वितीय चरण की प्रारूप प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुमोदन से पूर्व आकावल म्यूजियम हेतु राशि की आवश्यकता नहीं थी ।			
04. कला तथा संस्कृति			
106. संग्रहालय			
(02) पुरातत्व एवं सर्वेक्षण (50:50)			
मू.	16,53.00	11,00.00	11,00.00
पु.	- 5,53.00		..
31 मार्च 2019 को ₹ 5,53.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019) ।			
04. कला तथा संस्कृति			
800. अन्य व्यय			
(01) अरबी एवं फारसी शोध संस्थान			
मू.	5,86.71
पु.	- 5,86.71
31 मार्च 2019 को ₹ 5,86.71 लाख का समस्त प्रावधान राजकोम्प इन्फो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर को वर्ष 2017-18 में आवंटित निधियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र फरवरी, 2019 तक प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 024 - (समाप्त)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रु.लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
02. तकनीकी शिक्षा			
104. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक)			
(04) आई आई आई टी के निर्माण हेतु			
मू.	2,00.00		
		6,11.00	
पु.	4,11.00	6,11.00	..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,11.00 लाख की अतिरिक्त निधियां आई.आई.आई.टी. कोटा की स्थापना के लिए उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 025 – कोषागार व लेखा प्रशासन

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	3,30,92,67			
अनुपूरक	..	3,30,92,67	2,83,55,18	- 47,37,49
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				
				47,33,56
प्रभारित				
मूल	3			
अनुपूरक	11,49	11,52	10,55	- 97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				
				97

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन				
097. खजाना स्थापना				
(05) खजाना				
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	1,72,75.03			
पु.	- 25,59.46	1,47,15.57	1,47,15.58	+ 0.01

₹ 25,59.46 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) सातवें वेतन आयोग के बकायों के भुगतान नहीं होने तथा 225 कनिष्ठ लेखाकारों को फिक्स वेतन के भुगतान के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) चिकित्सा दावे कम प्राप्त होने तथा (iii) जल, विद्युत्, टेलीफोन, पत्र-पत्रिकाएं तथा मुद्रण पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 025 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन			
800. अन्य व्यय			
(02) निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण-प्रतिबद्ध			
मू.	25,38.57		
		21,80.38	21,77.06
पु.	- 3,58.19		- 3.32

₹ 3,58.19 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निदेशक (1), अतिरिक्त निदेशक (1), संयुक्त निदेशक (1), उप निदेशक (9), सहायक निदेशक (8), वरिष्ठ विधि अधिकारी (1), अतिरिक्त निजी सचिव (1), अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (1), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (1), सहायक प्रशासनिक अधिकारी (8), कनिष्ठ सहायक (14), स्टेनोग्राफर (5), सहायक कार्यालय अधीक्षक (3), सूचना सहायक (1), वरिष्ठ सहायक (6), कनिष्ठ सहायक (13) तथा अन्य (14) पदों के रिक्त रहने के परिणामस्वरूप वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

800. अन्य व्यय

(04) एस.पी.एफ.एम. राजस्थान परियोजना

[01] विश्व बैंक द्वारा पोषित

मू.	44,55.00		
		11,86.36	11,86.35
पु.	- 32,68.64		- 0.01

31 मार्च 2019 को ₹ 32,68.64 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) सलाहकारी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किये बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में सहभागी विभागों से समय पर स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, (ii) लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने के कारण प्रशिक्षण, यात्रा, त्यौहारों तथा सेमिनारों के कम आयोजन तथा (iii) लोक सभा एवं विधान सभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने के कारण वित्त एवं आबकारी विभाग के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी हार्डवेयर की खरीद प्रक्रिया लम्बित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन			
097. खजाना स्थापना			
(03) मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कोषालयों का कम्प्यूटरीकरण			
मू.	15,92.00		
		31,39.96	31,39.96
पु.	15,47.96		..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,47.96 लाख की अतिरिक्त निधियां आई.एफ.एम.एस. फेज- II हेतु आवश्यक हार्डवेयर की खरीद हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 026 – चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,

2211. परिवार कल्याण और

3606. सहायता सामग्री तथा उपस्कर

पूँजी – 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय और

6210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	99,22,00,54	99,22,00,57	94,17,78,02	- 5,04,22,55
अनुपूरक	3			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				4,98,41,56
प्रभारित				
मूल	82,15	1,16,15	98,80	- 17,35
अनुपूरक	34,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				16,65
पूँजी				
दत्तमत				
मूल	2,44,31,71	2,44,31,79	1,72,35,93	- 71,95,86
अनुपूरक	8			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				71,52,53

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 5,04,22.55 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 5,80.99 लाख अनुभ्यर्पित रही ।
- वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 11,70,23.76 लाख, ₹ 9,19,37.16 लाख, ₹ 3,68,92.35 लाख, ₹ 4,90,25.22 लाख तथा ₹ 5,04,22.55 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 5.08 प्रतिशत से 18.72 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 110. अस्पताल तथा औषधालय (01) अध्यापन अस्पताल [49] न्यू जनाना अस्पताल, जयपुर-प्रतिबद्ध			
मू. 25,26.52	22,57.61	22,57.60	- 0.01
पु. - 2,68.91			
₹ 2,68.91 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सातवें वेतन आयोग के बकाया का अनुमान से कम भुगतान होने तथा पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 110. अस्पताल तथा औषधालय (01) अध्यापन अस्पताल [77] गंगाशहर सैटेलाइट अस्पताल, बीकानेर			
मू. 1,87.18	19.58	19.58	..
पु. - 1,67.60			
31 मार्च 2019 को ₹ 1,67.60 लाख का प्रावधान गंगाशहर सैटेलाइट अस्पताल में पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 110. अस्पताल तथा औषधालय (02) भ्रमणशील अस्पताल [08] अन्य भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाइयां			
मू. 5,15.86	3,61.57	3,61.58	+ 0.01
पु. - 1,54.29			
₹ 1,54.29 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः व्यय सुधार समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार के दिनांक 05.09.2018 के आदेश द्वारा सभी कार्यालयों को बन्द करने के पश्चात् अन्य भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई योजना के बन्द होने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 110. अस्पताल तथा औषधालय (03) अन्य अस्पताल तथा औषधालय [01] सामान्य अस्पताल			
मू. 66,24.72	59,96.85	59,84.10	- 12.75
पु. - 6,27.87			
₹ 6,27.87 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मुख्यमंत्री राहत निधि तथा जैविक अवशिष्ट के निपटान पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			
₹ 12.75 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(05) आयुर्वेदिक अनुसंधान			
[07] रसायन शालाएं-प्रतिबद्ध			
मू.	9,63.18		
पु.	- 1,87.75	7,75.43	7,69.13
			- 6.30
₹ 1,87.75 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 6.30 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(06) आयुर्वेद विश्वविद्यालय को सहायतार्थ अनुदान			
[01] राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर को अनुदान			
मू.	15,90.00		
पु.	- 7,40.00	8,50.00	8,50.00
			..
₹ 7,40.00 लाख की प्रत्याशित बचत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
102. होम्योपैथी			
(04) अस्पताल तथा औषधालय			
[01] अस्पताल तथा औषधालय ,शहरी-प्रतिबद्ध			
मू.	21,00.62		
पु.	- 3,44.48	17,56.14	17,56.13
			- 0.01
31 मार्च 2019 को ₹ 3,44.48 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
103. यूनानी			
(04) अस्पताल तथा औषधालय			
[01] यूनानी अस्पताल तथा औषधालय-प्रतिबद्ध			
मू.	13,46.80		
पु.	- 2,28.09	11,18.71	11,18.71
			..
₹ 2,28.09 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा कोषालय द्वारा तकनीकी कारणों से ए.सी.पी. के बकाया बिलों का भुगतान नहीं करने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[05] स्वास्थ्य उप केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू.	63,34.50		
पु.	- 6,00.35	57,34.15	57,31.20
			- 2.95
31 मार्च 2019 को ₹ 6,00.35 लाख का प्रावधान वेतन तथा भत्तों एवं संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
103. यूनानी			
(02) अस्पताल और औषधालय			
[01] अस्पताल और औषधालय, ग्रामीण, यूनानी-प्रतिबद्ध			
मू.	7,04.85		
पु.	- 1,06.60	5,98.25	5,98.25
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,06.60 लाख का प्रावधान 20 वरिष्ठ कम्पाउन्डरों का मूल आयुर्वेद विभाग में स्थानान्तरण के बाद पदों के रिक्त रहने तथा कोषालय द्वारा तकनीकी कारण से बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
800. अन्य व्यय			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से			
[01] आयुर्वेद विभाग			
मू.	13,48.00		
पु.	- 12,88.08	59.92	59.92
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 12,88.08 लाख का प्रावधान भारत सरकार से राजस्थान राज्य आयुष समिति के निजी निक्षेप खाते में निधि का हस्तान्तरण करने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(03) स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों को अनुदान			
[01] राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर			
मू.	1,00,10.01		
पु.	- 64,49.36	35,60.65	35,60.65
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 64,49.36 लाख का प्रावधान राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान की सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलौपेथी			
(06) राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी			
[01] सहायतार्थ अनुदान			
मू.	3,14,90.01	74,00.00	74,00.00
पु.	- 2,40,90.01		..

₹ 2,40,90.01 लाख की प्रत्याशित बचत राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी को कम अनुदान जारी करने तथा पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलौपेथी			
(08) टर्सरी कैंसर केयर सेंटर			
[01] झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी			
मू.	15,30.04
पु.	- 15,30.04		..

31 मार्च 2019 को ₹ 15,30.04 लाख का समस्त प्रावधान टर्सरी कैंसर केयर सेंटर के निर्माण स्थल पर टी.बी. अस्पताल की पुरानी इमारत को ध्वस्त करवाने की निविदा के असफल हो जाने तथा परिणामतः उपकरण भी क्रय नहीं किये जा सकने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(23) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम			
[01] राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम-प्रतिबद्ध			
मू.	78,67.72	56,96.22	56,54.89
पु.	- 21,71.50		- 41.33

31 मार्च 2019 को ₹ 21,71.50 लाख का प्रावधान वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, इसके तथा ₹ 41.33 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(24) राष्ट्रीय लेपरोसी नियंत्रण			
[01] राष्ट्रीय लेपरोसी नियंत्रण कार्यक्रम-प्रतिबद्ध			
मू.	9,22.56	5,89.10	5,87.10
पु.	- 3,33.46		- 2.00

31 मार्च 2019 को ₹ 3,33.46 लाख का प्रावधान वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(01) सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
[01] राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को सहायता			
मू.	3,03,00.02	1,97,80.30	1,97,80.30
पु.	- 1,05,19.72		..

31 मार्च 2019 को ₹ 1,05,19.72 लाख का प्रावधान व्यय सीमा में कटौती के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,05,19.70 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 0.02 लाख) किया गया।

06. लोक स्वास्थ्य			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी			
मू.	4,51.52	1,29.93	1,29.92
पु.	- 3,21.59		- 0.01

31 मार्च 2019 को ₹ 3,21.59 लाख का प्रावधान सातवें वेतन आयोग में वेतन के बकाया का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. लोक स्वास्थ्य			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[02] खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी-प्रतिबद्ध			
मू.	1,14,57.92	1,03,16.22	1,03,10.82
पु.	- 11,41.70		- 5.40

₹ 11,41.70 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, इसके तथा ₹ 5.40 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

06. लोक स्वास्थ्य			
800. अन्य व्यय			
(04) जन स्वास्थ्य बीमा योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	10,43,89.73	8,28,12.04	8,28,12.04
पु.	- 2,15,77.69		..

31 मार्च 2019 को ₹ 2,15,77.69 लाख का प्रावधान (i) स्वास्थ्य बीमा का 15 प्रतिशत जी.एस.टी. से छूट होने, (ii) वास्तविक लाभार्थी परिवारों की संख्या अनुमान से कम होने तथा (iii) सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,15,11.76 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 65.93 लाख) किया गया।

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
003. प्रशिक्षण			
(02) आकजलरी नर्स, मिडवाइफ दाई और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
मू.	27,81.00		
पु.	- 4,86.51	22,94.49	22,92.38
			- 2.11
₹ 4,86.51 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधीनस्थ कार्यालयों में सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।			
105. क्षतिपूर्ति			
(03) जनसंख्या नियंत्रण के लिए मापदण्ड			
[06] नई जनसंख्या नीति का क्रियान्वयन			
मू.	3,55.02		
पु.	- 1,11.04	2,43.98	2,43.98
			..
₹ 3,55.02 लाख का प्रावधान चयनित संस्थानों जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया था, को पुरस्कार देने के लिए अनुमानित था। 2018-19 के दौरान, मानदंडों के आधार पर चयनित संस्थानों को पुरस्कार दिये गये परिणामतः ₹ 1,11.04 लाख की प्रत्याशित बचत को 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किया गया।			
200. अन्य सेवाएं तथा पूर्तियां			
(01) परम्परागत गर्भ निरोधक			
मू.	14,00.00		
पु.	- 10,08.02	3,91.98	3,91.98
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 10,08.02 लाख का प्रावधान भारत सरकार से परम्परागत गर्भ निरोधक की कम आपूर्ति होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[02] स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बुलेन्स सर्विसेज (ई.एम.आर.आई.)			
मू.	68,14.73		
पु.	- 8,17.73	59,97.00	59,97.00
			..
₹ 8,17.73 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः व्यय सीमा में कटौती करने को आरोपित की गयी।			
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
मू.	76,58.41		
पु.	- 41,98.41	34,60.00	34,60.00
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 41,98.41 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य				
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी				
102. कर्मचारी राज्य बीमा योजना				
(04) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल तथा औषधालय				
[01] अस्पताल तथा औषधालय-प्रतिबद्ध				
मू.	1,14,10.79	1,28,86.83	1,28,90.16	+ 3.33
पु.	14,76.04			

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,76.04 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन पर बकाया का भुगतान होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर अधिक व्यय होने, (ii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मॉडल अस्पताल, जयपुर द्वारा मरीजों को दवाईयों का वितरण बन्द करने के बाद औषधियां और भेषज खरीदने, (iii) बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने तथा (iv) मांग होने पर विशिष्ट बीमारियों के लिए मंहगी दवाईयां खरीदने हेतु उपलब्ध कराई गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
110. अस्पताल तथा औषधालय
(01) अध्यापन अस्पताल
[01] जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर

मू.	23,55.81	27,23.69	27,23.70	+ 0.01
पु.	3,67.88			

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,67.88 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
110. अस्पताल तथा औषधालय
(01) अध्यापन अस्पताल
[04] पी.बी.एम. मेन्स अस्पताल, बीकानेर

मू.	15,42.81	22,04.58	21,99.77	- 4.81
अ.	0.01			
पु.	6,61.76			

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,61.76 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण के बाद वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति तथा बिजली/पानी के बिलों का भुगतान करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 4.81 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
110. अस्पताल तथा औषधालय
(01) अध्यापन अस्पताल
[14] सर पद्मपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान, जयपुर

मू.	2,50.07	7,44.98	7,44.99	+ 0.01
पु.	4,94.91			

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,94.91 लाख की अतिरिक्त निधियां निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिशेष कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान इस लेखा शीर्ष से करने हेतु उपलब्ध करवायी गयी।

अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य				
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी				
110. अस्पताल तथा औषधालय				
(01) अध्यापन अस्पताल				
[18] उम्मेद अस्पताल, जोधपुर				
मू.	11,95.00	13,30.89	13,30.87	- 0.02
पु.	1,35.89			
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,35.89 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।				
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी				
110. अस्पताल तथा औषधालय				
(01) अध्यापन अस्पताल				
[24] महाराणा भूपाल राजकीय अस्पताल, उदयपुर				
मू.	24,48.82	33,17.79	33,17.37	- 0.42
पु.	8,68.97			
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,68.97 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान करने तथा औषधी एवं भेषज के बकाया दायित्वों के भुगतान करने हेतु उपलब्ध करवायी गयी।				
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी				
110. अस्पताल तथा औषधालय				
(01) अध्यापन अस्पताल				
[25] पन्नाधाय राजकीय महिला अस्पताल, उदयपुर				
मू.	4,53.10	6,94.42	6,94.41	- 0.01
पु.	2,41.32			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी				
110. अस्पताल तथा औषधालय				
(01) अध्यापन अस्पताल				
[26] एस.आर.बी.भूवालका यक्षमा आरोग्य सदन, बाडी (उदयपुर)				
मू.	2,11.00	3,16.60	3,16.60	..
पु.	1,05.60			

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,46.92 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान करने हेतु उपलब्ध करवायी गयी।

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[38] जनाना चिकित्सालय, अजमेर-प्रतिबद्ध			
मू.	8,82.04		
		10,34.22	
पु.	1,52.18		..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,52.18 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
110. अस्पताल तथा औषधालय
(01) अध्यापन अस्पताल
[57] पन्नाध्याय राजकीय महिला अस्पताल, उदयपुर-प्रतिबद्ध

मू.	11,28.06		
		13,93.09	
पु.	2,65.03		- 0.01

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,65.03 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान करने हेतु उपलब्ध करवायी गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
110. अस्पताल तथा औषधालय
(01) अध्यापन अस्पताल
[65] कांवटिया अस्पताल, जयपुर-प्रतिबद्ध

मू.	9,52.13		
		21,15.53	
पु.	11,63.40		- 0.01

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,63.40 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) सातवें वेतन आयोग के बकाया, बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का बकाया, समर्पित अवकाश तथा बोनस का भुगतान करने, (ii) रिक्त पदों के विरुद्ध अन्य कर्मचारियों का वेतन इस लेखा शीर्ष से आहरित करने तथा (iii) न्यायालय द्वारा रोक तथा निदेशालय के आदेश की अनुपालना में अन्य विभागों में स्थानान्तरित कर्मचारियों का वेतन इस लेखा शीर्ष से आहरित करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर अधिक व्यय की पूर्ति के लिए उपलब्ध करवाई गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी
110. अस्पताल तथा औषधालय
(01) अध्यापन अस्पताल
[67] जिला अस्पताल, पावटा, जोधपुर- प्रतिबद्ध

मू.	10,29.86		
		11,68.67	
पु.	1,38.81		+ 0.02

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,38.81 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[71] श्री खेमराज कटारा राजकीय सेटेलाइट अस्पताल, पावटा, उदयपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	8,17.29		
पु.	1,01.06		
		9,18.35	9,18.34
			- 0.01
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,01.06 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान करने हेतु उपलब्ध करवायी गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[73] राजकीय जिला अस्पताल, रामपुरा, कोटा-प्रतिबद्ध			
मू.	2,51.39		
पु.	6,22.01		
		8,73.40	8,73.40
			..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,22.01 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के बकाया तथा बढ़े हुए वेतन एवं भत्ते का भुगतान करने हेतु उपलब्ध करवायी गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[74] जिला अस्पताल, बीकानेर-प्रतिबद्ध			
मू.	7,89.78		
पु.	1,40.55		
		9,30.33	9,30.31
			- 0.02
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,40.55 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण के पश्चात् वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करवायी गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[83] महिला जिला अस्पताल, जोधपुर			
मू.	46.49		
पु.	2,33.57		
		2,80.06	2,80.07
			+ 0.01
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,33.57 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करवायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(03) अन्य अस्पताल तथा औषधालय			
[13] औषधालय तथा सहायता चौकियां-प्रतिबद्ध			
मू.	92,06.24		
		1,00,60.02	1,00,46.18
			- 13.84
पु.	8,53.78		
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,53.78 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के बकाया के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 13.84 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	7,07.38		
		11,09.80	11,07.83
			- 1.97
पु.	4,02.42		
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,02.42 लाख की अतिरिक्त निधियां अन्तर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने पर हुए अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(02) अस्पताल तथा औषधालय			
[01] अस्पताल एवं औषधालय (निदेशक, आयुर्वेद विभाग के माध्यम से)			
मू.	13,20.95		
		15,92.40	15,90.74
			- 1.66
पु.	2,71.45		
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,71.45 लाख की अतिरिक्त निधियां पदोन्नति तथा कर्मचारियों का अन्य लेखा शीर्षों से स्थानान्तरण होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
102. होम्योपैथी			
(01) अस्पताल तथा औषधालय			
मू.	3,66.03		
		6,14.53	6,14.53
			..
पु.	2,48.50		
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,48.50 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –	
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य				
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां				
103. यूनानी				
(01) अस्पताल तथा औषधालय				
मू.	4,41.07	8,91.27	8,91.27	
पु.	4,50.20			..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,50.20 लाख की अतिरिक्त निधियां 83 परिवीक्षाधीन डॉक्टरों के नियमित वेतनमान में स्थायीकरण होने तथा सातवें वेतन आयोग के बकाया के भुगतान के कारण वेतन तथा भत्तों पर व्यय में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।				
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां				
200. अन्य पद्धतियां				
(02) प्राकृतिक चिकित्सा				
मू.	1,56.66	3,30.36	3,30.27	
पु.	1,73.70			- 0.09
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,73.70 लाख की अतिरिक्त निधियां कर्मचारियों की पदोन्नति तथा अन्य लेखा शीर्षों से स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।				
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी				
104. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र				
(01) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र				
मू.	1,84,46.43	2,13,77.36	2,13,60.32	
पु.	29,30.93			- 17.04
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 29,30.93 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के बकाया के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।				
₹ 17.04 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।				
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी				
197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता				
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन				
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र				
मू.	1,95,63.03	2,14,89.47	2,14,81.87	
अ.	0.01			- 7.60
पु.	19,26.43			
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,26.43 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के बकाया के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।				
₹ 7.60 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।				

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
101. आयुर्वेद			
(01) अस्पताल और औषधालय			
मू.	9,14.08		
पु.	7,98.63	17,12.71	17,03.02
			- 9.69

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,98.63 लाख की अतिरिक्त निधियां कर्मचारियों की पदोन्नति तथा अन्य लेखा शीर्षों से स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 9.69 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
102. होम्योपैथी			
(01) अस्पताल और औषधालय			
मू.	3,82.94		
पु.	1,49.88	5,32.82	5,32.81
			- 0.01

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,49.88 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
103. यूनानी			
(01) अस्पताल और औषधालय			
मू.	2,70.90		
पु.	1,18.43	3,89.33	3,89.32
			- 0.01

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,18.43 लाख की अतिरिक्त निधियां 39 परिवीक्षाधीन चिकित्सकों का नियमित वेतनमान में स्थायीकरण होने तथा सातवें वेतन आयोग के बकाया के भुगतान करने के फलस्वरूप वेतन तथा भत्तों पर व्यय में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	23,07.04		
पु.	24,74.93	47,81.97	47,74.85
			- 7.12

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24,74.93 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) वर्ष 2018-19 के दौरान सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण करने और बकाया का भुगतान करने तथा (ii) परिवीक्षा काल पूरा करने के बाद 519 द्वितीय श्रेणी नर्सों के पदों का वेतन निर्धारण करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर हुए अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 7.12 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू.	14,54.02		
		16,22.91	16,22.88
पु.	1,68.89		– 0.03

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,68.89 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण करने के बाद महाविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
105. एलोपैथी
(01) महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा
[04] चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर

मू.	10,92.14		
		13,63.90	13,52.27
पु.	2,71.76		– 11.63

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,71.76 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन तथा भत्तों, छात्रवृत्ति तथा वजीफा पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, इसके तथा ₹ 11.63 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
105. एलोपैथी
(01) महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा
[22] सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर-प्रतिबद्ध

मू.	2,47,94.44		
		3,02,91.25	3,02,89.04
पु.	54,96.81		– 2.21

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 54,96.81 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) सातवें वेतन आयोग के परिलाभों के भुगतान, (ii) चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग के लाभों की गणना गैर अभ्यास भत्ते के आधार पर किये जाने के फलस्वरूप अन्य कर्मचारियों की तुलना में वेतन तथा भत्तों का अधिक भुगतान, (iii) रेजीडेंट चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि तथा (iv) पी जी सीट्स की संख्या में वृद्धि के परिणामतः वजीफाओं तथा बकाया का अधिक भुगतान करने हेतु उपलब्ध करवायी गयी।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
105. एलोपैथी
(01) महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा
[23] सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर-प्रतिबद्ध

मू.	70,54.72		
		82,91.01	82,84.36
पु.	12,36.29		– 6.65

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,36.29 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग में महाविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन निर्धारण करने पर वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति तथा रेजीडेंट चिकित्सकों तथा इंटरशिप को वजीफा में हुई बढ़ोत्तरी के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 6.65 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा			
[26] डॉ. संपूर्णानन्द विश्वविद्यालय, जोधपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	58,18.20		
पु.	11,09.03	69,27.23	+ 0.01
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,09.03 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन तथा भत्तों, छात्रवृत्तियों एवं वजीफाओं पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(01) निःशुल्क जांच योजना			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर			
मू.	8,46.02		
पु.	1,81.11	10,27.13	..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,81.11 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग के बाद वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(01) निःशुल्क जांच योजना			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर			
मू.	7,43.02		
पु.	2,74.62	10,17.64	..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,74.62 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान, (ii) निःशुल्क जांच योजना के अन्तर्गत सामग्री पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु तथा (iii) पूर्व वर्ष के बकाया दायित्वों का भुगतान करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(01) निःशुल्क जांच योजना			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर			
मू.	10,75.33		
पु.	1,13.94	11,89.27	+ 0.01
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,13.94 लाख की अतिरिक्त निधियां सामग्री तथा संविदात्मक सेवाओं पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(19) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू.	73,94.05	81,21.30	80,65.98
पु.	7,27.25		- 55.32

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,27.25 लाख की अतिरिक्त निधियां संविदा पर कार्य कर रहे कर्मियों को बढ़ी हुई दर से मानदेय तथा न्यायालय के आदेश के अनुसार संविदा कर्मियों को मानदेय के बकाया का भुगतान करने हेतु उपलब्ध करवायी गयी।

₹ 55.32 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

2211. परिवार कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) जिला स्तरीय संस्थापन			
[01] जिला परिवार कल्याण ब्यूरो			
मू.	63,39.46	80,77.93	80,50.49
पु.	17,38.47		- 27.44

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,38.47 लाख की अतिरिक्त निधियां नये खुले मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाइयों के कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों के भुगतान करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 27.44 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

800. अन्य व्यय			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
मू.	11,37,26.88	12,01,12.52	12,01,12.52
पु.	63,85.64		..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 63,85.64 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

प्रभारित

- ₹ 17.35 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक विनियोजन द्वारा लिया गया ₹ 34.00 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

पूँजी**दत्तमत**

- वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 1,22,96.68 लाख, ₹ 2,02,28.86 लाख, ₹ 1,80,46.32 लाख, ₹ 1,23,91.40 लाख तथा ₹ 71,95.86 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 35.51 प्रतिशत से 59.67 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के लिए विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

2. ₹ 71,95.86 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 43.33 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(07) निर्माण कार्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	66,37.73		
पु.	- 33,85.91	32,51.82	32,08.49
			- 43.33

₹ 33,85.91 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) भवन की आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य का निष्पादन, (ii) जिला अस्पताल, सवाई माधोपुर में पार्किंग के निर्माण की अव्यवहार्यता, (iii) एस. के. अस्पताल, सीकर में निर्माण कार्य का आवश्यकतानुसार निष्पादन, (iv) उप जिला अस्पताल, केकड़ी में कार्यों का कम निष्पादन, (v) भूमि की अनुपलब्धता के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खटकड़ तथा परौली के लिए निर्माण कार्य के शुरु न होने, (vi) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जगीना एवं दौलतवाली तथा ट्रोमा अस्पताल, शाहपुरा की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा (vii) जिला अस्पताल, दौसा, सैटेलाइट अस्पताल, झालरापाटन एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निमोद के निर्माण के लिए निधियां जारी न करने को आरोपित की गयी।

₹ 43.33 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
800. अन्य व्यय			
(02) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[01] स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण			
मू.	35,00.00		
पु.	- 10,63.23	24,36.77	24,36.77
			..
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
800. अन्य व्यय			
(02) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	35,34.97		
पु.	- 4,06.00	31,28.97	31,28.97
			..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 14,69.23 लाख का प्रावधान (i) भूमि पर स्वामित्व विवाद, (ii) वर्ष के दौरान कुछ समय के लिए निधियों की अनुपलब्धता तथा (iii) अक्टूबर, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक चुनाव आचार संहिता लगने के फलस्वरूप निविदा प्रक्रिया में देरी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	32,93.02		
पु.	- 15,61.99	17,31.03	17,31.02
			- 0.01

31 मार्च 2019 को ₹ 15,61.99 लाख का प्रावधान (i) अपरिहार्य कारणों के कारण कोषालय द्वारा संवेदकों के वृहद कार्यों के बिलों को खंडों को वापस लौटाने, (ii) चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण समय पर उपकरणों के क्रय की निविदा जारी न होने तथा (iii) कोषालय द्वारा उपकरणों के बिल, जिनके लिए क्रय आदेश जारी किये जा चुके थे, वापस लौटाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
105. एलोपैथी
(12) स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट
[01] एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर

मू.	14,00.00		
अ.	0.02
पु.	- 14,00.02		

₹ 14,00.02 लाख का प्रावधान स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट के लिए उपकरणों की खरीद के लिए अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2019 को ₹ 14,00.02 लाख का समस्त प्रावधान एकल निविदा की प्राप्ति तथा चुनाव आचार संहिता के लागू होने के कारण निधियां अनुपयोजित रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
105. एलोपैथी
(13) टर्सरी कैंसर केयर सेंटर
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर

मू.	11,01.00		
पु.	- 11,01.00

31 मार्च 2019 को ₹ 11,01.00 लाख का समस्त प्रावधान टर्सरी कैंसर केयर सेंटर योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान
105. एलोपैथी
(14) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य योजना
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर

मू.	7,28.02		
पु.	- 5,78.22	1,49.80	1,49.80

31 मार्च 2019 को ₹ 5,78.22 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य के लिए भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 026 - (समाप्त)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
800. अन्य व्यय			
(02) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[02] प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्रों का निर्माण			
मू.	31,68.00		
पु.	24,72.52		
		56,40.52	56,40.52

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24,72.52 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 027 – पेय जल योजना

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2215. जलपूर्ति तथा सफाई
पूंजी – 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	35,11,88,31			
अनुपूरक	3,31,28,24	38,43,16,55	36,33,83,10	– 2,09,33,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,85,57,09
प्रभारित				
मूल	5,00			
अनुपूरक	85,13	90,13	90,08	– 5
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				5
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	37,44,05,01			
अनुपूरक	3	37,44,05,04	27,00,23,15	– 10,43,81,89
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				10,17,39,02

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 2,09,33.45 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 3,31,28.24 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी, 2019 में लिया गया ₹ 3,31,28.23 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 2,09,33.45 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 23,76.36 लाख अनुअभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 027 – (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(01) जलपूर्ति योजना, अजमेर-प्रतिबद्ध			
मू.	1,55,41.51		
अ.	29,00.00	1,63,74.91	1,63,64.11
पु.	- 20,66.60		- 10.80

फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा विद्युत् प्रभार तथा पाइप लाइनों के मरम्मत एवं रखरखाव पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 29,00.00 लाख का प्रावधान शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 20,66.60 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः बिजली बिलों में विरोधाभास होने तथा कोषालयों में तकनीकी खराबी के कारण वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवसों में बिजली बिलों का भुगतान न होने को आरोपित की गयी।

₹ 10.80 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(05) जलपूर्ति योजना, भीलवाड़ा-प्रतिबद्ध			
मू.	19,44.16		
पु.	- 4,55.67	14,88.49	14,71.07
			- 17.42

₹ 4,55.67 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः बिजली बिलों में विरोधाभास होने तथा कोषालयों में तकनीकी खराबी के कारण वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवसों में बिजली के बिलों का भुगतान न होने को आरोपित की गयी।

₹ 17.42 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(06) जलपूर्ति योजना, बीकानेर-प्रतिबद्ध			
मू.	48,29.91		
अ.	6,18.00	48,91.72	48,65.20
पु.	- 5,56.19		- 26.52

फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा वेतन तथा भत्तों एवं विद्युत् प्रभार पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 6,18.00 लाख का प्रावधान शीर्षों के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 5,56.19 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कर्मचारियों/अधिकारियों के अन्य लेखा शीर्षों में स्थानान्तरण होने से नये वेतनमान में वेतन निर्धारण न होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) बिजली बिलों में विरोधाभास होने तथा (iii) कोषालयों में तकनीकी खराबी के कारण वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवसों में बिजली बिलों का भुगतान न होने को आरोपित की गयी।

₹ 26.52 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 027 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(07) जलपूर्ति योजना, जयपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	2,68,93.60		
अ.	27,63.00	2,67,17.04	2,67,16.32
पु.	- 29,39.56		- 0.72

फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा वेतन एवं भत्तों तथा विद्युत् प्रभार पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 27,63.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 29,39.56 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कर्मचारियों/अधिकारियों के अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण होने से नये वेतनमान में वेतन निर्धारण न होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) बिजली बिलों में विरोधाभास होने, (iii) ठेकेदारों द्वारा बिलों के प्रस्तुत न किये जाने तथा (iv) कोषालयों में तकनीकी खराबी के कारण वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवसों में बिजली बिलों तथा ठेकेदारों के बिलों का भुगतान न होने को आरोपित की गयी।

01. जलपूर्ति
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम
(08) जलपूर्ति योजना, जोधपुर-प्रतिबद्ध

मू.	83,61.00			
अ.	9,51.00	80,48.95	79,27.26	- 1,21.69
पु.	- 12,63.05			

फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा वेतन एवं भत्तों तथा विद्युत् प्रभार पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 9,51.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत कुल बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 12,63.05 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कर्मचारियों/अधिकारियों के अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण होने से नये वेतनमान में वेतन निर्धारण न होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) बिजली बिलों में विरोधाभास होने तथा (iii) कोषालयों में तकनीकी खराबी के कारण वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवसों में बिजली बिलों का भुगतान न होने को आरोपित की गयी।

₹ 1,21.69 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

01. जलपूर्ति
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम
(10) जलपूर्ति योजना, कोटा-प्रतिबद्ध

मू.	63,86.71			
अ.	13,00.00	67,25.17	66,33.97	- 91.20
पु.	- 9,61.54			

फरवरी 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा विद्युत् प्रभार पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 13,00.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत कुल बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 9,61.54 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कर्मचारियों/अधिकारियों के अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण होने से नये वेतनमान में वेतन निर्धारण न होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) बिजली बिलों में विरोधाभास होने तथा (iii) कोषालयों में तकनीकी खराबी के कारण वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवसों में बिजली बिलों का भुगतान न होने को आरोपित की गयी।

₹ 91.20 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(11) जलपूर्ति योजना, उदयपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	61,77.00		
अ.	4,00.00	58,59.19	56,70.57
पु.	- 7,17.81		- 1,88.62

फरवरी 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा विद्युत् प्रभार पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 4,00.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 7,17.81 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कर्मचारियों/अधिकारियों के अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण होने से नये वेतनमान में वेतन निर्धारण न होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) बिजली बिलों में विरोधाभास होने तथा (iii) कोषालयों में तकनीकी खराबी के कारण वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवसों में बिजली बिलों का भुगतान न होने को आरोपित की गयी।

₹ 1,88.62 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
(04) जलपूर्ति योजना, साहवा गंधेली-प्रतिबद्ध			
मू.	63,88.20		
पु.	- 10,24.39	53,63.81	53,39.42
			- 24.39

₹ 10,24.39 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कर्मचारियों/अधिकारियों के अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण होने से नये वेतनमान में वेतन निर्धारण न होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) बिजली बिलों में विरोधाभास होने तथा (iii) कोषालयों में तकनीकी खराबी के कारण वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवसों में बिजली बिलों का भुगतान न होने को आरोपित की गयी।

₹ 24.39 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
(07) जल प्रदाय योजनाओं का निरीक्षण करने हेतु किराये पर वाहन रखना (ग्रामीण)			
[36] वाहनों का किराया			
मू.	8,88.00		
पु.	- 2,82.92	6,05.08	5,98.30
			- 6.78

31 मार्च 2019 को ₹ 2,82.92 लाख का प्रावधान वाहनों को किराये पर लेने की प्रक्रिया में विलम्ब के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 6.78 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
(08) ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता			
[01] ग्रीष्मकालीन जलपूर्ति			
मू.	70,25.00		
पु.	- 9,94.15	60,30.85	59,49.69
			- 81.16

31 मार्च 2019 को ₹ 9,94.15 लाख का प्रावधान पंप सेट की मरम्मत पर कम व्यय होने तथा कोषालयों में तकनीकी खराबी के कारण वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवसों में बिलों का भुगतान न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 81.16 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

02. मल जल तथा सफाई
001. निदेशन तथा प्रशासन
(11) निष्पादन
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	2,56,41.14			
अ.	38,90.01	2,74,74.01	2,74,49.61	- 24.40
पु.	- 20,57.14			

₹ 38,90.01 लाख की कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 38,90.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 20,57.14 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों/अधिकारियों के अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण होने से नये वेतनमान में वेतन निर्धारण न होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

₹ 24.40 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

02. मल जल तथा सफाई
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
(01) मल निकासी योजनाओं का संधारण
[01] नगर पालिकाओं को सहायतार्थ-प्रतिबद्ध

मू.	6,60.00			
पु.	- 6,60.00			

31 मार्च 2019 को ₹ 6,60.00 लाख का समस्त प्रावधान नगर पालिकाओं के संबंध में देय अनुदान के विपरीत विभागीय जल प्रभार के बकाया दायित्वों के समायोजन तथा नगर परिषदों के दायित्वों को उनको पत्र जारी किये जाने के उपरान्त भी जमा नहीं कराये जाने के परिणामतः नगर पालिकाओं को मल निकासी योजनाओं के संधारण हेतु अनुदान जारी न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

4. निम्नलिखित शीर्ष में अंतिम बचत को देखते हुए पुनर्विनियोजन द्वारा अतिरिक्त प्रावधान का आवर्द्धन अनावश्यक था :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(09) जोधपुर लिफ्ट केनाल, जोधपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	1,36,23.76		
अ.	9,00.00	1,49,69.98	1,41,01.93
पु.	4,46.22		- 8,68.05

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,46.22 लाख की अतिरिक्त निधियां नहर के अन्तर्गत नये क्षेत्र को सम्मिलित करने के कारण विद्युत् प्रभार पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 8,68.05 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 10,43,81.89 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 26,42.87 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 2,65,69.23 लाख, ₹ 4,81,46.76 लाख, ₹ 8,96,22.10 लाख, ₹ 6,83,02.17 लाख तथा ₹ 10,43,81.89 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 7.43 प्रतिशत से 27.88 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः कार्यों का अनुमान से कम निष्पादन होने के कारण बतायी गयी। वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान विभिन्न शीर्षों में बचत के कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[17] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइप लाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू.	30,00.50		
पु.	- 12,37.84	17,62.66	17,61.10
			- 1.56

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[19] फिल्टर प्लान्ट का पुनर्जीवीकरण एवं कमोन्नयन			
मू.	3,75.00		
पु.	- 2,37.39	1,37.61	1,37.61
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[22] प्रशासनिक कार्यालयों का विस्तार, सुदृढीकरण एवं पुनर्जीवीकरण			
मू.	3,25.50		
पु.	- 1,49.45	1,76.05	1,76.00
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[24] चम्बल परियोजना, भरतपुर			
मू.	5,00.00		
पु.	- 1,45.66	3,54.34	3,54.34
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[27] जवाई-पाली-जालौर जलपूर्ति योजना (जवाई-जोधपुर पाइप लाइन परियोजना)			
मू.	13,74.00		
पु.	- 5,57.04	8,16.96	8,16.96
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[31] चम्बल-बालेर-सवाईमाधोपुर जलप्रदाय योजना			
मू.	34,35.00		
पु.	- 22,07.49	12,27.51	12,10.23

अनुदान संख्या 027 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[44] नागौर लिफ्ट कैनाल, फेज- I			
मू.	25,00.00		
पु.	- 3,61.23	21,38.77	21,38.77
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[45] पोकरण-फलसूंड (फलौदी) जल प्रदाय योजना			
मू.	54,78.82		
पु.	- 23,70.02	31,08.80	31,08.80
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[49] टोंक-देवली-उनियारा जलपूर्ति परियोजना			
मू.	11,67.90		
पु.	- 5,11.52	6,56.38	6,41.38
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[61] शहरी जल पूर्ति योजना, जोधपुर (ई.ए.पी.)			
मू.	83,81.40		
पु.	- 24,79.72	59,01.68	59,01.68
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[64] नागौर लिफ्ट जलपूर्ति योजना फेज- II			
मू.	61,83.00		
पु.	- 20,63.04	41,19.96	41,19.96
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[65] बल्क मीटर एवं उपभोक्ता मीटर की सप्लाई/स्थापना/ संचालन तथा रखरखाव			
मू.	2,20.00		
पु.	- 2,20.00

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[66] डीग जल प्रदाय परियोजना			
मू.	17,17.50		
पु.	- 3,05.76	14,11.74	14,11.74
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[73] फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू.	17,17.50	2,85.90	2,85.90
पु.	- 14,31.60		
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[84] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांव हेतु जलपूर्ति परियोजना			
मू.	17,17.50	10,26.70	10,26.70
पु.	- 6,90.80		
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[87] चम्बल-धोलपुर-भरतपुर परियोजना फेज- I, पार्ट- II (शहरी)			
मू.	24,35.00	7,47.96	7,47.96
पु.	- 16,87.04		
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[95] अटरू शेरगढ़ पेयजल परियोजना, जिला बांरा (शहरी)			
मू.	12,02.26	7,32.55	7,32.55
पु.	- 4,69.71		
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[96] बत्तीसा नाले पर बाँध बनाकर सिरोही जिले हेतु पेयजल योजना (शहरी)			
मू.	21,70.00	10,85.00	10,85.00
पु.	- 10,85.00		

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[98] चाकन बांध से इन्द्रगढ पेयजल परियोजना, जिला बूंदी (शहरी)			
मू.	10,30.50	8,32.94	8,32.94
पु.	- 1,97.56		..
उपरोक्त उन्नीस शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 1,84,07.87 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम/न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
शीर्ष "4215-01-101(01) [31] एवं [49]" के अंतर्गत ₹ 32.28 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(07) ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता			
मू.	9,75.00	8,35.27	8,28.31
पु.	- 1,39.73		- 6.96
31 मार्च 2019 को ₹ 1,39.73 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 6.96 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[02] बीसलपुर-जयपुर जल प्रदाय परियोजना फेज- II (शहरी)			
मू.	34,35.01	3,82.32	3,82.32
पु.	- 30,52.69		..
31 मार्च 2019 को ₹ 30,52.69 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[05] झूंगरपुर, आसपुर एवं दोवड़ा पेयजल परियोजना			
मू.	6,20.00
पु.	- 6,20.00		..

अनुदान संख्या 027 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	आधिक्य + बचत –
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[06] माही बजाज सागर-जयसमंद जल स्थानांतरण परियोजना			
मू.	6,20.00
पु.	- 6,20.00
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 12,40.00 लाख का समस्त प्रावधान परियोजनाओं का क्रियान्वयन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[08] चम्बल परियोजना, भरतपुर (नाबार्ड)			
मू.	20,53.95	15,83.66	15,83.66
पु.	- 4,70.29
31 मार्च 2019 को ₹ 4,70.29 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[12] जवाई-पाली-जालोर जल पूर्ति योजना (जवाई-जोधपुर पाइप लाइन परियोजना)(नाबार्ड)			
मू.	27,50.50	21,59.04	21,59.04
पु.	- 5,91.46
31 मार्च 2019 को ₹ 5,91.46 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[23] बीसलपुर बांध से टोंक, उनियारा एवं देवली जलपूर्ति योजना			
मू.	34,01.05	11,36.95	11,36.95
पु.	- 22,64.10
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[46] पांचला-देवरा-चिराई जलपूर्ति योजना			
मू.	29,32.90	20,55.44	20,55.44
पु.	- 8,77.46

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[48] नर्मदा-गुढामलानी जलपूर्ति योजना			
मू.	7,45.39	5,93.14	5,93.14
पु.	- 1,52.25		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 32,93.81 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

01. जलपूर्ति
102. ग्रामीण जलपूर्ति
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना
[49] ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों में वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम कार्यक्रम

मू.	5,89.63
पु.	- 5,89.63		..

31 मार्च 2019 को ₹ 5,89.63 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

2017-18 के दौरान भी ₹ 5,89.63 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

01. जलपूर्ति
102. ग्रामीण जलपूर्ति
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना
[50] अटरू-शेरगढ़ पेयजल परियोजना, जिला बांरा (ग्रामीण)

मू.	10,05.15	4,51.54	4,51.54
पु.	- 5,53.61		..

31 मार्च 2019 को ₹ 5,53.61 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

01. जलपूर्ति
102. ग्रामीण जलपूर्ति
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना
[52] बाड़मेर लिफ्ट केनाल परियोजना, फेज- II, पार्ट-डी

मू.	59,99.92	52,60.49	52,60.49
पु.	- 7,39.43		..

₹ 7,39.43 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यों का निष्पादन कम होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[54] जाखम बांध से जिला प्रतापगढ़ के गाँवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)			
मू.	25,81.40
पु.	- 25,81.40		
31 मार्च 2019 को ₹ 25,81.40 लाख का समस्त प्रावधान नई परियोजना का क्रियान्वयन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[55] माही बांध से जिला बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ एवं कुशलगढ़ ब्लॉक के गाँवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)			
मू.	17,20.94	12,50.35	12,50.35
पु.	- 4,70.59		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[56] चाकन बांध से इन्द्रगढ़ पेयजल परियोजना, जिला बूंदी (ग्रामीण)			
मू.	17,20.94	13,85.31	13,85.31
पु.	- 3,35.63		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत ₹ 8,06.22 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यों का निष्पादन कम होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[57] क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन पेयजल परियोजना, जिला बूंदी (विस्तार चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना) (ग्रामीण)			
मू.	22,94.58	20,30.80	20,30.80
पु.	- 2,63.78		..

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[58] अंता-मांगरोल तहसील, जिला बांरा की सोनवा पेयजल परियोजना			
मू.	22,94.58	7,89.06	7,89.06
पु.	- 15,05.52		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 17,69.30 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[60] झालीजी का बराना पेयजल परियोजना			
मू.	12,40.00
पु.	- 12,40.00		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[61] गरडदा पेयजल परियोजना			
मू.	12,40.00
पु.	- 12,40.00		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[62] कछावन पेयजल परियोजना			
मू.	12,40.00
पु.	- 12,40.00		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[65] माही बजाज सागर-जयसमंद जल स्थानांतरण परियोजना			
मू.	6,20.00
पु.	- 6,20.00		..

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 43,40.00 लाख का समस्त प्रावधान नई परियोजनाओं का क्रियान्वयन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[63] परवन-अकावाद पेयजल परियोजना			
मू.	6,20.00		
पु.	- 6,16.11	3.89	3.89
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[64] डूंगरपुर, आसपुर एवं दोबड़ा पेयजल परियोजना			
मू.	6,20.00		
पु.	- 2,48.28	3,71.72	3,71.72
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 8,64.39 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(03) अन्य ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
[01] अन्य ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
मू.	4,96,00.55		
पु.	- 1,45,11.83	3,50,88.72	3,48,95.19 - 1,93.53
31 मार्च 2019 को ₹ 1,45,11.83 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित (₹ 58,48.95 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 86,62.88 लाख) किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 1,93.53 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(03) अन्य ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
[05] मु.शी. 2215-जलपूर्ति और सफाई -01-102 से स्थानान्तरित ग्रामीण योजनाओं के लिए संधारण प्रतिशतता व्यय (ओ. एण्ड एम.)			
मू.	1,95,65.79		
पु.	- 1,11,53.79	84,12.00	84,12.00
31 मार्च 2019 को ₹ 1,11,53.79 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार संधारण प्रतिशतता प्रभार के समायोजन के कारण अभ्यर्पित (₹ 38,92.25 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 72,61.54 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(06) विभाग के आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन			
मू.	4,00.00		
		55.36	55.36
पु.	- 3,44.64		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(08) ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता			
मू.	2,50.00		
		52.26	52.26
पु.	- 1,97.74		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(09) पम्प एवं मोटर्स की पुनःस्थापना			
मू.	12,00.00		
		7,88.18	7,84.28
पु.	- 4,11.82		- 3.90
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(18) बीसलपुर-दूदू जलपूर्ति योजना (नाबार्ड)			
मू.	23,68.49		
		17,85.97	17,85.97
पु.	- 5,82.52		..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(19) चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर जल प्रदाय योजना			
मू.	28,68.24		
		11,50.20	11,39.20
पु.	- 17,18.04		- 11.00
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(20) चूरु-झुन्झुनू जल प्रदाय योजना (आपणी योजना फैज-II)			
मू.	10,68.91		
		8,80.35	8,80.35
पु.	- 1,88.56		..

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(21) जनता जल योजना			
मू.	80,00.00		
पु.	- 39,12.06	40,87.94	40,44.63
			- 43.31
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(39) पोकरण-फलसूण्ड जलपूर्ति योजना			
मू.	1,22,00.63		
पु.	- 56,17.12	65,83.51	65,83.51
			..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(40) डीग जलपूर्ति योजना			
मू.	43,94.73		
पु.	- 7,19.57	36,75.16	36,75.16
			..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(46) बोरावास मंडाना जल प्रदाय परियोजना			
मू.	9,86.28		
पु.	- 3,84.30	6,01.98	6,01.98
			..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(48) ग्रामीण पेयजल योजनाओं के विभिन्न कम्पोनेन्ट्स का सुदृढीकरण -रिजूविनेशन			
मू.	23,00.00		
पु.	- 12,18.39	10,81.61	10,77.51
			- 4.10
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(50) बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जल प्रदाय परियोजना फेज-II			
मू.	43,94.73		
पु.	- 43,94.64	0.09	0.09
			..

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(61) बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-॥ पार्ट-बी (68 गाँवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	22,94.59		
पु.	- 17,67.76	5,26.83	5,26.83
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(62) बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-2 पार्ट-सी (473 गाँवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	73,94.60		
पु.	- 6,55.26	67,39.34	67,39.34
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(64) ब्यावर जवाजा क्लस्टर योजना			
मू.	50,96.59		
पु.	- 6,49.89	44,46.70	44,46.70
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(65) गागरिन जलपूर्ति योजना			
मू.	40,89.43		
पु.	- 8,28.10	32,61.33	32,61.33
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(67) जवाई क्लस्टर परियोजना- ॥			
मू.	22,38.98		
पु.	- 14,61.98	7,77.00	7,77.00
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(68) बीसलपुर-दूदू परियोजना-चाकसू, फागी एवं बस्सी			
मू.	38,76.37		
पु.	- 24,06.06	14,70.31	14,61.44
			- 8.87

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(70) बांरा क्लस्टर परियोजना			
मू.	23,27.84		
पु.	- 9,76.09	13,51.75	13,51.75
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(74) चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेज- I पार्ट- II			
मू.	64,71.23		
पु.	- 24,06.15	40,65.08	40,65.08
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(75) बांसवाड़ा जलपूर्ति परियोजना			
मू.	2,29.47		
पु.	- 2,29.47
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(78) नर्मदा परियोजना-क्लस्टर (डी.आर.)			
मू.	37,34.85		
पु.	- 9,71.97	27,62.88	27,62.88
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(79) इसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	24,35.00		
पु.	- 3,79.82	20,55.18	20,55.18
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(81) नर्मदा से शिव तहसील जिला बाड़मेर जलपूर्ति परियोजना (205 गांव)			
मू.	43,11.94		
पु.	- 5,68.45	37,43.49	37,43.49

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(84) भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांवों हेतु जलपूर्ति परियोजना			
मू.	31,55.06		
पु.	- 9,67.28	21,87.78	21,87.78
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(85) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डी.डी.पी.)			
मू.	64,88.00		
पु.	- 47,61.28	17,26.72	16,57.21
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(86) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जल गुणवत्ता के लिए 5 प्रतिशत निश्चित राशि			
मू.	25,95.20		
पु.	- 22,28.17	3,67.03	3,12.75
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(87) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सहायता राशि			
मू.	16,50.00		
पु.	- 9,27.24	7,22.76	7,22.76
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(94) चम्बल बूंदी जलप्रदाय परियोजना (क्लस्टर वितरण) ग्रामीण			
मू.	4,32.08		
पु.	- 4,31.46	0.62	0.62

उपरोक्त उन्तीस शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 4,23,05.83 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

शीर्ष "4215-01-102(09), (19), (21), (48), (68), (85), एवं (86)" के अंतर्गत ₹ 1,94.97 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 027 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(36) नर्मदा परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	2,86.83	36.12	36.12
पु.	- 2,50.71		..

31 मार्च 2019 को ₹ 2,50.71 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यों के कम निष्पादन होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

01. जलपूर्ति
102. ग्रामीण जलपूर्ति
(43) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम

मू.	11,55.00	3,04.72	3,00.48	- 4.24
पु.	- 8,50.28			

31 मार्च 2019 को ₹ 8,50.28 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 4.24 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

01. जलपूर्ति
102. ग्रामीण जलपूर्ति
(45) नागौर लिफ्ट केनाल परियोजना फेज- II (ई.ए.पी.)

मू.	3,36,63.00	2,04,41.77	2,04,41.76	- 0.01
पु.	- 1,32,21.23			

31 मार्च 2019 को ₹ 1,32,21.23 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

01. जलपूर्ति
102. ग्रामीण जलपूर्ति
(54) फतेहपुर- लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना

मू.	28,20.26	24,93.40	22,80.93	- 2,12.47
पु.	- 3,26.86			

₹ 3,26.86 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यों के कम निष्पादन होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 2,12.47 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 027 – (क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[94] पुर्नरूद्धार शहरी जलप्रदाय योजना प्रतापगढ़ कस्बे की			
मू.	6,87.00	11,04.69	11,04.69
पु.	4,17.69		
			..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,17.69 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[03] पुर्नरूद्धार शहरी जलप्रदाय योजना किशनगढ़ कस्बे की			
मू.	1,25.03	2,69.79	2,69.79
पु.	1,44.76		
			..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,44.76 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[37] देवनिया-शेरगढ़-छाबा जलपूर्ति योजना			
मू.	1,00.00	4,17.00	4,17.00
पु.	3,17.00		
			..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[66] जवाई क्लस्टर परियोजना- IV, जिला पाली			
अ.	0.01	2,58.62	2,58.62
पु.	2,58.61		
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,75.61 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(38) नागौर लिफ्ट केनाल			
मू.	34,62.49	41,17.09	41,17.09
पु.	6,54.60		
			..

अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(72) नर्मदा एफ. आर. क्लस्टर परियोजना			
मू.	46,70.57		
पु.	42,36.40	89,06.97	89,06.97
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(96) नर्मदा नहर में जल संसाधन विभाग को पेयजल हेतु हिस्सा राशि			
मू.	18,43.03		
पु.	32,10.81	50,53.84	50,53.84
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(97) राजगढ़ पेयजल परियोजना, तहसील पंचपहाड़, जिला झालावाड़			
मू.	2,28.08		
पु.	54,88.49	57,16.57	57,16.07
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(98) आर्सेनिक एवं फ्लोराईड प्रभावित गाँवों में सामुदायिक जलशोधन संयंत्र स्थापित करना			
मू.	0.01		
पु.	22,83.95	22,83.96	22,81.65

उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,58,74.25 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यो की त्वरित गति तथा भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 027 - (समाप्त)

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्द्धन अत्यधिक था :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(02) पाइप लाईनों द्वारा ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
[03] 2215-जलपूर्ति और सफाई 02-001(09) से स्थानान्तरित प्रतिशतता व्यय (प्रोरेटा)			
मू.	88,50.95	99,96.26	96,51.00
पु.	11,45.31		
			- 3,45.26

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,45.31 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 3,45.26 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

01. जलपूर्ति
102. ग्रामीण जलपूर्ति
(71) चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना-कलस्टर

मू.	1,42,30.65	1,81,77.68	1,67,43.74
पु.	39,47.03		
			- 14,33.94

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 39,47.03 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 14,33.94 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

6. **उच्चत लेन-देन**: 2018-19 में पूंजी अनुभाग में लेखांकित "उच्चत" लेन-देनों का विभाजन विभिन्न उच्चत उप शीर्षों में आदि शेष और अन्त शेष के साथ नीचे दिया गया है:-

लघु शीर्ष "उच्चत" के उपखण्ड	आदि शेष नामे (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामे (+) जमा (-)
		(₹ लाख में)		
स्टॉक	(+) 40,49.92	..	5,33.14	(+) 35,16.78
विविध सार्वजनिक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 32,38.45	..	16.01	(+) 32,22.44
योग	(+) 72,88.37	..	5,49.15	(+) 67,39.22

अनुदान संख्या 028 – ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम और
2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा

पूंजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	10,12,05,61		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)	10,12,05,61	7,69,29,34	- 2,42,76,27
प्रभारित			
मूल	1		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)	1	..	- 1
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	3,08,25,00		
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)	3,08,25,00	1,54,12,50	- 1,54,12,50

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 2,84,40.43 लाख, ₹ 2,44,23.66 लाख, ₹ 2,08,23.19 लाख, ₹ 1,64,25.57 लाख तथा ₹ 2,42,76.27 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 17.57 प्रतिशत से 47.82 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण दिये गये।

अनुदान संख्या 028 – (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) जलग्रहण प्रबन्धन के परिणामों में सुधार/ आई.डब्ल्यू.एम.पी. का सुदृढीकरण			
[01] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	2,11.60
पु.	- 2,11.60

31 मार्च 2019 को ₹ 2,11.60 लाख का समस्त प्रावधान *निरांचल परियोजना* के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने एवं वार्षिक कार्य योजना 2018-19 की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

05. बंजर भूमि विकास
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)
वाटरशेड घटक
[01] कार्यकलाप सम्बन्धी

मू.	3,83,13.39	2,44,85.78	2,44,85.78	..
पु.	- 1,38,27.61			

31 मार्च 2019 को ₹ 1,38,27.61 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम/देरी से प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 76,56.43 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 61,71.18 लाख) किया गया।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
[01] अनुदान

मू.	1,39,50.00	57,91.75	57,91.75	..
पु.	- 81,58.25			

31 मार्च 2019 को ₹ 81,58.25 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(08) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना
[01] अनुदान

मू.	16,83.00	2,06.23	2,06.23	..
पु.	- 14,76.77			

31 मार्च 2019 को ₹ 14,76.77 लाख का प्रावधान परियोजना के बन्द/प्रारम्भ नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 028 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)			
[01] अनुदान			
मू.	43,40.84	56.50	56.50
पु.	- 42,84.34		..
31 मार्च 2019 को ₹ 42,84.34 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को संस्थापन व्यय हेतु			
[01] कार्यकलाप संबंधी			
मू.	24,69.29	5,97.82	5,97.82
पु.	- 18,71.47		..
31 मार्च 2019 को ₹ 18,71.47 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्यालय			
मू.	2,06.00	38.55	38.55
पु.	- 1,67.45		..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,67.45 लाख का प्रावधान विधान सभा चुनाव में सम्बन्धित अधिकारियों की व्यवस्था तथा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने से समस्त राशि का उपयोग नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) जल संरक्षण उप कर निधि से व्यय			
[01] जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से			
मू.	1,50,92.00	2,12,40.10	2,12,40.10
पु.	61,48.10		..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 61,48.10 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान पर हुए अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध कराई गई।			

अनुदान संख्या 028 - (समाप्त)

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
101. पंचायती राज			
(11) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम			
मू. 3,08,25.00	1,54,12.50	1,54,12.50	..
पु. - 1,54,12.50			

31 मार्च 2019 को ₹ 1,54,12.50 लाख का प्रावधान जिला परिषदों के व्यक्तिगत खातों में पर्याप्त अवशेष राशि की उपलब्धता के कारण राज्य सरकार द्वारा द्वितीय किस्त जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 029 – नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2217. शहरी विकास और
 3055. सड़क परिवहन
 पूंजी – 4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय ,
 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,
 6217. शहरी विकास के लिए कर्ज और
 7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	46,31,45,97	50,99,27,87	40,15,09,32	- 10,84,18,55
अनुपूरक	4,67,81,90			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				8,73,59,71
प्रभारित				
मूल	3	3	..	- 3
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				3
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	14,77,17,01	14,77,17,02	12,80,36,89	- 1,96,80,13
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,92,21,58
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1
टिप्पणियां तथा टीकाएं:				

राजस्व

दत्तमत

1. सितम्बर, 2018 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 4,67,81.90 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

2. ₹ 10,84,18.55 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 2,10,58.84 लाख अनुभ्यर्पित रही।
3. वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 5,65,51.93 लाख, ₹ 5,41,67.28 लाख, ₹ 6,26,53.32 लाख, ₹ 11,03,61.23 लाख तथा ₹ 10,84,18.55 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 12.96 प्रतिशत से 22.14 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[03] अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड			
मू.	1,37.39
पु.	- 1,37.39
31 मार्च 2019 को ₹ 1,37.39 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार द्वारा अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को अनुदान (गैर संवेतन) जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
2016-17 तथा 2017-18 के दौरान भी शीर्ष के अन्तर्गत समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया।			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[11] कोटा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड			
मू.	1,37.38
पु.	- 1,37.38
31 मार्च 2019 को ₹ 1,37.38 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार द्वारा कोटा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को अनुदान (गैर संवेतन) जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(03) ग्लोबल एनवायरमेंट फेसिलिटी			
[01] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड			
मू.	5,50.00	3,64.61	3,64.61
पु.	- 1,85.39

31 मार्च 2019 को ₹ 1,85.39 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को अनुदान (गैर संवेतन) में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[01] अजमेर स्मार्ट सिटी			
मू.	1,40,79.96
पु.	- 1,40,79.96
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[04] कोटा स्मार्ट सिटी			
मू.	1,41,39.96
पु.	- 1,41,39.96
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 2,82,19.92 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,50,66.27 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,31,53.65 लाख) की गई। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[02] जयपुर स्मार्ट सिटी			
मू.	1,75,99.96
पु.	- 1,75,99.96
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[03] उदयपुर स्मार्ट सिटी			
मू.	1,75,99.96
पु.	- 1,75,99.96
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 3,51,99.92 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान भी समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[01] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	1,70,28.26	1,43,86.25	1,43,86.25
पु.	- 26,42.01		..

31 मार्च 2019 को ₹ 26,42.01 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर निगमों को कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(30) पर्यावरण एवं स्वास्थ्य निधि से व्यय			
[01] सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट			
मू.	11,33.05
पु.	- 11,33.05

31 मार्च 2019 को ₹ 11,33.05 लाख का समस्त प्रावधान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

2017-18 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(36) स्वच्छ भारत मिशन			
[01] स्वच्छ भारत मिशन			
मू.	30,36.68
पु.	- 30,36.68

31 मार्च 2019 को ₹ 30,36.68 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(39) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[01] सबके लिए आवास (शहरी)			
मू.	48,08.86	11.99	11.99
पु.	- 47,96.87

31 मार्च 2019 को ₹ 47,96.87 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(40) जल संरक्षण उप कर निधि से व्यय			
[01] स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध			
मू.	0.01		
अ.	37,91.20	29,89.29	29,89.29
पु.	- 8,01.92		

सितम्बर, 2018 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत अनुदान जारी करने हेतु लिया गया ₹ 37,91.20 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2019 को ₹ 8,01.92 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(42) 14 वें वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[04] 14 वे वित्त आयोग के तहत निष्पादन अनुदान			
मू.	44,79.66
पु.	- 44,79.66
31 मार्च 2019 को ₹ 44,79.66 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
80. सामान्य			
191. नगर निगमों को सहायता			
(43) पार्कों के विकास हेतु			
[01] सामान्य			
मू.	1,50.00
पु.	- 1,50.00
31 मार्च 2019 को ₹ 1,50.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के चालू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[01] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	4,29,23.48	3,62,63.63	..
पु.	- 66,59.85	3,62,63.63	..
31 मार्च 2019 को ₹ 66,59.85 लाख का प्रावधान नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कम अनुदान जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(36) विभिन्न शहरी निकायों की जलप्रदाय योजनाओं का संचालन एवं संधारण			
[01] विद्युत प्रभार हेतु-प्रतिबद्ध			
मू.	21,00.00
पु.	- 21,00.00
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(36) विभिन्न शहरी निकायों की जलप्रदाय योजनाओं का संचालन एवं संधारण			
[02] वितरण प्रणाली में सुधार हेतु-प्रतिबद्ध			
मू.	1,30.00
पु.	- 1,30.00

अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(36) विभिन्न शहरी निकायों की जलप्रदाय योजनाओं का संचालन एवं संधारण			
[03] अनुरक्षण एवं मरम्मत-प्रतिबद्ध			
मू.	1,10.00
पु.	- 1,10.00		

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 23,40.00 लाख का समस्त प्रावधान आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
(39) स्वच्छ भारत मिशन
[01] स्वच्छ भारत मिशन

मू.	71,53.21
पु.	- 71,53.21		

31 मार्च 2019 को ₹ 71,53.21 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
(41) प्रधानमंत्री आवास योजना
[01] सबके लिए आवास (शहरी)

मू.	1,40,80.82	32.05	32.06	+ 0.01
पु.	- 1,40,48.77			

31 मार्च 2019 को ₹ 1,40,48.77 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,38,37.73 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 2,11.04 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
(43) जल संरक्षण उप कर निधि से व्यय
[01] स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध

मू.	0.01			
अ.	99,45.31	80,37.00	80,37.00	..
पु.	- 19,08.32			

सितम्बर, 2018 में प्रथम अनुपूर्क अनुदान द्वारा मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत अनुदान जारी करने हेतु लिया गया ₹ 99,45.31 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2019 को ₹ 19,08.32 लाख का प्रावधान स्कीम के चालू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(46) 14 वें वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[04] 14 वें वित्त आयोग के तहत निष्पादन अनुदान			
मू.	1,11,45.25
पु.	- 1,11,45.25
31 मार्च 2019 को ₹ 1,11,45.25 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(47) पार्कों के विकास हेतु			
[01] सामान्य			
मू.	3,50.00
पु.	- 3,50.00
31 मार्च 2019 को ₹ 3,50.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के चालू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियां तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(02) राजस्थान शहरी विकास निधि-प्रतिबद्ध			
मू.	2,00,00.00
पु.	- 2,00,00.00
31 मार्च 2019 को ₹ 2,00,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(10) मास्टर प्लान एवं अन्य योजनाएं			
[01] नगर नियोजन विभाग के माध्यम से			
मू.	5,14.64	2,46.48	2,46.48
पु.	- 2,68.16		..
₹ 2,68.16 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राजस्थान इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आर.आई.एस.एल.) के पास गत वर्ष की अवशेष राशि उपलब्ध होने के कारण विभागीय कम्प्यूटराईजेशन के सम्बन्ध में सॉफ्टवेयर तथा प्रशिक्षण हेतु भुगतान आर.आई.एस.एल. को नहीं करने को अरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(16) नगर तथा देशी आयोजन संगठन			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	14,14.33		
		12,87.44	12,87.46
पु.	- 1,26.89		+ 0.02

₹ 1,26.89 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, कर्मचारियों का प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण, समर्पित अवकाश स्वीकृत नहीं होने, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षुओं का नियमित पदों पर पदस्थापन तथा कुछ कर्मचारियों का सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन निर्धारण नहीं होने आदि के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड			
मू.	29,00.01		
		72,82.87	72,82.87
पु.	43,82.86		..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 43,82.86 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को अधिक अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[02] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड			
मू.	11,50.57		
		20,60.70	20,60.70
पु.	9,10.13		..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,10.13 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को अधिक अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(06) स्थानीय निकायों के संचालक			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	8,81.70		
पु.	1,72.69	10,54.39	10,54.47 + 0.08

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,72.69 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(03) विशेष अनुदान			
मू.	0.01		
पु.	2,21.81	2,21.82	2,21.82 ..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,21.81 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियां तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] मोटर यान काराधन अधिनियम के अंतर्गत अधिभार			
मू.	0.01		
पु.	1,96,86.99	1,96,87.00	1,96,87.00 ..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,96,86.99 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि को मोटर यान काराधन अधिनियम के अंतर्गत संग्रहण किये गये अधिभार के हस्तान्तरण करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियां तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[02] ग्रीन टेक्स			
मू.	0.01		
पु.	1,98,84.99	1,98,85.00	1,98,85.00 ..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,98,84.99 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि को ग्रीन टेक्स के हस्तान्तरण करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियां तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[03] राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत अधिभार			
मू.	0.01		
		78,24.00	78,24.00
पु.	78,23.99		..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 78,23.99 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि को राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत अधिभार के हस्तान्तरण करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

3055. सड़क परिवहन			
800. अन्य व्यय			
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[04] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू.	20,60.74		
अ.	16,35.51	74,74.16	74,74.16
पु.	37,77.91		..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 37,77.91 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत परिवहन विभाग को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

6. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्धन अत्यधिक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(08) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	90,14.17		
अ.	2,21,19.57	3,21,57.19	1,10,98.47 - 2,10,58.72
पु.	10,23.45		

सितम्बर, 2018 में प्रथम अनुपुरक अनुदान द्वारा ₹ 2,21,19.57 लाख का प्रावधान तथा आगे पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,23.45 लाख का अतिरिक्त प्रावधान उपलब्ध कराया गया जो शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 2,10,58.72 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

पूँजी

दत्तमत

1. ₹ 1,96,80.13 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 4,58.55 लाख अन्अभ्यर्पित रही ।
2. वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 5,73,42.54 लाख, ₹ 3,22,58.37 लाख, ₹ 7,83,22.71 लाख, ₹ 5,50,84.44 लाख तथा ₹ 1,96,80.13 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 13.32 प्रतिशत से 44.94 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
[02] शहरी जनसहभागी योजना			
मू.	17,17.25		
पु.	- 12,99.90	4,17.35	1,74.39 - 2,42.96

31 मार्च 2019 को ₹ 12,99.90 लाख का प्रावधान शहरी जनसहभागी योजना के अन्तर्गत कार्यों के निष्पादन हेतु निधियां कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

₹ 2,42.96 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
800. अन्य व्यय
- (01) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता
- [05] विभिन्न शहरी निकायों की जलप्रदाय योजनाओं में सुधार का कार्य

मू.	3,95.61
पु.	- 3,95.61			

31 मार्च 2019 को ₹ 3,95.61 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
800. अन्य व्यय
- (02) शहरी सड़कें एवं नालियां आदि (आर.ओ.बी.)
- [07] विभिन्न शहरी निकायों के लिये

मू.	44,64.85	12,58.66	12,58.66	..
पु.	- 32,06.19			

31 मार्च 2019 को ₹ 32,06.19 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
04. गंदी बस्तियों का विकास			
800. अन्य व्यय			
(04) राजीव आवास योजना स्लम मुक्त भारत हेतु			
मू.	52,86.90	24,64.67	24,64.67
पु.	- 28,22.23		..

₹ 28,22.23 लाख की प्रत्याशित बचत राजीव आवास योजना स्लम मुक्त भारत हेतु भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(01) मुख्य नगर नियोजक, जयपुर के माध्यम से भूमि का क्रय			
मू.	2,18.70	1,00.00	1,00.00
पु.	- 1,18.70		..

₹ 2,18.70 लाख का प्रावधान यू.आई.टी. कोटा द्वारा कोटा में टाउन प्लानिंग भवन के निर्माण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2019 को ₹ 1,18.70 लाख का प्रावधान यू.आई.टी. द्वारा कार्य की धीमी गति को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्पित किया गया।

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(02) राजस्थान शहरी ढांचागत विकास परियोजना के माध्यम से (आर.यू.आई.डी.पी.) छः प्रमुख शहरों का विकास (ई.ए.पी.) निर्माण कार्य			
मू.	2,00.00	2.50	- 97.50
पु.	- 1,97.50		- 1,00.00

31 मार्च 2019 को ₹ 1,97.50 लाख का प्रावधान प्रथम फेज के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों के अन्तिम बिलों का भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि निर्माण कार्यों का निष्पादन आरबिट्रेशन के अन्तर्गत था।

₹ 1,00.00 लाख का ऋण व्यय जोधपुर क्षेत्र के कार्य के पेटे जोधपुर विकास प्राधिकरण से ऋण की किश्त प्राप्त होने के कारण रहा जो जोधपुर क्षेत्र में फेज प्रथम के कार्य के लिए दिया गया था।

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(04) राजस्थान अरबन सेक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (आर. यू. एस. डी. आई. पी.) आर. यू. आई. डी. पी. तृतीय चरण (ई. ए. पी.) निर्माण कार्य			
मू.	4,95,00.00	2,44,85.03	2,44,85.03
पु.	- 2,50,14.97		..

31 मार्च 2019 को ₹ 2,50,14.97 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) शुरुआत में प्रोजेक्ट ऋण के अन्तर्गत आवंटित हनुमानगढ़ शहर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कार्य को बाद में प्रोग्राम लोन को स्थानान्तरित करने के कारण प्रोजेक्ट लोन की लागत के अनुसार व्यय करने के फलस्वरूप व्यय कम हुआ, (ii) शहरों में तृतीय चरण के अन्तर्गत सीवर लाइन के कार्य को बारिश के मौसम के कारण जून से सितम्बर तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका, (iii) बारिश के मौसम के पश्चात् विधान सभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण रोड कटिंग के कार्यों पर रोक के कारण जलापूर्ति तथा सीवरेज लाइन की प्रगति धीमी रही, (iv) तृतीय चरण (प्रोजेक्ट लोन) में टोंक, पाली, झुझनूर, श्रीगंगानगर और भीलवाड़ा शहरों में ठेकेदारों द्वारा कार्य की प्रगति धीमी रही, (v) शहरों में बजरी की अनुपलब्धता के कारण सीवरेज लाइन के कार्य में धीमी प्रगति रही तथा (vi) संवेदकों द्वारा सड़कों की मरम्मत (जलापूर्ति एवं सीवरेज कार्य के कारण क्षतिग्रस्त) के कार्य की धीमी प्रगति करने के कारण पानी एवं सीवर लाइन विद्यमान की प्रगति धीमी रहने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(06) आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण के माध्यम से प्रमुख शहरों का विकास			
[01] प्रोग्राम लोन			
मू.	1,65,00.00		
पु.	- 24,33.58	1,40,66.42	1,40,65.22
			- 1.20

₹ 24,33.58 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कोटा शहर के सीवरेज कार्य कोर्ट केस के कारण आवंटित नहीं किया जा सका, (ii) तृतीय चरण के तहत शहरों में सीवरेज लाइन के कार्य बारिश के मौसम के कारण जून से सितम्बर के दौरान शुरू नहीं किये जा सके, (iii) बारिश के मौसम के पश्चात् विधान सभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण रोड कटिंग के कार्यों पर रोक के कारण जलापूर्ति तथा सीवरेज लाइन की प्रगति धीमी रही, (iv) सभी शहरों में बजरी की अनुपलब्धता के कारण सीवर लाइन के कार्यों की प्रगति धीमी रही, (v) माउन्ट आबू में सीवर लाईन हेतु चट्टानों की खुदाई में एवं उदयपुर में आयड नदी के दोनों तरफ सीवर लाईन डालने हेतु खुदाई में कठिनाई के परिणामस्वरूप कार्यों की प्रगति धीमी रही तथा (vi) चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं करने के कारणों को आरोपित की गयी।

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
(04) स्मार्ट सिटी योजना
[01] अजमेर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड

मू.	35,20.01		
पु.	- 35,20.01

31 मार्च 2019 को ₹ 35,20.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 28,61.49 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 6,58.52 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
(04) स्मार्ट सिटी योजना
[04] कोटा स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड

मू.	34,60.01		
पु.	- 34,60.01

31 मार्च 2019 को ₹ 34,60.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

6217. शहरी विकास के लिए कर्ज
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज
(03) जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को उधार (फेज- I-बी)
[01] एशियन विकास बैंक ऋण

मू.	2,00,00.00		
पु.	- 20,64.60	1,79,35.40	1,79,35.40

31 मार्च 2019 को ₹ 20,64.60 लाख का प्रावधान जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को एशियन विकास बैंक से कर्ज कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 029 – (समाप्त)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(06) अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	3,50,53.34	5,52,59.61	5,52,59.61
पु.	2,02,06.27		
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,02,06.27 लाख की अतिरिक्त निधियां अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन के लिए भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा इसी अनुरूप राज्यांश जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(03) राजस्थान अरबन सेक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (आर. यू. एस. डी. आई. पी.) आर. यू. आई. डी. पी. द्वितीय चरण (ई. ए. पी.) निर्माण कार्य			
मू.	43,99.84	49,36.23	- 1,14.39
पु.	5,36.39		
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,36.39 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) द्वितीय चरण की योजना की समायावधि दिनांक 31 मार्च 2019 तक बढ़ाने के कारण द्वितीय चरण के कार्यों की अंतिम देनदारियों के निपटारे हेतु भरतपुर, जैसलमेर तथा परियोजना प्रबन्धन इकाई कार्यालयों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं सातवें वेतन आयोग के ऐरियर की तृतीय व चतुर्थ किस्त के भुगतान हेतु तथा (ii) अंतिम दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 1,14.39 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(03) जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को उधार (फेज- I-बी)			
[02] राज्य सरकार का ऋण			
मू.	0.01	5,69.57	5,69.57
पु.	5,69.56		
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,69.56 लाख की अतिरिक्त निधियां जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को कर्ज जारी करने के कारण उपलब्ध कराई गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(01) राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि			
[01] राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड			
मू.	30,00.00	70,00.00	70,00.00
पु.	40,00.00		
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 40,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड को कर्ज जारी करने के कारण उपलब्ध कराई गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 030 – जनजाति क्षेत्रीय विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व -	2014.	न्याय प्रशासन,
	2029.	भू-राजस्व,
	2040.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर,
	2041.	वाहन कर,
	2059.	लोक निर्माण कार्य,
	2202.	सामान्य शिक्षा,
	2203.	तकनीकी शिक्षा,
	2204.	खेलकूद तथा युवा सेवाएं ,
	2205.	कला एवं संस्कृति,
	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
	2211.	परिवार कल्याण,
	2217.	शहरी विकास,
	2220.	सूचना तथा प्रचार,
	2225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,
	2230.	श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास,
	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
	2236.	पोषण,
	2250.	अन्य सामाजिक सेवाएं,
	2401.	फसल कृषि-कर्म,
	2402.	मृदा तथा जल संरक्षण,
	2403.	पशु-पालन,
	2405.	मछली-पालन,
	2406.	वानिकी तथा वन्य प्राणी,
	2415.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा,
	2425.	सहकारिता,
	2501.	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
	2505.	ग्राम रोजगार,
	2515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,
	2700.	मुख्य सिंचाई,
	2702.	लघु सिंचाई,
	2705.	कमान क्षेत्र विकास,
	2801.	बिजली,
	2810.	नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा,
	2851.	ग्राम तथा लघु उद्योग,
	2852.	उद्योग,
	2853.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग,
	3055.	सड़क परिवहन,
	3425.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान,
	3435.	परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण,
	3451.	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं,
	3452.	पर्यटन,
	3454.	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,
	3456.	सिविल पूर्ति और
	3475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
पूंजी -	4055.	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय,
	4059.	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,
	4202.	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,
	4210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय,
 4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय,
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,
 अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर
 पूंजीगत परिव्यय,
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,
 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय,
 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,
 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय,
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 6408. खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिए कर्ज,
 6425. सहकारिता के लिए कर्ज,
 6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज,
 6885. उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज और
 7055. सड़क परिवहन के लिए अन्य कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,24,73,79,68	1,27,32,62,59	1,20,32,39,75	- 7,00,22,84
अनुपूरक	2,58,82,91			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				6,80,89,98
प्रभारित				
मूल	9	18,53	15,00	- 3,53
अनुपूरक	18,44			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				3,53

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
पूँजी				
दत्तमत				
मूल	36,32,01,71	36,82,01,97	29,03,20,90	- 7,78,81,07
अनुपूरक	50,00,26			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				7,73,92,69

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- सितम्बर, 2018 (₹ 2,36,80.36 लाख) तथा फरवरी, 2019 (₹ 22,02.55 लाख) में लिया गया ₹ 2,58,82.91 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- ₹ 7,00,22.84 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 19,32.86 लाख अन्-अभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 12,22,56.63 लाख, ₹ 12,07,51.37 लाख, ₹ 17,34,07.01 लाख, ₹ 13,37,00.81 लाख तथा ₹ 7,00,22.84 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 5.50 प्रतिशत से 19.25 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2041. वाहन कर				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(01) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण				
मू.	3,96.76	2.34	0.72	- 1.62
पु.	- 3,94.42			
31 मार्च 2019 को ₹ 3,94.42 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।				
2202. सामान्य शिक्षा				
01. प्रारम्भिक शिक्षा				
109. छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन				
(08) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति				
[02] अनुसूचित जनजाति के बच्चों के हेतु				
मू.	16,60.00	14,23.00	14,16.05	- 6.95
पु.	- 2,37.00			

31 मार्च 2019 को ₹ 2,37.00 लाख का प्रावधान लाभार्थी छात्रों के बैंक खातों तथा भामाशाह पोर्टल के बीच आधार संख्या का मिलान नहीं होने के कारण छात्रवृत्तियों का भुगतान नहीं किये जाने तथा कुछ छात्रों के योग्य नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 6.95 लाख की अंतिम बचत कोषालयों द्वारा छात्रवृत्ति के बिलों को पारित नहीं करने के कारण रही।

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
111. सर्व शिक्षा अभियान			
(03) जन जाति क्षेत्र के लिए उपयोजना (शिक्षा गारन्टी स्कीम)			
मू.	9,83,00.01	9,05,38.91	9,05,15.91
पु.	- 77,61.10		

₹ 77,61.10 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः नई भर्तियों में देरी के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा कोषालयों द्वारा कुछ बिलों को पारित नहीं करने को आरोपित की गयी।

₹ 23.00 लाख की अंतिम बचत कोषालयों द्वारा बिल पारित नहीं करने के कारण रही।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(15) जनजाति क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों के लिए पंचायत समितियों को अनुदान
[01] विद्यालय संचालन व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	3,00,30.00	2,47,23.27	2,47,19.57
पु.	- 53,06.73		

31 मार्च 2019 को ₹ 53,06.73 लाख का प्रावधान अध्यापकों के स्थानान्तरण पर व्यय लेखा शीर्ष के बदलने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 53,00.00 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 6.73 लाख) किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(08) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से छात्रावासों/विद्यालय का संचालन/ संस्थापन
[02] आश्रम छात्रावासों का संचालन

मू.	77,06.43	70,43.46	69,79.08
पु.	- 6,62.97		

₹ 6,62.97 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों, जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आश्रम छात्रावासों के संचालन में खाद्य सामग्री पर कम व्यय को आरोपित की गयी।

₹ 64.38 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(08) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से छात्रावासों/विद्यालय का संचालन/ संस्थापन
[03] माँ-बाडी केन्द्रों का संचालन

मू.	51,82.00	43,92.49	43,92.49
पु.	- 7,89.51		

31 मार्च 2019 को ₹ 7,89.51 लाख का प्रावधान माँ-बाडी केन्द्रों के संचालन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की फीस का पुर्नभरण			
मू.	63,00.00		
पु.	- 23,01.25	39,98.75	39,92.54
			- 6.21

31 मार्च 2019 को ₹ 23,01.25 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा में कटौती करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

₹ 6.21 लाख की अंतिम बचत कोषालयों द्वारा फीस के पुनर्भरण के बिलों को पारित नहीं करने के कारण रही।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(12) मिड डे मील			
[01] कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ			
मू.	1,61,90.00		
पु.	- 64,70.14	97,19.86	97,19.86
			..

31 मार्च 2019 को ₹ 64,70.14 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 63,45.39 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 1,24.75 लाख) किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[06] लड़कों के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	5,81,52.60		
पु.	- 1,53,38.18	4,28,14.42	4,28,04.62
			- 9.80

₹ 1,53,38.18 लाख की प्रत्याशित मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 9.80 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(10) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों में संचार सूचना एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा			
मू.	5,20.00		
पु.	- 2,84.55	2,35.45	2,35.45
			..

31 मार्च 2019 को ₹ 2,84.55 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(12) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को ट्रान्सपोर्ट वाउचर का वितरण			
मू.	2,43.00
पु.	- 2,43.00		
31 मार्च 2019 को ₹ 2,43.00 लाख का समस्त प्रावधान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना के साथ ट्रान्सपोर्ट वाउचर स्कीम को शामिल करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(17) जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत संचालित योजनाएं (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से)			
[02] खेल छात्रावासों का संचालन			
मू.	5,77.30	4,23.50	4,23.40
पु.	- 1,53.80		- 0.10
31 मार्च 2019 को ₹ 1,53.80 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(24) निरीक्षण			
[01] निरीक्षण कार्यालयों का संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	4,05.19	1,79.09	1,79.09
पु.	- 2,26.10		..
31 मार्च 2019 को ₹ 2,26.10 लाख का प्रावधान जिला शिक्षा कार्यालयों की पुर्नगठन के पश्चात् पदों में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सरकारी महाविद्यालय (पुरुषों के लिये)			
मू.	13,07.61	10,14.11	10,13.96
पु.	- 2,93.50		- 0.15
₹ 2,93.50 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति			
मू.	12,50.00		
		11,20.90	10,89.17
पु.	- 1,29.10		- 31.73

31 मार्च 2019 को ₹ 1,29.10 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 31.73 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019) ।

03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(11) सरकारी महाविद्यालय (पुरुषों के लिए)
[01] सरकारी महाविद्यालयों का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	35,79.32			
		32,32.92	32,32.77	- 0.15
पु.	- 3,46.40			

₹ 3,46.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019) ।

03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(12) गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा
[01] गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय को सहायतार्थ अनुदान

मू.	8,25.00			
		4,73.00	4,73.00	..
पु.	- 3,52.00			

31 मार्च 2019 को ₹ 3,52.00 लाख का प्रावधान विश्वविद्यालय में नियमित कर्मचारियों की भर्ती /पदस्थापन नहीं होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा भवन निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

04. प्रौढ़ शिक्षा
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(02) साक्षर भारत

मू.	6,03.68			
	
पु.	- 6,03.68			

31 मार्च 2019 को ₹ 6,03.68 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019) ।

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) अन्य अस्पताल			
मू.	8,64.72		
		6,66.05	6,66.05
पु.	- 1,98.67		..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,98.67 लाख का प्रावधान सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान नहीं होने तथा अनुबन्ध पर कार्यरत कार्मिकों को मानदेय का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) आयुर्वेद			
[02] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन			
मू.	11,32.00		
		8,80.00	8,80.00
पु.	- 2,52.00		..
31 मार्च 2019 को ₹ 2,52.00 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य आयुष समिति के निजी निक्षेप खातों में निधियों के हस्तान्तरण की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) टर्सरी कैंसर केयर सेंटर			
[01] झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी			
मू.	3,10.00		
	
पु.	- 3,10.00		..
31 मार्च 2019 को ₹ 3,10.00 लाख का समस्त प्रावधान पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन के लिए अनुदान जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019) ।			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(06) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[02] राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को अनुदान			
मू.	61,50.02		
		44,95.00	44,95.00
पु.	- 16,55.02		..
31 मार्च 2019 को ₹ 16,55.02 लाख का प्रावधान निःशुल्क दवा वितरण योजना के अन्तर्गत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की आयोजना सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(09) जन स्वास्थ्य बीमा योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	1,93,74.47	1,53,71.14	1,53,71.14
पु.	- 40,03.33		
31 मार्च 2019 को ₹ 40,03.33 लाख का प्रावधान स्वास्थ्य बीमा को 15 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर से छूट के कारण अनुदान कम जारी किये जाने तथा लाभार्थी परिवारों की वास्तविक संख्या अनुमान से कम होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 40,03.28 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 0.05 लाख) किया गया।			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(11) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण)			
[01] राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण)-प्रतिबद्ध			
मू.	7,56.78	3,53.04	3,52.55
पु.	- 4,03.74		
₹ 4,03.74 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।			
2211. परिवार कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[02] स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बूलेंस सेवा योजना			
मू.	13,29.22	11,73.00	11,73.00
पु.	- 1,56.22		
₹ 1,56.22 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(07) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन			
मू.	25,19.92	6,79.32	6,79.32
पु.	- 18,40.60		
31 मार्च 2019 को ₹ 18,40.60 लाख का प्रावधान योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[03] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	33,41.68		
		28,23.22	28,23.22
पु.	- 5,18.46		..

31 मार्च 2019 को ₹ 5,18.46 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(30) पर्यावरण और स्वास्थ्य निधि से व्यय			
[03] सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट			
मू.	2,22.75		
	
पु.	- 2,22.75		..

31 मार्च 2019 को ₹ 2,22.75 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

2017-18 के दौरान भी, समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(36) स्वच्छ भारत मिशन			
[03] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	5,95.94		
	
पु.	- 5,95.94		..

31 मार्च 2019 को ₹ 5,95.94 लाख का समस्त प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(39) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[03] सबके लिए आवास-जनजातिय क्षेत्र उपयोजना			
मू.	9,43.73		
		2.35	2.35
पु.	- 9,41.38		..

31 मार्च 2019 को ₹ 9,41.38 लाख का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी के लिए भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(42) 14 वें वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[06] 14 वें वित्त आयोग के तहत निष्पादन अनुदान			
मू.	8,79.11
पु.	- 8,79.11		
31 मार्च 2019 को ₹ 8,79.11 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[03] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	84,23.62	71,16.52	71,16.52
पु.	- 13,07.10		..
31 मार्च 2019 को ₹ 13,07.10 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(39) स्वच्छ भारत मिशन			
[03] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	14,03.76
पु.	- 14,03.76		
31 मार्च 2019 को ₹ 14,03.76 लाख का समस्त प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(41) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[03] सबके लिए आवास-अनुसूचित जनजातिय क्षेत्र उपयोगना			
मू.	27,63.30	6.29	6.29
पु.	- 27,57.01		..
31 मार्च 2019 को ₹ 27,57.01 लाख का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 27,15.56 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 41.45 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(46) 14 वें वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[06] 14 वें वित्त आयोग के तहत निष्पादन अनुदान			
मू.	21,87.19
पु.	- 21,87.19

31 मार्च 2019 को ₹ 21,87.19 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(47) पार्कों के विकास हेतु			
[03] जनजाति क्षेत्र उपयोगना			
मू.	1,75.00
पु.	- 1,75.00

31 मार्च 2019 को ₹ 1,75.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना के लागू नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) अनुसूचित जनजाति के लिए नागरिक सुरक्षा हेतु अनुदान			
मू.	8,00.00	3,90.78	3,89.38
पु.	- 4,09.22		- 1.40

₹ 8,00.00 लाख का प्रावधान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत मामलों के सम्बन्ध में तुरन्त सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2019 को ₹ 4,09.22 लाख, पीड़ितों को वास्तविक राहत प्रदान करने के अनुसार अभ्यर्पित किया गया।

02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) जनजाति उप-योजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[58] विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में डेयरी विकास कार्यक्रम			
मू.	5,00.00	1,50.00	1,50.00
पु.	- 3,50.00		..

31 मार्च 2019 को ₹ 3,50.00 लाख का प्रावधान डेयरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागमन कार्यक्रम (माडा)			
[19] विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत माडा क्षेत्र में डेयरी विकास कार्यक्रम			
मू.	2,61.00
पु.	- 2,61.00		
31 मार्च 2019 को ₹ 2,61.00 लाख का समस्त प्रावधान माडा क्षेत्र में डेयरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जन जाति उपयोजना, माडा एवं सहरिया के अलावा क्षेत्र के जन जाति समुदाय के विकास हेतु सहायता (वि.के.स.)			
[01] कृषि विकास परियोजना हेतु अनुदान (वि.के.स.)			
मू.	2,70.00
पु.	- 2,70.00		
31 मार्च 2019 को ₹ 2,70.00 लाख का समस्त प्रावधान बिखरी क्षेत्र में कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जन जाति उपयोजना, माडा एवं सहरिया के अलावा क्षेत्र के जन जाति समुदाय के विकास हेतु सहायता (वि.के.स.)			
[11] विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत बिखरी क्षेत्र में डेयरी विकास कार्यक्रम			
मू.	2,64.80
पु.	- 2,64.80		
31 मार्च 2019 को ₹ 2,64.80 लाख का समस्त प्रावधान बिखरी क्षेत्र में डेयरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[04] जन स्वास्थ्य हेतु अनुदान			
मू.	20,00.00	12,99.94	12,99.94
पु.	- 7,00.06		..
31 मार्च 2019 को ₹ 7,00.06 लाख का प्रावधान जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जन स्वास्थ्य हेतु अनुदान की बजट सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[44] सोलर लैम्प के लिए अनुदान			
मू.	10,00.00
पु.	- 10,00.00		
31 मार्च 2019 को ₹ 10,00.00 लाख का समस्त प्रावधान जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सोलर लैम्प के लिए अनुदान की बजट सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) बिखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[01] आश्रम छात्रावासों का संचालन हेतु अनुदान			
मू.	5,80.46	3,27.10	3,20.63
पु.	- 2,53.36		- 6.47
31 मार्च 2019 को ₹ 2,53.36 लाख का प्रावधान वेतन तथा भत्तों, आश्रम छात्रावासों के संचालन में खाद्य सामग्रियों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 6.47 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) सहरिया विकास (जनजाति कल्याण निधि)			
[03] आश्रम छात्रावासों का संचालन			
मू.	7,25.78	5,15.97	5,15.96
पु.	- 2,09.81		- 0.01
₹ 2,09.81 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों, सहरिया क्षेत्र में आश्रम छात्रावासों के संचालन में खाद्य सामग्रियों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) सहरिया विकास (जनजाति कल्याण निधि)			
[08] माँ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन हेतु अनुदान			
मू.	10,61.83	7,26.04	7,26.04
पु.	- 3,35.79		..
31 मार्च 2019 को ₹ 3,35.79 लाख का प्रावधान सहरिया क्षेत्र में माँ-बाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[02] बेस लाईन सर्वे			
मू.	2,00.00
पु.	- 2,00.00
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[06] प्रशासनिक व्यय, प्रशिक्षण, मॉनिटरिंग तथा एम.आई.एस. हेतु अनुदान			
मू.	2,00.00
पु.	- 2,00.00
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 4,00.00 लाख का समस्त प्रावधान इन योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनांतर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[01] आश्रम छात्रावासों का संचालन हेतु अनुदान			
मू.	20,07.22	11,62.99	11,16.68
पु.	- 8,44.23		- 46.31
₹ 8,44.23 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः प्रशिक्षण, यात्रा तथा सम्मेलनों, पोशाक तथा बिस्तरों, माडा क्षेत्र में आश्रम छात्रावासों के संचालन पर खाद्य सामग्रियों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
₹ 46.31 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[20] अनुसूचित जनजाति के बीपीएल परिवार को जन बीमा योजना हेतु सहायता (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना)			
मू.	7,02.00
पु.	- 7,02.00
31 मार्च 2019 को ₹ 7,02.00 लाख का समस्त प्रावधान सम्बन्धित विभागों से जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये फार्मेट के अनुसार डेटा प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[11] अनुसूचित जनजातियों के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन			
मू.	75,79.69		
		58,77.51	58,36.99
पु.	- 17,02.18		- 40.52

31 मार्च 2019 को ₹ 17,02.18 लाख का प्रावधान वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को विधवा पेंशन योजना में परिवर्तित किये जाने तथा इसके अनुसार पेंशन वितरण पर हुए कम विविध व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

₹ 40.52 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(02) मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
[03] अनुसूचित जनजातियों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन
सम्मान पेंशन योजना

मू.	3,81,00.21		
		3,62,75.34	3,60,61.67
पु.	- 18,24.87		- 2,13.67

31 मार्च 2019 को ₹ 18,24.87 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 2,13.67 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

2236. पोषण

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(03) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा
[02] ब्लाक/मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संस्थापन व्यय
जनजाति क्षेत्र उपयोगना

मू.	1,16,34.65		
		1,06,00.49	1,05,92.47
पु.	- 10,34.16		- 8.02

₹ 10,34.16 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) विभिन्न संग्रहों में पदों के रिक्त रहने, (ii) वित्त विभाग द्वारा अनुरक्षण तथा मरम्मत हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं करने तथा (iii) 21 परियोजना कार्यालय विलोपित किये जाकर उनके स्थान पर सृजित 21 नव परियोजना कार्यालय के आंगनबाड़ी केन्द्रों के कार्मिकों को राजपोषण सॉफ्टवेयर में डेटा अपडेशन कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण मानदेय का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी ।

₹ 8.02 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(03) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा
[08] सहयोगिनियों को मानदेय-प्रतिबद्ध

मू.	20,60.00		
		17,48.66	17,54.97
पु.	- 3,11.34		+ 6.31

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

31 मार्च 2019 को ₹ 3,11.34 लाख का प्रावधान 21 परियोजना कार्यालय विलोपित किये जाकर उनके स्थान पर सृजित 21 नव परियोजना कार्यालय के आंगनबाड़ी केन्द्रों के कार्मिकों को राजपोषण सॉफ्टवेयर में डेटा अपडेशन कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण मानदेय का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।

₹ 6.31 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[02] एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम			
मू.	9,54.01		
पु.	- 6,91.98	2,62.03	2,62.00
			- 0.03

₹ 6,91.98 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) लोकसभा एवं राज्य सभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण प्री-स्कूल किट, प्रारम्भिक बाल्यावस्था केयर (ई.सी.सी.) प्रशिक्षण, प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा (ई.सी.ई.) वर्क बुक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु वर्दियों की खरीद हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने, (ii) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु वर्दियों की खरीद का मामला विचाराधीन होने के कारण निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने तथा (iii) मेडीकल किट की खरीद के लिए केवल एक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण निविदा रद्द किये जाने के परिणामस्वरूप निविदा पुनः आमंत्रित की गयी लेकिन चुनाव की आचार संहिता लागू होने से वित्तीय प्रस्ताव खोले नहीं जाने के कारण औषध तथा दवा पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

2250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) तीर्थ यात्रा योजना			
[01] वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना			
मू.	2,02.50		
पु.	- 1,59.85	42.65	41.70
			- 0.95

31 मार्च 2019 को ₹ 1,59.85 लाख का प्रावधान वरिष्ठ नागरिकों हेतु तीर्थ यात्रा जो माह नवम्बर, 2018 तथा मार्च, 2019 में शुरू की जानी निर्धारित थी, का संचालन लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(02) ट्रस्ट द्वारा संचालित मंदिरों के पुनरुत्थान हेतु सहायता
[01] जनजाति क्षेत्र के मंदिर

मू.	3,24.00		
पु.	- 3,24.00
			..

31 मार्च 2019 को ₹ 3,24.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना विभाग द्वारा व्यय सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2401. फसल कृषि-कर्म
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु
[18] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन

मू.	23,68.11		
पु.	- 10,58.20	13,09.91	13,09.91
			..

31 मार्च 2019 को ₹ 10,58.20 लाख का प्रावधान जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[20] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटे अनाज			
मू.	3,78.68	1,35.59	1,35.59
पु.	- 2,43.09		
31 मार्च 2019 को ₹ 2,43.09 लाख का प्रावधान प्रत्येक फसल के प्रदर्शन पर अनुमानित से कम लागत तथा राज्य बीज निगम के स्तर पर जौ तथा मक्का के बीजों की अनुपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[21] राष्ट्रीय तिलहन मिशन-तिलहन			
मू.	4,92.85	3,28.00	3,27.99
पु.	- 1,64.85		
31 मार्च 2019 को ₹ 1,64.85 लाख का प्रावधान जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन पर कम व्यय होने तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस पर कोषालय द्वारा पारित बिलों का इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के माध्यम से बैंक द्वारा भुगतान नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[24] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि अभियांत्रिकी			
मू.	5,05.67	1,95.98	1,95.98
पु.	- 3,09.69		
31 मार्च 2019 को ₹ 3,09.69 लाख का प्रावधान ऑनलाइन आवेदन कम प्राप्त होने तथा माह मार्च, 2019 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[29] परम्परागत कृषि विकास योजना			
मू.	6,36.36	2,39.07	2,39.07
पु.	- 3,97.29		
31 मार्च 2019 को ₹ 3,97.29 लाख का प्रावधान खरीफ फसलों में भारत सरकार द्वारा जारी नये दिशा निर्देशों को लागू नहीं किये जाने क्योंकि इसे संशोधित किया गया तथा कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[01] बागवानी विकास			
मू.	4,45.47	1,64.41	1,64.41
पु.	- 2,81.06		

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

₹ 4,45.47 लाख का प्रावधान ग्रीन हाऊस की स्थापना के कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अनुमानित था। कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त प्रकार के कृषकों हेतु 2000 वर्ग मीटर के ग्रीन हाऊस की स्थापना पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि ₹ 10.00 लाख का अनुदान के रूप में स्वीकार्य था। यद्यपि, अन्य योजनाएं यथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना के अन्तर्गत अनुदान क्रमशः 70 प्रतिशत एवं 75 प्रतिशत स्वीकृत है जिसके कारण कृषकों द्वारा योजना के अन्तर्गत अधिक रुझान नहीं दिखाया गया परिणामतः ₹ 2,81.06 लाख का प्रावधान 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किया गया।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[03] राष्ट्रीय बागवानी मिशन			
मू.	9,52.71	5,92.00	5,92.00
पु.	- 3,60.71		

31 मार्च 2019 को ₹ 3,60.71 लाख का प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रीय अंश कम तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से
[04] प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु
(प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)

मू.	16,07.84	9,13.80	9,12.86	- 0.94
पु.	- 6,94.04			

31 मार्च 2019 को ₹ 6,94.04 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। भारत सरकार द्वारा ड्रिप संयंत्रों की प्रति इकाई लागत प्रचलित लागत से कम होने के कारण कृषकों को कम अनुदान स्वीकृत किये गये परिणामतः कृषकों द्वारा कम रुझान दर्शाया गया तथा कृषकों से ऑनलाइन आवेदन कम प्राप्त हुए।

796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना
(57) मिशन फॉर लिवलिहुड

मू.	7,12.50	4,04.40	4,04.40	..
पु.	- 3,08.10			

31 मार्च 2019 को ₹ 3,08.10 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना
(63) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना
[01] कृषि विभाग के माध्यम से

मू.	5,11.37	3,61.18	3,61.19	+ 0.01
अ.	0.02			
पु.	- 1,50.21			

₹ 1,50.21 लाख की प्रत्याशित बचत योजना के अन्तर्गत व्यय की प्रगति के अनुसार बजट सीमा में कटौती तथा माह मार्च, 2019 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने को आरोपित की गयी।

796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना
(63) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना
[02] बागवानी विभाग के माध्यम से

मू.	5,99.00	2,66.76	2,66.76	..
पु.	- 3,32.24			

31 मार्च 2019 को ₹ 3,32.24 लाख का प्रावधान योजना के अन्तर्गत व्यय की प्रगति के अनुसार बजट सीमा में कटौती तथा माह मार्च, 2019 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	37,86.05	9,52.10	9,52.09
पु.	- 28,33.95		- 0.01
₹ 28,33.95 लाख की प्रत्याशित बचत (i) लोक सभा तथा विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण प्रचार कार्यों के कम निष्पादन, (ii) माह मार्च, 2019 में कोषालयों द्वारा कुछ बिलों को पारित नहीं किये जाने तथा (iii) बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के माध्यम से कुछ बिलों का भुगतान नहीं करने को आरोपित की गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[02] बागवानी विभाग के द्वारा अनुदान जारी			
मू.	6,27.88	3,35.80	3,35.80
पु.	- 2,92.08		..
31 मार्च 2019 को ₹ 2,92.08 लाख का प्रावधान माह मार्च, 2019 में कोषालयों द्वारा कुछ बिलों को पारित नहीं किये जाने तथा बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के माध्यम से कुछ बिलों का भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(76) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	24,49.95	4,12.14	4,12.14
पु.	- 20,37.81		..
31 मार्च 2019 को ₹ 20,37.81 लाख का प्रावधान योजना के अन्तर्गत व्यय की प्रगति के अनुसार बजट सीमा में कटौती तथा माह मार्च, 2019 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(76) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[04] भू संरक्षण एवं जल ग्रहण विभाग के माध्यम से			
मू.	11,96.01
पु.	- 11,96.01		..
31 मार्च 2019 को ₹ 11,96.01 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा विभाग को निधियां सीधे ही हस्तान्तरण करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2403. पशु पालन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पशु पालन विभाग के अभिकरण से			
[26] मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना			
मू.	17,30.29	13,96.35	13,86.39
पु.	- 3,33.94		- 9.96
31 मार्च 2019 को ₹ 3,33.94 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 9.96 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु पालन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पशु पालन विभाग के अभिकरण से			
[31] पशु चिकित्सा केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू.	60,13.05		
पु.	- 7,25.53	52,87.52	52,65.08
			- 22.44
31 मार्च 2019 को ₹ 7,25.53 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 22.44 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) गोपालन विभाग			
[01] गौ-शालाओं को अनुदान			
मू.	50,00.00		
अ.	0.01	32,05.51	32,05.52
पु.	- 17,94.50		+ 0.01
31 मार्च 2019 को ₹ 17,94.50 लाख का प्रावधान चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण निधियों के आवंटन में देरी से गौ-शालाओं को अनुदान कम वितरित करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
797. आरक्षित निधियां/जमा लेखों को अन्तरण			
(02) राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि को अन्तरण			
[03] राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि के बजट			
शीर्ष 8229-00-104-(02) में अन्तरण			
मू.	50,00.00		
पु.	- 10,00.00	40,00.00	40,00.00
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 10,00.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) बाह्य सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी एवं जैव			
विविधता परियोजना फेज- II			
मू.	10,52.24		
पु.	- 3,02.24	7,50.00	7,50.00
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 3,02.24 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(33) सहकारी संस्थाओं को ब्याज अनुदान			
मू.	22,39.00		
पु.	- 1,93.00	20,46.00	20,46.00
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,93.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)			
वाटरशेड कम्पोनेंट			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	75,18.25		
पु.	- 34,88.25	40,30.00	40,30.00
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 34,88.25 लाख का प्रावधान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड कम्पोनेंट) के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 22,82.37 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 12,05.88 लाख) किया गया ।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
[02] अनुदान			
मू.	58,59.00		
पु.	- 34,26.35	24,32.65	24,32.65
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 34,26.35 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 22,98.24 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 11,28.11 लाख) किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना			
[02] अनुदान			
मू.	6,84.42		
पु.	- 6,12.04	72.38	72.38
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 6,12.04 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)			
[02] अनुदान			
मू.	18,23.15	22.50	22.50
पु.	- 18,00.65		..
31 मार्च 2019 को ₹ 18,00.65 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
2505. ग्राम रोजगार			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू.	3,33,47.02	2,85,52.19	2,85,52.19
पु.	- 47,94.83		..
31 मार्च 2019 को ₹ 47,94.83 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 40,34.08 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 7,60.75 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिए सहायता (कुल प्रावधान का 3 प्रतिशत)			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
मू.	20,57.22	15,80.20	15,80.20
पु.	- 4,77.02		..
31 मार्च 2019 को ₹ 4,77.02 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को संस्थापन व्यय हेतु			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
मू.	7,14.95	3,21.08	3,21.08
पु.	- 3,93.87		..
31 मार्च 2019 को ₹ 3,93.87 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(40) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	2,25,06.21		
पु.	- 83,66.96	1,41,39.25	1,41,39.25
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 83,66.96 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिये अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
मू.	82,28.88		
पु.	- 19,08.07	63,20.81	63,20.81
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 19,08.07 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(03) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
मू.	3,08,58.30		
पु.	- 83,44.60	2,25,13.70	2,25,13.70
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 83,44.60 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(33) 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	3,67,76.97		
पु.	- 1,83,88.49	1,83,88.48	1,83,88.48
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,83,88.49 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(34) 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	46,38.33
पु.	- 46,38.33		

31 मार्च 2019 को ₹ 46,38.33 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

2700. मुख्य सिंचाई			
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) यूनिट-II (नहर)-प्रतिबद्ध			
मू.	16,92.42	12,67.72	12,64.63
पु.	- 4,24.70		- 3.09

₹ 4,24.70 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्मिकों की सेवानिवृत्ति तथा पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों एवं मजदूरी पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	89,69.98	67,36.52	67,36.46
पु.	- 22,33.46		- 0.06

31 मार्च 2019 को ₹ 22,33.46 लाख का प्रावधान पूंजीगत लेखे पर ब्याज के कम समायोजन क्योंकि वर्ष के दौरान ब्याज की दर 10 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की कटौती किये जाने तथा सरकार के निर्णय के अनुसार केवल चालू परियोजनाओं पर ही ब्याज प्रभारित होगा अर्थात् वे परियोजनाओं जिन पर ऋण बकाया है तथा ब्याज की देयता है के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

2801. बिजली			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) उदय योजना के अन्तर्गत वितरण निगमों को सहायता			
[03] अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	5,58,08.52	4,56,48.52	4,56,48.52
पु.	- 1,01,60.00		..

₹ 5,58,08.52 लाख का प्रावधान उदय योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार वितरण कम्पनियों को दिये गये ऋण को सहाय्य में बदलने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड के अनुमान से कम ऋण को सहाय्य में बदलने के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2019 को ₹ 1,01,60.00 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) विद्युत दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	3,67,90.81		
पु.	- 46,68.78	3,21,22.03	3,21,22.03
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) विद्युत दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	5,97,25.15		
पु.	- 1,25,77.82	4,71,47.33	4,71,47.33
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) विद्युत दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	3,11,54.79		
पु.	- 28,85.65	2,82,69.14	2,82,69.14
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 2,01,32.25 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा शुल्क सहाय्य में कटौती करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(03) ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा विद्युतीकरण			
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से			
मू.	1,92.29		
पु.	- 1,92.29
₹ 1,92.29 लाख का प्रावधान भारत सरकार की <i>दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना</i> के अन्तर्गत <i>सोलर एनर्जी होम लाइट सिस्टम</i> के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान अक्षय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विद्युतीकरण हेतु अनुमानित था। योजना के अन्तर्गत भारत सरकार का मैचिंग अंश 75 प्रतिशत था। चूंकि भारत सरकार का हिस्सा 31 मार्च 2019 के बाद प्राप्त हुआ इसलिए राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी नहीं किये जा सकने के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2019 को ₹ 1,92.29 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(25) मुद्रा योजना के अन्तर्गत ब्याज अनुदान			
[01] ऋण पर ब्याज अनुदान			
मू.	10,00.00		
पु.	- 10,00.00
31 मार्च 2019 को ₹ 10,00.00 लाख का समस्त प्रावधान <i>मुद्रा व्यापार योजना</i> की व्यय सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसन्धान			
01. भारतीय सर्वेक्षण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(05) सरसेक/सेटकॉम नेटवर्क			
मू.	3,31.00
पु.	- 3,31.00
31 मार्च 2019 को ₹ 3,31.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)। 2017-2018 के दौरान भी, समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना			
मू.	3,00.00
पु.	- 3,00.00
31 मार्च 2019 को ₹ 3,00.00 लाख का समस्त प्रावधान वित्तीय संस्थानों से ऋण कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पर्यटक सूचना और प्रचार			
मू.	6,48.09	1,68.90	1,68.90
पु.	- 4,79.19
31 मार्च 2019 को ₹ 4,79.19 लाख का प्रावधान पर्यटक सूचना और प्रचार विपणन अभियान की धीमी गति होने तथा माह मार्च, 2019 में कोषालय द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[19] वाई-फाई हॉट स्पॉट			
मू.	7,00.00	5,15.00	5,15.00
पु.	- 1,85.00
31 मार्च 2019 को ₹ 1,85.00 लाख का प्रावधान मुख्यतः कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) भामाशाह योजना, 2014			
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
मू.	23,95.33		
अ.	2,36,80.00	1,77,87.28	..
पु.	- 82,88.05		

सितम्बर, 2018 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 2,36,80.00 लाख का प्रावधान *भामाशाह (स्वावलम्बन) योजना* के प्रचार पर होने वाले व्यय की पूर्ति तथा *भामाशाह योजना* के अन्तर्गत *राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम* के तहत चयनित परिवारों को डिजिटल शामिल किये जाने को बढ़ावा देने हेतु लिया गया जो अनुदान के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

₹ 82,88.05 लाख की प्रत्याशित बचत विधानसभा/ लोक सभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण बी.पी.एल./स्टेट बी.पी.एल./अन्त्योदय/अन्नपूर्णा परिवारों के खातों में राशि हस्तांतरित नहीं होने तथा *भामाशाह डिजिटल परिवार योजना* की राशि को भी हस्तान्तरित नहीं की जा सकने को आरोपित की गयी।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(09) जनजाति क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालिका)			
[02] बालिका के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	7,01.82		
		9,24.71	..
पु.	2,22.89		

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,22.89 लाख की अतिरिक्त निधियां 2012 में नियुक्त अध्यापकों के बकाया तथा सातवें वेतन आयोग के बकाया के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(14) राजस्थान दुग्ध पोषाहार कार्यक्रम (मिड डे मील)			
[01] विद्यार्थियों को दुग्ध पोषाहार			
मू.	35,00.00		
		93,50.00	..
पु.	58,50.00		

₹ 35,00.00 लाख का प्रावधान *अन्नपूर्णा दूध योजना* के अन्तर्गत एक सप्ताह में तीन दिन दूध की आपूर्ति हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात्, 31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 58,50.00 लाख की अतिरिक्त निधियां सप्ताह में छः दिनों के लिए योजना के विस्तार के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(06) अनुसूचित जन जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
[02] पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
मू.	58,40.00		
पु.	30,86.69	89,26.69	88,04.03
			- 1,22.66

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30,86.69 लाख की अतिरिक्त निधियां पात्र छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण उपलब्ध करायी गयी ।

₹ 1,22.66 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019) ।

02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[01] लड़कों के विद्यालय			
मू.	3,00,74.96		
पु.	42,93.71	3,43,68.67	3,43,56.24
			- 12.43

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 42,93.71 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों तथा सातवें वेतन आयोग के बकाया के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

₹ 12.43 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019) ।

02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(17) जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत संचालित योजनाएं (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से)			
[04] माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण			
मू.	19,29.00		
पु.	5,79.26	25,08.26	25,07.64
			- 0.62

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,79.26 लाख की अतिरिक्त निधियां माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक प्रोत्साहन पर हुए व्यय तथा मानदेय के भुगतान की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जनजाति कल्याण निधि अंतर्गत संचालित योजनाएं (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से)			
[02] महाविद्यालय स्तर के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण			
मू.	18,19.00		
पु.	1,80.84	19,99.84	19,98.60
			- 1.24

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,80.84 लाख की अतिरिक्त निधियां महाविद्यालय शिक्षा स्तर के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक प्रोत्साहन पर हुए व्यय तथा मानदेय के भुगतान की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जनजातीय क्षेत्र उप योजना-ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्र			
मू.	45,66.55		
अ.	0.01	52,70.43	52,68.64
पु.	7,03.87		- 1.79
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जनजातीय क्षेत्र उप योजना-ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[03] स्वास्थ्य उप केन्द्र			
मू.	23,14.34		
पु.	9,94.99	33,09.33	33,09.32
			- 0.01
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(05) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	20,14.79		
अ.	0.01	22,32.09	22,31.98
पु.	2,17.29		- 0.11
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(13) अन्य अस्पताल			
[01] अन्य अस्पताल-प्रतिबद्ध			
मू.	79,81.25		
पु.	8,97.77	88,79.02	88,78.51
			- 0.51
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 28,13.92 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के बकाया के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर			
मू.	6,00.00		
पु.	3,98.26	9,98.26	9,96.09
			- 2.17
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,98.26 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारियों को अध्ययन के लिए वजीफा का अधिक भुगतान के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[08] झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी को अनुदान			
मू.	21,89.71	25,41.51	25,41.51
पु.	3,51.80		..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,51.80 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन तथा भत्ते पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(07) निःशुल्क जांच योजना			
[01] निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	17,91.50	20,40.83	20,40.38
पु.	2,49.33		- 0.45
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,49.33 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के बकाया के भुगतान हेतु उपलब्ध उपलब्ध करायी गयी।			
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[04] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	2,25.79	4,04.40	4,04.40
पु.	1,78.61		..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,78.61 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(41) अन्नपूर्णा योजना			
[03] अनुसूचित जनजातियों के लिए उपयोजना			
मू.	1,13.04	4,22.63	4,22.63
पु.	3,09.59		..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,09.59 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(44) अन्नपूर्णा योजना			
[03] अनुसूचित जनजातियों के लिए उपयोजना			
मू.	68.06	15,72.28	15,72.28
पु.	15,04.22		
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,04.22 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(12) अनुसूचित जनजाति के निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार योजनान्तर्गत सहायता			
मू.	28,50.00	31,88.23	31,88.21
पु.	3,38.23		
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,38.23 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थी बच्चों की संख्या में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) सहरिया विकास (जनजाति कल्याण निधि)			
[04] आवासीय विद्यालयों का संचालन			
मू.	4,22.90	7,09.17	7,09.18
पु.	2,86.27		
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,86.27 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन तथा भत्तों पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[01] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन			
मू.	25,58.54	27,72.67	27,46.26
पु.	2,14.13		
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,14.13 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन तथा भत्तों पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 26.41 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[05] परियोजना निर्माण			
मू.	0.02	1,98.45	1,98.45
पु.	1,98.43		..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,98.43 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास

02. रोजगार सेवाएं
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना
(05) राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012
[01] बेरोजगारी भत्ता

मू.	2,50.00	5,21.85	5,21.86	+ 0.01
पु.	2,71.85			

₹ 2,50.00 लाख का प्रावधान *अक्षत योजना* के अन्तर्गत पुरुष लाभार्थियों को ₹ 650 प्रतिमाह तथा महिला और विशेष योग्यजन लाभार्थियों को ₹ 750 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ते के भुगतान हेतु अनुमानित था। फरवरी, 2019 में श्रम तथा रोजगार विभाग ने *मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना* प्रारम्भ की तथा मौजूदा बेरोजगारी भत्ते को पुरुष लाभार्थी ₹ 650 प्रतिमाह से ₹ 3,000 तथा महिला व विशेष योग्यजनों दोनों लाभार्थियों को प्रतिमाह ₹ 750 से ₹ 3,500 की वृद्धि की गई परिणामस्वरूप 31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,71.85 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी।

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02. समाज कल्याण
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु
[28] मुख्यमंत्री राजश्री योजना

मू.	29,31.00	48,93.00	48,93.00	..
पु.	19,62.00			

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,62.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[12] अनुसूचित जनजातियों के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन			
मू.	12,84.37		
पु.	16,97.47	29,81.84	29,63.89 - 17.95
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,97.47 लाख की अतिरिक्त निधियां अनुसूचित जनजातियों के पेंशनरों की संख्या में वृद्धि होने तथा वृद्धावस्था पेंशनरों को विधवा पेंशन योजना में हस्तान्तरण के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 17.95 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना			
[03] अनुसूचित जनजातियों के लिए मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना			
मू.	67,33.50		
पु.	1,42,48.68	2,09,82.18	2,08,51.50 - 1,30.68
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,42,48.68 लाख की अतिरिक्त निधियां अनुसूचित जनजातियों के पेंशनरों की संख्या में वृद्धि होने तथा वृद्धावस्था पेंशनरों को विधवा पेंशन योजना में हस्तान्तरण के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 1,30.68 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना			
[03] अनुसूचित जनजातियों के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना			
मू.	34,11.84		
पु.	11,74.19	45,86.03	45,59.18 - 26.85
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,74.19 लाख की अतिरिक्त निधियां पेंशनरों की संख्या में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 26.85 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[03] जल आयोजना हेतु अनुदान			
मू.	0.01		
पु.	1,50.38	1,50.39	1,50.39 ..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,50.38 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत डिग्गी, फार्म पॉण्ड और जल हॉज के निर्माण पर टॉप-अप अनुदान हेतु बजट भाषण 2018-19 में की गयी उद्घोषणा की अनुपालना में उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[27] टिकाउ खेती मिशन-मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन			
मू.	1,79.00	4,26.25	4,26.25
पु.	2,47.25		
			..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,47.25 लाख की अतिरिक्त निधियां अधिक मृदा नमूने की जाँच हेतु भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(41) नवाचार कार्यक्रम/मिनी किट वितरण			
मू.	1,61.00	32,66.11	32,66.10
पु.	31,05.11		
			- 0.01
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 31,05.11 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गयी उद्घोषणा की अनुपालना में जनजातीय उप-योजना क्षेत्र में मक्का मिनी किट वितरण हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[11] सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त सहायता			
मू.	10,78.00	14,95.57	14,95.57
पु.	4,17.57		
			..
योजनान्तर्गत प्रावधान 7,500 सौर ऊर्जा पम्प सेट की स्थापना हेतु अनुमानित था। यद्यपि, सौर ऊर्जा पम्प सेट की स्थापना के लक्ष्य में 11,500 तक की वृद्धि की गयी परिणामतः 31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,17.57 लाख की अतिरिक्त निधियां अनुसूचित जन जातियों हेतु विशिष्ट संघटक योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी।			
2425. सहकारिता			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(42) कृषि ऋण माफी योजना			
[01] राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (अपेक्स बैंक) के माध्यम से			
मू.	2,80,00.00	4,30,00.00	4,30,00.00
पु.	1,50,00.00		
			..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,50,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण			
[01] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (अनुसूचित जनजाति)			
मू.	5,23,06.80	10,22,55.05	10,22,55.05
अ.	22,02.42		
पु.	4,77,45.83		
			..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,77,45.83 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के लिए भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(25) ग्रामीण बी.पी.एल.आवास			
[03] जनजाति क्षेत्रीय उपयोजना में कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	75,01.50		
		88,33.14	88,33.14
पु.	13,31.64		..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,31.64 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(42) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां

मू.	0.02		
		3,84.12	3,84.12
पु.	3,84.10		..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,84.10 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

2801. बिजली
80. सामान्य
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(01) उदय योजना के अन्तर्गत वितरण निगमों को सहायता
[02] जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

मू.	5,39,00.53		
		6,40,60.53	6,40,60.53
पु.	1,01,60.00		..

₹ 5,39,00.53 लाख का प्रावधान उदय योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार वितरण कम्पनियों को दिये गये ऋण को सहाय्य में बदलने हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात्, 31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,01,60.00 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष के दौरान अनुमान से अधिक ऋणों को सहाय्य में बदलने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

80. सामान्य
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(03) बिजली शुल्क हेतु अनुदान
[03] अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता

मू.	63,21.70		
		70,76.23	70,76.23
पु.	7,54.53		..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,54.53 लाख की अतिरिक्त निधियां कर संग्रहण के अनुसार बिजली वितरण निगमों को सहाय्य जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
3055. सड़क परिवहन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू.	4,04.40	14,66.76	14,66.76
पु.	10,62.36		..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,62.36 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[03] जिला कार्यालय			
मू.	8,95.02	11,91.82	11,91.82
पु.	2,96.80		..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,96.80 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रशिक्षण तथा यात्रा इत्यादि पर अधिक व्यय के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
3456. सिविल पूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[02] अंत्योदय परिवार अन्न योजना			
मू.	12,30.04	16,34.99	15,81.05
पु.	4,04.95		- 53.94
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,04.95 लाख की अतिरिक्त निधियां उचित मूल्य दुकान वितरकों एवं बिक्री केन्द्र (पी ओ एस) मशीन के सम्बन्ध में देय कमीशन दर में ₹ 87 प्रति किंक्टल से ₹125 किंक्टल की बढ़ोतरी होने के कारण राज्य निधि से कमीशन के भुगतान पर अधिक व्यय की पूर्ति तथा जनवरी, 2019 में विधानसभा में अन्त्योदय, बी.पी.एल. एवं स्टेट बी.पी.एल. परिवारों को एक रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से गेहूँ वितरित करने की बजट घोषणा के अनुसार गेहूँ वितरण पर अधिक सब्सिडी की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 53.94 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[03] अंत्योदय परिवार अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों हेतु			
मू.	48,90.05	79,70.38	78,44.17
पु.	30,80.33		- 1,26.21
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30,80.33 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) उचित मूल्य दुकान डीलरों तथा बिक्री केन्द्र (पी.ओ.एस.) मशीन के सम्बन्ध में कमीशन की दर ₹ 87 प्रति किंक्टल से ₹125 किंक्टल बढ़ने के कारण राज्य निधि से तथा (ii) परिवहन, संग्रहण तथा वितरण पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 1,26.21 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

पूँजी

दत्तमत

1. सितम्बर, 2018 (₹ 50,00.19 लाख) तथा फरवरी, 2019 (₹ 0.07 लाख) में लिया गया ₹ 50,00.26 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 7,78,81.07 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 4,88.38 लाख अनुभ्यर्पित रही।
3. वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 6,15,84.56 लाख, ₹ 7,09,15.99 लाख, ₹ 3,34,35.00 लाख, ₹ 6,28,26.57 लाख तथा ₹ 7,78,81.07 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 7.14 प्रतिशत से 22.54 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) पुलिस आवास			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	13,27.43		
पु.	- 3,40.63	9,86.80	9,86.80 ..

31 मार्च 2019 को ₹ 3,40.63 लाख का प्रावधान कार्यकारी एजेन्सियों जैसे, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड तथा राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा की गई मांग के अनुसार निधियां जारी नहीं करने तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग को आहरण एवं वितरण शक्तियाँ अधिकृत नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

80. सामान्य

001. निदेशन तथा प्रशासन

(02) प्रतिशतता व्यय (जनजातीय क्षेत्र)

[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)

मू.	4,47.34			
पु.	- 3,14.72	1,32.62	1,33.70	+ 1.08

31 मार्च 2019 को ₹ 3,14.72 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना

(03) सामान्य भवन (जेल विभाग)

[02] अन्य भवन

मू.	23,81.42			
पु.	- 20,81.42	3,00.00	3,00.00	..

31 मार्च 2019 को ₹ 20,81.42 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) न्यायिक भवन (जनजाति क्षेत्र उपयोजना)			
मू.	22,10.19	12,01.01	12,01.01
पु.	- 10,09.18		..
31 मार्च 2019 को ₹ 10,09.18 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) महाविद्यालय शिक्षा			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	6,97.35	4,96.86	4,96.81
पु.	- 2,00.49		- 0.05
31 मार्च 2019 को ₹ 2,00.49 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
03. खेलकूद तथा युवा सेवा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) खेल विभाग के माध्यम से जिला संकुल			
मू.	6,20.02
पु.	- 6,20.02		..
31 मार्च 2019 को ₹ 6,20.02 लाख का समस्त प्रावधान वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में खेल विभाग से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण स्वीकृतियाँ जारी नहीं किये जाने तथा तत्पश्चात् विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण निधियां जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[01] स्वास्थ्य उप केन्द्रों का निर्माण			
मू.	16,86.00	5,92.00	5,92.00
पु.	- 10,94.00		..
31 मार्च 2019 को ₹ 10,94.00 लाख का प्रावधान (i) भूमि पर स्वामित्व विवाद, (ii) वर्ष के दौरान समय समय पर निधियों की अनुपलब्धता तथा (iii) अक्टूबर, 2018 से दिसम्बर, 2018 के दौरान चुनाव आचार संहिता लागू होने से निविदा प्रक्रिया में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू.	7,69.66		
		3,13.02	3,13.01
पु.	- 4,56.64		- 0.01

31 मार्च 2019 को ₹ 4,56.64 लाख का प्रावधान (i) चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण नए और प्रतिबद्ध कार्यों की स्वीकृति देरी से प्राप्त होने तथा (ii) कोषालय द्वारा ₹ 3,64.66 लाख के बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर			
मू.	9,50.00		
		6,45.43	6,45.43
पु.	- 3,04.57		..

31 मार्च 2019 को ₹ 3,04.57 लाख का प्रावधान महाविद्यालय में लघु कार्यों के कम निष्पादन होने तथा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण महाविद्यालय तथा संलग्न चिकित्सालयों में नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्य का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर			
मू.	13,10.00		
		8,11.27	8,11.27
पु.	- 4,98.73		..

₹ 4,98.73 लाख की प्रत्याशित बचत तकनीकी स्तर पर निविदा रद्द होने तथा तत्पश्चात् विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण कैथ लैब मशीन की खरीद नहीं होने को आरोपित की गयी।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर			
मू.	5,09.02		
		36.23	36.23
पु.	- 4,72.79		..

31 मार्च 2019 को ₹ 4,72.79 लाख का प्रावधान (i) ₹ 1,40.00 लाख के निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, (ii) ₹ 2,10.00 लाख के निर्माण कार्यों की स्वीकृति देरी से जारी किये जाने तथा तत्पश्चात् चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण तथा (iii) कैथ लैब हॉल का निर्माण नहीं होने क्योंकि ₹ 1,50.00 लाख के कैथ लैब उपकरण नहीं खरीदने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परियोजना			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर			
मू.	38,45.19		
पु.	- 27,10.84	11,34.35	11,34.36 + 0.01

31 मार्च 2019 को ₹ 27,10.84 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा			
मू.	8,14.63		
पु.	- 4,07.27	4,07.36	4,07.36 ..

31 मार्च 2019 को ₹ 4,07.27 लाख का प्रावधान (i) ₹ 20.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों पर कम व्यय करने, (ii) मशीनों तथा उपकरणों की खरीद नहीं होने तथा (iii) कोषालय द्वारा उपकरण खरीद से सम्बन्धित बिलों का भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट			
[01] एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	2,60.00		
अ.	0.02
पु.	- 2,60.02		

₹ 2,60.02 लाख का प्रावधान स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट के लिए उपकरणों की खरीद हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2019 को ₹ 2,60.02 लाख का समस्त प्रावधान एक निविदा प्राप्त होने तथा आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण निधियों का उपयोग नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू.	14,17.02		
पु.	- 14,17.02

31 मार्च 2019 को ₹ 14,17.02 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से महाविद्यालय में यू.जी. सीट्स में 150 से 250 की वृद्धि होने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
मू.	14,17.02
पु.	- 14,17.02
<p>₹ 14,17.02 लाख का प्रावधान केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत एम. बी. बी. एस. की 100 सीटों की वृद्धि से चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर में निर्माण कार्य हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2019 को ₹ 14,17.02 लाख का समस्त प्रावधान तकनीकी अनुमान/ड्राइंग तथा निर्माण कार्य की डिजाइन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होने के साथ साथ राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड से समझौता ज्ञापन प्रगति पर होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
[02] 2215-जलपूर्ति और सफाई-01-102 से स्थानान्तरित ग्रामीण योजनाओं के लिये संधारण-प्रतिशतता व्यय (ओ.एण्ड एम.)			
मू.	46,08.07	22,13.41	22,13.41
पु.	- 23,94.66
<p>31 मार्च 2019 को ₹ 23,94.66 लाख का प्रावधान प्रतिशतता व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।</p>			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
[01] ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
मू.	93,63.58	66,42.10	65,48.98
पु.	- 27,21.48	..	- 93.12
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[04] बीसलपुर-दूदू जलप्रदाय (नाबार्ड)			
मू.	5,63.45	4,04.15	4,04.15
पु.	- 1,59.30

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[15] टोंक, उनियारा और देवली को बीसलपुर बांध से जलप्रदाय योजना			
मू.	7,66.36		
पु.	- 5,43.33	2,23.03	2,23.03
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[22] फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू.	6,27.73		
पु.	- 3,80.52	2,47.21	1,97.95
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[37] ब्यावर जवाजा क्लस्टर योजना			
मू.	8,69.95		
पु.	- 3,25.18	5,44.77	5,44.77
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[40] जवाई क्लस्टर परियोजना- II			
मू.	5,18.39		
पु.	- 3,40.23	1,78.16	1,78.16
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[41] बीसलपुर-दूदू परियोजना चाकसू, फागी एवं बरसी			
मू.	6,74.93		
पु.	- 4,04.38	2,70.55	2,70.31
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[47] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेज- I पार्ट- II			
मू.	12,08.62		
पु.	- 3,30.77	8,77.85	8,77.85

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[59] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डी.डी.पी.)			
मू.	15,20.00		
पु.	- 12,24.02	2,95.98	2,81.84
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[60] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जल गुणवत्ता के लिए 5 प्रतिशत निश्चित राशि			
मू.	6,08.00		
पु.	- 5,43.77	64.23	37.69
उपरोक्त दस शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 69,72.98 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
शीर्ष "4215-01-796(01) [01], [22], [59] एवं [60]" के अंतर्गत ₹ 1,83.06 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[24] डीग जलपूर्ति योजना			
मू.	9,86.13		
पु.	- 1,58.81	8,27.32	8,27.32
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[27] बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-2			
मू.	9,86.12		
पु.	- 9,86.12
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[30] चम्बल-बालेर सवाई माधोपुर जलप्रदाय योजना			
मू.	5,63.63		
पु.	- 3,98.06	1,65.57	1,63.39

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[34] बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-2 पार्ट-बी (68 गांवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	4,50.91		
पु.	- 3,93.03	57.88	57.88
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[35] बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-2 पार्ट-सी (473 गांवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	13,21.52		
पु.	- 1,66.51	11,55.01	11,55.01
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[38] गागरिन जल पूर्ति योजना			
मू.	9,01.62		
पु.	- 1,93.51	7,08.11	7,08.11
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[43] बारां क्लस्टर परियोजना			
मू.	5,01.55		
पु.	- 1,56.09	3,45.46	3,45.46
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[49] बांसवाडा प्रतापगढ जलपूर्ति परियोजना			
मू.	11,92.65		
पु.	- 3,19.08	8,73.57	8,73.57

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परियोजना			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[51] नर्मदा परियोजना-क्लस्टर (डी.आर.)			
मू.	9,12.95		
पु.	- 3,04.31	6,08.64	6,08.64
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[52] इसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	11,75.00		
पु.	- 2,51.73	9,23.27	9,23.27
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[54] नर्मदा से शिव तहसील जिला बाड़मेर जलपूर्ति परियोजना (205 गांव)			
मू.	16,91.61		
पु.	- 7,17.12	9,74.49	9,74.49
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[57] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांव हेतु जलपूर्ति परियोजना			
मू.	6,19.99		
पु.	- 2,54.29	3,65.70	3,65.70
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[58] पांचला-देवरा-चिराई जलपूर्ति योजना			
मू.	6,62.11		
पु.	- 1,79.27	4,82.84	4,82.84

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[75] जाखम बांध से जिला प्रतापगढ के गाँवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)			
मू.	5,07.26
पु.	- 5,07.26		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[79] अंता-मांगरोल तहसील जिला बांरा की सोनवा पेयजल परियोजना			
मू.	4,50.90	2,95.28	2,95.28
पु.	- 1,55.62		..
उपरोक्त पन्द्रह शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 51,40.81 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम/नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[80] झालीजी का बराना पेयजल परियोजना			
मू.	2,60.00
पु.	- 2,60.00		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[81] गरडदा पेयजल परियोजना			
मू.	2,60.00
पु.	- 2,60.00		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[82] कछावन पेयजल परियोजना			
मू.	2,60.00
पु.	- 2,60.00		

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 7,80.00 लाख का समस्त प्रावधान परियोजनाओं के लागू नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[16] नागौर लिफ्ट कैनाल फेज- II			
मू.	66,15.00		
पु.	- 27,04.12	39,10.88	39,10.88
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 27,04.12 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[02] अन्य शहरी पेयजल योजनाएं			
मू.	42,67.60		
पु.	- 10,01.08	32,66.52	32,54.97
			- 11.55
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[06] चम्बल-बालेर-सवाईमाधोपुर जलप्रदाय परियोजना			
मू.	6,75.00		
पु.	- 4,43.73	2,31.27	2,11.73
			- 19.54
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[13] शहरी जलप्रदाय योजना जोधपुर के पुनर्गठन का कार्य			
मू.	16,47.00		
पु.	- 5,38.94	11,08.06	11,06.76
			- 1.30
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[15] नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज-II			
मू.	12,15.00		
पु.	- 4,13.64	8,01.36	8,01.36
			..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[27] फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू.	3,37.50		
		56.25	56.25
पु.	- 2,81.25		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[29] पोकरण-फलसूंड जलप्रदाय परियोजना (शहरी)			
मू.	10,76.53		
		5,73.17	5,67.11
पु.	- 5,03.36		- 6.06
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[34] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाईप लाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू.	7,60.00		
		3,60.52	3,60.52
पु.	- 3,99.48		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[43] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांव हेतु जलपूर्ति परियोजना			
मू.	3,37.50		
		1,46.26	1,46.26
पु.	- 1,91.24		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[45] इसरदा बाँध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	6,75.00		
		4,05.00	4,05.00
पु.	- 2,70.00		..

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[46] चम्बल, धौलपुर, भरतपुर परियोजना फेज-प्रथम, पार्ट - II (शहरी)			
मू.	6,75.00		
पु.	- 5,34.08	1,40.92	1,40.92
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[54] बत्तीसा नाले पर बाँध बनाकर सिरोही जिले हेतु पेयजल योजना (शहरी)			
मू.	4,55.00		
पु.	- 2,27.50	2,27.50	2,27.50
उपरोक्त ग्यारह शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 48,04.30 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
शीर्ष "4215-01-796(02) [02], [06] एवं [29]" के अंतर्गत ₹ 37.15 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[58] बीसलपुर-जयपुर जलप्रदाय परियोजना-द्वितीय चरण (शहरी)			
मू.	24,00.00		
पु.	- 23,25.00	75.00	75.00
31 मार्च 2019 को ₹ 23,25.00 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 21,98.47 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 1,26.53 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) शहरी जन सहभागी योजना			
मू.	3,37.00		
पु.	- 2,54.34	82.66	82.66
31 मार्च 2019 को ₹ 2,54.34 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) शहरी सड़कें एवं नालियाँ आदि (आर.ओ.बी.)			
[01] विभिन्न शहरी निकायों के लिए			
मू.	8,76.20		
पु.	- 6,29.20	2,47.00	2,47.00

31 मार्च 2019 को ₹ 6,29.20 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

04. गन्दी बस्तियों का विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राजीव आवास योजना स्लम मुक्त भारत हेतु			
मू.	10,37.52		
पु.	- 5,53.84	4,83.68	4,83.68

₹ 5,53.84 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[03] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	12,00.00		
पु.	- 6,00.00	6,00.00	6,00.00

31 मार्च 2019 को ₹ 6,00.00 लाख का प्रावधान एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं नवीनीकरण के लिए भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[19] टी.ए.डी. के अतिरिक्त भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण			
मू.	6,85.89		
पु.	- 2,85.89	4,00.00	4,00.00

31 मार्च 2019 को ₹ 2,85.89 लाख का प्रावधान टी.ए.डी. के अतिरिक्त भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण के लिए भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[20] धारा 275(1) अन्तर्गत माँ बाड़ी केन्द्रों का निर्माण, सुविधाओं का विस्तार एवं नवीनीकरण			
मू.	6,60.00	2,50.00	2,50.00
पु.	- 4,10.00		..
31 मार्च 2019 को ₹ 4,10.00 लाख का प्रावधान माँ-बाड़ी केन्द्रों का निर्माण, सुविधाओं का विस्तार एवं नवीनीकरण के लिए भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[21] धारा 275 (1) अन्तर्गत चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू.	3,75.00
पु.	- 3,75.00		..
31 मार्च 2019 को ₹ 3,75.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत के संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, निर्माण एवं नवीनीकरण के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) बिखरी जनजाति क्षेत्र में पूंजीगत कार्य (वि.के.स.)			
[04] बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना			
मू.	2,00.00
पु.	- 2,00.00		..
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) माडा क्षेत्र में पूंजीगत कार्य (वि.के.स.)			
[03] जन जाति बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना			
मू.	2,00.00
पु.	- 2,00.00		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 4,00.00 लाख का समस्त प्रावधान बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ने के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया था।

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[02] जनजाति के छात्रों/छात्राओं के छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	17,50.00		
पु.	- 5,65.54	11,84.46	11,84.46
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 5,65.54 लाख का प्रावधान जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत आवश्यकता के अनुसार जनजाति के छात्रों/छात्राओं के छात्रावास भवन निर्माण के लिए निधियां जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[11] राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त कमरों का निर्माण			
मू.	3,00.00		
पु.	- 3,00.00
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 3,00.00 लाख का समस्त प्रावधान जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत आवश्यकता के अनुसार राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए निधियों को जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[14] माँ-बाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण			
मू.	6,60.00		
पु.	- 3,30.00	3,30.00	3,30.00
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 3,30.00 लाख का प्रावधान जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माँ-बाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण की कम आवश्यकता होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[28] धार्मिक स्थलों पर आधारभूत निर्माण कार्य			
मू.	2,00.00		
पु.	- 2,00.00
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत आवश्यकता के अनुसार धार्मिक स्थलों पर आधारभूत निर्माण कार्य हेतु निधियां जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[29] छात्रावासों में क्षमता वृद्धि हेतु निर्माण कार्य			
मू. 2,00.00			
पु. - 1,93.32	6.68	6.68	..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,93.32 लाख का प्रावधान जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत आवश्यकता के अनुसार छात्रावासों में क्षमता वृद्धि हेतु व्यय में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[32] सड़क एवं पुलिया निर्माण			
मू. 4,38.00			
पु. - 2,78.68	1,59.32	1,59.32	..
31 मार्च 2019 को ₹ 2,78.68 लाख का प्रावधान जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत आवश्यकता के अनुसार सड़क एवं पुलिया के निर्माण के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(21) माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[02] छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू. 1,60.00			
पु. - 1,60.00
31 मार्च 2019 को ₹ 1,60.00 लाख का समस्त प्रावधान जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत आवश्यकता के अनुसार माडा क्षेत्र में छात्रावासों के निर्माण कार्य हेतु निधियों को जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2017-18 के दौरान भी समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर व्यय कम/नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया था।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(22) बिखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[02] छात्रावास भवनों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू. 3,20.00			
पु. - 2,03.45	1,16.55	1,16.55	..
31 मार्च 2019 को ₹ 2,03.45 लाख का प्रावधान जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत आवश्यकता के अनुसार बिखरी क्षेत्र में छात्रावासों के निर्माण हेतु व्यय में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(24) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु पूंजीगत निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[02] टी.ए.डी. भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण			
मू.	10,90.01	5,04.00	5,04.00
पु.	- 5,86.01		..
31 मार्च 2019 को ₹ 5,86.01 लाख का प्रावधान विशिष्ट केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत टी.ए.डी. भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण हेतु भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(27) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[01] छात्रों के छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	7,00.01	2,99.98	2,99.98
पु.	- 4,00.03		..
31 मार्च 2019 को ₹ 4,00.03 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में देरी, बजरी की अनुपलब्धता तथा तदनुसार कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) आंगनबाडी केन्द्र अपग्रेडेशन एवं रख रखाव मय क्रेच निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अंतर्गत			
मू.	2,50.01
पु.	- 2,50.01		..
31 मार्च 2019 को ₹ 2,50.01 लाख का समस्त प्रावधान वित्त विभाग द्वारा जिले में जलापूर्ति तथा शौचालय के लिए वित्तीय स्वीकृति विलम्ब से अर्थात् 27.03.2019 को जारी किये जाने तथा तदनुसार चुनाव आचार संहिता लागू होने से जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में निधियां हस्तान्तरित नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) नवीन आई.टी.आई. के भवन निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	9,23.67	6,13.72	6,13.72
पु.	- 3,09.95		..
31 मार्च 2019 को ₹ 3,09.95 लाख का प्रावधान बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) कृषि विभाग के भवन निर्माण			
[04] जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से			
मू.	5,65.90
पु.	- 5,65.90
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) कृषि विभाग के भवन निर्माण			
[05] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	3,88.50
पु.	- 3,88.50
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) कृषि विभाग के भवन निर्माण			
[07] जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
मू.	3,80.00
पु.	- 3,80.00
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 13,34.40 लाख का समस्त प्रावधान बजट सीमा में कटौती तथा माह मार्च, 2019 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य			
मू.	8,44.25	4,08.26	4,08.26
पु.	- 4,35.99		..
31 मार्च 2019 को ₹ 4,35.99 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम			
[01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	60,75.00	30,37.50	30,37.50
पु.	- 30,37.50		..

31 मार्च 2019 को ₹ 30,37.50 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में योजना से सम्बन्धित अवशेष राशि की पर्याप्त उपलब्धता के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से			
[01] जिला परिषदों/पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु			
मू.	2,70.00		
पु.	- 1,82.25	87.75	87.75
31 मार्च 2019 को ₹ 1,82.25 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			..
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(13) गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना			
[01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	16,75.80
पु.	- 16,75.80
31 मार्च 2019 को ₹ 16,75.80 लाख का समस्त प्रावधान जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में योजना में पिछले वर्षों की निधियों की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. डांग जिले			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[01] डांग क्षेत्र का विकास			
मू.	7,14.00	3,62.22	3,62.22
पु.	- 3,51.78		..
31 मार्च 2019 को ₹ 3,51.78 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			..
02. पिछड़े क्षेत्र			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[01] मेवात क्षेत्र का विकास			
मू.	7,17.00
पु.	- 7,17.00
31 मार्च 2019 को ₹ 7,17.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में मेवात क्षेत्र के विकास योजना से सम्बन्धित अवशेष राशि की पर्याप्त उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			..

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[02] मगरा क्षेत्र का विकास			
मू.	7,12.00		
पु.	- 3,49.04	3,62.96	3,62.96
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 3,49.04 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में मगरा क्षेत्र के विकास योजना से सम्बन्धित अवशेष राशि की पर्याप्त उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. पिछड़े क्षेत्र			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[04] श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन (राष्ट्रीय रूबर्न मिशन)			
मू.	15,07.00		
पु.	- 6,26.31	8,80.69	8,80.69
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 6,26.31 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. सीमा क्षेत्र विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	27,21.00		
पु.	- 3,75.43	23,45.57	23,45.57
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 3,75.43 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में सीमा क्षेत्र विकास योजना से सम्बन्धित अवशेष राशि की पर्याप्त उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से			
[01] दाईं मुख्य नहर			
मू.	7,28.00		
पु.	- 3,39.20	3,88.80	3,88.80
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 3,39.20 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा साख सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से			
[02] बाई मुख्य नहर			
मू.	6,00.00	2,98.58	2,98.58
पु.	- 3,01.42		..
31 मार्च 2019 को ₹ 3,01.42 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा साख सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	1,60,32.29	1,20,72.00	1,20,72.00
पु.	- 39,60.29		..
31 मार्च 2019 को ₹ 39,60.29 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
34. धौलपुर लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	21,00.00	6,99.96	6,99.96
पु.	- 14,00.04		..
31 मार्च 2019 को ₹ 14,00.04 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
43. अनास बांध पर अपर हाई लेवल कैनाल (माही नदी) (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	10,00.00
पु.	- 10,00.00		..
44. हाई लेवल कैनाल ऑन नांगलिया पिकअप वियर (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	10,00.00
पु.	- 10,00.00		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 20,00.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
45. अपर हाई लेवल कैनाल ऑन माही डैम (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	30,00.00
पु.	- 30,00.00		
31 मार्च 2019 को ₹ 30,00.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया ।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[01] राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रैक्चरिंग प्रोजेक्ट फोर डेजर्ट एरिया			
मू.	69,00.00	29,21.64	29,21.64
पु.	- 39,78.36		..
31 मार्च 2019 को ₹ 39,78.36 लाख का प्रावधान इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आधुनिकीकरण तथा नवीनीकरण की बजट सीमा में कटौती के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया ।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) तकली परियोजना			
मू.	2,80.00	35.00	35.00
पु.	- 2,45.00		..
72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) गागरिन परियोजना			
मू.	2,80.00	49.07	49.07
पु.	- 2,30.93		..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 4,75.93 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
73. हाथिया देह परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) निदेशन एवं प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	2,10.00
पु.	- 2,10.00		
31 मार्च 2019 को ₹ 2,10.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(11) परियोजनाओं का पुनर्जीवन/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण			
मू.	8,83.96	3,81.00	3,81.00
पु.	- 5,02.96		..
31 मार्च 2019 को ₹ 5,02.96 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(12) लघु सिंचाई निर्माण (फोर वॉटर कन्सेप्ट)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	9,80.00	7,57.98	7,57.35
पु.	- 2,22.02		- 0.63
31 मार्च 2019 को ₹ 2,22.02 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(03) क्षेत्रीय विकास आयुक्त चम्बल, कोटा के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य			
मू.	2,84.23	39.31	36.45
पु.	- 2,44.92		- 2.86
31 मार्च 2019 को ₹ 2,44.92 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा सिंचाई अन्तर को पूरा करने की प्रोत्साहन परियोजना के दिशा निर्देश जारी नहीं होने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	69,30.00	51,69.78	51,69.78
पु.	- 17,60.22		..
31 मार्च 2019 को ₹ 17,60.22 लाख का प्रावधान निवेश सीमा में कटौती करने के परिणामस्वरूप बिजली कम्पनियों में कम निवेश के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	43,80.00		
पु.	- 18,39.00	25,41.00	25,41.00
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 18,39.00 लाख का प्रावधान निवेश सीमा में कटौती करने के परिणामस्वरूप बिजली कम्पनियों में कम निवेश के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	26,04.35		
पु.	- 8,52.12	17,52.23	17,52.23
			..
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	25,35.20		
पु.	- 10,42.74	14,92.46	14,92.46
			..
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	17,35.46		
पु.	- 4,22.18	13,13.28	13,13.28
			..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 23,17.04 लाख का प्रावधान निवेश सीमा में कटौती करने के परिणामस्वरूप बिजली कम्पनियों में कम निवेश के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[01] खनन क्षेत्रों में सड़क निर्माण, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	38,00.00		
पु.	- 18,89.56	19,10.44	19,10.27
			- 0.17
31 मार्च 2019 को ₹ 18,89.56 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खनन उपागमन सड़कों के निर्माण/सुदृढीकरण के कार्यों का कम निष्पादन होने तथा व्यय सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[02] खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से			
मू.	1,96.00
पु.	- 1,96.00		
31 मार्च 2019 को ₹ 1,96.00 लाख का समस्त प्रावधान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यय नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2017-18 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) लघु जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण व जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	35,78.76	4,76.25	4,71.09
पु.	- 31,02.51		- 5.16
31 मार्च 2019 को ₹ 31,02.51 लाख का प्रावधान सड़क कार्यों के कम निष्पादन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 5.16 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एस.एच.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	49,20.80	26,85.33	26,85.33
पु.	- 22,35.47		..
31 मार्च 2019 को ₹ 22,35.47 लाख का प्रावधान सड़क कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एस.एच.)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	3,93.66	2,14.82	2,14.75
पु.	- 1,78.84		- 0.07
31 मार्च 2019 को ₹ 1,78.84 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें			
मू. 94,36.00	54,88.05	54,88.05	..
पु. - 39,47.95			
31 मार्च 2019 को ₹ 39,47.95 लाख का प्रावधान सड़क कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) शहरी सड़कें			
मू. 7,15.75	4,75.69	4,64.75	- 10.94
पु. - 2,40.06			
31 मार्च 2019 को ₹ 2,40.06 लाख का प्रावधान सड़क निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 10.94 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[12] सड़क उन्नयन परियोजना (तृयोविंशतितमः)			
मू. 53,68.14	28,30.31	28,30.27	- 0.04
पु. - 25,37.83			
31 मार्च 2019 को ₹ 25,37.83 लाख का प्रावधान सड़क निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) ग्रामीण सड़कें			
मू. 2,15,64.60	1,72,71.86	1,72,66.60	- 5.26
पु. - 42,92.74			
31 मार्च 2019 को ₹ 42,92.74 लाख का प्रावधान सड़क निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 5.26 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(15) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना			
[01] ग्रामीण सम्पर्क सड़कें			
मू.	13,27.43	6,09.42	5,67.47
पु.	- 7,18.01		- 41.95
31 मार्च 2019 को ₹ 7,18.01 लाख का प्रावधान सड़क निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 41.95 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
[01] ग्रामीण सम्पर्क सड़कें			
मू.	1,35,30.00	1,20,96.10	1,20,96.10
पु.	- 14,33.90		..
₹ 14,33.90 लाख की प्रत्याशित बचत सड़क निर्माण कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) हवाई पट्टियों का विस्तार एवं निर्माण			
मू.	8,73.11	5,22.08	5,22.08
पु.	- 3,51.03		..
31 मार्च 2019 को ₹ 3,51.03 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) प्रतिशतता व्यय (जनजातीय क्षेत्र की सड़कें)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	33,36.70	25,90.72	25,76.29
पु.	- 7,45.98		- 14.43
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) प्रतिशतता व्यय (जनजातीय क्षेत्र की सड़कें)			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	12,51.28	9,71.52	9,66.11
पु.	- 2,79.76		- 5.41

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(02) प्रतिशतता व्यय (जनजातीय क्षेत्र की सड़के)			
[93] औजार तथा संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	8,34.18		
पु.	- 1,86.50		
	6,47.68	6,44.07	- 3.61
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 12,12.24 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 23.45 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू.	14,00.00		
पु.	- 10,18.27		
	3,81.73	3,81.73	..
31 मार्च 2019 को ₹ 10,18.27 लाख का प्रावधान (i) ईको टूरिज्म बर्ड पार्क तथा मेवाड़ कॉम्प्लेक्स, उदयपुर के लिए पिछले वर्ष आवण्टित की अवशेष राशि का उपयोग किये जाने तथा (ii) माही डेम पर आइसलैण्ड के विकास के लिए वित्त विभाग की सहमति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(03) ग्रामीण पर्यटन का विकास			
मू.	3,80.00		
पु.	- 3,60.03		
	19.97	19.97	..
31 मार्च 2019 को ₹ 3,60.03 लाख का प्रावधान (i) संग्रहालय और पुरातत्व विभाग द्वारा बत्तीस खंभों की छतरी, भीलवाड़ा में कार्यों के कम निष्पादन, (ii) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मथुरेश्वर मन्दिर, कोटा द्वारा लागत प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने, (iii) चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण नये विकास कार्यों के सम्बन्ध में निविदा प्रक्रिया में देरी होने तथा (iv) माह मार्च, 2019 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(04) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए.डी.बी.)			
मू.	12,60.01		
पु.	- 4,01.88		
	8,58.13	8,58.13	..
₹ 12,60.01 लाख का प्रावधान राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिये एशियन विकास बैंक द्वारा ऋण प्राप्त होने की प्रत्याशा में अनुमानित था। यद्यपि, अनुमान से वास्तविक ऋण कम प्राप्त होने के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2019 को ₹ 4,01.88 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] राजस्थान इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू.)			
मू.	19,90.80		
		16,16.88	16,16.88
पु.	- 3,73.92		..

31 मार्च 2019 को ₹ 3,73.92 लाख का प्रावधान राजस्थान इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना के लिए के.एफ.डब्ल्यू. से कम ऋण प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर			
पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(12) सर्व शिक्षा अभियान (शिक्षा गारन्टी योजना)			
[01] सर्व शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य			
मू.	27,00.00		
		31,22.62	31,22.62
पु.	4,22.62		..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,22.62 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(19) नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIV के तहत माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
[01] राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
अ.	0.01		
		24,30.00	24,30.00
पु.	24,29.99		..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24,29.99 लाख की अतिरिक्त निधियां नाबार्ड के तहत विद्यालयों में आधारभूत ढांचे के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[02] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	10,00.00		
पु.	7,51.00	17,51.00	17,51.00
			..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,51.00 लाख की अतिरिक्त निधियां नाबार्ड के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण में त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[23] नागौर लिफ्ट कैनाल फेज-प्रथम			
मू.	6,80.41		
पु.	7,85.95	14,66.36	14,66.36
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[70] राजगढ पेयजल परियोजना, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड			
मू.	44.82		
पु.	11,14.35	11,59.17	11,59.17
			..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[71] आर्सेनिक एवं फ्लोराईड प्रभावित गाँवों में सामुदायिक जलशोधन संयंत्र स्थापित करना			
मू.	0.01		
पु.	6,35.81	6,35.82	6,34.57
			- 1.25
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[74] बाड़मेर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज- II पार्ट-डी			
मू.	12,08.71		
पु.	3,65.85	15,74.56	15,74.56
			..

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 29,01.96 लाख की अतिरिक्त निधियां ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	68,79.00	1,08,44.36	1,08,44.36
पु.	39,65.36		
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 39,65.36 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			..
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[01] जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण			
मू.	14,00.93	18,00.93	18,00.93
पु.	4,00.00		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[03] जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं बन्द पड़ी जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का पुनरुत्थान			
मू.	4,00.00	7,00.00	7,00.00
पु.	3,00.00		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[05] हेण्ड पम्प स्थापना सहित पेयजल योजनाएं			
मू.	7,43.00	11,03.00	11,03.00
पु.	3,60.00		

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[07] सामुदायिक भवनों का निर्माण			
मू.	5,00.00	8,00.00	..
पु.	3,00.00		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[10] सड़क एवं पुलिया का निर्माण			
मू.	0.01	5,00.00	..
पु.	4,99.99		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[14] राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण			
मू.	16,08.94	30,00.00	..
पु.	13,91.06		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[17] राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त निर्माण कार्य			
मू.	6,93.00	9,93.00	..
पु.	3,00.00		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(24) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु पूंजीगत निर्माण कार्य (वि.के.स.)			
[01] जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना			
मू.	10,00.00	22,00.00	..
पु.	12,00.00		

उपरोक्त आठ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 47,51.05 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से इन योजनाओं के लिए निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(10) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[03] जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से			
अ .	0.01		
		4,55.24	
पु .	4,55.23	4,55.24	..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,55.23 लाख की अतिरिक्त निधियां जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू .	0.01		
		17,99.09	
पु .	17,99.08	17,99.09	..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,99.08 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार द्वारा नर्बदा नहर परियोजना का पूरा होने का समय 31 मार्च 2019 तक बढ़ाने के परिणामस्वरूप कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(14) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना			
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन (गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता) कार्यक्रम के माध्यम से			
मू .	3,52.74		
		15,83.63	
पु .	12,30.89	15,71.62	- 12.01
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,30.89 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 12.01 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(10) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- I (ए.डी.बी.)			
मू .	59,18.85		
		64,82.62	
पु .	5,63.77	64,22.88	- 59.74

अनुदान संख्या 030 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[13] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIV (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	17,89.38	24,62.80	24,59.61
पु.	6,73.42		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,37.19 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 62.93 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			- 3.19
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(08) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	16,40.27	95,86.09	95,85.96
पु.	79,45.82		
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 79,45.82 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			- 0.13
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(08) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	1,31.21	7,65.10	7,63.86
पु.	6,33.89		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(08) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[92] औजार एवं संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	32.81	1,91.28	1,90.96
पु.	1,58.47		
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(08) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	49.21	2,86.91	2,86.45
पु.	2,37.70		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,30.06 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			- 0.46

अनुदान संख्या 031 – पुनर्वास एवं सहायता

इस अनुदान के अंतर्गत प्रावधान नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 032 – नागरिक आपूर्ति

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 3456. सिविल पूर्ति और
 3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
 पूंजी – 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर
 पूंजीगत परिव्यय और
 7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	2,72,59,64			
अनुपूरक	30,01,34	3,02,60,98	2,94,56,16	- 8,04,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				7,79,65
प्रभारित				
मूल	2			
अनुपूरक	..	2	..	- 2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				2
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	4,01,17			
अनुपूरक	..	4,01,17	61,89	- 3,39,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				3,38,68

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 8,04.82 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न के वितरण, परिवहन तथा संग्रह पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 30,01.34 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 8,04.82 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 25.17 लाख अनुअभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 032 – (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) खाद्य आयुक्त के माध्यम से			
[02] जिला कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध			
मू.	30,39.80		
पु.	- 4,33.44	26,06.36	26,05.83
₹ 4,33.44 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी ।			

001. निदेशन तथा प्रशासन
(01) खाद्य आयुक्त के माध्यम से
[07] उपभोक्ता संरक्षण-प्रतिबद्ध

मू.	26,51.51	23,41.06	23,41.00	- 0.06
पु.	- 3,10.45			

₹ 3,10.45 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वर्ष के दौरान जिला मंचों के अध्यक्षों के 37 पदों में से 14 पद, 74 सदस्यों के पदों में से 39 एवं 8 में से 4 न्यायिक सदस्यों के पद रिक्त रहने को आरोपित की गयी । माह सितम्बर, 2018 में लिये गये साक्षात्कार के पश्चात् इन रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये गये, लेकिन राज्य सरकार स्तर पर इनकी नियुक्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

102. सिविल पूर्ति योजना
(02) खाद्यान्न वितरण
[08] सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन

मू.	3,19.40
पु.	- 3,19.40			

31 मार्च 2019 को ₹ 3,19.40 लाख का समस्त प्रावधान एंड टू एंड कम्प्यूटराईजेशन परियोजना के लिए निधियों की आवश्यकता नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

102. सिविल पूर्ति योजना
(07) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना
[02] अंत्योदय परिवार अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों हेतु

मू.	1,70,50.04			
अ.	30,01.34	1,91,99.58	1,91,83.66	- 15.92
पु.	- 8,51.80			

फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न के वितरण, परिवहन तथा संग्रहण पर व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 30,01.34 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत बचत को देखते हुए अत्यधिक था ।

प्रत्याशित बचत मुख्यतः कमीशन की बढ़ी हुई दरों ₹ 87 प्रति किंवटल से ₹ 125 किंवटल की अन्तर राशि का भुगतान राज्य निधि से करने को आरोपित की गई जिसके परिणामतः 31 मार्च 2019 को केन्द्रीय सहायता में ₹ 8,51.80 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया ।

₹ 15.92 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019) ।

अनुदान संख्या 032 – (क्रमशः)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
102. सिविल पूर्ति योजना			
(07) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[01] अंत्योदय परिवार अन्न योजना			
मू.	26,00.05		
पु.	13,58.44		
		39,58.49	39,58.49
			..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,58.44 लाख की अतिरिक्त निधियां उचित मूल्य दुकान वितरकों एवं बिक्री केन्द्र (पी ओ एस) मशीन के सम्बन्ध में देय कमीशन दर में ₹ 87 प्रति किंवटल से ₹ 125 किंवटल की बढ़ोत्तरी होने के कारण राज्य सरकार द्वारा राज्य निधि से कमीशन के भुगतान पर अधिक व्यय की पूर्ति एवं जनवरी 2019 में विधानसभा में अंत्योदय, बी.पी.एल. एवं स्टेट बी.पी.एल. परिवारों को एक रुपये प्रति किलो की दर से गेहूँ वितरित करने की बजट घोषणा के अनुसार गेहूँ वितरण पर अधिक सब्सिडी की पूर्ति हेतु किया गया।

पूंजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
102. नागरिक आपूर्ति			
(09) उपभोक्ता संरक्षण के राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का आधुनिकीकरण			
मू.	2,37.05		
पु.	- 1,74.56		
		62.49	61.89
			- 0.60

31 मार्च 2019 को ₹ 1,74.56 लाख का प्रावधान विधान सभा चुनाव आचार संहिता लगने से सार्वजनिक निर्माण विभाग को तीन भवनों के निर्माण के लिए यथा समय निधियों का हस्तान्तरण नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

102. नागरिक आपूर्ति

(10) खाद्य विभाग

मू.	89.09		
पु.	- 89.09		
	
			..

31 मार्च 2019 को ₹ 89.09 लाख का समस्त प्रावधान विधान सभा चुनाव आचार संहिता लगने से सार्वजनिक निर्माण विभाग को नये फर्नीचर खरीदने हेतु यथा समय निधियों का हस्तान्तरण नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 032 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
102. नागरिक आपूर्ति			
(11) भार एवं माप			
[01] उपभोक्ता मामले			
मू.	75.01
पु.	- 75.01

31 मार्च 2019 को ₹ 75.01 लाख का समस्त प्रावधान उद्योग विभाग द्वारा सीतापुरा, जयपुर में स्थित भूमि का हस्तान्तरण उपभोक्ता मामलात के विभाग को नहीं करने के परिणामस्वरूप निर्माण कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

अनुदान संख्या 033 – सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

- मुख्य शीर्ष : राजस्व –2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,
 2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास,
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण और
 2236. पोषण
 पूंजी – 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,
 6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज और
 6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	55,93,89,82	64,53,75,91	59,12,99,23
अनुपूरक	8,59,86,09		- 5,40,76,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			5,07,72,87
प्रभारित			
मूल	32	54,94	11,31
अनुपूरक	54,62		- 43,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			43,63
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	1,88,63,33	2,02,07,32	1,61,51,09
अनुपूरक	13,43,99		- 40,56,23
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			40,40,68

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 8,59,86.09 लाख की कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा ली गयी ₹ 8,59,85.91 लाख की राशि ₹ 5,40,76.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक थी।
- ₹ 5,40,76.68 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 33,03.81 लाख अन्-अभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

3. वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 2,33,27.05 लाख, ₹ 8,08,08.91 लाख, ₹ 2,64,09.69 लाख, ₹ 2,37,19.11 लाख तथा ₹ 5,40,76.68 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 4.17 प्रतिशत से 13.09 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचतों के लिए विभिन्न कारण बताये गये।

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(02) अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	79,70.29		
पु.	- 13,36.83	66,33.46	65,93.57
			- 39.89

31 मार्च 2019 को ₹ 13,36.83 लाख प्रावधान (i) छात्रावास अधीक्षकों के 421 स्वीकृत पदों में से 134 पदों के रिक्त रहने, (ii) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों की धीमी गति तथा चुनाव आचार संहिता लगने के कारण छात्रावासों में मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों का कम निष्पादन होने तथा (iii) छात्रावासों में छात्रों की वास्तविक संख्या के अनुसार खाद्य सामग्री पर व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 39.89 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण
793. अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता
(01) अनुसूचित जाति उप परियोजना

मू.	60,00.00		
पु.	- 59,86.09	13.91	13.91
			..

₹ 60,00.00 लाख का प्रावधान विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत लाभार्थियों को अनुदान हेतु अनुमानित था। अनुदान की अधिकतम राशि प्रति व्यक्ति ₹ 10,000 है। यद्यपि लम्बे समय से ऋण की उच्च लागत की तुलना में अनुदान की राशि कम होने के कारण जिला कार्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो सके तथा बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत नहीं करने के फलस्वरूप इस शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 59,86.09 लाख की प्रत्याशित बचत हुई।

02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण
196. जिला परिषदों/ जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता
(01) अनुसूचित जनजाति छात्रावासों का संचालन
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां

मू.	44,07.16		
पु.	- 5,91.87	38,15.29	38,09.12
			- 6.17

31 मार्च 2019 को ₹ 5,91.87 लाख प्रावधान (i) छात्रावास अधीक्षकों के 210 स्वीकृत पदों में से 95 पदों के रिक्त रहने, (ii) पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिव के पद पर चयन के बाद कुछ छात्रावास अधीक्षकों द्वारा पद छोड़ने तथा (iii) छात्रावासों में छात्रों की वास्तविक संख्या के अनुसार खाद्य सामग्री पर व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 6.17 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/ जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(01) छात्रावासों का संचालन			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	6,69.96		
पु.	- 1,07.60	5,62.36	5,62.32
			- 0.04
₹ 1,07.60 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः छात्रवास अधीक्षकों के 14 पदों के रिक्त रहने तथा 10 नये पदस्थापित छात्रवास अधीक्षकों के पद जनवरी, 2019 से रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[05] देवनारायण आवासीय विद्यालयों का संचालन			
मू.	11,21.00		
पु.	- 1,95.41	9,25.59	9,25.32
			- 0.27
31 मार्च 2019 को ₹ 1,95.41 लाख का प्रावधान आवासीय विद्यालयों में पदों के रिक्त रहने, आवासीय विद्यालयों में छात्रों की वास्तविक संख्या के अनुसार खाद्य सामग्री पर व्यय होने तथा विद्यालयों द्वारा खाद्य सामग्री के बिलों को प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) देवनारायण योजनान्तर्गत			
(शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[05] विशेष पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना			
(प्राथमिक शिक्षा विद्यालय)			
मू.	10,00.00		
पु.	- 3,13.24	6,86.76	6,70.50
			- 16.26
31 मार्च 2019 को ₹ 3,13.24 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 16.26 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) देवनारायण योजनान्तर्गत (शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[07] देवनारायण गुरुकुल योजना			
मू.	19,00.00		
पु.	- 2,01.24	16,98.76	16,98.76
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 2,01.24 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(13) देवनारायण योजना (उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[03] देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना हेतु अनुदान			
मू.	8,00.00	5,77.37	5,77.37
पु.	- 2,22.63		..
31 मार्च 2019 को ₹ 2,22.63 लाख का प्रावधान महाविद्यालयों से स्कूटी हस्तान्तरण करने के लिए बीमा वाउचर प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
277. शिक्षा			
(02) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति तथा वजीफा			
मू.	1,21,76.67	77,68.90	73,88.22
पु.	- 44,07.77		- 3,80.68
31 मार्च 2019 को ₹ 44,07.77 लाख का प्रावधान पोर्टल पर छात्रवृत्तियों के लिए आवेदनों की कम प्राप्ति के कारण अभ्यर्पित (₹ 27,58.84 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 16,48.93 लाख) किया गया।			
₹ 3,80.68 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
102. आर्थिक विकास			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र, छात्राओं के लिए रोजगार उन्मुखी/स्वरोजगार योजना			
मू.	2,00.00	1,00.00	1,00.00
पु.	- 1,00.00		..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,00.00 लाख का प्रावधान प्रशिक्षण, दौरे और संगोष्ठी पर कम व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) उपसचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] राजस्थान वक्फ बोर्ड को अनुदान			
मू.	4,65.39	80.02	80.02
पु.	- 3,85.37		..
31 मार्च 2019 को ₹ 3,85.37 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(38) निदेशालय विशेष योग्यजन			
[02] विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना हेतु अनुदान (अनुसूचित जाति/जनजाति निगम के माध्यम से)			
मू.	5,00.01		
पु.	- 1,40.17	3,59.84	3,54.84
			- 5.00

31 मार्च 2019 को ₹ 1,40.17 लाख का प्रावधान लाभार्थियों से आवेदन कम प्राप्त होने तथा लाभार्थियों को बैंक द्वारा पूर्ण राशि स्वीकृत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 5.00 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

02. समाज कल्याण			
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(47) राज्य दिव्यांग कल्याण निधि के अन्तर्गत संचालित योजनाएं (विशेष योग्यजन विभाग के माध्यम से)			
[01] राज्य दिव्यांग कल्याण निधि के अन्तर्गत संचालित योजनाएं			
मू.	1,00.00		
पु.	- 1,00.00

31 मार्च 2019 को ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान राज्य दिव्यांग कल्याण निधि योजना के लिए नियमों को तैयार नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण			
102. बाल कल्याण			
(10) बाल अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[01] समेकित बाल संरक्षण योजना			
मू.	44,00.00		
पु.	- 10,00.00	34,00.00	34,00.00
			..

31 मार्च 2019 को ₹ 10,00.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(05) महिला विकास कार्यक्रम			
[01] महिला विकास कार्यक्रम			
मू.	2,98.48		
पु.	- 1,11.48	1,87.00	1,86.65
			- 0.35

₹ 1,11.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(05) महिला विकास कार्यक्रम			
[14] महिलाओं के लिए बेसिक कम्प्यूटर कोर्स			
मू.	6,16.00		
पु.	- 2,19.83	3,96.17	3,92.16
			- 4.01

31 मार्च 2019 को ₹ 2,19.83 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 4.01 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(12) महिला स्वयं सहायता गुप संस्थान			
मू.	2,88.29		
पु.	- 1,40.39	1,47.90	1,43.71
			- 4.19

31 मार्च 2019 को ₹ 1,40.39 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 4.19 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(20) मिशन ग्राम्य शक्ति			
[01] महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू.	7,35.00		
पु.	- 7,35.00
			..

₹ 7,35.00 लाख का प्रावधान मिशन ग्राम्य शक्ति योजना हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2019 को ₹ 7,35.00 लाख का समस्त प्रावधान मिशन ग्राम्य शक्ति योजना के क्रियान्वयन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2014-15 से 2017-18 के दौरान भी, समस्त प्रावधान क्रमशः अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित तथा अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(21) स्वाधार गृहों के संचालन हेतु अनुदान			
[01] सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू.	1,25.00		
पु.	- 1,25.00
			..

31 मार्च 2019 को ₹ 1,25.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(23) उज्ज्वला योजना			
[01] सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
मू.	1,50.00
पु.	- 1,50.00
31 मार्च 2019 को ₹ 1,50.00 लाख का समस्त प्रावधान लाभार्थी संस्थानों द्वारा आवश्यक अभिलेख निरीक्षण/जांच समिति द्वारा रिपोर्ट विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[07] किशोरी शक्ति योजना हेतु अनुदान			
मू.	2,04.05
पु.	- 2,04.05
31 मार्च 2019 को ₹ 2,04.05 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[29] संस्थापन व्यय हेतु-प्रतिबद्ध			
मू.	10,07.91	8,11.67	8,02.31
पु.	- 1,96.24		- 9.36
₹ 1,96.24 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 9.36 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[33] चिराली योजना			
मू.	3,13.48	19.99	19.71
पु.	- 2,93.49		- 0.28
31 मार्च 2019 को ₹ 2,93.49 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[04] बी.पी.एल. परिवारों को जनश्री बीमा योजना हेतु अनुदान			
मू.	1,92.00
पु.	- 1,92.00
31 मार्च 2019 को ₹ 1,92.00 लाख का समस्त प्रावधान संबंधित विभागों से जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्ध कराए गये प्रारूप में आंकड़े प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[18] बी.पी.एल. परिवारों को जन बीमा योजना हेतु सहायता (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना)			
मू.	12,48.00
पु.	- 12,48.00
31 मार्च 2019 को ₹ 12,48.00 लाख का समस्त प्रावधान संबंधित विभागों से भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्ध कराए गये प्रारूप में आंकड़े प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(22) आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए योजना			
[01] अनुप्रति योजना हेतु अनुदान			
मू.	1,00.00
पु.	- 1,00.00
31 मार्च 2019 को ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अनुप्रति योजना के अन्तर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के पात्र लाभार्थियों द्वारा आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(22) आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए योजना			
[06] उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना			
मू.	5,00.00	1,28.63	1,27.79
पु.	- 3,71.37		- 0.84
31 मार्च 2019 को ₹ 3,71.37 लाख का प्रावधान पोर्टल पर पात्र लाभार्थियों से आवेदन कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(22) आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए योजना			
[08] छात्र छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना हेतु अनुदान			
मू.	4,00.00
पु.	- 4,00.00
31 मार्च 2019 को ₹ 4,00.00 लाख का समस्त प्रावधान आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग स्कूटी योजना कॉलेज शिक्षा विभाग को हस्तान्तरण होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण			
797. आरक्षित निधियां/जमा लेखों को अन्तरण			
(01) राज्य दिव्यांग कल्याण निधि			
[01] राज्य दिव्यांग कल्याण निधि को अन्तरण			
मू.	1,00.00
पु.	- 1,00.00
31 मार्च 2019 को ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान निधि के नियम तैयार नहीं करने के फलस्वरूप राज्य दिव्यांग कल्याण निधि को निधियां हस्तान्तरण नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
107. स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना			
(01) स्वतन्त्रता सैनानियों तथा उनके आश्रितों आदि को पेंशन-सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध			
मू.	14,00.01	10,25.32	10,22.17
पु.	- 3,74.69	-	- 3.15
31 मार्च 2019 को ₹ 3,74.69 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान लाभार्थियों की कम संख्या में पेंशन आहरित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[05] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन			
मू.	1,35,21.84	1,08,60.47	1,07,55.46
पु.	- 26,61.37	-	- 1,05.01
31 मार्च 2019 को ₹ 26,61.37 लाख का प्रावधान वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को विधवा पेंशन योजना में शिफ्ट करने तथा इसके अनुसार पेंशन के वितरण पर विविध व्यय कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 1,05.01 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[02] जिला नाविकों, सैनिकों और विमानिकों के बोर्ड-प्रतिबद्ध			
मू.	14,29.47		
पु.	- 3,08.81	11,20.66	11,05.95
			- 14.71

31 मार्च 2019 को ₹ 3,08.81 लाख का प्रावधान (i) विभिन्न जिला कार्यालयों में कुल 77 पद जिसमें सहायक प्रशासनिक अधिकारी (7), वरिष्ठ सहायक (09), कनिष्ठ सहायक (34), कल्याण व्यवस्थापक (19) एवं गुप डी (08) पद रिक्त रहने के कारण तथा (ii) विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगने एवं टेन्डर प्रक्रिया में देरी के कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा जिला कार्यालयों के मरम्मत एवं सोन्दर्यीकरण का कार्य निष्पादन नहीं होने/कम होने के कारण अभ्यर्पित किया।

₹ 14.71 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[05] द्वितीय विश्व युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाओं को पेंशन-प्रतिबद्ध			
मू.	17,50.00		
पु.	- 2,33.08	15,16.92	15,15.08
			- 1.84

31 मार्च 2019 को ₹ 2,33.08 लाख का प्रावधान मृतक सैनिकों की विधवाओं को पेंशन का भुगतान उनके द्वारा जीवन प्रमाण-पत्र, जो वर्ष में एक बार प्रस्तुत करना अनिवार्य है, प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कम किया गया तथा लाभार्थियों की मृत्यु होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[01] पोषाहार क्रेष प्रोग्राम			
मू.	2,20,00.00		
पु.	- 68,55.66	1,51,44.34	1,50,11.97
			- 1,32.37

31 मार्च 2019 को ₹ 68,55.66 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 20,82.30 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 47,73.36 लाख) किया गया।

योजना की फंडिंग पैटर्न के अनुसार राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार दोनों को कुल अनुमान का 50-50 प्रतिशत मैचिंग शेयर का योगदान देना था। तदनुसार 31 मार्च 2019 को कुल ₹ 68,55.66 लाख की प्रत्याशित बचत में से, फंडिंग पैटर्न समान करने हेतु केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत ₹ 47,73.76 लाख अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किये गये तथा शेष बचत ₹ 20,82.30 लाख स्वयं सहायता समूह के द्वारा समय पर खाद्य बिल प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

₹ 1,32.37 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[02] एकीकृत बाल विकास योजना			
मू.	1,59,97.85	1,04,16.08	- 1,13.72
पु.	- 54,68.05	1,05,29.80	

₹ 54,68.05 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) शीर्ष के परीसीमन के कारण वर्ष के दौरान 17 शहरी परियोजना कार्यालयों को विलोपित किया गया एवं परिणामतः कर्मचारी अन्य ग्रामीण परियोजनाओं में शिफ्ट होने से वेतन व भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने से प्री-स्कूल किट्स प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल (ई.सी.सी.) प्रशिक्षण, प्रारम्भिक बाल्यावस्था (ई.सी.ई.) कार्य आंगनबाड़ी कर्मिकों की पोशोंके की खरीद की टेन्डर प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने, (iii) आंगनबाड़ी कर्मिकों की यूनिफोर्म खरीद का प्रकरण न्यायालयधीन होने के कारण निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने, (iv) विज्ञापन आदि के लिए भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (ए पी आई पी) में राशि स्वीकृत नहीं किये जाने, (v) 21 परियोजना कार्यालय विलोपित किये जाकर उनके स्थान पर सृजित 21 नव परियोजना कार्यालय के आंगनबाड़ी केन्द्रों के कर्मिकों को राजपोषण साफ्टवेयर में डेटा अपडेशन कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण मानदेय का भुगतान नहीं होने, (vi) ड्रस एवं दवाईयों पर कम व्यय हुआ क्योंकि मेडिकल किट क्रय किये जाने हेतु आमंत्रित निविदा में एक ही प्रस्ताव प्राप्त हुआ परिणामस्वरूप निविदा निरस्त करने के पश्चात् पुनः निविदा आमंत्रित की गई लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण वित्तीय प्रस्ताव नहीं खोले गये तथा (vii) वित्त विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के कारण मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय को आरोपित की गई।

₹ 1,13.72 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
101. विशेष पोषण कार्यक्रम
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा
[10] आई.सी.डी.एस. – IV (विश्व बैंक)

मू.	1,17,34.40	42,95.08	- 36.12
पु.	- 74,03.20	43,31.20	

₹ 74,03.20 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) चुनाव आचार संहिता लगने के कारण सम्बन्धित कमेटी का गठन नहीं होने से कार्यालय व्यय के अन्तर्गत फ्लेप्सी फण्ड का उपापन नहीं होने, (ii) परफोमेन्स आधारित प्रोत्साहन राशि के दिशा निर्देश भारत सरकार से प्राप्त होकर, वित्त विभाग द्वारा फरवरी, 2019 के अन्त तक अनुमोदन होने से उपयोग नहीं होने, (iii) लोकसभा व विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण मातृ एवं शिशु के लिए विभिन्न वृद्धि निगरानी उपकरण जैसे, स्टेडियोमीटर, इन्फेन्टोमीटर, वजन मशीन का उपयोग नहीं होना, (iv) स्मार्टफोन का उपयोग नहीं होने से मासिक मोबाईल डेटा प्लान का भुगतान नहीं होने, (v) विधानसभा व लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने के कारण स्मार्टफोन व पावर बैंक का उपयोग नहीं होने से सामग्री और आपूर्ति पर कम व्यय होने, (vi) स्मार्टफोन के उपयोग के बाद मास्टर ट्रेनिंग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की रियल टाइम मोनेटरिंग (आई सी टी-आर टी एम) की मास्टर ट्रेनिंग नहीं होने तथा (vii) फर्म द्वारा संविदा कर्मिकों की आपूर्ति देरी से करने को आरोपित की गई।

₹ 36.12 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[12] राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण एवं पोषाहार योजना			
मू.	51,13.40		
पु.	- 49,94.60	1,18.80	1,13.51
			- 5.29

31 मार्च 2019 को ₹ 49,94.60 लाख का प्रावधान योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। योजना जून 2018 में प्रारम्भ की गई तथा योजना के लाभार्थी गरीब और निरक्षर परिवार तथा जिनके पास आधार कार्ड नहीं थे, से सम्बन्धित श्रेणी के हैं। इस परिवारों से सम्बन्धित आधार सूचना उपलब्ध नहीं होने तथा विद्यालय में नामांकन हो जाने के कारण लाभार्थी लड़कियां योजना/स्कीम से बाहर हो गई।

₹ 5.29 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019) ।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[13] सशर्त मातृत्व लाभ योजना			
मू.	44,96.10		
पु.	- 29,86.20	15,09.90	14,95.03
			- 14.87

31 मार्च 2019 को ₹ 29,86.20 लाख का प्रावधान योजना को अन्य मद में हस्तान्तरण करने, लोकसभा व विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगने के कारण अनुबन्ध सेवा की निविदा समय पर नहीं होने एवं कोषालयों द्वारा कुछ बिलों को लौटाये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 14.87 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019) ।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[16] सहयोगिनी को मानदेय-प्रतिबद्ध			
मू.	17,30.00		
पु.	- 3,70.86	13,59.14	13,53.07
			- 6.07

31 मार्च 2019 को ₹ 3,70.86 लाख का प्रावधान सहयोगिनियों के पद रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 6.07 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019) ।

अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[02] ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संस्थापन व्यय			
मू.	6,43,41.95		
अ.	2,17,53.40	6,21,43.75	6,19,91.84
पु.	- 2,39,51.60		- 1,51.91

फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 2,17,53.40 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि शीर्ष के अन्तर्गत वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

₹ 2,39,51.60 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वर्ष के दौरान 21 परियोजना कार्यालय विलोपित किये जाकर उनके स्थान पर सृजित 21 नव परियोजना कार्यालय के आंगनबाड़ी केन्द्रों के कार्मिकों को राजपोषण सॉफ्टवेयर में डाटा अपडेशन कार्य पूरा नहीं होने के कारण मानदेय का भुगतान नहीं होने, (ii) विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने से प्री स्कूल किट क्रय, प्रारंभिक बाल्यावस्था केयर (ई सी सी) प्रशिक्षण, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (ई सी ई) वर्क बुक, यूनीफॉर्म क्रय हेतु निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं होना, (iii) वित्त विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण अनुरक्षण व मरम्मत पर कम व्यय होना तथा (iv) वाहन किराये पर लेने में देरी होने के कारण वाहन किराये पर कम व्यय तथा पद रिक्त रहने से वाहनों का उपयोग नहीं होने को आरोपित की गयी।

₹ 1,51.91 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से
[12] सहयोगिनी को मानदेय-प्रतिबद्ध

मू.	1,37,26.20			
पु.	- 27,64.34	1,09,61.86	1,09,45.40	- 16.46

31 मार्च 2019 को ₹ 27,64.34 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान 21 परियोजना कार्यालय विलोपित किये जाकर उनके स्थान पर सृजित 21 नव परियोजना कार्यालय के आंगनबाड़ी केन्द्रों के कार्मिकों को राजपोषण सॉफ्टवेयर में डाटा अपडेशन कार्य समय पर पूरा नहीं होने से मानदेय का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 16.46 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(10) ऋण माफी हेतु अनुदान			
[01] अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकास सहकारी निगम			
मू.	0.01		
पु.	22,12.06	22,12.07	22,12.07

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22,12.06 लाख की अतिरिक्त निधियां ऋण माफी योजना के अन्तर्गत राजस्थान अन्य पिछड़े वर्ग वित्त तथा विकास सहकारी निगम को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
104. वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण			
(03) गरीबों को कानूनी सलाह शुल्क तथा सहायता-प्रतिबद्ध			
मू.	28,79.96	33,56.50	33,53.36
पु.	4,76.54		- 3.14

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,76.54 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः (i) रिक्त पदों पर न्यायिक अधिकारियों द्वारा नियुक्ति किये जाने से वेतन व भत्तों पर व्यय की पूर्ति, आश्वासित केरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन निर्धारण से बकाया का भुगतान, (ii) वृत्तिक एवं विशिष्ट सेवाओं के सम्बन्ध में तत्कालीन क्लेमों और लम्बित दायित्वों का भुगतान होने तथा (iii) रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा कर्मचारियों के पदस्थापन उपरान्त मानदेय का भुगतान करने हेतु उपलब्ध कराई गई।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[26] मुख्यमंत्री राजश्री योजना			
मू.	1,27,47.00	1,73,65.00	1,73,65.00
पु.	46,18.00		..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 46,18.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) संयुक्त सहायता के लिये अनुदान			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	3,00.00	4,07.25	4,07.25
पु.	1,07.25		..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,07.25 लाख की अतिरिक्त निधियां विधान सभा चुनाव के दौरान सभी चुनाव केन्द्रों पर विशेष योग्यजन्य व्यक्तियों के लिए व्हील चेयर उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[07] निराक्षित बच्चों हेतु पालनहार योजनान्तर्गत अनुदान			
मू.	1,50,00.00	1,67,99.99	1,67,92.02
पु.	17,99.99		- 7.97

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां पालनहार योजनान्तर्गत लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण हेतु अधिक अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 7.97 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
200. अन्य कार्यक्रम			
(04) जन चेतना शोध प्रकाशन एवं प्रचार, नशा मुक्ति तथा अन्य कुरीतियों की रोकथाम			
मू.	70.00		
पु.	1,07.61	1,77.61	1,77.61

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,07.61 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री फ्लेगशिप योजना के लाभार्थियों तक सूचना पत्र भेजने तथा प्रचार पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
के माध्यम द्वारा
[06] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन

मू.	31,80.23			
पु.	30,41.98	62,22.21	61,90.74	- 31.47

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30,41.98 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि तथा वृद्धावस्था पेंशन से विधवा पेंशन में लाभार्थियों के हस्तान्तरण के कारण बढे हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 31.47 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(04) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
[01] मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

मू.	2,01,95.36			
पु.	67,57.51	2,69,52.87	2,68,47.23	- 1,05.64

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 67,57.51 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों संख्या में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 1,05.64 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
200. अन्य कार्यक्रम
(11) पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को प्रतिकर हेतु अनुदान
[01] राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अनुदान-प्रतिबद्ध

मू.	8,00.00			
पु.	9,83.68	17,83.68	17,51.89	- 31.79

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,83.68 लाख की अतिरिक्त निधियां क्षतिपूर्ति मामलों के लिए पीड़ितों की संख्या में वृद्धि होने से व्यय में वृद्धि को पूरा करने के लिए उपलब्ध करायी गई।

₹ 31.79 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(03) सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से			
[01] मीसा/डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन-प्रतिबद्ध			
मू.	20,00.00		
पु.	4,26.59	24,26.59	24,57.01 + 30.42

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,26.59 लाख की अतिरिक्त निधियां मीसा/डी.आई.आर. बंदियों की पेंशन में ₹12,000 प्रति माह से ₹ 20,000 प्रति माह की दर की बढ़ोतरी के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 30.42 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

2236. पोषण

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
101. विशेष पोषण कार्यक्रम
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा
[18] प्रधानमंत्री मातृत्व बंदना योजना

मू.	0.02		
पु.	92,45.76	92,45.78	92,00.35 - 45.43

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 92,45.76 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रधानमंत्री मातृत्व बंदना योजना की क्रियान्विति तथा *सर्शत मातृत्व लाभ योजना* को इस शीर्ष के अन्तर्गत विलय करने हेतु उपलब्ध कराई गई।

₹ 45.43 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से
[05] महिला कल्याण कोष

मू.	1,05.02		
पु.	3,18.30	4,23.32	4,22.75 - 0.57

₹ 1,05.02 लाख का प्रावधान कार्मिकों को मानदेय के लिए अनुमानित था। योजना के अनुसार राज्य को प्रत्येक मानदेय कार्मिकों से प्राप्त कुल योगदान को 25 प्रतिशत योगदान देना था। बजट भाषण 2018-19 में यह घोषित किया गया था कि कार्मिकों को मानदेय की 100 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। बजट भाषण में की गयी घोषणा की अनुपालना में 31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,18.30 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करवाई गई।

अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

6. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्धन अत्यधिक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[02] विशेष पिछड़े वर्ग के लिए उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना			
मू.	66,00.00		
पु.	6,00.06		
	72,00.06	69,76.73	- 2,23.33

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,00.06 लाख की अतिरिक्त निधियां पिछड़े वर्ग के लिए देवनारायण उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत जिला कार्यालय की मांग अनुसार बकाया आवेदनों का निस्तारण करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 2,23.33 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

पूँजी

दत्तमत

- फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 13,43.99 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- ₹ 40,56.23 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 15.55 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 2,55,97.66 लाख, ₹ 1,44,06.05 लाख, ₹ 57,84.86 लाख, ₹ 49,39.20 लाख तथा ₹ 40,56.23 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 20.78 प्रतिशत से 84.81 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[02] आदर्श छात्रावास योजनान्तर्गत देवनारायण छात्रावास भवनों का निर्माण			
मू.	8,00.00		
पु.	- 4,59.04		
	3,40.96	3,40.96	..

31 मार्च 2019 को ₹ 4,59.04 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
102. आर्थिक विकास			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम			
मू.	61,60.90		
पु.	- 12,73.44	48,87.46	48,87.46
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 12,73.44 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 12,72.90 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 0.54 लाख) किया गया जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	4,00.00		
पु.	- 3,60.37	39.63	39.63
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 3,60.37 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[03] अल्पसंख्यक मामलात विभाग के कार्यालय भवन का निर्माण			
मू.	1,18.45		
पु.	- 1,08.28	10.17	10.17
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,08.28 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(13) राजस्थान पुनर्वास संस्थान भवन का निर्माण			
मू.	4,00.00		
पु.	- 2,32.90	1,67.10	1,67.10
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 2,32.90 लाख का प्रावधान राजस्थान पुनर्वास शोध संस्थान के निर्माण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों का निष्पादन कम करने तथा वित्त विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को लेटर ऑफ क्रेडिट प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(09) आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए योजना			
[01] महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास भवन का निर्माण			
मू.	8,00.00
पु.	- 8,00.00
31 मार्च 2019 को ₹ 8,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)। 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किये गये।			
02. समाज कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(10) विकलांगता अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्तियों के लिए योजना			
[01] रेम्प एवं लिफ्ट आदि का निर्माण			
मू.	32,00.00	21,97.72	21,97.72
पु.	- 10,02.28
₹ 10,02.28 लाख की प्रत्याशित बचत सुगम्य भारत अभियान के अन्तर्गत विशेष योग्यजन्य व्यक्तियों के लिए जिला जयपुर के सरकारी भवनों में रेम्प एवं लिफ्ट आदि का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कम निष्पादन करने को आरोपित किया गया।			
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(03) भवन निर्माण			
मू.	5,00.00	39.63	39.63
पु.	- 4,60.37
31 मार्च 2019 को ₹ 4,60.37 लाख का प्रावधान जिला कार्यालयों से (अनापति प्रमाण प्रपत्र/ भूमि पट्टे सहित) के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से कार्यालय भवनों के निर्माण कार्य निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(09) आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू.	13,96.00
पु.	- 13,96.00
31 मार्च 2019 को ₹ 13,96.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 6,95.90 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 7,00.10 लाख) किया गया।			

अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4236. पोषण पर पूँजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(10) आंगनबाडी केन्द्र अपग्रेडेशन एवं रख रखाव मय क्रेच निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड़ अन्तर्गत			
मू.	16,15.77
पु.	- 16,15.77

31 मार्च 2019 को ₹ 16,15.77 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा जिलों में जलापूर्ति तथा शोचालय हेतु वित्तीय स्वीकृति विलम्ब अर्थात् 27.03.2019 को जारी करने तथा चुनाव आचार संहिता लगने के कारण जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में निधि हस्तान्तरण नहीं करने से अभ्यर्पित (₹ 6,46.31 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 9,69.46 लाख) किया गया।

6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज

04. अल्प संख्यकों का कल्याण			
800. अन्य कर्ज			
(01) राजस्थान अल्प संख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम को उधार			
मू.	1,55.00
पु.	- 1,55.00

31 मार्च 2019 को ₹ 1,55.00 लाख का समस्त प्रावधान पूर्व वर्ष की अवशेष राशि की उपलब्धता के समयोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(09) देवनारायण योजना (उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[01] छात्राओं हेतु महाविद्यालय मय छात्रावास भवन का निर्माण			
मू.	0.01	1,85.08	..
पु.	1,85.07	1,85.08	..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,85.07 लाख की अतिरिक्त निधियां बयाना महाविद्यालय के बकाया दायित्वों के भुगतान तथा देवनारायण योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 033 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज			
02. समाज कल्याण			
800. अन्य कर्ज			
(04) पेंशनरों को अंतरंग चिकित्सा सुविधा योजना			
[01] राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल फण्ड को उधार			
मू.	0.01		
अ.	13,43.99	50,00.00	50,00.00
पु.	36,56.00		..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 36,56.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान पेंशनर चिकित्सा निधि के अन्तर्गत कटौति की वास्तविक राशि की तुलना में अधिक चिकित्सा पुर्नभरण दावों की प्राप्ति के परिणामस्वरूप निधि को ऋण देने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 034 - प्राकृतिक आपदाओं से राहत
मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	25,64,71,54			
अनुपूरक	17,79,41,05	43,44,12,59	35,70,18,88	- 7,73,93,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				2,61,20,16
प्रभारित				
मूल	1			
अनुपूरक	..	1	..	- 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 7,73,93.71 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, सितम्बर, 2018 (₹ 16,96,02.00 लाख) तथा फरवरी, 2019 (₹ 83,39.05 लाख) में लिया गया ₹ 17,79,41.05 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था। यद्यपि, अंतिम बचत में विभिन्न आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा मुख्य शीर्ष 2245 के विभिन्न लघु शीर्षों के अन्तर्गत गत वर्षों की जमा करायी गयी बकाया राशि ₹ 4,09,29.81 लाख शामिल है।
- ₹ 3,64,63.90 लाख की शुद्ध अंतिम बचत (₹ 7,73,93.71 लाख - ₹ 4,09,29.81 लाख) में से राशि ₹ 1,03,43.74 लाख अन्वभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत				
01. सूखा				
102. पीने के पानी की पूर्ति				
(11) सूखे के तहत पीने के पानी की पूर्ति				
[01] ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति				
मू.	7,50.00			
अ.	15,00.00	52.84	52.84	..
पु.	- 21,97.16			

सितम्बर, 2018 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 15,00.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि शीर्ष के अन्तर्गत वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

31 मार्च 2019 को ₹ 21,97.16 लाख का प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 034 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
102. पीने के पानी की पूर्ति			
(11) सूखे के तहत पीने के पानी की पूर्ति			
[04] जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से जलपूर्ति			
मू.	70,00.00		
अ.	6,89.00	7,38.27	6,73.48
पु.	- 69,50.73		- 64.79
सितम्बर, 2018 में प्रथम अनुपूर्क अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 6,89.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि शीर्ष के अन्तर्गत वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।			
31 मार्च 2019 को ₹ 69,50.73 लाख का प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 21,90.62 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 47,60.11 लाख) किया गया।			
₹ 64.79 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. सूखा			
101. आनुग्रहित राहत			
(14) सूखा के तहत आनुग्रहित राहत			
[02] वृद्ध, असक्त एवं निसहाय बच्चों के लिए राहत			
मू.	5,00.00
पु.	- 5,00.00		..
01. सूखा			
102. पीने के पानी की पूर्ति			
(11) सूखे के तहत पीने के पानी की पूर्ति			
[02] नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति			
मू.	1,00.00
पु.	- 1,00.00		..
01. सूखा			
104. चारे की पूर्ति			
(09) सूखे के अंतर्गत चारे की पूर्ति			
[01] परिवहन			
मू.	25,00.00
पु.	- 25,00.00		..
01. सूखा			
104. चारे की पूर्ति			
(09) सूखे के अंतर्गत चारे की पूर्ति			
[02] पशु पोषण केन्द्र			
मू.	10,00.00
पु.	- 10,00.00		..

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
105. पशु चिकित्सा			
(04) सूखे क्षेत्र में पशु चिकित्सा			
[01] औषधियां एवं टीका दवाईयों पर अतिरिक्त लागत			
मू.	2,50.00
पु.	- 2,50.00

उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 43,50.00 लाख का समस्त प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

01. सूखा			
104. चारे की पूर्ति			
(09) सूखे के अन्तर्गत चारे की पूर्ति			
[04] पशु शिविर/गौशाला			
मू.	1,60,00.00	24,51.18	24,39.37
पु.	- 1,35,48.82		- 11.81

31 मार्च 2019 को ₹ 1,35,48.82 लाख का प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

₹ 11.81 लाख की कुल अंतिम बचत में से आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा ₹ 6.53 लाख गत वर्ष की अवितरित राशि जमा कराने के कारण रही।

01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[02] अग्नि सहायता			
मू.	10,00.00	3,69.65	3,69.26
पु.	- 6,30.35		- 0.39

31 मार्च 2019 को ₹ 6,30.35 लाख का प्रावधान आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[04] सर्च रेस्क्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय			
मू.	50,00.00	94.85	37.74
पु.	- 49,05.15		- 57.11

31 मार्च 2019 को ₹ 49,05.15 लाख का प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 16,13.85 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 32,91.30 लाख) किया गया।

₹ 57.11 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[07] प्रशिक्षण व्यय			
मू.	5,00.00		
पु.	- 4,79.62	20.38	20.38
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(04) केपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस			
[01] आपात परिचालन केन्द्रों की स्थापना/सुदृढीकरण			
मू.	10,00.00		
पु.	- 9,99.91	0.09	0.09
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 14,79.53 लाख का प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[01] अन्य विशेष राहत			
मू.	1,00.00		
पु.	- 1,00.00
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(04) केपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस			
[02] संबंध पक्षों/कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण			
मू.	1,00.00		
पु.	- 1,00.00
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(04) केपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस			
[03] राज्य के प्रशिक्षण संस्थाओं के आपदा प्रबन्धन केन्द्रों को सहायता			
मू.	1,00.00		
पु.	- 1,00.00

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(04) केपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस			
[04] आपदा प्रबन्धन योजनाओं का निर्माण			
मू.	3,00.00
पु.	- 3,00.00
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(04) केपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस			
[05] आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों का सुदृढीकरण			
मू.	1,00.00
पु.	- 1,00.00

उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 7,00.00 लाख का समस्त प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[05] कृषि फसलों, बागवानी फसलों एवं वार्षिक लगान फसलों के लिए लघु सीमांत कृषकों को कृषि आदान अनुदान			
मू.	4,00,00.00	4,18,48.31	3,13,44.63 - 1,05,03.68
पु.	18,48.31		

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,48.31 लाख की अतिरिक्त निधियों राहत कार्यों पर बढ़े व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 1,05,03.68 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्ष की अवितरित राशि ₹ 1,22,93.95 लाख जमा कराने के कारण रही।

02. बाढ़ चक्रवात आदि			
101. आनुग्रहित राहत			
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत			
[05] कपड़े एवं बर्तन			
मू.	1,50.00	1.19	1,07 - 0.12
पु.	- 1,48.81		

31 मार्च 2019 को ₹ 1,48.81 लाख का प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 034 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़ चक्रवात आदि			
101. आनुग्रहित राहत			
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहित राहत			
[06] आवश्यक वस्तुओं एवं भोजन हेतु राहत			
मू.	1,00.00
पु.	- 1,00.00
31 मार्च 2019 को ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. बाढ़ चक्रवात आदि			
106. खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
(08) बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
[01] सड़कों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
मू.	70,00.00
पु.	- 70,00.00
31 मार्च 2019 को ₹ 70,00.00 लाख का समस्त प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 17,50.00 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 52,50.00 लाख) किया गया।			
02. बाढ़ चक्रवात आदि			
106. खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
(08) बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
[02] सर्व रेस्क्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय			
मू.	20,00.02	4,88.01	4,88.01
पु.	- 15,12.01
31 मार्च 2019 को ₹ 15,12.01 लाख का प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. बाढ़ चक्रवात आदि			
109. खराब जलपूर्ति, जल निकास तथा मल-जल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना			
(02) बाढ़ से क्षतिग्रस्त जलपूर्ति, जल निकास आदि की मरम्मत			
[01] बाढ़ से क्षतिग्रस्त जलपूर्ति, जल निकास आदि की मरम्मत			
मू.	2,50.00
पु.	- 2,50.00
31 मार्च 2019 को ₹ 2,50.00 लाख का समस्त प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़ चक्रवात आदि			
111. शोकार्त परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी			
(02) बाढ़ से जनहानि होने पर अनुग्रह सहायता			
[01] बाढ़ से जनहानि होने पर अनुग्रह सहायता			
मू.	10,00.00		
पु.	- 7,16.00	2,84.00	2,79.00
			- 5.00

31 मार्च 2019 को ₹ 7,16.00 लाख का प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 5.00 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्ष की अवितरित राशि जमा कराने के कारण रही।

02. बाढ़ चक्रवात आदि
113. घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता
[01] पूर्ण क्षतिग्रस्त पक्का घर

मू.	10,00.00			
पु.	- 9,71.47	28.53	28.53	..

02. बाढ़ चक्रवात आदि
113. घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता
[02] पूर्ण क्षतिग्रस्त कच्चा घर

मू.	5,00.00			
पु.	- 4,88.91	11.09	11.09	..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 14,60.38 लाख का समस्त प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. बाढ़ चक्रवात आदि
113. घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता
[03] पूर्ण क्षतिग्रस्त झोपड़ी

मू.	5,00.00			
पु.	- 5,00.00

02. बाढ़ चक्रवात आदि
113. घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता
[04] गम्भीर क्षतिग्रस्त पक्का घर

मू.	5,00.00			
पु.	- 5,00.00

अनुदान संख्या 034 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़ चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता			
[06] गम्भीर क्षतिग्रस्त झोपड़ी			
मू.	3,00.00
पु.	- 3,00.00

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 13,00.00 लाख का समस्त प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. बाढ़ चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता			
[05] गम्भीर क्षतिग्रस्त कच्चा घर			
मू.	5,00.00	1.12	1.12
पु.	- 4,98.88

02. बाढ़ चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता			
[07] आंशिक क्षतिग्रस्त घर			
मू.	10,00.00	88.84	83.79
पु.	- 9,11.16	..	- 5.05

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 14,10.04 लाख का प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

शीर्ष "2245-02-113(09) [07]" के अंतर्गत ₹ 5.05 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्ष की अवितरित राशि जमा कराने के कारण रही।

02. बाढ़ चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(09) लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[01] बाढ़			

मू.	10,00.00	50,16.59	- 1,46,00.20	- 1,96,16.79
अ.	1,31,00.00			
पु.	- 90,83.41			

सितम्बर, 2018 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,31,00.00 लाख प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2019 को ₹ 90,83.41 लाख का प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 89,47.93 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 1,35.48 लाख) किया गया।

₹ 1,46,00.20 लाख का ऋण व्यय आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्ष की अवितरित राशि ₹ 1,78,90.03 लाख जमा कराने के कारण रहा।

₹ 17,26.76 लाख की शेष अंतिम बचत (₹ 1,96,16.79 लाख - ₹ 1,78,90.03 लाख) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़ चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(09) लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[02] ओलावृष्टि			
मू.	45,00.00		
पु.	- 43,00.93	1,99.07	- 6,50.94
			- 8,50.01
31 मार्च 2019 को ₹ 43,00.93 लाख का प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 32,08.40 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 10,92.53 लाख) किया गया।			
₹ 8,50.01 लाख की अंतिम बचत में से आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्ष की अवितरित राशि ₹ 8,39.51 लाख जमा कराने के कारण रही। ₹ 10.50 लाख की शेष अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
02. बाढ़ चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(09) लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[05] शीतलहर			
मू.	1,00.00		
पु.	- 1,00.00
			..
02. बाढ़ चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(10) लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[05] शीतलहर			
मू.	1,00.00		
पु.	- 1,00.00
			..
02. बाढ़ चक्रवात आदि			
115. भूमि से रेत/गाद/लवणता साफ करने के लिए किसानों को सहायता			
(02) भूमि से रेत/गाद/लवणता हटाने हेतु सहायता			
[01] भूमि से रेत/गाद/लवणता हटाने हेतु सहायता			
मू.	1,00.00		
पु.	- 1,00.00
			..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 3,00.00 लाख का समस्त प्रावधान आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़ चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(10) लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[01] बाढ़			
मू.	1,00.00		
अ.	1,60,00.00	96,07.25	73,27.96
पु.	- 64,92.75		- 22,79.29

सितम्बर, 2018 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,60,00.00 लाख प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2019 को ₹ 64,92.75 लाख का प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 64,67.75 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 25.00 लाख) किया गया।

शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 22,79.29 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्ष की अवितरित राशि ₹ 22,79.02 लाख जमा कराने के कारण रही।

02. बाढ़ चक्रवात आदि
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता
- (10) लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान
- [02] ओलावृष्टि

मू.	40,00.00		
पु.	- 6,72.50	33,27.50	28,62.95
			- 4,64.55

02. बाढ़ चक्रवात आदि
117. पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता
- (02) बाढ़ से प्रभावित पशुधन की हानि पर पशुधन क्रय हेतु सहायता
- [01] बाढ़ से प्रभावित पशुधन की हानि पर पशुधन क्रय हेतु सहायता

मू.	2,00.00		
पु.	- 1,63.79	36.21	26.56
			- 9.65

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 8,36.29 लाख का प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 4,74.20 लाख की अंतिम बचत में से आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्ष की अवितरित राशि ₹ 4,60.68 लाख जमा कराने के कारण रही। ₹ 13.52 लाख की शेष अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़ चक्रवात आदि			
122. खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
(02) बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता			
[01] बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता			
मू.	20,00.00		
अ.	15,00.00	11,79.32	11,79.32
पु.	- 23,20.68		..
सितम्बर, 2018 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 15,00.00 लाख प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि शीर्ष के अन्तर्गत वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।			
31 मार्च 2019 को ₹ 23,20.68 लाख का प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 17,14.53 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 6,06.15 लाख) किया गया।			
02. बाढ़ चक्रवात आदि			
191. नगर निगम को सहायता			
(02) बाढ़ से प्रभावित कार्यों हेतु नगर निगमों को सहायता			
[01] बाढ़ से प्रभावित कार्यों हेतु नगर निगमों को सहायता			
मू.	1,00.00
पु.	- 1,00.00		..
02. बाढ़ चक्रवात आदि			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(02) बाढ़ से प्रभावित कार्यों हेतु नगर पालिकाओं/ नगर परिषदों को सहायता			
[01] बाढ़ से प्रभावित कार्यों हेतु नगर पालिकाओं/ नगर परिषदों को सहायता			
मू.	2,00.00
पु.	- 2,00.00		..
02. बाढ़ चक्रवात आदि			
193. नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समान को सहायता			
(02) बाढ़ से प्रभावित पंचायतों एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों को सहायता			
[01] बाढ़ से प्रभावित पंचायतों एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों को सहायता			
मू.	1,00.00
पु.	- 1,00.00		..

अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़ चक्रवात आदि			
282. लोक स्वास्थ्य			
(07) बाढ़ क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य			
[01] दवाईयों की पूर्ति			
मू.	4,00.00
पु.	- 4,00.00

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 8,00.00 लाख का समस्त प्रावधान आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

- 05. राज्य आपदा मोचन निधि
- 101. आरक्षित निधियों और जमा लेखों का अंतरण
- राज्य आपदा मोचन निधि
- (02) राज्य आपदा मोचन निधि को अंतरण
- [01] राज्य आपदा मोचन निधि को अंतरण

मू.	12,77,00.00			
अ.	8,63,76.00	21,09,26.00	20,13,48.50	- 95,77.50
पु.	- 31,50.00			

सितम्बर, 2018 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 8,63,76.00 लाख का प्रावधान *राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि* के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त निधियों तथा गत वर्षों की अवशेष राशि को अन्तरण करने हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत तथा अन्तिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था। यद्यपि, कुल अनुपूरक अनुदान में से, ₹ 31,50.00 लाख की अवशेष राशि को हस्तान्तरण करने हेतु लिये गये थे जो वर्ष 2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्ति मद (मुख्य शीर्ष 0075) के अन्तर्गत जमा करायी गयी थी जो राज्य आपदा मोचन निधि की लेखा प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थी, परिणामतः 31 मार्च 2019 को एस.डी.आर.एफ. को हस्तान्तरण करने हेतु मद "2245-80-800(08) [01]" को प्रावधान पुनर्विनियोजित किया गया।

₹ 95,77.50 लाख की अंतिम बचत भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के उपरान्त भी राज्य सरकार द्वारा इस सीमा तक केन्द्रीय अंश की किस्त कम जारी करने के कारण रही।

- 80. सामान्य
- 800. अन्य व्यय
- (07) राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की सुदृढीकरण योजना
- [02] जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

मू.	1,01.40
पु.	- 1,01.40			

31 मार्च 2019 को ₹ 1,01.40 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 034 - (समाप्त)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[06] लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न के लिए कृषि आदान अनुदान			
मू.	2,33,99.76		
अ.	5,87,64.04	12,73,66.49	11,95,41.24
पु.	4,52,02.69		- 78,25.25

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,52,02.69 लाख की अतिरिक्त निधियां राहत कार्यों पर बढ़े व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 78,25.25 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्ष की अवितरित राशि ₹ 71,47.52 लाख जमा कराने के कारण रही। ₹ 6,77.73 लाख की शेष अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य
800. अन्य व्यय
(08) अन्य सहायता
[01] अन्य सहायता-प्रतिबद्ध

मू.	25.00			
अ.	0.01	31,98.00	31,98.00	..
पु.	31,72.99			

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 31,72.99 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यतः राज्य आपदा मोचन निधि को अवितरित राशि ₹ 31,50.00 लाख हस्तान्तरण करने हेतु उपलब्ध करायी गयी जो वर्ष 2017-18 में गलती से राजस्व प्राप्ति शीर्ष के अन्तर्गत जमा हो गई थी।

5. **राज्य आपदा मोचन निधि:**-चौदहवें वित्त आयोग ने 2015-16 से 5 वर्षों के लिये *राज्य आपदा मोचन निधि* को यथावत रखा। सम्पूर्ण वर्ष के आवंटन का 75% अंशदान आयोजना भिन्न अनुदान के रूप में भारत सरकार करेगी और शेष राशि की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। निधि ब्याज वाली है। निधि से निवेश पर अर्जित आय के साथ निधि में वृद्धि की जायेगी जो एक अथवा अधिक किशतों में विभक्त की जावे जब तक कि भारत सरकार विपरीत निर्देश जारी न करें।

2018-19 के दौरान ₹ 20,13,48.50 लाख (जिसने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के विरुद्ध भारत सरकार से प्राप्त ₹ 8,32,26.00 लाख भी शामिल है) को जमा करते हुए शीर्ष "2245-05-101-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों में अन्तरण-राज्य आपदा मोचन निधि" के नामे की गई तथा प्राकृतिक आपदाओं पर हुए व्यय की राशि ₹ 15,16,18.88 लाख को वर्ष के दौरान निधि से पूरित किया गया।

31 मार्च 2019 को ₹ 6,70.76 करोड़ का शेष (ब्याज सहित) राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत अवशेष रहा।

उपरोक्त निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2018-19 के विवरण संख्या 15, 21 तथा 22 में दर्शाया गया है।

अनुदान संख्या 035 – विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

- मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2047. अन्य राजकोषीय सेवाएं ,
 3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी और
 3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
 पूंजी – 4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश और
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	3,10,99,28	8,55,81,28	7,22,48,92	- 1,33,32,36
अनुपूरक	5,44,82,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,33,31,37
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	3,65,01,73	4,08,45,75	4,03,39,02	- 5,06,73
अनुपूरक	43,44,02			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				5,06,18

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- सितम्बर, 2018 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 5,44,82.00 लाख का प्रावधान (i) ई-सखी कार्यक्रम को प्रोत्साहन, (ii) भामाशाह (स्वावलम्बन) योजना के प्रचार प्रसार तथा (iii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत भामाशाह योजना के तहत चयनित परिवारों के डिजिटल समावेश हेतु लिया गया जो अनुदान के अन्तर्गत अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।
- वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 4,49,51.62 लाख, ₹ 54,83.45 लाख, ₹ 1,47,18.60 लाख, ₹ 23,94.47 लाख तथा ₹ 1,33,32.36 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 7.27 प्रतिशत से 53.03 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 035 – (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
001. निदेशक तथा प्रशासन			
(02) मूल्यांकन संगठन विभाग			
[01] प्रशासनिक व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	7,12.47		
पु.	- 1,09.08	6,03.39	6,03.38
			- 0.01
₹ 1,09.08 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 71 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी ।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[03] यू.आई.डी. परियोजना			
मू.	5,84.44		
पु.	- 4,87.81	96.63	96.64
			+ 0.01
₹ 4,87.81 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019) ।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[07] स्टेट डाटा सेन्टर			
मू.	6,46.00		
पु.	- 6,46.00
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 6,46.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019) ।			
2015-16 से 2017-18 के दौरान भी इसी कारण से समस्त प्रावधान अभ्यर्पित तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया था ।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[09] ई -मित्र			
मू.	1,02.00		
पु.	- 1,02.00
			..

अनुदान संख्या 035 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[13] स्टेट सर्विस डिलेवरी गेट वे			
मू.	1,05.00
पु.	- 1,05.00
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 2,07.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
2016-17 तथा 2017-18 के दौरान भी शीर्ष "3454-02-203 (01) [13]" के अन्तर्गत तथा 2017-18 के दौरान शीर्ष "3454-02-203 (01) [09]" के अन्तर्गत इसी कारण से समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[21] वाई-फाई हॉट स्पॉट			
मू.	35,00.00	26,44.44	26,44.44
पु.	- 8,55.56
31 मार्च 2019 को ₹ 8,55.56 लाख का प्रावधान कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[22] स्वान वर्टिकल/स्टेट शेयर			
मू.	2,04.00
पु.	- 2,04.00
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[27] ई-डिस्ट्रिक्ट			
मू.	1,02.00
पु.	- 1,02.00
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 3,06.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 035 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[29] नेशनल ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान (कैपेसिटी बिल्डिंग)			
मू.	1,22.40
पु.	- 1,22.40		

31 मार्च 2019 को ₹ 1,22.40 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

2017-18 के दौरान भी समस्त प्रावधान इसी कारण से अभ्यर्पित किया गया था।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[33] डाटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (नोक)			
मू.	7,03.60	2,13.56	2,13.56
पु.	- 4,90.04		..

31 मार्च 2019 को ₹ 4,90.04 लाख का प्रावधान कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[39] स्टार्ट अप			
मू.	25,84.00	19,19.55	19,19.55
पु.	- 6,64.45		..

31 मार्च 2019 को ₹ 6,64.45 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(02) भामाशाह योजना, 2014			
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
मू.	16,03.96		
अ.	5,07,32.00	4,15,38.59	4,15,38.59
पु.	- 1,07,97.37		..

सितम्बर, 2018 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 5,07,32.00 लाख का प्रावधान भामाशाह (स्वावलम्बन) योजना के प्रचार-प्रसार तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत भामाशाह योजना के तहत चयनित परिवारों के डिजिटल समावेश हेतु लिया गया जो अनुदान के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 035 – (क्रमशः)

₹ 1,07,97.37 लाख की प्रत्याशित बचत (i) विधानसभा/लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने के कारण बी.पी.एल./ राज्य बी.पी.एल./ अन्त्योदय/ अन्नपूर्णा परिवारों के खातों में राशि हस्तांतरित नहीं होने तथा भामाशाह डिजीटल परिवार योजना की राशि भी हस्तांतरित नहीं की जा सकी, (ii) विधानसभा/ लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने के कारण योजना के विज्ञापन तथा प्रचार-प्रसार पर कम व्यय होने, (iii) विभाग द्वारा प्रशिक्षण केम्पस आयोजित नहीं किये गये क्योंकि भामाशाह नामांकन ई-मित्र केन्द्रों द्वारा तथा स्वयं आनलाईन हो रहा है तथा (iv) भामाशाह नामांकन के कम नामित होने तथा गैप एनालिसिस कम आई.ई.सी. एक्शन प्रोग्राम अन्य लेखा शीर्ष के द्वारा होने से कम्प्यूटरीकरण तथा सम्बन्धित संचार व्यय कम होने को आरोपित की गयी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
205. राज्य सांख्यिकीय एजेन्सी			
(01) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
[01] मुख्यालय			
मू.	4,88.80	3,36.39	..
पु.	- 1,52.41		

₹ 1,52.41 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
205. राज्य सांख्यिकीय एजेन्सी			
(01) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
[05] यंग ईटर्न्स प्रोग्राम			
मू.	13,64.01	9,68.58	- 0.01
पु.	- 3,95.43		

₹ 13,64.01 लाख का प्रावधान योजना के अन्तर्गत 350 इन्टर्न्स को मानदेय के भुगतान हेतु अनुमानित किया गया था। यद्यपि, पुनः विज्ञापन एवं आदर्श आचार संहिता लगने से चयन प्रक्रिया में देरी होने के कारण निर्धारित संख्या में इन्टर्न्स चयनित नहीं हुए तथा इन्टर्न्शिप के दौरान इन्टर्न्स की समयावधी नहीं बढ़ाये जाने के परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 3,95.43 लाख की प्रत्याशित बचत रही।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
205. राज्य सांख्यिकीय एजेन्सी			
(01) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
[06] प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	16,11.31	14,41.86	- 0.01
पु.	- 1,69.45		

₹ 1,69.45 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय, कर्मचारियों का स्थानान्तरण होने, सातवें वेतन आयोग के बकाया का कम भुगतान तथा नव नियुक्त कर्मचारियों को कम दर से वेतन का भुगतान होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 035 - (समाप्त)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[01] मुख्यालय			
मू.	19,19.33		
पु.	12,03.31		
	31,22.64	31,22.65	+ 0.01

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,03.31 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) नई नियुक्ति/पदोन्नति तथा मंहगाई भत्ते की बढी दर के कारण वेतन तथा भत्ते तथा (ii) वर्कशॉप, प्रशिक्षण, सेमिनार और त्योहारों के आयोजन पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

- 02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
- 203. कम्प्यूटर सेवाएं
- (01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
- [02] जिला कार्यालय

मू.	43,28.53		
पु.	9,88.22		
	53,16.75	53,15.84	- 0.91

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,88.22 लाख की अतिरिक्त निधियां नई नियुक्ति/पदोन्नति तथा मंहगाई भत्ते की बढी हुई दर के कारण वेतन तथा भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 5,06.73 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, सितम्बर, 2018 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 43,44.02 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 036 – सहकारिता

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार और
 2425. सहकारिता
 पूंजी – 4408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय,
 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,
 6408. खाद्य भण्डारण तथा भांडागार के लिए कर्ज,
 6425. सहकारिता के लिए कर्ज और
 7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	14,45,89,73	22,31,21,00	22,27,12,04	- 4,08,96
अनुपूरक	7,85,31,27			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				4,02,14
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	32,13,55	7,62,13,42	6,34,19,98	- 1,27,93,44
अनुपूरक	7,29,99,87			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,27,93,44

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 4,08.96 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 7,85,31.27 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 4,08.96 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 6.82 लाख अनुभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 036 - (समाप्त)

पूँजी

दत्तमत

1. ₹ 1,27,93.44 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, कुल अनुपूरक अनुदान ₹ 7,29,99.87 लाख में से फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 2,29,99.87 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4425. सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय			
195. सहकारिता में निवेश			
(01) क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश			
[02] केन्द्रीय सहकारी बैंकों हेतु विनियोजन			
मू. 0.01			
अ. 1,49,99.99	73,76.00	73,76.00	..
पु. - 76,24.00			

फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों में निवेश हेतु लिया गया ₹ 1,49,99.99 लाख का प्रावधान मद में प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था। केन्द्रीय सहकारी बैंकों में वास्तविक निवेश अनुमान से कम था जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2019 को ₹ 76,24.00 लाख अभ्यर्पित किये गये। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

195. सहकारिता में निवेश			
(01) क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश			
[03] राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (अपेक्स बैंक)			
मू. 0.01			
अ. 79,99.88	50,00.00	50,00.00	..
पु. - 29,99.89			

फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में निवेश हेतु लिया गया ₹ 79,99.88 लाख का प्रावधान मद में प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था। राजस्थान स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक में वास्तविक निवेश अनुमान से कम था जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2019 को ₹ 29,99.89 लाख अभ्यर्पित किये गये। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

6425. सहकारिता के लिए कर्ज			
108. अन्य सहकारी समितियों को कर्ज			
(07) स्पिन फेड/कॉटन कॉम्प्लेक्स को उधार			
मू. 25,00.00			
पु. - 21,69.24	3,30.76	3,30.76	..

31 मार्च 2019 को ₹ 21,69.24 लाख का प्रावधान स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन अनुमान से कम प्राप्त होने तथा वित्त विभाग द्वारा कम स्वीकृति जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 037 - कृषि

- मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2401. फसल कृषि-कर्म,
 2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा और
 2435. अन्य कृषि कार्यक्रम
 पूंजी - 4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,
 6401. फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज और
 6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	25,07,19,77	25,07,19,82	20,13,91,40	- 4,93,28,42
अनुपूरक	5			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				4,93,26,68
प्रभारित				
मूल	1,02	6,07,93	6,04,51	- 3,42
अनुपूरक	6,06,91			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				3,42
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	3,91,69,84	4,17,69,84	1,83,52,97	- 2,34,16,87
अनुपूरक	26,00.00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				2,34,16,86

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-2018 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 4,09,89.31 लाख , ₹ 3,25,51.16 लाख, ₹ 3,21,99.34 लाख, ₹ 2,58,51.22 लाख तथा ₹ 4,93,28.42 लाख की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 10.46 प्रतिशत से 20.95 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 037 – (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
102. खाद्यान्न फसलें			
(01) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन			
[02] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन -दलहन			
मू.	2,04.42		
पु.	- 1,84.40	20.02	20.02

31 मार्च 2019 को ₹ 1,84.40 लाख का प्रावधान जिप्सम वितरण एजेन्सियों द्वारा समय पर दावा प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण
(02) कृषि सूचनाएं

मू.	25,83.00	1,62.27	1,62.27	..
पु.	- 24,20.73			

31 मार्च 2019 को ₹ 24,20.73 लाख का प्रावधान (i) विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण प्रचार एवं प्रसार पर कम व्यय होने तथा (ii) मई, 2018 के माह में प्रस्तावित ग्लोबल राजस्थान एग्रीकल्चर मीट ग्राम जोधपुर का आयोजन नहीं हुआ क्योंकि राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" जो कि सम्पूर्ण राज्य में 1 मई, 2018 से 30 जून, 2018 तक राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया तथा इस अभियान में कृषि विभाग के सम्मिलित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण
(13) नवाचार कार्यक्रम/मिनी किट वितरण

मू.	6,36.00	2,46.62	2,46.62	..
पु.	- 3,89.38			

31 मार्च 2019 को ₹ 3,89.38 लाख का प्रावधान मिनीकिट सीड एवं मिनीकट फर्टीलाइजर की मांग कम होने, माह मार्च, 2019 में कोषालय द्वारा बिल पारित नहीं करने एवं कुछ पारित बिलों का बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ई.सी.एस.) के माध्यम से भुगतान नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन
[02] बीज एवं रोपण सामग्री

मू.	4,12.14	1,57.35	1,57.35	..
पु.	- 2,54.79			

31 मार्च 2019 को ₹ 2,54.79 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन			
[03] कृषि अभियांत्रिकी			
मू.	2,00.00	1.96	1.97
पु.	- 1,98.04		+ 0.01
31 मार्च 2019 को ₹ 1,98.04 लाख का प्रावधान सब मिशन आंन कृषि यंत्रिकरण प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों से अपूर्ण आवेदन प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन			
[05] कृषि में ई-गवर्नेंस योजना			
मू.	3,27.38	1,07.31	1,07.30
पु.	- 2,20.07		- 0.01
31 मार्च 2019 को ₹ 2,20.07 लाख का प्रावधान मुख्यतः कृषि में ई गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर्स की निविदा प्रक्रिया में देरी के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
110. फसल बीमा			
(02) फसल बीमा कृषि विभाग के अभिकरण से			
(50% राज्यांश : 50% केन्द्रीयंश)			
मू.	5,30,74.45	3,95,86.61	3,95,86.60
पु.	- 1,34,87.84		- 0.01
31 मार्च 2019 को ₹ 1,34,87.84 लाख का प्रावधान बैंक द्वारा कृषकों के बीमा दावों का इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ई.सी.एस.) के माध्यम से भुगतान नहीं किये जाने, वित्तीय स्वीकृति दिनांक 30.03.2019 को जारी करने के कारण फसल कटाई प्रयोग हेतु प्रोत्साहन मद पर कम व्यय होने तथा राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट फोन एवं क्लोस्टड यूजन ग्रुप (सीयूजी) सिम की स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 63,10.66 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 71,77.18 लाख) किया गया।			
114. तिलहन विकास			
(01) राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पॉम मिशन			
[01] राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पॉम मिशन-तिलहन			
मू.	20,61.44	9,27.53	9,27.52
पु.	- 11,33.91		- 0.01
31 मार्च 2019 को ₹ 11,33.91 लाख का प्रावधान स्कीम के अन्तर्गत व्यय की प्रगति के अनुसार बजट सीमा में कटौती तथा बैंक द्वारा कुछ बिलों का इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ई.सी.एस.) के माध्यम से भुगतान नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 037 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2401. फसल कृषि-कर्म			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(02) बागवानी का विकास			
मू.	28,48.39	15,94.57	15,94.58
पु.	- 12,53.82		+ 0.01

₹ 28,48.39 लाख का प्रावधान ग्रीन हाऊस की स्थापना के कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अनुमानित था। कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त प्रकार के कृषकों हेतु 2000 वर्ग मीटर के ग्रीन हाऊस की स्थापना पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि ₹ 10.00 लाख का अनुदान के रूप में स्वीकार्य था। यद्यपि, अन्य योजनाएं यथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना के अन्तर्गत अनुदान क्रमशः 70 प्रतिशत एवं 75 प्रतिशत स्वीकृत है जिसके कारण कृषकों द्वारा योजना के अन्तर्गत अधिक रुझान नहीं दिखाया गया। राज्य विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण ग्रीन हाऊस की प्रशासनिक स्वीकृतियां देरी से जारी होने एवं अन्य योजनाओं में अधिक अनुदान प्राप्त होने के परिणामतः ₹ 12,53.82 लाख का प्रावधान 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किया गया।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें
(25) राष्ट्रीय बागवानी मिशन

मू.	56,25.02	49,69.20	49,69.13	- 0.07
पु.	- 6,55.82			

31 मार्च 2019 को ₹ 6,55.82 लाख का प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रीय अंश कम तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें
(36) सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान

मू.	1,24,78.11	1,03,07.24	1,03,07.23	- 0.01
पु.	- 21,70.87			

31 मार्च 2019 को ₹ 21,70.87 लाख का प्रावधान (i) सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र की लागत मुल्य कम होने तथा (ii) कोषालय द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद पारित बिलों को लौटाये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें
(38) राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बम्बू मिशन

मू.	1,39.44
पु.	- 1,39.44			

31 मार्च 2019 को ₹ 1,39.44 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु मिशन योजना के संचालन की स्वीकृति नहीं दी जाने के कारण वर्ष 2018-19 में योजना का संचालन नहीं होने से अभ्यर्पित किया गया।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं
[19] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- गेहू

मू.	15,06.74	6,15.92	6,15.92	..
पु.	- 8,90.82			

31 मार्च 2019 को ₹ 8,90.82 लाख का प्रावधान भारत सरकार से वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह में राशि प्राप्त होने से वित्तीय बाध्यता के कारण जारी नहीं की जा सकी तथा फलस्वरूप राज्यांश जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[20] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन			
मू.	1,13,57.42		
		1,02,57.69	1,02,57.69
पु.	- 10,99.73		..
31 मार्च 2019 को ₹ 10,99.73 लाख का प्रावधान योजना के अन्तर्गत व्यय की प्रगति के अनुसार बजट सीमा में कटौती तथा मार्च, 2019 में कोषालय द्वारा कुछ बिलों को पारित नहीं करना तथा वित्त विभाग द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिकों को लिये जाने की बाध्यता के कारण भारत सरकार की प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट टीम में अनुबंधित सेवाओं में 28 कन्सलटेन्ट व 42 तकनीकी सहायकों के पद रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[22] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटे अनाज			
मू.	18,48.18		
		6,83.90	6,83.91
पु.	- 11,64.28		+ 0.01
31 मार्च 2019 को ₹ 11,64.28 लाख का प्रावधान प्रति फसल प्रदर्शन पर लागत अनुमान से कम आने तथा राज्य बीज निगम के स्तर पर जौ व मक्का के बीज की उपलब्धता नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[23] राष्ट्रीय तिलहन मिशन-तिलहन			
मू.	23,27.07		
		18,18.70	18,18.70
पु.	- 5,08.37		..
31 मार्च 2019 को ₹ 5,08.37 लाख का प्रावधान योजना के अन्तर्गत व्यय की प्रगति के अनुसार बजट सीमा में कटौती तथा कोषालय द्वारा माह मार्च, 2019 के अंतिम कार्य दिवस में पारित बिलों का बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (ई.सी.एस.) के माध्यम से भुगतान नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[25] राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन-कृषि विस्तार			
मू.	14,63.00		
		12,47.99	12,47.99
पु.	- 2,15.01		..
31 मार्च 2019 को ₹ 2,15.01 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा राज्यांश की सीलिंग में कमी किये जाने के परिणामतः केन्द्रीयंश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[26] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि अभियांत्रिकी			
मू.	24,95.32	14,83.27	14,83.27
पु.	- 10,12.05		..
31 मार्च 2019 को ₹ 10,12.05 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा बजट सीमा में कमी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[28] टिकाउ खेती मिशन-बारानी क्षेत्र विकास			
मू.	4,38.46	37.86	37.86
पु.	- 4,00.60		..
31 मार्च 2019 को ₹ 4,00.60 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार द्वारा जारी नये दिशा निर्देशों का खरीफ फसल में क्रियान्वयन नहीं हुआ क्योंकि यह संशोधित किये गये, (ii) कोषालय द्वारा बिल पारित नहीं करने एवं संबंधित कार्यालयों को वापस लौटाने तथा (iii) बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (ई.सी.एस.) के माध्यम से बिलों का भुगतान नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[31] परम्परागत कृषि विकास योजना			
मू.	33,74.85	14,01.30	14,01.29
पु.	- 19,73.55		- 0.01
31 मार्च 2019 को ₹ 19,73.55 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार द्वारा जारी नये दिशा निर्देशों का खरीफ फसल में क्रियान्वयन नहीं हुआ क्योंकि यह संशोधित किये गये, (ii) कोषालय द्वारा बिल पारित नहीं करने एवं संबंधित कार्यालयों को वापस लौटाने तथा (iii) बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (ई.सी.एस.) के माध्यम से बिलों का भुगतान नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[35] टिकाऊ खेती मिशन कृषि वानिकी			
मू.	2,46.46	1,43.91	1,43.90
पु.	- 1,02.55		- 0.01
31 मार्च 2019 को ₹ 1,02.55 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[36] बीज विकास			
मू.	5,94.63	3,00.62	3,00.62
पु.	- 2,94.01		..
31 मार्च 2019 को ₹ 2,94.01 लाख का प्रावधान (i) खरीफ की फसल में मूंगफली का बीज उपलब्ध नहीं होने, (ii) रबी की फसल हेतु विभाग द्वारा अनुमानित राशि की तुलना में संस्थाओं द्वारा निर्धारित की गयी बीज की वास्तविक लागत कम थी लेकिन दरों का निर्धारण विलम्ब से होने के कारण भौतिक लक्ष्य नहीं बढ़ाया जा सका तथा (iii) 26 मार्च 2019 के बाद कोषालयों द्वारा बिल पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 037 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(23) मिशन फॉर लिवलिहुड			
मू.	47,69.58		
पु.	- 27,08.89	20,60.69	20,60.69

31 मार्च 2019 को ₹ 27,08.89 लाख का प्रावधान राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम के व्यक्तिगत खालों में गत वर्षों की अवशेष राशि की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	1,15,97.01		
पु.	- 82,26.83	33,70.18	33,70.17

₹ 82,26.83 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण प्रचार व प्रसार कार्यों का निष्पादन कम होने तथा (ii) माह मार्च, 2019 में कोषालयों द्वारा बिल पारित नहीं किये जाने को आरोपित की गयी ।

800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	37,39.28		
पु.	- 14,93.05	22,46.23	22,46.23

800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[03] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	11,71.50		
पु.	- 6,20.21	5,51.29	5,51.29

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 21,13.16 लाख का प्रावधान कोषालयों द्वारा कुछ बिलों को पारित नहीं करने तथा बैंक द्वारा कुछ बिलों को इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ई.सी.एस.) के माध्यम से भुगतान नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया ।

800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[08] स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के माध्यम से जारी अनुदान			
मू.	1,50.00		
पु.	- 1,50.00

31 मार्च 2019 को ₹ 1,50.00 लाख का समस्त प्रावधान विश्वविद्यालय को कोई भी राशि स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[09] महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के माध्यम से			
मू.	5,88.47	1,75.00	1,75.00
पु.	- 4,13.47		..
31 मार्च 2019 को ₹ 4,13.47 लाख का प्रावधान विश्वविद्यालय को राशि स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[16] राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के माध्यम से			
मू.	10,95.00	6,37.00	6,37.00
पु.	- 4,58.00		..
31 मार्च 2019 को ₹ 4,58.00 लाख का प्रावधान विधान सभा एवं लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण कुछ परियोजनाओं पर व्यय नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[18] श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के माध्यम से			
मू.	5,33.00	33.00	33.00
पु.	- 5,00.00		..
31 मार्च 2019 को ₹ 5,00.00 लाख का प्रावधान व्यय की प्रगति के अनुसार बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[19] कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के माध्यम से			
मू.	4,50.00	1,78.36	1,78.36
पु.	- 2,71.64		..
31 मार्च 2019 को ₹ 2,71.64 लाख का प्रावधान व्यय की प्रगति के अनुसार बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(31) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	54,39.47		
अ.	0.02	34,69.71	34,69.71
पु.	- 19,69.78		..
₹ 19,69.78 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः व्यय की प्रगति के अनुसार बजट सीमा में कटौती और कोषालय द्वारा कुछ बिलों को पारित नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।			
800. अन्य व्यय			
(31) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[02] उद्यानिकी विभाग के माध्यम से			
मू.	36,01.00		
पु.	- 15,75.33	20,25.67	20,25.68
			+ 0.01
800. अन्य व्यय			
(31) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[03] जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से			
मू.	1,57.16		
पु.	- 1,36.55	20.61	20.61
			..
800. अन्य व्यय			
(31) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[04] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	17,90.50		
अ.	0.01	13,35.02	13,35.02
पु.	- 4,55.49		..
800. अन्य व्यय			
(31) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[05] भू-जल विभाग के माध्यम से			
मू.	8,01.00		
पु.	- 7,80.40	20.60	20.60
			..

उपरोक्त चार शीर्षा के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 29,47.77 लाख का प्रावधान व्यय की प्रगति के अनुसार बजट सीमा में कटौती और कोषालय द्वारा कुछ बिलों के पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(35) राष्ट्रीय टिकाउ खेती मिशन			
[02] मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन			
मू.	6,24.43	3,83.01	3,82.99
पु.	- 2,41.42		
			- 0.02

₹ 2,41.42 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से वर्ष 2015-16 की लम्बित दायित्वों के भुगतान से सम्बन्धित राशि कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी।

800. अन्य व्यय
(37) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
[01] कृषि विभाग के माध्यम से

मु.	1,30,52.99	1,00,54.23	1,00,54.23	..
पु.	- 29,98.76			

31 मार्च 2019 को ₹ 29,98.76 लाख का प्रावधानबैंक द्वारा मार्च, 2019 के अंतिम कार्य दिवसों में इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (ई.सी.एस.) के माध्यम से बिलों का भुगतान नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[18] छात्राओं को कृषि शिक्षा हेतु प्रोत्साहन			
मू.	4,90.00	7,32.28	7,32.28
पु.	2,42.28		
			..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,42.28 लाख की अतिरिक्त निधियां छात्राओं से प्रोत्साहन हेतु अधिक ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं
[29] टिकाउ खेती मिशन-मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन

मू.	13,63.57	15,06.33	15,06.31	- 0.02
पु.	1,42.76			

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,42.76 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से मिट्टी के अधिक नमूने परीक्षण हेतु अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[37] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-पोष्टिक अनाज			
अ .	0.01		
		3,32.90	3,32.90
पु .	3,32.89		..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,32.89 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से नई योजनाओं को लागू करने हेतु निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
800. अन्य व्यय			
(02) जल आयोजना हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[01] सिंचाई जल का समुचित उपयोग			
मू .	0.01		
		39,58.16	39,58.16
पु .	39,58.15		..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 39,58.15 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में बजट घोषणा की पालना में डिग्गी, फार्म पॉण्ड एवं जलहौज के निर्माण पर टांप-अप अनुदान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
01. फसल कृषि कर्म			
004. अनुसंधान			
(07) कृषि विश्वविद्यालय, कोटा को सहायतार्थ अनुदान			
मू .	1,19.19		
		2,20.51	2,20.51
पु .	1,01.32		..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,01.32 लाख की अतिरिक्त निधियां नई भर्तियों तथा मंहगाई भत्तों की दर में बढ़ोत्तरी के कारण वेतन तथा भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[06] स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर-प्रतिबद्ध			
मू .	39,00.01		
		45,00.00	45,00.00
पु .	5,99.99		..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां नयी योजनाओं तथा मौजूदा स्कीम के विस्तार पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 037 – (क्रमशः)

पूंजी

दत्तमत

1. सितम्बर, 2018 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 26,00.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 1,20,30.20 लाख, ₹ 1,35,61.00 लाख, ₹ 3,56,41.55 लाख, ₹ 49,22.48 लाख तथा ₹ 2,34,16.87 लाख की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 17.79 प्रतिशत से 60.52 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) कृषि विभाग के अभिकरण से			
[01] भवन			
मू. 7,10.00	6,08.00	6,08.00	..
पु. - 1,02.00			
31 मार्च 2019 को ₹ 1,02.00 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
800. अन्य व्यय			
(02) कृषि विभाग के अभिकरण से			
[05] किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण			
मू. 20,00.00	7,74.92	7,74.92	..
पु. - 12,25.08			
31 मार्च 2019 को ₹ 12,25.08 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू. 9,80.00	4,30.00	4,30.00	..
पु. - 5,50.00			
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू. 32,51.00	5,73.30	5,73.29	- 0.01
पु. - 26,77.70			

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[03] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	22,00.76		
पु.	- 16,42.39	5,58.37	5,58.37
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[06] विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से			
मू.	1,00.00
पु.	- 1,00.00
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[07] कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से			
मू.	12,00.00	2,18.75	2,18.75
पु.	- 9,81.25		
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[09] वन विभाग के माध्यम से			
मू.	20,00.20	7,49.98	7,49.98
पु.	- 12,50.22		
उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 72,01.56 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(04) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[04] जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से			
मू.	64,39.95
पु.	- 64,39.95
31 मार्च 2019 को ₹ 64,39.95 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा विभाग को निधियों का सीधे हस्तान्तरण के कारण अभ्यर्पित की गयी।			
800. अन्य व्यय			
(06) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	13,32.69	2,25.91	2,25.91
पु.	- 11,06.78		

अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(06) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[03] जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से			
मू.	42,57.46		
पु.	- 12,07.09	30,50.37	30,50.37
800. अन्य व्यय			
(06) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[04] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	18,13.00
पु.	- 18,13.00
800. अन्य व्यय			
(06) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[05] भू-जल विभाग के माध्यम से			
मू.	3,38.00
पु.	- 3,38.00
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 44,64.87 लाख का प्रावधान व्यय की प्रगति के अनुसार बजट सीमा में कटौती एवं कोषालयों द्वारा कुछ बिलों को पारित नहीं के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(06) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[06] जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
मू.	39,26.62	21,02.98	21,02.98
पु.	- 18,23.64		..
31 मार्च 2019 को ₹ 18,23.64 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज			
02. भंडारण तथा भांडागार			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(01) गोदामों का निर्माण			
[01] राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम को उधार			
मू.	80,00.00	27,00.00	27,00.00
पु.	- 53,00.00		..

31 मार्च 2019 को ₹ 53,00.00 लाख का प्रावधान (i) गोदामों के निर्माण की धीमी प्रगति तथा (ii) निगम को ऋण कार्य के चरणों में पूर्ण होने तथा मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से चरण सत्यापन तथा कार्य की निरीक्षण से सम्बन्धित रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जारी किया जाना था लेकिन वर्ष के अन्त तक चरण का कार्य पूर्ण नहीं होने से राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम को कम ऋण जारी करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 20,90.01 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 32,09.99 लाख) किया गया।

अनुदान संख्या 037 - (समाप्त)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रु.लाख में)	आधिक्य + बचत -
6401. फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज			
800. अन्य कर्ज			
(09) विश्वविद्यालय को उधार			
[02] स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को कर्ज			
मू.	0.01		
अ.	26,00.00	58,10.00	..
पु.	32,09.99		

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 32,09.99 लाख की अतिरिक्त निधियां स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को कर्ज हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 038 - लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2402. मृदा तथा जल संरक्षण और
 2702. लघु सिंचाई
 पूंजी - 4402. मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय और
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,22,00,92	1,37,89,09	1,37,02,02	- 87,07
अनुपूरक	15,88,17			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				86,01
प्रभारित				
मूल	4	2,71	2,65	- 6
अनुपूरक	2,67			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				5
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	56,02	56,02	19,85	- 36,17
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				36,17

टिप्पणी तथा टीका :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 87.07 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 15,88.17 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 039 – पशुपालन एवं चिकित्सा

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2403. पशु-पालन,
 2404. डेरी विकास,
 2405. मछली-पालन और
 2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
 पूंजी – 4403. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय,
 4404. डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
 4405. मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय,
 6403. पशु-पालन के लिए कर्ज और
 6404. डेयरी विकास के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	11,21,47,63	11,21,47,68	10,63,95,42	- 57,52,26
अनुपूरक	5			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				56,11,81
प्रभारित				
मूल	1,01	1,01	..	- 1,01
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,01
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	17,53,06	28,77,33	23,66,96	- 5,10,37
अनुपूरक	11,24,27			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				5,10,37

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 57,52.26 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 1,40.45 लाख अनुअभ्यर्पित रही ।

अनुदान संख्या 039 – (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) पशुपालन			
[01] प्रधान कार्यालय कर्मचारी वर्ग			
मू.	10,52.48	9,01.59	8,99.90
पु.	- 1,50.89		

₹ 1,50.89 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सभी कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग के लाभों का भुगतान न होने, आश्वासित केरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के समय पर स्वीकृत न होने तथा पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

001. निदेशन तथा प्रशासन
(01) पशुपालन
[11] पशुपालन विश्वविद्यालय को अनुदान

मू.	40,66.17	33,67.04	33,67.04	..
पु.	- 6,99.13			

31 मार्च 2019 को ₹ 6,99.13 लाख का प्रावधान पशुपालन विश्वविद्यालय को अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

001. निदेशन तथा प्रशासन
(01) पशुपालन
[15] प्रधान कार्यालय -प्रतिबद्ध

मू.	77,02.58	72,05.70	72,03.39	- 2.31
पु.	- 4,96.88			

₹ 4,96.88 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सभी कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग के लाभों का भुगतान न होने, आश्वासित केरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के समय पर स्वीकृत न होने तथा पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य
(17) पशु रोग नियंत्रण योजना (एस्केड) (1:3)

मू.	2,66.92	67.15	67.15	..
पु.	- 1,99.77			

31 मार्च 2019 को ₹ 1,99.77 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 039 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(26) अस्पताल तथा औषधालय			
[01] पशु चिकित्सा केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू.	5,03,05.21		
पु.	- 44,98.45		
	4,58,06.76	4,57,14.32	- 92.44
₹ 44,98.45 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सभी कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग के लाभों का भुगतान न होने, आश्वासित केरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के समय पर स्वीकृत न होने तथा पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
₹ 92.44 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
102. पशु तथा भैंस विकास			
(20) गोपालन विभाग			
[03] गौ-शालाओं को अनुदान			
मू.	1,30,00.00		
अ.	0.01		
पु.	- 11,07.75		
	1,18,92.26	1,18,92.26	..
31 मार्च 2019 को ₹ 11,07.75 लाख का प्रावधान आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के कारण गौ-शालाओं को इसी सीमा तक अनुदान के कम वितरण के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 8,46.52 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 2,61.23 लाख) किया गया।			
102. पशु तथा भैंस विकास			
(21) पशु अभिजनन			
[01] पशु एवं कुक्कुट फार्म-प्रतिबद्ध			
मू.	11,27.31		
पु.	- 1,28.19		
	9,99.12	9,97.75	- 1.37
₹ 1,28.19 लाख की प्रत्याशित बचत सभी कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग के लाभों का भुगतान न होने, आश्वासित केरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के समय पर स्वीकृत न होने तथा पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
102. पशु तथा भैंस विकास			
(23) भेड़ और बकरी आनुवंशिकता सुधार योजना			
[01] भेड़ और बकरी विकास			
मू.	19,73.72		
पु.	- 19,24.25		
	49.47	49.47	..
₹ 19,24.25 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः योजना के माह दिसम्बर, 2018 में प्रारम्भ होने तथा चुनाव आचार संहिता लगने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 039 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
108. पशुधन तथा मुर्गी बीमा			
(01) निदेशालय पशु पालन विभाग			
[01] पशु बीमा			
मू.	3,60.02	80.00	80.00
पु.	- 2,80.02		..

₹ 2,80.02 लाख का प्रावधान राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड द्वारा जारी निविदा में किसी भी बीमा कम्पनी द्वारा भागीदारी न करने के कारण 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किया गया।

2405. मछली पालन			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) जिला कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	10,62.18	9,02.43	9,01.46
पु.	- 1,59.75		- 0.97

₹ 1,59.75 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

101. अन्तर्देशीय मछली पालन
(10) नीली क्रांति
[02] काफ्ट एण्ड गियर

मू.	1,27.33	0.60	0.60
पु.	- 1,26.73		..

31 मार्च 2019 को ₹ 1,26.73 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(05) अस्पताल और चिकित्सालय			
मू.	98,20.95	1,11,82.73	1,11,51.60
पु.	13,61.78		- 31.13

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,61.78 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के तहत बकाया के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 31.13 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 039 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2404. डेरी विकास			
195. सहकारी समितियों को सहायता			
(04) मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना			
[01] राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन के माध्यम से			
अ .	0.01		
		36,00.00	..
पु .	35,99.99		

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 35,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।।

पूंजी

दत्तमत

- ₹ 5,10.37 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 11,24.27 लाख के कुल अनुपूरक अनुदान में से फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 11,24.23 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु-पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(10) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. योजना अंतर्गत भवन निर्माण			
[01] पशु चिकित्सालयों, डिस्पेंसरियों एवं जिला कार्यालयों का सुदृढीकरण			
मू .	10,00.01		
अ .	10,00.00	17,40.00	..
पु .	- 2,60.01		

फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान द्वारा पशु चिकित्सालयों के निर्माण हेतु लिया गया ₹ 10,00.00 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2019 को ₹ 2,60.01 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य
- (12) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. XXIII योजना
- [01] निर्माण कार्य

मू .	5,00.01		
पु .	- 5,00.01

31 मार्च 2019 को ₹ 5,00.01 लाख का समस्त प्रावधान परियोजना में परिवर्तन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,99.93 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 1,00.08 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 039 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4405. मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
101. अन्तर्देशीय मछली-पालन			
(07) नीली क्रांति			
[01] ब्रुड बैंक			
मू.	1,00.00
पु.	- 1,00.00

31 मार्च 2019 को ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु-पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(14) पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सालय उप-केन्द्रों का निर्माण-नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. टी-XXIV			
[01] निर्माण कार्य			
अ.	1,24.25	5,00.00	..
पु.	3,75.75	5,00.00	..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,75.75 लाख की अतिरिक्त निधियां नये पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 040 – राजकीय उपक्रम

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2852. उद्योग

पूंजी – 4860. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय और

6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज

			कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व					
दत्तमत					
मूल	1,68,72				
अनुपूरक	..		1,68,72	1,19,67	- 49,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)					
					49,04
प्रभारित					
मूल	1				
अनुपूरक	..		1	..	- 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)					
					1
पूंजी					
दत्तमत					
मूल	2				
अनुपूरक	..		2	- 25,31	- 25,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)					
					2
टिप्पणी तथा टीका:					
पूंजी					
दत्तमत					
1. ₹ 25.31 लाख का ऋण व्यय राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में राजस्थान सरकार के अंश का विनिवेश करने के कारण था।					

अनुदान संख्या 041 – सामुदायिक विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

पूंजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	75,42,14,44			
अनुपूरक	..	75,42,14,44	44,50,66,25	- 30,91,48,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				30,91,42,49
प्रभारित				
मूल	1			
अनुपूरक	..	1	..	- 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1

पूंजी

दत्तमत				
मूल	13,74,00			
अनुपूरक	..	13,74,00	4,46,55	- 9,27,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				9,27,45

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम				
003. प्रशिक्षण				
(04) इंदिरा गाँधी पंचायती एवं ग्रामीण विकास संस्थान				
[01] इंदिरा गाँधी पंचायती एवं ग्रामीण विकास संस्थान-प्रतिबद्ध				
मू.	3,60.00			
पु.	- 3,60.00

31 मार्च 2019 को ₹ 3,60.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 041 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	आधिक्य + बचत –
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिये सहायता (कुल प्रावधान का 3 प्रतिशत)			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	1,04,39.67		
पु.	- 24,21.58	80,18.09	80,18.09
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 24,21.58 लाख का प्रावधान गत वर्ष की अवशेष राशि की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(25) ग्रामीण बी.पी.एल आवास			
[01] सामान्य कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	3,26,56.60		
पु.	- 35,45.32	2,91,11.28	2,91,11.28
			..
₹ 3,26,56.60 लाख का प्रावधान बी.पी.एल. परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु निधियां उपलब्ध कराने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, ₹ 35,45.32 लाख की प्रत्याशित बचत रही, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(39) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	17,20,83.31		
पु.	- 13,58,18.87	3,62,64.44	3,62,64.44
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 13,58,18.87 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	4,17,58.69		
पु.	- 96,86.33	3,20,72.36	3,20,72.36
			..
₹ 4,17,58.69 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं के रखरखाव के दायित्वों को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान हेतु अनुमानित था यद्यपि, गत वर्ष की अवशेष राशि की उपलब्धता के कारण 31 मार्च 2019 को ₹ 96,86.33 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 041 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(03) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	15,65,95.11	11,42,36.30	11,42,36.30
पु.	- 4,23,58.81		..

₹ 15,65,95.11 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं के रखरखाव के दायित्वों को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान हेतु अनुमानित था यद्यपि, गत वर्ष की अवशेष राशि की उपलब्धता के कारण 31 मार्च 2019 को ₹ 4,23,58.81 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(33) 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	18,66,09.07	9,33,04.54	9,33,04.54
पु.	- 9,33,04.53		..

31 मार्च 2019 को ₹ 9,33,04.53 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 9,11,21.95 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 21,82.58 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(34) 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	2,35,35.23
पु.	- 2,35,35.23		..

31 मार्च 2019 को ₹ 2,35,35.23 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 041 – (समाप्त)

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(42) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	0.02		
पु.	14,79.80	14,79.82	..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,79.80 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(22) पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध विकास			
कोष-सामान्य			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	0.01		
पु.	3,39.59	3,39.60	..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 3,39.59 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

पूँजी

दत्तमत

- वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 45.58 लाख, ₹ 1,40.01 लाख, ₹ 5,34.65 लाख, ₹ 10,24.67 लाख तथा ₹ 9,27.45 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 15.30 प्रतिशत से 83.01 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
103. ग्राम विकास			
(01) निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से			
[01] पंचायत समितियों/जिला परिषदों को भवन निर्माण हेतु			
मू.	13,74.00		
पु.	- 9,27.45	4,46.55	..
31 मार्च 2019 को ₹ 9,27.45 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 042 - उद्योग

मुख्य शीर्ष : राजस्व -2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर,
 2851. ग्राम तथा लघु उद्योग और
 2852. उद्योग
 पूंजी - 4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4885. उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,
 6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज,
 6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज और
 6885. उद्योगों और खनिजों के लिए अन्य कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	2,51,30,74			
अनुपूरक	..	2,51,30,74	2,14,90,46	- 36,40,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				36,19,02
प्रभारित				
मूल	3			
अनुपूरक	..	3	..	- 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				3
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	4,33,41,14			
अनुपूरक	..	4,33,41,14	21,93,74	- 4,11,47,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				4,11,42,64

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 36,40.28 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 21.26 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-2018 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 9,64.38 लाख, ₹ 4,06.27 लाख, ₹ 52,58.21 लाख, ₹ 11,29.15 लाख तथा ₹ 36,40.28 लाख की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 1.72 प्रतिशत से 16.26 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

अनुदान संख्या 042 - (क्रमशः)

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर			
800. अन्य व्यय			
(04) राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[04] जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हेतु पूंजी अनुदान			
मू.	2,00.00
पु.	- 2,00.00

31 मार्च 2019 को ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान किसी भी ईकाई द्वारा पूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप छत्र ऋण सेवा केन्द्र (एस एल एस सी) पर कोई मामला प्रस्तुत नहीं किया गया परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत बचत रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2851. ग्राम तथा लघु उद्योग
111. बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार योजना
- (05) मुद्रा योजना के अन्तर्गत ब्याज अनुदान
- [01] ऋण पर ब्याज अनुदान

मू.	20,00.00
पु.	- 20,00.00

₹ 20,00.00 लाख का प्रावधान मुद्रा व्यापार योजना के तहत बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2019 को ₹ 20,00.00 लाख का समस्त प्रावधान मुद्रा व्यापार योजना की व्यय सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित (₹ 17,25.54 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,74.46 लाख) किया गया।

2852. उद्योग
80. सामान्य
001. निदेशन तथा प्रशासन
- (04) जिला उद्योग केन्द्र-प्रतिबद्ध

मू.	37,90.27	32,82.10	32,77.07	- 5.03
पु.	- 5,08.17			

₹ 5,08.17 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

₹ 5.03 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य
102. औद्योगिक उत्पादकता
- (02) ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (बी.आई.पी.) को अनुदान

मू.	7,70.00	5,00.00	5,00.00	..
पु.	- 2,70.00			

31 मार्च 2019 को ₹ 2,70.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 042 - (समाप्त)

पूंजी

दत्तमत

1. वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 35,46.28 लाख, ₹ 48.54 लाख, ₹ 42,52.66 लाख तथा ₹ 4,11,47.40 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 33.29 प्रतिशत से 94.81 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य			
800. अन्य व्यय			
(24) दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरीडोर (डी एम आई सी)			
मू.	4,18,64.01	7,53.56	7,53.56
पु.	- 4,11,10.45		..

31 मार्च 2019 को ₹ 4,11,10.45 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान विभाग के भूमि अधिग्रहण शाखा में पदों के रिक्त रहने से डी एम आई सी परियोजना के अन्तर्गत कुशखेडा-भिवाडी-नीमराना निवेश क्षेत्र में भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजे का भुगतान न करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 4,10,85.46 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 24.99 लाख) किया गया।

अनुदान संख्या 043 - खनिज

- मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2802. पेट्रोलियम और
 2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग
 पूंजी - 4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर
 पूंजीगत परिव्यय और
 6802. पेट्रोलियम के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	1,31,13,76	1,42,54,52	- 3,51,77
अनुपूरक	11,40,76		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			3,36,43
प्रभारित			
मूल	1	12,26	..
अनुपूरक	12,25	12,26	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			1
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	2,23,50,11	2,23,50,12	- 94,36,08
अनुपूरक	1	1,29,14,04	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			94,36,08

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

- ₹ 3,51.77 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2019 में द्वितीय अनुपूरक अनुदान केन्द्रीय माल एवं सेवा कर के भुगतान हेतु लिया गया ₹ 11,40.76 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 3,51.77 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 15.34 लाख अनुअभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 043 – (क्रमशः)

3. वर्ष, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 94,51.16 लाख, ₹ 1,38,87.48 लाख, ₹ 41,01.62 लाख, ₹ 20,12.13 लाख तथा ₹ 3,51.77 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 2.47 प्रतिशत से 47.98 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग			
02. खानों का विनियमन तथा विकास			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) संचालन एवं अधीक्षण			
मू.	13,05.20	11,59.83	11,59.41
पु.	- 1,45.37		
₹ 1,45.37 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

02. खानों का विनियमन तथा विकास			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) सघन पूर्वक्षण तथा खनिज सर्वेक्षण			
मू.	4,70.05	2,71.18	2,71.08
पु.	- 1,98.87		
₹ 1,98.87 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वर्ष 2014-15 से सम्बन्धित छिद्रण कार्य के बकाया का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी क्योंकि फर्म के सभी बिलों की विस्तृत जांच एवं आवश्यक कटौतियों के पश्चात भुगतान योग्य राशि नगण्य हो गयी।			

पूंजी

दत्तमत

1. वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 1,08,20.49 लाख, ₹ 80,99.63 लाख, ₹ 1,55,47.13 लाख, ₹ 3,78,22.85 लाख तथा ₹ 94,36.08 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 42.22 प्रतिशत से 100.00 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) एच. पी. सी. एल.-राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड			
[01] रिफायनरी			
मू.	1,13,00.00	46,80.00	46,80.00
पु.	- 66,20.00		
31 मार्च 2019 को ₹ 66,20.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 043 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
004. अनुसंधान तथा विकास			
(07) मार्किंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[01] खनन क्षेत्रों में सड़क निर्माण, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	99,00.00		
पु.	- 18,40.67	80,59.33	80,59.33

31 मार्च 2019 को ₹ 18,40.67 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खनन उपागम सड़कों के निर्माण/सुदृढीकरण कार्य का निष्पादन कम होने के परिणामस्वरूप व्यय में कमी के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
004. अनुसंधान तथा विकास			
(07) मार्किंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[02] खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से			
मू.	5,00.00		
पु.	- 5,00.00

31 मार्च 2019 को ₹ 5,00.00 लाख का समस्त प्रावधान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यय नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2016-17 और 2017-18 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
004. अनुसंधान तथा विकास			
(07) मार्किंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[04] खान एवं भू-विज्ञान विभाग			
मू.	6,00.01		
पु.	- 4,25.30	1,74.71	1,74.71

31 मार्च 2019 को ₹ 4,25.30 लाख का प्रावधान (i) कोषालय द्वारा मार्च, 2019 के अंतिम दिनों में वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली (जी.एन.एस.एस.) क्रय के ₹ 2,50.00 लाख के बिल पारित नहीं करने के कारण, (ii) ₹ 1,63.53 लाख के ड्रिलिंग उपकरणों हेतु निविदादाता द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं करने से क्रय प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने तथा (iii) ₹ 11.95 लाख के ड्रिलिंग उपकरणों के कोषालय से भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 044 – लेखन सामग्री एवं मुद्रण

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण
पूंजी – 4058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	39,57,60			
अनुपूरक	..	39,57,60	32,96,21	- 6,61,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				6,61,39
प्रभारित				
मूल	1			
अनुपूरक	..	1	..	- 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1

पूंजी

दत्तमत				
मूल	12,10			
अनुपूरक	..	12,10	12,10	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				..

टिप्पणी तथा टीका:

राजस्व

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण				
103. सरकारी मुद्रणालय				
(01) मुद्रण कार्य				
[01] राजकीय मुद्रण-प्रतिबद्ध				
मू.	37,41.90			
पु.	- 6,32.11	31,09.79	31,09.80	+ 0.01

₹ 6,32.11 की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 37 कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति होने, 3 कर्मचारियों की मृत्यु होने तथा 2 कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के कारण पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 045 – राज्य कर्मचारियों को ऋण
(समस्त दत्तमत)

इस अनुदान के अंतर्गत प्रावधान नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 046 - सिंचाई

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2700. मुख्य सिंचाई,
 2701. मध्यम सिंचाई और
 2702. लघु सिंचाई
 पूंजी - 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय और
 4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
दत्तमत			
मूल	23,84,72,51	23,84,72,54	17,65,95,21
अनुपूरक	3		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			6,46,88,51
प्रभारित			
मूल	8	5,43,69	5,40,33
अनुपूरक	5,43,61		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			3,36
पूंजी			
दत्तमत			
मूल	16,53,76,50	16,53,76,70	14,14,63,26
अनुपूरक	20		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			2,68,40,07
प्रभारित			
मूल	2	2,53,10	2,52,21
अनुपूरक	2,53,08		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)			88

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 6,18,77.33 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 6,46,88.51 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) राजस्व कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध			
मू.	4,59.90	2,90.55	2,90.52
पु.	- 1,69.35		

31 मार्च 2019 को ₹ 1,69.35 लाख का प्रावधान भाखरा सिंचाई प्रणाली पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के वास्तविक भुगतान के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव एवं मरम्मत			
(01) भाखरा नांगल द्वारा व्यय			
[01] कार्य प्रभारित व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	7,83.99	6,78.46	6,78.18
पु.	- 1,05.53		

31 मार्च 2019 को ₹ 1,05.53 लाख का प्रावधान भाखरा सिंचाई प्रणाली पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के वास्तविक भुगतान के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) पूंजी लेखों पर ब्याज-प्रतिबद्ध			
मू.	9,04.96	6,38.89	7,03.60
पु.	- 2,66.07		

31 मार्च 2019 को ₹ 2,66.07 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान ब्याज दर में 10 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत तक कमी होने के कारण पूंजी लेखा पर ब्याज का कम समायोजन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, पूंजी लेखा पर ब्याज का वास्तविक समायोजन संशोधित अनुमान से अधिक था परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 64.71 लाख का आधिक्य रहा, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) मुख्य अभियंता, जल संसाधन, जयपुर के माध्यम से (कोटा बैराज)			
[01] दाहिनी मुख्य नहर से स्थानान्तरित प्रोरेटा-प्रतिबद्ध			
मू.	1,12.26	73.53	..
पु.	- 38.73		

31 मार्च 2019 को ₹ 38.73 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 73.53 लाख का समस्त प्रावधान अनुपयोजित रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
03. व्यास परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय			
[01] पूंजी लेखे पर ब्याज-प्रतिबद्ध			
मू.	15,84.73
पु.	- 15,84.73

31 मार्च 2019 को ₹ 15,84.73 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार के निर्णयानुसार पूंजी लेखे पर ब्याज का समायोजन नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। निर्णय के अनुसार, केवल वे चालू परियोजनाएं, जिन पर ऋण बकाया है तथा ब्याज का भुगतान किया जा रहा है, ही पूंजी लेखा पर ब्याज की गणना हेतु सम्मिलित की जानी चाहिए।

04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) इंदिरा गाँधी नहर कि.मी. 0 से कि.मी. 74 तक, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग (उत्तर), हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[02] कार्य प्रभारित स्थापना-प्रतिबद्ध			
मू.	8,05.33	6,38.34	6,38.22
पु.	- 1,66.99		- 0.12

31 मार्च 2019 को ₹ 1,66.99 लाख का प्रावधान परियोजना पर रखरखाव के लिए वास्तव में कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों के अनुसार मजदूरी का भुगतान करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) इंदिरा गाँधी नहर कि.मी. 0 से कि.मी. 74 तक, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग (उत्तर), हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[04] जल उपभोक्ता संगमों को जल प्रभार की वापसी-प्रतिबद्ध			
मू.	5,00.00	2,11.03	2,14.75
पु.	- 2,88.97		+ 3.72

₹ 5,00.00 लाख का प्रावधान इंदिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र में जल उपभोक्ता संगमों द्वारा वसूल किये राजस्व की 50% राशि के पुनर्भरण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, वास्तविक वसूली अनुमान से अधिक हुई परन्तु कोषालय द्वारा बिलों के पारित नहीं किये जाने के कारण 31 मार्च 2019 को ₹ 2,88.97 लाख की प्रत्याशित बचत को अभ्यर्पित किया गया।

04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(03) इंदिरा गाँधी नहर कि.मी. 74 से कि.मी. 189 मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[02] कार्य प्रभारित स्थापना-प्रतिबद्ध			
मू.	7,48.40	5,75.56	5,75.08
पु.	- 1,72.84		- 0.48

31 मार्च 2019 को ₹ 1,72.84 लाख का प्रावधान परियोजना पर रखरखाव के लिए वास्तव में कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों के अनुसार मजदूरी का भुगतान करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	5,37,08.30		
पु.	- 1,28,16.13	4,08,92.17	3,98,20.76 - 10,71.41

31 मार्च 2019 को ₹ 1,28,16.13 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान ब्याज की दर में 10 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत तक की कमी होने के कारण पूंजी लेखे पर ब्याज के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित (₹ 99,74.48 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 28,41.65 लाख) किया गया।

₹ 10,71.41 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(02) अन्य व्यय			
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) के माध्यम से-प्रतिबद्ध			
मू.	37,55.28		
पु.	- 25,49.01	12,06.27	9,62.66 - 2,43.61

31 मार्च 2019 को ₹ 25,49.01 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान ब्याज की दर में 10 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की कमी होने के कारण पूंजी लेखे पर ब्याज के कम समायोजन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 2,43.61 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) अनुरक्षण व्यय			
[01] इन्दिरा गांधी नहर फीडर-प्रतिबद्ध			
मू.	15,06.00		
पु.	- 5,22.05	9,83.95	.. - 9,83.95

₹ 5,22.05 लाख का प्रावधान पंजाब सरकार द्वारा ए.जी. मीमो द्वारा सूचित व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 9,83.95 लाख का समस्त प्रावधान पंजाब सरकार से ए.जी. मीमो प्राप्त नहीं होने के कारण अनुपयोजित रहा।

05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) इंदिरा गांधी नहर फीडर (पंजाब हिस्सा)			
(मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)-प्रतिबद्ध			
मू.	3,80.00		
पु.	- 2,85.00	95.00	95.00 ..

₹ 3,80.00 लाख का प्रावधान इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए पंजाब सरकार को अंश राशि के भुगतान हेतु अनुमानित था। इसके अनुसार 2018-19 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 95.00 लाख का भुगतान किया लेकिन पंजाब सरकार से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण आगे निधियां जारी नहीं की गयी तथा 31 मार्च 2019 को राशि ₹ 2,85.00 लाख अभ्यर्पित की गयी।

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	7,64.57		
पु.	- 1,91.14	5,73.43	5,73.43
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,91.14 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान ब्याज की दर में 10 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की कमी के कारण पूंजी लेखे पर ब्याज के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. गुडगांव नहर (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	4,63.78		
पु.	- 4,63.78
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 4,63.78 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार के निर्णयानुसार पूंजी लेखे पर ब्याज का समायोजन नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। निर्णय के अनुसार, केवल वे चालू परियोजनाएं, जिन पर ऋण बकाया है और ब्याज का भुगतान किया जा रहा है, ही पूंजी लेखा पर ब्याज की गणना के लिए सम्मिलित की जानी चाहिए।			
22. जाखम परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(02) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	14,23.74		
पु.	- 3,58.41	10,65.33	10,63.53
			- 1.80
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,47,97.69		
पु.	- 43,16.52	2,04,81.17	2,03,94.97
			- 86.20
25. नोहर फीडर परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	6,14.49		
पु.	- 1,53.63	4,60.86	4,60.86
			..
26. सिद्धमुख परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	25,75.71		
पु.	- 6,47.87	19,27.84	19,31.59
			+ 3.75

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
28. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	50,75.81		
		38,03.22	38,03.34
			+ 0.12
पु.	- 12,72.59		

31 मार्च 2019 को उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 67,49.02 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान ब्याज की दर में 10 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की कमी होने के कारण पूंजी लेखे पर ब्याज के कम समायोजन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

शीर्ष "2700-24-800(01)" के अंतर्गत ₹ 86.20 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

28. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निष्पादन (यूनिट-1)-प्रतिबद्ध			
मू.	9,03.28		
		7,39.29	7,39.28
			- 0.01
पु.	- 1,63.99		

₹ 1,63.99 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा वर्ष के दौरान कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

29. इन्दिरा लिफ्ट योजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	3,66.20		
	
			..
पु.	- 3,66.20		

31 मार्च 2019 को ₹ 3,66.20 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार के निर्णयानुसार पूंजी लेखे पर ब्याज का समायोजन नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। निर्णय के अनुसार, केवल वे चालू परियोजनाएं, जिन पर ऋण बकाया है और ब्याज का भुगतान किया जा रहा है, ही पूंजी लेखा पर ब्याज की गणना हेतु सम्मिलित की जानी चाहिए।

31. गंग नहर (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) राजस्थान में रखरखाव			
[02] कार्य प्रभारित स्थापना-प्रतिबद्ध			
मू.	5,91.07		
		4,81.56	4,81.55
			- 0.01
पु.	- 1,09.51		

₹ 1,09.51 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः गंग नहर परियोजना प्रणाली के अन्तर्गत कार्य प्रभारित कर्मचारियों की मजदूरी पर अनुमान से कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2700. मुख्य सिंचाई			
31. गंग नहर (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(01) राजस्थान में रखरखाव			
[04] जल उपभोक्ता संगमों को जल प्रभार की वापसी-प्रतिबद्ध			
मू.	3,50.00	2,19.89	2,19.89
पु.	- 1,30.11		..
₹ 3,50.00 लाख का प्रावधान गंग नहर सिंचाई परियोजना क्षेत्र में जल उपभोक्ता संगमों द्वारा वसूल किये राजस्व की 50% राशि के पुनर्भरण के लिए अनुमानित था। यद्यपि, वास्तविक वसूली अनुमान से कम हुई तथा माह मार्च, 2019 में कोषालय द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण 31 मार्च 2019 को ₹ 1,30.11 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,04,82.49	1,32,91.95	1,31,22.78
पु.	- 71,90.54		- 1,69.17
31 मार्च 2019 को ₹ 71,90.54 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान ब्याज की दर में 10 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की कमी होने के कारण पूंजी लेखे पर ब्याज के कम समायोजन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 1,69.17 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
34. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण(वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	5,38.47	3,92.00	3,86.60
पु.	- 1,46.47		- 5.40
35. धौलपुर लिफ्ट			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	11,50.00	6,99.46	4,92.98
पु.	- 4,50.54		- 2,06.48
36. जयसमन्द ई.आर.एम.			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,05.00	1,17.07	3.70
पु.	- 87.93		- 1,13.37

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 6,84.94 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान ब्याज की दर में 10 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की कमी होने के कारण पूंजी लेखे पर ब्याज के कम समायोजन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 3,25.25 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण को अनुदान			
मू.	5,85.00		
		4,65.00	4,65.00
पु.	- 1,20.00		..

31 मार्च 2019 को ₹ 1,20.00 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने तथा वर्ष के दौरान कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2701. मध्यम सिंचाई			
02. मेजा परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	4,56.46		
		3,41.15	3,41.16
पु.	- 1,15.31		+ 0.01

31 मार्च 2019 को ₹ 1,15.31 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान ब्याज की दर में 10 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की कमी होने के कारण पूंजी लेखे पर ब्याज के कम समायोजन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. पारवती परियोजना (धौलपुर) (वाणिज्यिक)
101. रखरखाव और मरम्मत
- (01) निष्पादन
- [02] कार्य प्रभारित स्थापना-प्रतिबद्ध

मू.	6,55.26		
		3,88.38	3,88.37
पु.	- 2,66.88		- 0.01

31 मार्च 2019 को ₹ 2,66.88 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने तथा कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. पारवती परियोजना (धौलपुर) (वाणिज्यिक)
800. अन्य व्यय
- (01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	7,12.34		
		6,82.82	5,32.92
पु.	- 29.52		- 1,49.90

31 मार्च 2019 को ₹ 29.52 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान ब्याज की दर में 10 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की कमी होने के कारण पूंजी लेखे पर ब्याज के कम समायोजन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 1,49.90 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
23. पांचना परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	12,37.80
पु.	- 12,37.80
24. सोमकमला अम्बा परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	21,82.71
पु.	- 21,82.71
27. वागन डाइवर्शन (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,39.66
पु.	- 1,39.66
29. सोमकागदर परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	3,09.87
पु.	- 3,09.87
30. भीम सागर परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,39.41
पु.	- 2,39.41
31. कोठारी परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,11.98
पु.	- 1,11.98
33. बरसी परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,16.34
पु.	- 1,16.34

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
35. छापी परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	10,70.48
पु.	- 10,70.48
37. बिलास परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,18.89
पु.	- 2,18.89
38. सावन भादो परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	4,08.11
पु.	- 4,08.11
40. सुकली परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	4,44.88
पु.	- 4,44.88
41. बांदी सेंदरा परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	3,36.66
पु.	- 3,36.66
43. चंवली परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	10,17.07
पु.	- 10,17.07
44. गम्भीरी परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,46.62
पु.	- 1,46.62

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
45. जयसमन्द परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,45.86
पु.	- 1,45.86
47. गलवा परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,79.20
पु.	- 1,79.20
60. बेथली परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	5,21.36
पु.	- 5,21.36
71. पीपलाद परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	6,99.32
पु.	- 6,99.32
31 मार्च 2019 को उपरोक्त अठारह शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 95,26.22 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार के निर्णयानुसार पूंजी लेखे पर ब्याज का समायोजन नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। निर्णय के अनुसार, केवल वे चालू परियोजनाएं, जिन पर ऋण बकाया है तथा ब्याज का भुगतान किया जा रहा है, ही पूंजी लेखों पर ब्याज की गणना हेतु सम्मिलित की जानी चाहिए।			
60. बेथली परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव एवं मरम्मत			
(01) निष्पादन			
[02] कार्य प्रभारित संस्थापन-प्रतिबद्ध			
मू.	2,07.30	37.60	37.60
पु.	- 1,69.70		..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,69.70 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने तथा कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	25,58.03		
पु.	- 6,55.17	19,02.86	19,02.95
63. गरदड़ा परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	16,93.36		
पु.	- 4,77.98	12,15.38	12,15.77
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	14,22.13		
पु.	- 4,10.32	10,11.81	10,11.72
67. लहसी परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	15,74.20		
पु.	- 4,11.42	11,62.78	11,61.36
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	22,02.74		
पु.	- 4,19.81	17,82.93	17,89.08
72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	14,66.25		
पु.	- 4,04.54	10,61.71	10,59.11

31 मार्च 2019 को उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 27,79.24 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान ब्याज की दर में 10 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की कमी होने के कारण पूंजी लेखे पर ब्याज के कम समायोजन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

शीर्ष "2701-69-800(01)" के अंतर्गत ₹ 6.15 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2701. मध्यम सिंचाई				
80. सामान्य				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर				
[02] अधीक्षण-प्रतिबद्ध				
मू.	14,87.60	12,43.65	12,42.95	
पु.	- 2,43.95			- 0.70
80. सामान्य				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर				
[03] निष्पादन-प्रतिबद्ध				
मू.	95,04.81	78,34.85	78,27.72	
पु.	- 16,69.96			- 7.13
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 19,13.91 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा वर्ष के दौरान कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने को आरोपित की गयी।				
शीर्ष "2701-80-001(01) [03]" के अंतर्गत ₹ 7.13 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।				
80. सामान्य				
002. आंकड़ा संग्रहण				
(02) लघु सिंचाई गणना				
मू.	3,97.00	2,45.91	2,45.41	
पु.	- 1,51.09			- 0.50
₹ 3,97.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार जल निकायों की छठवीं लघु सिंचाई गणना तथा प्रथम गणना 2017-18 के लिए सभी तहसीलों को दो मोबाइल (₹ 15,000 प्रति मोबाइल) के साथ दो माह के लिए इंटरनेट कनेक्शन (₹ 1,000 प्रति मोबाइल) हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2019 को ₹ 1,51.09 लाख का प्रावधान (i) 27 जिलों द्वारा खुली निविदा से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम दर पर मोबाइल खरीदने, (ii) विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण छः जिलों में निविदा प्रक्रिया में देरी होने तथा (iii) कुछ जिलों द्वारा पांचवे लघु सिंचाई गणना 2013-14 के लिए मानदेय के आहरण न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।				
80. सामान्य				
003. प्रशिक्षण				
(01) सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण केन्द्र				
मू.	4,46.00	2,03.00	2,03.00	
पु.	- 2,43.00			..

31 मार्च 2019 को ₹ 2,43.00 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने तथा वर्ष के दौरान कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र को अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
80. सामान्य			
005. सर्वेक्षण			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर			
[02] निष्पादन			
मू.	29,45.39		
पु.	- 6,31.35	23,14.04	21,90.69 - 1,23.35

₹ 6,31.35 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, वर्ष के दौरान कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने तथा अनुसंधान, मुल्यांकन एवं सर्वेक्षण के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने को आरोपित की गयी।

₹ 1,23.35 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(01) पंचायत समितियों को अनुदान
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	2,89.00		
पु.	- 1,69.00	1,20.00	1,20.00 ..

31 मार्च 2019 को ₹ 1,69.00 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने तथा पंचायत समितियों में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य
800. अन्य व्यय
(01) उपनिवेशन योजनाएँ-प्रतिबद्ध

मू.	21,18.45		
पु.	- 4,89.54	16,28.91	16,28.92 + 0.01

₹ 4,89.54 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 197 पदों के रिक्त रहने, जिनमें से 20 पद वर्ष के दौरान कर्मचारियों की नियमित सेवानिवृत्ति तथा स्थानान्तरण होने से रिक्त रहे तथा (ii) वॉटर एण्ड पॉवर कंसलटेंसी सर्विसेज लिमिटेड (डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस.) द्वारा कार्यों का कम निष्पादन किये जाने को आरोपित की गयी।।

2702. लघु सिंचाई
01. सतही जल
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(01) अन्य सिंचाई निर्माण कार्य हेतु जिला परिषदों को जिला स्तर की पंचायतों के लिये अनुदान
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	9,80.00		
पु.	- 3,64.94	6,15.06	6,15.06 ..

31 मार्च 2019 को ₹ 3,64.94 लाख का प्रावधान पंचायत समितियों से सहायतार्थ अनुदान (वेतन) के लिए कम मांग तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य सिंचाई निर्माण कार्य			
[01] निदेशन-प्रतिबद्ध			
मू.	58,75.93	46,03.56	45,97.52
पु.	- 12,72.37		- 6.04

31 मार्च 2019 को ₹ 12,72.37 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 6.04 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव एवं मरम्मत			
(03) पंजाब सरकार द्वारा व्यय (ए.जी. मीमो के माध्यम से)			
[01] अन्य रखरखाव व्यय -प्रतिबद्ध			
मू.	2,00.00	7,24.92	7,24.92
पु.	5,24.92		..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,24.92 लाख की अतिरिक्त निधियां पंजाब सरकार द्वारा ए.जी. मीमो के माध्यम से सूचित व्यय के समायोजन करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(07) मुख्य अभियंता, इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
[01] कार्य प्रभारित व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	31,77.43	34,37.60	34,32.56
पु.	2,60.17		- 5.04

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,60.17 लाख की अतिरिक्त निधियां इस लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कर्मियों के स्थानान्तरण, वेतन एवं चयनित वेतनमान की वजह से बकाया के कारण वेतन तथा भत्तों का अधिक भुगतान करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 5.04 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2702. लघु सिंचाई				
01. सतही जल				
800. अन्य व्यय				
(05) राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम				
[01] मुख्य अभियंता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग (एस.डब्ल्यू.आर.पी.डी.) के माध्यम से				
मू.	3,35.24	5,50.57	5,40.12	- 10.45
पु.	2,15.33			

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,15.33 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) पांच अधीक्षण अभियंताओं तथा एक अधिशाषी अभियंता के रिक्त पदों को भरने एवं अभियंताओं को आशवासित केरियर प्रगति (ए.सी.पी.) बकाया के भुगतान के कारण वेतन और भत्तों तथा (ii) यूरोपीय संघ राज्य साझेदारी कार्यक्रम (ई.यू.एस.पी.पी.) परियोजना का 2018-19 के लिए विस्तार के कारण वृत्तिक तथा विशिष्ट सेवाओं पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करवायी गयी।

₹ 10.45 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

4. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य/बचत को देखते हुए, प्रावधान की कटौती/वृद्धि अत्यधिक/अनावश्यक थी :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2700. मुख्य सिंचाई				
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)				
101. रखरखाव एवं मरम्मत				
(05) भाखरा व्यास प्रबंधन मण्डल द्वारा व्यय				
[01] अन्य रखरखाव व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	1,80.00	1,01.35	2,10.34	+ 1,08.99
पु.	- 78.65			

31 मार्च 2019 को ₹ 78.65 लाख का प्रावधान पंजाब सरकार द्वारा ए.जी. मीमो से सूचित व्यय के समायोजन तथा निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 1,08.99 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)				
800. अन्य व्यय				
(03) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	70,92.82	31,22.79	44,92.54	+ 13,69.75
पु.	- 39,70.03			

31 मार्च 2019 को ₹ 39,70.03 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान ब्याज की दर में 10 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत तक कमी होने के कारण सरकार के निर्णय के अनुसार, केवल वे चालू परियोजनाएँ जिन पर ऋण बकाया है तथा ब्याज का भुगतान किया जा रहा है, ही पूंजी लेखे पर ब्याज की गणना हेतु सम्मिलित किये जाने के कारण पूंजी लेखे पर ब्याज के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, पूंजी लेखे पर ब्याज का वास्तविक समायोजन संशोधित अनुमानों से अधिक था परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 13,69.75 लाख का अंतिम आधिक्य रहा, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
03. व्यास परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) सिंचाई योजनाएं (भाखरा व्यास प्रबंधन मण्डल द्वारा व्यय)			
[01] सिंचाई सामान्य निर्माण कार्य-प्रतिबद्ध			
मू.	76,31.19		
पु.	- 19,07.80	57,23.39	84,79.20 + 27,55.81

31 मार्च 2019 को ₹ 19,07.80 लाख का प्रावधान भाखरा व्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा कम राज्यांश सूचित करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, वास्तविक हिस्सा संशोधित अनुमानों से अधिक था परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 27,55.81 लाख का अंतिम आधिक्य रहा, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

03. व्यास परियोजना (वाणिज्यिक)
101. रखरखाव और मरम्मत
- (01) भाखरा व्यास प्रबंधन मण्डल को अग्रिम
- [01] अन्य रखरखाव व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	76,31.19	57,23.39	69,99.94 + 12,76.55
पु.	- 19,07.80		

31 मार्च 2019 को ₹ 19,07.80 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सरकार के अग्रिम भुगतान के हिस्से की पहली, दूसरी तथा तीसरी किश्त में वित्त विभाग द्वारा कटौती करने तथा चौथी किश्त भाखरा व्यास प्रबंधन बोर्ड को देरी से जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, अग्रिम का वास्तविक भुगतान संशोधित अनुमानों से अधिक था परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 12,76.55 लाख का अंतिम आधिक्य रहा, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

31. गंग नहर (वाणिज्यिक)
800. अन्य व्यय
- (01) अन्य व्यय -प्रतिबद्ध

मू.	66,85.49	46,69.12	50,17.76 + 3,48.64
पु.	- 20,16.37		

31 मार्च 2019 को ₹ 20,16.37 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान ब्याज की दर में 10 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत तक की कमी होने के कारण पूंजी लेखे पर ब्याज के कम समायोजन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, पूंजी लेखे पर ब्याज का वास्तविक समायोजन संशोधित अनुमानों से अधिक था परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 3,48.64 लाख का अंतिम आधिक्य रहा, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य
800. अन्य व्यय
- (02) अन्य व्यय
- [01] राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट
फॉर डेजर्ट एरिया-प्रतिबद्ध

अ.	0.01	12,32.75	.. - 12,32.75
पु.	12,32.74		

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,32.74 लाख की अतिरिक्त निधियां पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, ₹ 12,32.75 लाख का समस्त प्रावधान बिना उपयोग रहा, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य सिंचाई निर्माण कार्य			
[02] मद 2701-80 साधारण से स्थानान्तरित			
आनुपातिक व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	4,97.92		
		62.38	7,47.54
			+ 6,85.16
पु.	- 4,35.54		

31 मार्च 2019 को ₹ 4,35.54 लाख का प्रावधान कार्यों पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 6,85.16 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

5. **उचन्त लेन-देन:** "उचन्त" लेन-देनों की प्रकृति विनियोग लेखे के अनुदान संख्या "019- लोक निर्माण कार्य" के राजस्व अनुभाग के नीचे टिप्पणी (5) में स्पष्ट की गयी है।

2018-19 में अनुदान के राजस्व अनुभाग में "उचन्त" लेन-देनों का वर्गीकरण विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक और अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

"उचन्त" के अंतर्गत उप शीर्ष	प्रारम्भिक शेष नाम (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नाम	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नाम (+) जमा (-)
<i>(₹ लाख में)</i>				
राजस्व *				
स्टॉक	(+ 4,99.46	1,06.94	1,12.31	(+ 4,94.09
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+ 3,00.42	1,13.64	1,15.82	(+ 2,98.84
योग	(+ 7,99.88	2,20.58	2,28.13	(+ 7,92.33

* इसमें मुख्य शीर्ष 2700 तथा 2701 के उचन्त लेन-देन सम्मिलित हैं।

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

पूंजी

दत्तमत

1. ₹ 2,39,13.44 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 2,68,40.07 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक रहा ।
2. वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 2,11,68.34 लाख, ₹ 2,94,27.93 लाख, ₹ 2,39,58.98 लाख, ₹ 2,35,52.90 लाख तथा ₹ 2,39,13.44 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 14.46 प्रतिशत से 25.32 प्रतिशत के बीच थी। बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) भाखरा नहर प्रणाली का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण			
मू.	7,00.00	2,98.51	2,98.50
पु.	- 4,01.49		- 0.01
31 मार्च 2019 को ₹ 4,01.49 लाख का प्रावधान भांखरा सिंचाई प्रणाली के अन्तर्गत नहरों तथा वितरिकाओं के नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण पर कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[01] मुख्य नहर			
मू.	33,00.00	2,99.68	2,74.56
पु.	- 30,00.32		- 25.12
31 मार्च 2019 को ₹ 30,00.32 लाख का प्रावधान अक्टूबर, 2018 से मार्च, 2019 तक नहर नियमन होने से नहरी क्षेत्र में ठेकेदारों को निर्माण स्थल की अनुपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 25.12 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[03] मुख्य शीर्ष 2700 दाहिनी मुख्य नहर (क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से) स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	1,59.58	..	23.63
पु.	- 1,59.58		+ 23.63

31 मार्च 2019 को ₹ 1,59.58 लाख का प्रावधान विभाग द्वारा तैयार संशोधित अनुमान के लिए वित्त विभाग को आधिक्य/बचत विवरण में आनुपातिक व्यय की समायोजित राशि सूचित न करने के परिणामतः आई.एफ.एम.एस. में शून्य व्यय मानकर अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 23.63 लाख के आनुपातिक व्यय का समायोजन किया गया जिसे बिना प्रावधान के दिखाया गया है।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[14] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	36,20.00		
पु.	- 11,12.79	25,07.21	25,06.94
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) क्षेत्रीय आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (बाईं मुख्य नहर)			
[05] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	35,45.00	17,51.58	17,51.58
पु.	- 17,93.42		..
31 मार्च 2019 को उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 29,06.21 लाख का प्रावधान साख सीमा कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[01] मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
मू.	55,80.57	50,47.84	50,47.22
पु.	- 5,32.73		- 0.62
₹ 5,32.73 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा स्थानान्तरण के कारण पदों के रिक्त रहने, (ii) कार्य प्रभारित कर्मचारियों के अन्य लेखा शीर्षों में स्थानान्तरण होने, (iii) ठेकेदारों द्वारा बिलों को प्रस्तुत नहीं करने तथा (iv) वित्त विभाग द्वारा बजट सीमा 17 प्रतिशत से कम होने के कारण अनुसंधान, मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण तथा नहरों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[15] पन्ना लाल बारूपाल जलोत्थान योजना (गजनेर लिफ्ट योजना)			
मू.	7,76.58		
अ.	0.01	5,28.95	5,28.93
पु.	- 2,47.64		- 0.02
₹ 2,47.64 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा में 17 प्रतिशत से कटौती करने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[25] मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
मू.	53,60.77		
पु.	- 11,36.41	42,24.36	42,12.02 - 12.34
₹ 11,36.41 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 12.34 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(09) लिफ्ट नहरों पर सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन (सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.) कार्यक्रम (फव्वारा सिंचाई पद्धति का विकास) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत)			
[01] चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट			
मू.	22,32.26		
पु.	- 10,18.32	12,13.94	12,13.94 ..
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(09) लिफ्ट नहरों पर सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन (सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.) कार्यक्रम (फव्वारा सिंचाई पद्धति का विकास) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत)			
[02] पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट			
मू.	11,16.36		
पु.	- 3,66.50	7,49.86	7,49.86 ..
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(09) लिफ्ट नहरों पर सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन (सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.) कार्यक्रम (फव्वारा सिंचाई पद्धति का विकास) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत)			
[03] डॉ. करणी सिंह लिफ्ट			
मू.	11,16.36		
पु.	- 5,58.18	5,58.18	5,58.18 ..

31 मार्च 2019 को उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 19,43.00 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा बजट सीमा में 17 प्रतिशत से कमी करने के कारण कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन एवं प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	4,47,91.70		
अ.	0.01	3,37,85.55	3,26,88.16
पु.	- 1,10,06.16		- 10,97.39

31 मार्च 2019 को ₹ 1,10,06.16 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी गति के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,10,06.15 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 0.01 लाख) किया गया।

₹ 10,97.39 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

34. धौलपुर लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	1,02,00.00		
पु.	- 64,51.11	37,48.89	29,97.78
			- 7,51.11

31 मार्च 2019 को ₹ 64,51.11 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन तथा तदनुसार प्रोरेटा प्रभार के कम समायोजन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 61,96.55 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 2,54.56 लाख) किया गया।

₹ 7,51.11 लाख के अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

37. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	5,44.00		
पु.	- 3,33.30	2,10.70	2,09.63
			- 1.07

31 मार्च 2019 को ₹ 3,33.30 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

40. जयसमन्द परियोजना का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	27,20.00		
पु.	- 6,88.69	20,31.31	20,37.74
			+ 6.43

₹ 6,88.69 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्यों की धीमी गति को आरोपित की गयी।

₹ 6.43 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
41. तेजावाला हैड से सरप्लस वॉटर को चुरु-झुन्झुनू लाने की योजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन एवं प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	15,00.00
पु.	- 15,00.00
42. ब्राहमणी बनास परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन एवं प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	15,00.00
पु.	- 15,00.00
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 30,00.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[01] राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रैक्चरिंग प्रोजेक्ट फोर डेजर्ट एरिया			
मू.	2,37,86.00		
अ.	0.05	1,26,55.07	1,26,40.56
पु.	- 1,11,30.98		- 14.51
31 मार्च 2019 को ₹ 1,11,30.98 लाख का प्रावधान इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए मरू क्षेत्र हेतु राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना की आयोजना सीमा में कटौती करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,09,80.58 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 1,50.40 लाख) किया गया ।			
₹ 14.51 लाख की अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	15,55.94	13,37.00	13,36.69
पु.	- 2,18.94		- 0.31

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
63. गरदड़ा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
[01] निर्माण कार्य (कार्य प्रभारित कर्मचारी के वेतन भत्ते)			
मू.	20,83.28		
पु.	- 6,28.57		
	14,54.71	14,54.71	..
31 मार्च 2019 को उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 8,47.51 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	13,60.00		
पु.	- 11,67.34		
	1,92.66	1,93.27	+ 0.61
31 मार्च 2019 को ₹ 11,67.34 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन तथा तदनुसार प्रोरेटा प्रभार के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
67. लहरी परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	4,76.00		
पु.	- 2,58.31		
	2,17.69	2,19.22	+ 1.53
72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	13,60.00		
पु.	- 7,19.32		
	6,40.68	6,36.15	- 4.53
31 मार्च 2019 को उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 9,77.63 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
73. हाथिया देह परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	10,20.00		
पु.	- 10,09.15		
	10.85	10.85	..
31 मार्च 2019 को ₹ 10,09.15 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति तथा तदनुसार प्रोरेटा प्रभार के कम समायोजन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(03) पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	12,44.76		
पु.	- 3,54.34	8,90.42	8,86.27
			- 4.15
31 मार्च 2019 को ₹ 3,54.34 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
101. सतही जल			
(06) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[01] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	39,29.69		
पु.	- 19,02.77	20,26.92	20,26.05
			- 0.87
31 मार्च 2019 को ₹ 19,02.77 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
101. सतही जल			
(09) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (फोर वॉटर कन्सेप्ट)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	43,56.64		
पु.	- 10,12.86	33,43.78	33,41.08
			- 2.70
31 मार्च 2019 को ₹ 10,12.86 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(07) मुख्य नहर (कि.मी. 0 से कि.मी. 74 तक)			
(मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
[01] विस्तार, नवीनीकरण व आधुनिकीकरण			
मू.	5,00.02		
पु.	2,49.20	7,49.22	7,20.32
			- 28.90

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,49.20 लाख की अतिरिक्त निधियां इंदिरा गांधी नहर परियोजना सिंचाई प्रणाली की नहरों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध करायी गयी।

₹ 28.90 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(07) मुख्य नहर (कि.मी. 0 से कि.मी. 74 तक) (मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
[02] सेम निवारण कार्य			
मू.	3,00.00		
पु.	1,99.99	4,99.99	4,99.99
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत सेम मुक्त गाँव बनाने के क्रम में सेम जल की निकासी के लिए पम्प हाउस का निर्माण करवाने तथा पाइप लाइन बिछवाने के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
24. नर्मदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निष्पादन			
मू.	0.08		
पु.	7,20.00	7,20.08	7,20.08
24. नर्मदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) निर्माण कार्य			
[01] राजस्थान में निर्माण कार्य			
मू.	0.06		
पु.	12,12.83	12,12.89	12,12.89
24. नर्मदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम			
[01] राजस्थान में निर्माण कार्य			
मू.	0.02		
पु.	93,01.73	93,01.75	92,80.26
24. नर्मदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम			
[02] गुजरात सरकार का निर्माण कार्य में हिस्सा राशि			
मू.	0.01		
पु.	90,63.99	90,64.00	90,64.00

31 मार्च 2019 को उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,02,98.55 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार द्वारा नर्मदा नहर परियोजना के पूर्ण होने का समय को 31 मार्च 2019 तक बढ़ाने के बाद कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

शीर्ष "4700-24-001(03) [01]" के अंतर्गत ₹ 21.49 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	3,16.92	4,10.00	5,41.41 + 1,31.41
पु.	93.08		

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 93.08 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के लिए उपलब्ध करायी गयी। परवन परियोजना पर किये गये व्यय में अधिकतम भुगतान क्षतिपूर्ति का शामिल था फलस्वरूप परवन परियोजना पर प्रभारित होने वाला व्यय का हिस्सा अन्य परियोजना पर भी आनुपातिक रूप से प्रभारित किया गया जिसके कारण अन्य परियोजनाओं पर व्यय को बढ़ा दिया परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 1,31.41 लाख का अंतिम आधिक्य रहा।

4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
[04] मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय-स्थापना			
मू.	6,86.85	8,51.05	12,01.20 + 3,50.15
पु.	1,64.20		

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,64.20 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के लिए उपलब्ध करायी गयी। परवन परियोजना पर किये गये व्यय में अधिकतम भुगतान क्षतिपूर्ति का शामिल था फलस्वरूप परवन परियोजना पर प्रभारित होने वाला व्यय का हिस्सा अन्य परियोजना पर भी आनुपातिक रूप से प्रभारित किया गया जिसके कारण अन्य परियोजनाओं पर व्यय को बढ़ा दिया परिणामतः शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 3,50.15 लाख का अंतिम आधिक्य रहा।

101. सतही जल
(04) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्य (मरूस्थल प्रदेश में)
[01] निर्माण कार्य

मू.	1,35.09	3,59.96	3,59.96	..
पु.	2,24.87			
101. सतही जल				
(07) जल संग्रहण संरचना				
[01] निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)				
मू.	24,89.51	34,08.18	34,03.39	- 4.79
पु.	9,18.67			

31 मार्च 2019 को उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,43.54 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत कार्यों की त्वरित गति के कारण बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(07) जल संग्रहण संरचना			
[02] मुख्य लेखा शीर्ष 2701 से स्थानांतरित आनुपातिक व्यय			
मू.	2,30.49		
पु.	1,28.63		
	3,59.12	5,53.38	+ 1,94.26

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,28.63 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 1,94.26 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

101. सतही जल			
(11) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.एल.आई.पी.)			
[01] निष्पादन (मुख्य अभियंता, जल संसाधन, (गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता) के माध्यम से)			
मू.	23,24.09		
पु.	61,32.73		
	84,56.82	85,30.68	+ 73.86

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 61,32.73 लाख की अतिरिक्त निधियों तथा ₹ 73.86 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
01. बाढ़ नियंत्रण			
103. सिविल निर्माण कार्य			
(03) अन्य जिलों में बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य			
[03] अन्य जिले			
मू.	57.40		
पु.	9,96.29		
	10,53.69	9,38.10	- 1,15.59

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,96.29 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 1,15.59 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य को देखते हुए प्रावधान की कटौती अनावश्यक/अत्यधिक थी:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[16] मुख्य शीर्ष 2700 दाहिनी नहर से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	1,75.73	..	2,14.90 + 2,14.90
पु.	- 1,75.73		
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(05) क्षेत्रीय आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (बाईं मुख्य नहर)			
[07] मुख्य शीर्ष 2700 बाईं नहर से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	1,89.52	..	1,40.03 + 1,40.03
पु.	- 1,89.52		
<p>31 मार्च 2019 को उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 3,65.25 लाख का समस्त प्रावधान विभाग द्वारा तैयार संशोधित अनुमान के लिए वित्त विभाग को आधिक्य/बचत विवरण में आनुपातिक व्यय की समायोजित राशि सूचित न करने के परिणामतः आई.एफ.एम.एस. में शून्य व्यय मानकर अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 3,53.93 लाख के आनुपातिक व्यय का समायोजन किया गया जिसे बिना प्रावधान के दिखाया गया है।</p>			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) मुख्य शीर्ष 2701 में स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय (स्थापना)			
मू.	51,76.01	4,06.45	38,12.41 + 34,05.96
पु.	- 47,69.56		
<p>31 मार्च 2019 को ₹ 47,69.56 लाख का प्रावधान कार्य पर वास्तविक व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित (₹ 23,85.79 लाख) तथा अन्य शीर्षों का पुनर्विनियोजित (₹ 23,83.77 लाख) किया गया। परवन परियोजना पर किये गये व्यय में अधिकतम क्षतिपूर्ति का भुगतान शामिल था फलस्वरूप कार्य पर आनुपातिक व्यय के हिस्से का संशोधित अनुमान इस सीमा तक कम हुआ। यद्यपि, आनुपातिक व्यय का वास्तविक समायोजन संशोधित अनुमान से अधिक था परिणामतः ₹ 34,05.96 लाख का अंतिम आधिक्य रहा।</p>			

अनुदान संख्या 046 - (समाप्त)

6. **उचन्त लेन-देन** : 2018-19 में अनुदान के पूंजी अनुभाग में "उचन्त" लेन-देनों का वर्गीकरण विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक और अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

"उचन्त" के अंतर्गत उप शीर्ष	प्रारम्भिक शेष नामें (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामें (+) जमा (-)
	(₹ लाख में)			
पूंजी *				
स्टॉक	(-) 46,13.57	38.60	48.43	(-) 46,23.40
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 27,65.46	41.36	55.59	(-) 27,79.69
योग	(-) 73,79.03	79.96	1,04.02	(-) 74,03.09

* इसमें मुख्य शीर्ष 4700, 4701 तथा 4711 के उचन्त संव्यवहार सम्मिलित हैं ।

अनुदान संख्या 047 - पर्यटन

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3452. पर्यटन
 पूंजी - 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय और
 7452. पर्यटन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	96,40,07	96,40,07	73,45,50	- 22,94,57
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				22,94,56
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1

पूंजी

दत्तमत				
मूल	41,32,34	41,32,34	25,19,37	- 16,12,97
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				16,12,97

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

दत्तमत

1 बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3452. पर्यटन				
80. सामान्य				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) पर्यटन विभाग				
[01] प्रशासनिक व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	14,56.65	12,61.76	12,61.76	..
पु.	- 1,94.89			

₹ 1,94.89 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान अनुमान से कम होने, (ii) पर्यटन निदेशक के वेतन एवं भत्तों का भुगतान, पर्यटन विभाग के बजाय सचिवालय से आहरित करने तथा (iii) माह मार्च, 2019 में कोषालय द्वारा वेतन के ऐरियर बिलों को पारित नहीं करने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 047-(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(02) पर्यटन सूचना और प्रचार			
मू.	77,43.06		
		57,43.12	57,43.12
पु.	- 19,99.94		..

31 मार्च 2019 को ₹ 19,99.94 लाख का प्रावधान बजट सीमा में कटौती तथा माह मार्च, 2019 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 19,78.96 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 20.98 लाख) किया गया ।

पूँजी

दत्तमत

- वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 12,87.14 लाख, ₹ 13,86.43 लाख, ₹ 28,04.47 लाख, ₹ 30,71.81 लाख तथा ₹ 16,12.97 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 21.00 प्रतिशत से 60.26 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः कार्यों के अनुमान से कम निष्पादन के कारण रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू.	33,32.66		
		11,48.59	11,48.59
पु.	- 21,84.07		..

31 मार्च 2019 को ₹ 21,84.077 लाख का प्रावधान (i) रैन बसेरा झालावाड़, सुजानगंगा-भरतपुर, रणथम्भोर टाइगर रिजर्व एवं राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के साईनेजज लगाने के कार्य प्रारम्भ नहीं होने, (ii) गागरोन फोर्ट एवं गढ पैलेस झालावाड़ के स्वीकृत कार्य अनुमान राशि से कम राशि में पूर्ण होने, (iii) चुनाव आचार संहिता लगाने के कारण पर्यटन विकास के नये कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया में विलम्ब होने तथा (iv) माह मार्च, 2019 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 10,34.08 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 11,49.99 लाख) किया गया ।

80. सामान्य
800. अन्य व्यय
- (05) ग्रामीण पर्यटन का विकास

मू.	7,99.63		
		2,20.78	2,20.78
पु.	- 5,78.85		..

31 मार्च 2019 को ₹ 5,78.85 लाख का प्रावधान (i) भण्डदेवरा मंदिर-बांरा, त्रिपुरा सुंदरी-बांसवाड़ा, खारिया सोडा-सोजत (पाली) एवं झरमोड़ी महादेव मंदिर-झालावाड़, चश्मा-ए-नूर-तारागढ़ (अजमेर), बाडा पांचना पुल करौली के कार्य प्रारंभ नहीं होने, (ii) चुनाव आचार संहिता लगाने के कारण पर्यटन विकास के नये कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया में विलम्ब होने, (iii) सांभर परियोजना का स्वीकृत कार्य अनुमान से कम राशि पर पूरा होने तथा (iv) माह मार्च, 2019 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

अनुदान संख्या 047-(समाप्त)

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	आधिक्य + बचत -
7452. पर्यटन के लिए कर्ज			
60. अन्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(04) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को उधार			
मू.	0.01		
		11,50.00	
पु.	11,49.99	11,50.00	..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,49.99 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को उसके वैधानिक दायित्वों के लिए ऋण जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 048 - विद्युत् (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2801. बिजली और

2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा

पूंजी - 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,

4810. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय और

6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	1,53,88,49,40	1,53,88,49,45	1,44,54,60,89	- 9,33,88,56
अनुपूरक	5			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				9,33,88,56
पूंजी				
मूल	28,31,48,32	28,31,48,32	25,55,20,89	- 2,76,27,43
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				2,76,27,43

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली				
80. सामान्य				
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता (41) उदय योजना के अन्तर्गत वितरण निगमों को सहायता [03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड				
मू.	27,10,69.98	22,27,21.62	22,27,21.62	..
पु.	- 4,83,48.36			

₹ 27,10,69.98 लाख का प्रावधान उदय योजना के दिशानिर्देश के अनुसार डिस्कॉम को दिये ऋण को अनुदान में परिवर्तित करने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, वर्ष के दौरान अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुमान से कम ऋण अनुदान में परिवर्तित हुआ परिणामस्वरूप 31 मार्च 2019 को ₹ 4,83,48.36 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 048-(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(43) विद्युत दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	17,86,98.22		
पु.	- 2,26,76.50	15,60,21.72	15,60,21.72
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(43) विद्युत दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	15,13,23.26		
पु.	- 1,40,17.56	13,73,05.70	13,73,05.70
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 3,66,94.06 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा टैरिफ सब्सिडी में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(43) विद्युत दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	29,00,93.57		
पु.	- 6,10,91.08	22,90,02.49	22,90,02.49
31 मार्च 2019 को ₹ 6,10,91.08 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा टैरिफ सब्सिडी में कटौती करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 5,64,65.46 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 46,25.62 लाख) किया गया।			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(45) विद्युत चोरी के अपराध के प्रषमन की राशि के विरुद्ध अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	10,44.22		
पु.	- 5,86.62	4,57.60	4,57.60
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(45) विद्युत चोरी के अपराध के प्रषमन की राशि के विरुद्ध अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	3,57.00		
पु.	- 3,13.59	43.41	43.41

अनुदान संख्या 048-(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(45) विद्युत चोरी के अपराध के प्रषमन की राशि के विरुद्ध अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	8,34.09		
		1,89.74	1,89.74
पु.	- 6,44.35		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 15,44.56 लाख का प्रावधान बिजली वितरण कम्पनियों द्वारा कम्पाउंडिंग शुल्क की वसूली के अनुसार सब्सिडी जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा			
102. ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए अक्षय ऊर्जा			
(01) ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा विद्युतीकरण			
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से			
मू.	9,34.05		
	
पु.	- 9,34.05		..

राशि ₹ 9,34.05 लाख का प्रावधान भारत सरकार की *दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना* के तहत *सोलर एनर्जी होम लाइट सिस्टम* के माध्यम से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युतीकृत करने हेतु अनुमानित था। योजना के अन्तर्गत भारत सरकार का मैचिंग शेयर 75 प्रतिशत था। चूंकि भारत सरकार का हिस्सा 31 मार्च 2019 को प्राप्त हुआ अतः राज्य सरकार द्वारा निधि जारी नहीं की जा सकी परिणामतः 31 मार्च 2019 को ₹ 9,34.05 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(41) उदय योजना के अंतर्गत वितरण निगमों को सहायता			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	26,18,02.55		
		31,21,10.02	31,21,10.02
पु.	5,03,07.47		..

₹ 26,18,02.55 लाख का प्रावधान उदय योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार डिस्कॉम को दिये गये ऋणों को सब्सिडी में बदलने हेतु अनुमानित था। आगे, 31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,03,07.47 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष के दौरान अनुमान से अधिक ऋणों को सब्सिडी में बदलने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 048-(क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(44) विद्युत् शुल्क के प्रति अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	3,07,05.40		
		3,43,70.23	3,43,70.23
पु.	36,64.83		..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 36,64.83 लाख की अतिरिक्त निधियां कर संग्रहण के अनुसार बिजली वितरण कम्पनियों को सब्सिडी जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

पूँजी

दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	2,54,10.00		
		1,88,01.09	1,88,01.09
पु.	- 66,08.91		..

31 मार्च 2019 को ₹ 66,08.91 लाख का प्रावधान निवेश सीमा में कटौती के परिणामतः विद्युत् कम्पनी में कम निवेश के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	1,60,60.00		
		92,41.05	92,41.05
पु.	- 68,18.95		..

31 मार्च 2019 को ₹ 68,18.95 लाख का प्रावधान निवेश सीमा में कटौती के परिणामतः विद्युत् कम्पनी में कम निवेश के कारण अभ्यर्पित (₹ 68,16.21 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2.74 लाख) किया गया।

अनुदान संख्या 048--(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	93,47.39	63,72.31	63,72.31
पु.	- 29,75.08		
80. सामान्य			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	90,98.97	54,27.65	54,27.65
पु.	- 36,71.32		
80. सामान्य			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	62,28.63	47,75.94	47,75.94
पु.	- 14,52.69		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 80,99.09 लाख का प्रावधान निवेश सीमा में कटौती के परिणामतः विद्युत् कम्पनियों में कम निवेश के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए.डी.बी.)			
मू.	50,39.99	34,32.57	34,32.57
पु.	- 16,07.42		
₹ 50,39.99 लाख का प्रावधान एशियन विकास बैंक से राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम हेतु कर्ज प्राप्त होने की प्रत्याशा में अनुमानित था। यद्यपि, वास्तविक ऋण अनुमान से कम प्राप्त होने के परिणामतः 31 मार्च 2019 को ₹ 16,07.42 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] राजस्थान इन्ट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना (के. एफ. डब्ल्यू.)			
मू.	79,63.20	64,67.53	64,67.53
पु.	- 14,95.67		

31 मार्च 2019 को ₹ 14,95.67 लाख का प्रावधान राजस्थान इन्ट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना हेतु के.एफ.डब्ल्यू. से कम ऋण प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 049 – स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को
मुआवजा और समनुदेशन (समस्त दत्तमत)**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 3604. स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं
को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
मूल	20,87			
अनुपूरक	..	20,87	8,43	– 12,44
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				12,18

अनुदान संख्या 050 – ग्रामीण रोजगार (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2505. ग्राम रोजगार और

2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

पूँजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
मूल	18,14,95,94	22,58,25,87	21,37,91,57	– 1,20,34,30
अनुपूरक	4,43,29,93			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1,20,34,30
पूँजी				
मूल	87,27,60	87,27,60	..	– 87,27,60
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				87,27,60

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

- ₹ 1,20,34.30 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, सितम्बर, 2018 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 4,43,29.93 लाख का प्रावधान भारत सरकार से प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए निधियां प्राप्त होने की प्रत्याशा में लिया गया जो अत्यधिक था।
- वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹12,21,59.91 लाख, ₹ 7,39,00.96 लाख, ₹ 10,06,53.65 लाख, ₹ 7,86,28.65 लाख तथा ₹ 1,20,34.30 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 5.33 प्रतिशत से 40.16 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः भारत सरकार से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कम निधियां प्राप्त होने के कारण बतायी गयी।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2505. ग्राम रोजगार				
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम				
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम				
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना				
[03] कार्यकलाप संबंधी				
मू.	12,92,19.71	11,06,39.73	11,06,39.73	..
पु.	– 1,85,79.98			

31 मार्च 2019 को ₹ 1,85,79.98 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,20,22.23 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 65,57.75 लाख) किया गया।

अनुदान संख्या 050 – (समाप्त)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण			
[02] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (सामान्य)			
मू.	5,22,48.09		
अ.	4,43,29.93	10,31,35.77	10,31,35.77
पु.	65,57.75		..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 65,57.75 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

पूंजी

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
101. पंचायती राज			
(16) स्वविवेक जिला विकास योजना			
[01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	1,37.40		
पु.	- 1,37.40

31 मार्च 2019 को ₹ 1,37.40 लाख का समस्त प्रावधान स्वविवेक जिला विकास योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के परिणामस्वरूप जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में योजना की निधियों की अधिक उपलब्धता के कारण राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

101. पंचायती राज			
(20) गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना			
[01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	85,90.20		
पु.	- 85,90.20

31 मार्च 2019 को ₹ 85,90.20 लाख का समस्त प्रावधान जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में योजना में गत वर्षों की निधियों की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

- मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2014. न्याय प्रशासन,
 2029. भू-राजस्व,
 2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर,
 2041. वाहन कर,
 2059. लोक निर्माण कार्य,
 2202. सामान्य शिक्षा,
 2203. तकनीकी शिक्षा,
 2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं,
 2205. कला एवं संस्कृति,
 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
 2211. परिवार कल्याण,
 2217. शहरी विकास,
 2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,
 2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास,
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
 2236. पोषण,
 2250. अन्य सामाजिक सेवाएं,
 2401. फसल कृषि-कर्म,
 2402. मृदा तथा जल संरक्षण,
 2403. पशु-पालन,
 2405. मछली-पालन,
 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी,
 2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा,
 2425. सहकारिता,
 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
 2505. ग्राम रोजगार,
 2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,
 2701. मध्यम सिंचाई,
 2702. लघु सिंचाई,
 2705. कमान क्षेत्र विकास,
 2801. बिजली,
 2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा,
 2851. ग्राम तथा लघु उद्योग,
 2852. उद्योग,
 2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग,
 3055. सड़क परिवहन,
 3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान,
 3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं,
 3452. पर्यटन,
 3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,
 3456. सिविल पूर्ति और
 3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
- पूँजी - 4055. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय,
 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय,
 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय,
 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय,
 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय,
 4217. शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय,
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय,
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय,

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,
 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय,
 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
 4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
 4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
 4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,
 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय,
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
 6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज और
 7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	1,40,46,24,74	1,44,06,78,17	1,36,83,68,58	- 7,23,09,59
अनुपूरक	3,60,53,43			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				6,91,06,53
प्रभारित				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				1
पूंजी				
दत्तमत				
मूल	52,43,38,68	52,93,38,84	39,59,48,52	- 13,33,90,32
अनुपूरक	50,00,16			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2019)				12,94,92,16

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकारं :

राजस्व

दत्तमत

1. सितम्बर, 2018 (₹ 3,00,00.35 लाख) तथा फरवरी, 2019 (₹ 60,53.08 लाख) में लिया गया ₹ 3,60,53.43 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 7,23,09.59 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 32,03.06 लाख अनुभ्यर्पित रही।
3. वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 16,54,41.49 लाख, ₹ 9,04,52.81 लाख, ₹ 12,45,04.60 लाख, ₹ 8,66,63.79 लाख तथा ₹ 7,23,09.59 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो कि अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 5.02 प्रतिशत से 26.84 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का एक कारण भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होना तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किया जाना रहा।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2041. वाहन कर			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण			
मू. 5,25.09	29.83	30.24	+ 0.41
पु. - 4,95.26			

31 मार्च 2019 को ₹ 4,95.26 लाख का प्रावधान कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

2202. सामान्य शिक्षा

01. प्रारम्भिक शिक्षा

109. छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन

(08) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

[01] अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु

मू. 17,00.00	11,17.37	11,07.20	- 10.17
पु. - 5,82.63			

31 मार्च 2019 को ₹ 5,82.63 लाख का प्रावधान बैंक खाते एवं भामाशाह पोर्टल पर छात्रों द्वारा उल्लिखित आधार नम्बर का मिलान न होने के परिणामस्वरूप लाभार्थी छात्रों को छात्रवृत्तियों का भुगतान न होने तथा कुछ छात्रों की पात्रता न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 10.17 लाख की अंतिम बचत कोषालयों द्वारा छात्रवृत्तियों के बिल पारित नहीं करने के कारण रही।

01. प्रारम्भिक शिक्षा

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना

(04) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की

फीस का पुर्नभरण

मू. 82,00.00	59,84.47	59,84.47	..
पु. - 22,15.53			

31 मार्च 2019 को ₹ 22,15.53 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा बजट सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 19,78.01 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,37.52 लाख) किया गया।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) मिड डे मील			
[01] कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ			
मू.	1,78,10.00	1,26,90.51	1,26,90.51
पु.	- 51,19.49		

31 मार्च 2019 को ₹ 51,19.49 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 21,73.25 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 29,46.24 लाख) किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियाँ			
(14) अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ			
मू.	8,00.01	2,95.05	2,93.59
पु.	- 5,04.96		

31 मार्च 2019 को ₹ 5,04.96 लाख का प्रावधान अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों की वास्तविक संख्या में प्राप्त दावों के अनुसार छात्रवृत्तियों का भुगतान करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) अनुसूचित जाति के विद्यालयों में संचार सूचना तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा			
मू.	6,80.00	3,54.01	3,54.01
पु.	- 3,25.99		

31 मार्च 2019 को ₹ 3,25.99 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) अनुसूचित जाति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को ट्रान्सपोर्ट वाउचर का वितरण			
मू.	3,15.00
पु.	- 3,15.00		

31 मार्च 2019 को ₹ 3,15.00 लाख का समस्त प्रावधान ट्रान्सपोर्ट वाउचर योजना के राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना में शामिल होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) विशिष्ट योजना संघटक (अनुसूचित जाति के लिए)			
मू.	9,72.62		
		8,22.24	8,21.20
पु.	- 1,50.38		- 1.04
₹ 1,50.38 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति			
मू.	18,00.00		
		16,65.11	15,45.34
पु.	- 1,34.89		- 1,19.77
31 मार्च 2019 को ₹ 1,34.89 लाख का प्रावधान छात्रवृत्ति हेतु दावे कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 1,19.77 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) साक्षर भारत			
मू.	6,83.76		
		2,80.00	2,80.00
पु.	- 4,03.76		..
31 मार्च 2019 को ₹ 4,03.76 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. प्रौढ़ शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन			
मू.	2,42.00		
		22.55	22.24
पु.	- 2,19.45		- 0.31
₹ 2,42.00 लाख का प्रावधान लोक शिक्षा केन्द्र के महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय के संचालन हेतु पत्र-पत्रिकाएं तथा प्रेरकों को मानदेय के लिए अनुमानित था। यद्यपि, 31-03-2018 को साक्षर भारत योजना के बंद होने के कारण वर्ष के दौरान केवल गत वर्ष के मानदेय के पेटे बकाया का भुगतान किया गया परिणामतः ₹ 2,19.45 लाख का प्रावधान 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय (निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
मू.	5,65.85	1,59.70	1,59.70
पु.	- 4,06.15		..
31 मार्च 2019 को ₹ 4,06.15 लाख का प्रावधान सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान न होने तथा अधीनस्थ कार्यालयों से मांग कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) आयुर्वेदिक शिक्षा			
[01] राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू.	4,72.00	3,00.00	3,00.00
पु.	- 1,72.00		..
₹ 1,72.00 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विश्वविद्यालय में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान कम जारी करने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) पी.पी.पी. मोड पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदान			
मू.	6,50.01	5,11.29	4,95.58
पु.	- 1,38.72		- 15.71
31 मार्च 2019 को ₹ 1,38.72 लाख का प्रावधान पी.पी.पी. मोड पर संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों से मांग कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 15.71 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन			
[01] आयुर्वेद विभाग			
मू.	14,80.00	12,10.00	12,10.00
पु.	- 2,70.00		..
31 मार्च 2019 को ₹ 2,70.00 लाख का प्रावधान राज्य वार्षिक कार्य योजना के तहत राज्य सरकार से 40 प्रतिशत राज्यांश हेतु तथा राजस्थान राज्य आयुष समिति के निजी निक्षेप खाते में निधियों के हस्तांतरण की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) टर्सरी कैंसर केयर सेंटर			
[01] झालावाड़ अस्पताल एवं मेडीकल कॉलेज सोसायटी			
मू.	4,10.00
पु.	- 4,10.00
31 मार्च 2019 को ₹ 4,10.00 लाख का समस्त प्रावधान मुख्यतः पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) जन स्वास्थ्य बीमा योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	2,53,35.83	2,01,32.02	2,01,32.02
पु.	- 52,03.81
31 मार्च 2019 को ₹ 52,03.81 लाख का प्रावधान स्वास्थ्य बीमा पर लगाये गये 15 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर से छूट तथा लाभार्थी परिवारों की वास्तविक संख्या अनुमान से कम होने के परिणामतः अनुदान कम जारी करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 52,03.76 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 0.05 लाख) किया गया।			
2211. परिवार कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[02] स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बुलेंस सेवा योजना			
मू.	17,56.05	15,21.00	15,21.00
पु.	- 2,35.05
₹ 2,35.05 लाख की प्रत्याशित बचत बजट सीमा में कटौती को आरोपित की गयी।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
मू.	19,74.63	9,00.00	9,00.00
पु.	- 10,74.63
31 मार्च 2019 को ₹ 10,74.63 लाख का प्रावधान बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[02] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	44,20.04		
पु.	- 6,85.78	37,34.26	37,34.26

31 मार्च 2019 को ₹ 6,85.78 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार नगर निगमों को अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य
191. नगर निगम को सहायता
(30) पर्यावरण और स्वास्थ्य निधि से व्यय
[02] सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट

मू.	2,94.20			
पु.	- 2,94.20

31 मार्च 2019 को ₹ 2,94.20 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

2017-18 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य
191. नगर निगम को सहायता
(36) स्वच्छ भारत मिशन
[02] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिए)

मू.	7,88.23			
पु.	- 7,88.23

31 मार्च 2019 को ₹ 7,88.23 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य
191. नगर निगम को सहायता
(39) प्रधानमंत्री आवास योजना
[02] सबके लिए आवास-अनुसूचित जातियों के लिए
उप-योजना

मू.	12,48.27			
पु.	- 12,45.16	3.11	3.11	..

31 मार्च 2019 को ₹ 12,45.16 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(42) 14 वें वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[05] 14 वे वित्त आयोग के तहत निष्पादन अनुदान			
मू.	11,62.79
पु.	- 11,62.79		

31 मार्च 2019 को ₹ 11,62.79 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[02] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	1,11,41.92	94,13.02	94,13.02
पु.	- 17,28.90		..

31 मार्च 2019 को ₹ 17,28.90 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(39) स्वच्छ भारत मिशन			
[02] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	18,56.78
पु.	- 18,56.78		

31 मार्च 2019 को ₹ 18,56.78 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(41) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[02] सबके लिए आवास-अनुसूचित जातियों के लिए उप-योजना			
मू.	36,55.02	8.32	8.32
पु.	- 36,46.70		..

31 मार्च 2019 को ₹ 36,46.70 लाख का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 35,91.88 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 54.82 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(46) 14 वें वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[05] 14 वें वित्त आयोग के तहत निष्पादन अनुदान			
मू.	28,93.00
पु.	- 28,93.00
31 मार्च 2019 को ₹ 28,93.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(47) पार्कों के विकास हेतु			
[02] अनुसूचित जातियों के लिए उपयोजना			
मू.	1,75.00
पु.	- 1,75.00
31 मार्च 2019 को ₹ 1,75.00 लाख का समस्त प्रावधान योजना का क्रियान्वयन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(12) संबल ग्रामों का विकास हेतु अनुदान			
मू.	10,00.00	3,28.05	3,28.05
पु.	- 6,71.95
31 मार्च 2019 को ₹ 6,71.95 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(21) छात्रावासियों को सार्ईकिल वितरण योजना			
[01] छात्रावासियों को सार्ईकिल वितरण योजना			
मू.	1,50.01
पु.	- 1,50.01
31 मार्च 2019 को ₹ 1,50.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(22) आवासीय विद्यालय			
[01] आवासीय विद्यालयों का संचालन			
मू.	36,51.40	27,92.81	27,89.10
पु.	- 8,58.59	..	- 3.71
31 मार्च 2019 को ₹ 8,58.59 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[19] अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवार को जन श्री बीमा योजना हेतु सहायता (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना)			
मू.	6,50.00
पु.	- 6,50.00
31 मार्च 2019 को ₹ 6,50.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
02. समाज कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[06] मिशन ग्राम्य शक्ति			
मू.	1,90.78
पु.	- 1,90.78
31 मार्च 2019 को ₹ 1,90.78 लाख का समस्त प्रावधान मिशन ग्राम्य शक्ति योजना के क्रियान्वयन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान भी समस्त अनुमानित प्रावधान निरन्तर अभ्यर्पित किया गया।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[08] अनुसूचित जातियों के लिये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन			
मू.	53,01.41	41,82.43	41,44.16
पु.	- 11,18.98		- 38.27
31 मार्च 2019 को ₹ 11,18.98 लाख का प्रावधान मांग के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान करने तथा इसी अनुसार पेंशन के वितरण पर विविध व्यय कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 38.27 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[14] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूँ			
मू.	4,10.50	1,38.32	1,38.31
पु.	- 2,72.18		- 0.01
31 मार्च 2019 को ₹ 2,72.18 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं [15] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन			
मू.	30,38.48		
पु.	- 11,09.91	19,28.57	19,28.57
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 11,09.91 लाख का प्रावधान योजनान्तर्गत व्यय की प्रगति अनुसार बजट सीमा में कटौती के कारण तथा माह मार्च, 2019 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं [17] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटे अनाज			
मू.	4,87.51		
पु.	- 3,59.78	1,27.73	1,27.73
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 3,59.78 लाख का प्रावधान प्रत्येक फसल के प्रदर्शन पर अनुमान से कम लागत होने तथा राज्य बीज निगम में जौ एवं बाजरे के बीज उपलब्ध न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं [18] राष्ट्रीय तिलहन मिशन-तिलहन			
मू.	7,23.50		
पु.	- 1,71.52	5,51.98	5,51.98
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,71.52 लाख का प्रावधान योजनान्तर्गत व्यय की प्रगति अनुसार बजट सीमा में कटौती के कारण तथा बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (ई.सी.एस.) के माध्यम से कुछ बिलों का भुगतान न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं [21] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि अभियांत्रिकी			
मू.	6,82.71		
पु.	- 5,69.88	1,12.83	1,12.83
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 5,69.88 लाख का प्रावधान कृषि उपकरणों हेतु किसानों से आवेदन कम प्राप्त होने के परिणामतः अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं [26] परम्परागत कृषि विकास योजना			
मू.	8,72.81		
पु.	- 6,46.06	2,26.75	2,26.74
			- 0.01
31 मार्च 2019 को ₹ 6,46.06 लाख का प्रावधान खरीफ की फसल में भारत सरकार द्वारा जारी पुनरीक्षित दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन न होने तथा माह मार्च, 2019 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) कृषि विभाग के माध्यम से			
[23] मिशन फॉर लिवलिहुड			
मू.	9,37.25	5,34.90	5,34.90
पु.	- 4,02.35		..
31 मार्च 2019 को ₹ 4,02.35 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[01] बागवानी का विकास			
मू.	3,46.01	0.78	0.78
पु.	- 3,45.23		..
₹ 3,46.01 लाख का प्रावधान ग्रीन हाऊस की स्थापना के कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अनुमानित था। कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त प्रकार के कृषकों हेतु 2000 वर्ग मीटर के ग्रीन हाऊस की स्थापना पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि ₹ 10.00 लाख का अनुदान के रूप में स्वीकार्य था। यद्यपि, अन्य योजनाएं यथा राष्ट्रीय वागवानी मिशन तथा राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना के अन्तर्गत अनुदान क्रमशः 70 प्रतिशत एवं 75 प्रतिशत स्वीकृत है जिसके कारण कृषकों द्वारा योजना के अन्तर्गत अधिक रुझान नहीं दिखाया गया परिणामतः ₹ 3,45.23 लाख का प्रावधान 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[04] राष्ट्रीय बागवानी मिशन			
मू.	11,73.85	3,40.06	3,40.06
पु.	- 8,33.79		..
31 मार्च 2019 को ₹ 8,33.79 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[05] प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)			
मू.	21,26.67	6,15.77	6,15.77
पु.	- 15,10.90		..
31 मार्च 2019 को ₹ 15,10.90 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। भारत सरकार द्वारा ड्रिप संयंत्रों की प्रति इकाई लागत प्रचलित लागत से कम होने के कारण कृषकों को कम अनुदान स्वीकृत किये गये परिणामतः कृषकों द्वारा कम रुझान दर्शाया गया तथा कृषकों से ऑनलाइन आवेदन कम प्राप्त हुए।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	27,14.10	9,42.70	9,42.69
पु.	- 17,71.40		- 0.01
31 मार्च 2019 को ₹ 17,71.40 लाख का प्रावधान कोषालयों द्वारा कुछ बिलों को पारित न करने तथा माह मार्च, 2019 में बैंक द्वारा कुछ बिलों का इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ई.सी.एस.) के माध्यम से भुगतान न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[02] बागवानी विभाग के माध्यम से			
मू.	8,31.84		
पु.	- 4,32.18	3,99.66	3,99.66
31 मार्च 2019 को ₹ 4,32.18 लाख का प्रावधान कोषालयों द्वारा कुछ बिलों को पारित न करने तथा माह मार्च, 2019 में बैंक द्वारा कुछ बिलों का इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (ई.सी.एस.) के माध्यम से भुगतान न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[04] डेयरी विभाग के माध्यम से जारी अनुदान			
मू.	7,82.48		
पु.	- 7,82.48
31 मार्च 2019 को ₹ 7,82.48 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान कॉऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से मांग प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[12] राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के माध्यम से जारी अनुदान			
मू.	7,30.00		
पु.	- 7,30.00
31 मार्च 2019 को ₹ 7,30.00 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से मांग प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[15] कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के माध्यम से			
मू.	2,55.35		
पु.	- 1,55.35	1,00.00	1,00.00
31 मार्च 2019 को ₹ 1,55.35 लाख का प्रावधान योजनान्तर्गत व्यय की प्रगति के अनुसार बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पॉम मिशन			
[03] राष्ट्रीय तिलहन मिशन-तिलहन			
मू.	4,46.92		
पु.	- 3,22.55	1,24.37	1,24.36
31 मार्च 2019 को ₹ 3,22.55 लाख का प्रावधान योजनान्तर्गत व्यय की प्रगति के अनुसार बजट सीमा में कटौती तथा माह मार्च, 2019 में बैंक द्वारा कुछ बिलों का इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (ई.सी.एस.) के माध्यम से भुगतान न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			- 0.01

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2401. फसल कृषि-कर्म				
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना				
(09) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना				
[01] कृषि विभाग के माध्यम से				
मू.	32,71.95	13,29.17	13,29.16	
पु.	- 19,42.78			- 0.01
31 मार्च 2019 को ₹ 19,42.78 लाख का प्रावधान (i) योजनान्तर्गत व्यय की प्रगति के अनुसार बजट सीमा में कटौती होने, (ii) माह मार्च, 2019 में कोषालयों द्वारा कुछ बिलों को पारित नहीं करने तथा (iii) माह मार्च, 2019 में बैंक द्वारा कुछ बिलों का इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ई.सी.एस.) के माध्यम से भुगतान न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।				
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना				
(09) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना				
[04] जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से				
मू.	14,96.01	
पु.	- 14,96.01	
31 मार्च 2019 को ₹ 14,96.01 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा विभाग को निधियों का सीधे हस्तांतरण करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।				
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना				
(11) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना				
[01] कृषि विभाग के माध्यम से				
मू.	10,22.55	4,11.20	4,11.20	
अ.	0.02			..
पु.	- 6,11.37			..
₹ 6,11.37 लाख की प्रत्याशित बचत योजनान्तर्गत व्यय की प्रगति के अनुसार बजट सीमा में कटौती करने तथा माह मार्च, 2019 में कोषालयों द्वारा कुछ बिलों को पारित न करने को आरोपित की गयी।				
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना				
(11) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना				
[02] कृषि विभाग के माध्यम से				
मू.	8,00.00	97.42	97.41	
पु.	- 7,02.58			- 0.01
31 मार्च 2019 को ₹ 7,02.58 लाख का प्रावधान योजनान्तर्गत व्यय की प्रगति के अनुसार बजट सीमा में कटौती करने तथा माह मार्च, 2019 में कोषालयों द्वारा कुछ बिलों को पारित न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।				
2403. पशु पालन				
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना				
(01) पशुपालन विभाग के अभिकरण से				
[04] मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना				
मू.	14,00.00	11,48.78	11,45.42	
पु.	- 2,51.22			- 3.36
31 मार्च 2019 को ₹ 2,51.22 लाख का प्रावधान बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।				

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु पालन			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) गोपालन विभाग			
[01] गौ-शालाओं को अनुदान			
मू.	1,00,00.00		
अ.	0.01	89,59.68	89,59.68
पु.	- 10,40.33		..
31 मार्च 2019 को ₹ 10,40.33 लाख का प्रावधान आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण निधियों के आवंटन में विलम्ब तथा आचार संहिता में छूट मार्च, 2019 के अंतिम सप्ताह में प्राप्त होने के परिणामतः गोशाला को निधियों का वितरण कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
797. आरक्षित निधियां/जमा लेखों को अन्तरण			
(02) राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि को अन्तरण			
[02] राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि के बजट			
शीर्ष 8229-104-(02) में अन्तरण			
मू.	1,00,00.00		
पु.	- 10,00.00	90,00.00	90,00.00
31 मार्च 2019 को ₹ 10,00.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) बाह्य सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी एवं जैव			
विविधता परियोजना फेज- II			
मू.	14,48.93		
पु.	- 2,48.93	12,00.00	12,00.00
31 मार्च 2019 को ₹ 2,48.93 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
2425. सहकारिता			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) क्रय विक्रय सहकारी समितियों को सहायता			
मू.	3,50.01		
पु.	- 3,50.01
₹ 3,50.01 लाख का प्रावधान झालावाड़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति के कोल्ड स्टोरेज के निर्माण हेतु अनुमानित था। यद्यपि, ₹ 3,50.01 लाख का समस्त प्रावधान भूमि का आवंटन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)			
जलग्रहण घटक			
[03] कार्यकलाप सम्बन्धी (अनुसूचित जाति के लिए)			
मू.	99,44.96		
		65,45.43	65,45.43
पु.	- 33,99.53		..
31 मार्च 2019 को ₹ 33,99.53 लाख का प्रावधान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जलग्रहण घटक) के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम तथा देरी से प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 30,20.10 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 3,79.43 लाख) किया गया।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
[03] अनुदान			
मू.	80,91.00		
		33,59.30	33,59.30
पु.	- 47,31.70		..
31 मार्च 2019 को ₹ 47,31.70 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 31,73.79 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 15,57.91 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना			
[03] अनुदान			
मू.	9,98.58		
		1,33.82	1,33.82
पु.	- 8,64.76		..
31 मार्च 2019 को ₹ 8,64.76 लाख का प्रावधान योजना को बंद करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना			
(डीडीयू-जीकेवाई)			
[03] अनुदान			
मू.	25,17.68		
		34.00	34.00
पु.	- 24,83.68		..
31 मार्च 2019 को ₹ 24,83.68 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[01] कार्यकलाप संबंधी (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	4,58,52.16		
पु.	- 65,92.90	3,92,59.26	3,92,59.26 ..
31 मार्च 2019 को ₹ 65,92.90 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 55,46.86 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 10,46.04 लाख) किया गया।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिए सहायता (कुल प्रावधान का 3 प्रतिशत)			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	27,43.22		
पु.	- 6,36.29	21,06.93	21,06.93 ..
31 मार्च 2019 को ₹ 6,36.29 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को संस्थापना व्यय हेतु			
[03] कार्यकलाप सम्बन्धी (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	9,45.64		
पु.	- 2,40.72	7,04.92	7,04.92 ..
31 मार्च 2019 को ₹ 2,40.72 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(25) ग्रामीण बी.पी.एल. आवास			
[02] विशिष्ट संघटक योजना में कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	99,21.06		
पु.	- 32,37.87	66,83.19	66,83.19 ..
31 मार्च 2019 को ₹ 32,37.87 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 22,68.44 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 9,69.43 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(41) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)(अनुसूचित जातियों के लिए)			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	3,03,72.36	2,16,37.98	2,16,37.98
पु.	- 87,34.38		..
31 मार्च 2019 को ₹ 87,34.38 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिये अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू.	1,09,72.89	84,27.78	84,27.78
पु.	- 25,45.11		..
31 मार्च 2019 को ₹ 25,45.11 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(03) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू.	4,11,48.32	3,00,18.30	3,00,18.30
पु.	- 1,11,30.02		..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,11,30.02 लाख का प्रावधान ग्राम पंचायतों को कम अनुदान जारी करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(33) 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	4,90,35.96	2,45,17.98	2,45,17.98
पु.	- 2,45,17.98		..
31 मार्च 2019 को ₹ 2,45,17.98 लाख का प्रावधान 14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(34) 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	61,84.44
पु.	- 61,84.44
31 मार्च 2019 को ₹ 61,84.44 लाख का समस्त प्रावधान 14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सर्वेक्षण (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन के माध्यम से)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	6,92.00		
पु.	- 1,58.88	5,33.12	5,05.12
			- 28.00
31 मार्च 2019 को ₹ 1,58.88 लाख का प्रावधान अनुसंधान, मुल्यांकन तथा सर्वेक्षण कार्य के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने से विशिष्ट एवं वृत्तिक सेवाओं पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
₹ 28.00 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019) ।			
2801. बिजली			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) उदय योजना के अंतर्गत वितरण निगमों को सहायता			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	7,17,53.82		
पु.	- 1,40,58.58	5,76,95.24	5,76,95.24
			..
₹ 7,17,53.82 लाख का प्रावधान उदय योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार डिस्कॉम को दिये गये ऋण को सहाय्य में परिवर्तित करने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, वर्ष के दौरान अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड का ऋण अनुमान से कम सहाय्य में परिवर्तित हुआ, जिसके परिणामतः ₹ 1,40,58.58 लाख का प्रावधान 31 मार्च 2019 को अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया ।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) विद्युत् दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	4,73,02.47		
पु.	- 60,02.57	4,12,99.90	4,12,99.90
			..
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) विद्युत् दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	7,67,89.48		
पु.	- 1,61,70.76	6,06,18.72	6,06,18.72
			..
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) विद्युत् दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	4,00,56.15		
पु.	- 37,10.97	3,63,45.18	3,63,45.18
			..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 2,58,84.30 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा शुल्क सहाय्य में कटौती के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया ।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) विद्युत चोरी के अपराध के प्रषमन की राशि के विरुद्ध अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	2,76.41		
पु.	- 1,55.28	1,21.13	1,21.13
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) विद्युत चोरी के अपराध के प्रषमन की राशि के विरुद्ध अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	2,20.79		
पु.	- 1,70.57	50.22	50.22
<p>उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 3,25.85 लाख का प्रावधान बिजली वितरण निगमों द्वारा विद्युत् चोरी के अपराध के प्रषमन की राशि की वसूली के अनुसार सहाय्य जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा विद्युतीकरण			
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा कोरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से			
मू.	2,47.24		
पु.	- 2,47.24
<p>31 मार्च 2019 को ₹ 2,47.24 लाख का प्रावधान भारत सरकार की <i>दीनदयालय उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना</i> के तहत <i>सौर ऊर्जा गृह बिजली सिस्टम</i> के माध्यम से राजस्थान अक्षय ऊर्जा कोरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण हेतु अनुमानित था। योजनान्तर्गत भारत सरकार का अनुरूप अनुदान 75 प्रतिशत था। चूंकि भारत सरकार का हिस्सा 31 मार्च 2019 को प्राप्त हुआ इसलिए राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी नहीं की जा सकी परिणामतः ₹ 2,47.24 लाख का समस्त प्रावधान 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किया गया।</p>			
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(26) मुद्रा योजना के अन्तर्गत ब्याज अनुदान			
[01] ऋण पर ब्याज अनुदान			
मू.	20,00.00		
पु.	- 20,00.00
<p>31 मार्च 2019 को ₹ 20,00.00 लाख का प्रावधान <i>मुद्रा व्यापार योजना</i> के तहत शिक्षित युवा बेरोजगार के लिए ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2019 को ₹ 20,00.00 लाख का समस्त प्रावधान <i>मुद्रा व्यापार योजना</i> की बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
01. भारतीय सर्वेक्षण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) सरसेक/सेटकॉम नेटवर्क			
मू.	4,75.00
पु.	- 4,75.00
31 मार्च 2019 को ₹ 4,75.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)। वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना			
मू.	2,00.00
पु.	- 2,00.00
31 मार्च 2019 ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान वित्तीय संस्थाओं से ऋणों की प्राप्ति न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पर्यटक सूचना और प्रचार			
मू.	15,27.01	6,70.48	6,70.47
पु.	- 8,56.53		- 0.01
31 मार्च 2019 को ₹ 8,56.53 लाख का प्रावधान पर्यटक सूचना तथा प्रचार के लिए विपणन अभियान की धीमी गति होने तथा माह मार्च, 2019 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[07] स्टेट डाटा सेन्टर			
मू.	1,71.00
पु.	- 1,71.00
31 मार्च 2019 को ₹ 1,71.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[19] वाई-फाई हॉट स्पॉट			
मू.	9,00.00		
		6,64.00	
पु.	- 2,36.00		..

31 मार्च 2019 को ₹ 2,36.00 लाख का प्रावधान कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(05) भामाशाह योजना, 2014
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मू.	26,17.80		
अ.	3,00,00.00	2,59,45.75	..
पु.	- 66,72.05		

सितम्बर, 2018 में प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 3,00,00.00 लाख का प्रावधान *भामाशाह योजना* के अन्तर्गत *राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम* के तहत चयनित परिवारों को डिजिटल शामिल करने हेतु लिया गया।

₹ 66,72.05 लाख की प्रत्याशित बचत विधानसभा/लोकसभा चुनाव आचार संहिता के कारण बी.पी.एल./ राज्य बी.पी.एल./ अंत्योदय/अन्नपूर्णा परिवारों के खातों में राशि के हस्तांतरण न करने तथा *भामाशाह डिजिटल परिवार योजना* की राशि भी हस्तांतरित नहीं किये जा सकने को आरोपित की गयी।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जातियों के लिये)			
[01] लड़कों के विद्यालय (आवासीय विद्यालय)			
मू.	4,80,67.00		
		5,41,45.38	
पु.	60,78.38		- 10.58

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 60,78.38 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों तथा बकाया के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 10.58 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2202. सामान्य शिक्षा				
02. माध्यमिक शिक्षा				
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना				
(09) अनुसूचित जाति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साईकिल का वितरण				
मू.	17,50.00	21,02.20	21,02.20	
पु.	3,52.20			..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,52.20 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों की वास्तविक संख्या एवं साईकिल की दरों के अनुसार साईकिलों का वितरण हेतु उपलब्ध करायी गयी।				
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य				
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी				
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता				
(03) अनुसूचित जातियों के लिए ब्लॉक स्तरीय संस्थापन				
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र				
मू.	16,59.36	25,69.21	25,58.44	
अ.	0.01			- 10.77
पु.	9,09.84			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी				
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता				
(03) अनुसूचित जातियों के लिए ब्लॉक स्तरीय संस्थापन				
[03] स्वास्थ्य उप-केन्द्र				
मू.	7,07.26	9,51.63	9,51.36	
पु.	2,44.37			- 0.27
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी				
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना				
(01) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र				
मू.	25,73.19	28,86.06	28,76.55	
अ.	0.01			- 9.51
पु.	3,12.86			

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,67.07 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों तथा सातवें वेतन आयोग के बकाया के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

शीर्ष "2210-03-197(03) [01] तथा 03-789-(01)" के अंतर्गत ₹ 20.28 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू.	40,00.03		
पु.	47,35.28	87,35.31	87,34.12
			- 1.19

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 47,35.28 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के लाभों का बकाया सहित भुगतान तथा 1,120 द्वितीय श्रेणी नर्सों का परीवीक्षा समाप्त होने पर वेतन स्थिरीकरण करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(01) अस्पताल एवं औषधालय
[02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय
समूह, बीकानेर

मू.	9,02.01		
पु.	1,54.66	10,56.67	10,56.66
			- 0.01

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,54.66 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(01) अस्पताल एवं औषधालय
[03] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय
समूह, उदयपुर

मू.	28,21.51		
पु.	16,88.52	45,10.03	45,10.03
			..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,88.52 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के बकाया के भुगतान के लिए वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(01) अस्पताल एवं औषधालय
[04] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय
समूह, अजमेर

मू.	25,31.61		
पु.	9,79.21	35,10.82	35,10.82
			..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,79.21 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों तथा बकाया दायित्वों के भुगतान पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर			
मू.	26,00.00		
अ.	0.01	34,84.59	34,84.60
पु.	8,84.58		+ 0.01

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,84.58 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों, छात्रवृत्तियों एवं वजीफे पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(01) अस्पताल एवं औषधालय
[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा

मू.	16,10.51	18,01.85	18,01.85	..
पु.	1,91.34			

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,91.34 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

06. लोक स्वास्थ्य
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(02) निःशुल्क दवा वितरण योजना
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से

मू.	18,72.83	23,74.32	23,31.12	- 43.20
पु.	5,01.49			

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,01.49 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्तों, सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान तथा न्यायालय के निर्देशानुसार संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को मानदेय का बढ़ी हुई दरों पर साथ ही मानदेय के बकाया के भुगतान पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 43.20 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

06. लोक स्वास्थ्य
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(03) निःशुल्क जांच योजना
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से

मू.	19,61.39	22,07.38	21,98.95	- 8.43
पु.	2,45.99			

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,45.99 लाख की अतिरिक्त निधियां सातवें वेतन आयोग के बकाया के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 8.43 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
मू.	2,91,73.63		
		3,31,17.33	3,31,17.33
पु.	39,43.70		..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 39,43.70 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुसार राज्यांश जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[06] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू.	2,98.65		
		5,34.90	5,34.90
पु.	2,36.25		..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,36.25 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत अधिक निधियां जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य			
191. नगर निगम को सहायता			
(41) अन्नपूर्णा योजना			
[02] अनुसूचित जातियों के लिए उप-योजना			
मू.	1,49.52		
		5,59.13	5,59.13
पु.	4,09.61		..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,09.61 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(44) अन्नपूर्णा योजना			
[02] अनुसूचित जातियों के लिए उप-योजना			
मू.	90.00		
		20,79.65	20,79.65
पु.	19,89.65		..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,89.65 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(13) अनुसूचित जातियों के निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार योजनान्तर्गत अनुदान			
मू.	50,00.00	59,97.21	- 2.79
पु.	10,00.00		
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थी बच्चों की संख्या में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(17) अन्तर्जातीय विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू.	16,00.00	18,00.00	- 22.50
पु.	2,22.50		
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,22.50 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 22.50 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(26) ऋण माफी हेतु अनुदान			
[01] अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम			
मू.	0.01	45,86.58	..
पु.	45,86.57		
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 45,86.57 लाख की अतिरिक्त निधियां अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम को ऋण माफी के लिए अनुदान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
02. रोजगार सेवा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू.	3,50.00	7,06.11	- 0.06
पु.	3,56.11		
₹ 3,50.00 लाख का प्रावधान अक्षत योजना के अन्तर्गत पुरुष लाभार्थियों को ₹ 650 प्रतिमाह तथा महिला और विशेष योग्यजन लाभार्थियों को ₹ 750 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता के भुगतान हेतु अनुमानित था। फरवरी, 2019 में श्रम तथा रोजगार विभाग ने मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना प्रारम्भ की तथा प्रत्येक पुरुष लाभार्थी को मौजूदा बेरोजगारी भत्ते में ₹ 650 प्रतिमाह से ₹ 3,000 तथा महिला व विशेष योग्यजन दोनों लाभार्थियों को प्रतिमाह ₹ 750 से ₹ 3,500 की वृद्धि की गई परिणामस्वरूप 31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,56.11 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[27] मुख्यमंत्री राजश्री योजना			
मू.	27,70.00	61,90.00	61,90.00
पु.	34,20.00		

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 34,20.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
- (01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से
- [09] अनुसूचित जातियों के लिये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन

मू.	14,27.58	26,09.37	25,99.04	- 10.33
पु.	11,81.79			

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,81.79 लाख की अतिरिक्त निधियां अनुसूचित जातियों के पेंशनरों की संख्या में वृद्धि होने तथा वृद्धावस्था पेंशनर्स का विधवा पेंशन योजना में हस्तान्तरण होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 10.33 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
- (03) मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना
- [02] अनुसूचित जातियों के लिये मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना

मू.	1,15,03.00	2,60,66.19	2,59,87.33	- 78.86
पु.	1,45,63.19			

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,45,63.19 लाख की अतिरिक्त निधियां अनुसूचित जनजातियों के पेंशनरों की संख्या में वृद्धि होने तथा वृद्धावस्था पेंशनर्स का विधवा पेंशन योजना में हस्तान्तरण होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 78.86 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता
- (04) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
- [02] अनुसूचित जातियों के लिये मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

मू.	56,76.80	74,64.34	74,40.23	- 24.11
पु.	17,87.54			

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,87.54 लाख की अतिरिक्त निधियां पेंशनरों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 24.11 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[01] पोषाहार क्रेष कार्यक्रम			
मू.	3,30,00.00	3,50,95.38	3,49,70.46
पु.	20,95.38		
			- 1,24.92

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20,95.38 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुसार राज्य निधि के समान अनुरूप हिस्सा जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 1,24.92 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[04] जल आयोजन हेतु अनुदान			

मू. 0.01

पु. 5,50.34

5,50.35

5,50.35

..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,50.34 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष 2018-19 के बजट भाषण में की गई उद्घोषणाओं की अनुपालना में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत डिग्गी, फार्म पोंड तथा जलहॉक के निर्माण पर टॉप-अप अनुदान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) कृषि विभाग के माध्यम से			
[04] फसल बीमा (50% राज्यांश: 50% केन्द्रांश)			

मू. 1,28,91.90

पु. 10,36.63

1,39,28.53

1,39,28.53

..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,36.63 लाख की अतिरिक्त निधियां फसल बीमा पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[12] सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त सहायता			

मू. 12,93.89

पु. 2,83.52

15,77.41

15,77.41

..

योजनान्तर्गत प्रावधान 7,500 सौर ऊर्जा पम्प सेट की स्थापना हेतु अनुमानित था। यद्यपि, सौर ऊर्जा पम्प सेट की स्थापना के लक्ष्य में 11,500 तक की वृद्धि की गयी परिणामतः 31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,83.52 लाख की अतिरिक्त निधियां अनुसूचित जातियों हेतु विशिष्ट संघटक योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(13) कृषि ऋण माफी योजना			
[01] राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (अपेक्स बैंक) के माध्यम से			
मू.	8,00,00.00		
पु.	1,10,00.00	9,10,00.00	9,10,00.00
			..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,10,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण			
[03] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (अनुसूचित जाति)			
मू.	2,83,09.10		
अ.	60,52.98	5,67,08.98	5,67,08.98
पु.	2,23,46.90		..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,23,46.90 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(42) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	0.02		
पु.	2,90.39	2,90.41	2,90.41
			..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,90.39 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
2801. बिजली			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) उदय योजना के अंतर्गत वितरण निगमों को सहायता			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	6,93,00.68		
पु.	1,20,99.48	8,14,00.16	8,14,00.16
			..
₹ 6,93,00.68 लाख का प्रावधान उदय योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार डिस्कॉम को दिये ऋण को सहाय्य में परिवर्तित करने के लिए अनुमानित था। तत्पश्चात् 31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,20,99.48 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष के दौरान ऋणों को सहाय्य में अनुमान से अधिक परिवर्तित करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2801. बिजली			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) विद्युत् शुल्क के प्रति अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	81,27.90		
पु.	9,70.10		
		90,98.00	90,98.00
			..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,70.10 लाख की अतिरिक्त निधियां विद्युत् वितरण निगमों को कर संग्रहण के अनुसार सहाय्य जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
3055. सड़क परिवहन			
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना			
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू.	5,34.90		
पु.	14,05.18		
		19,40.08	19,40.08
			..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,05.18 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि के तहत अधिक निधियां जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[03] जिला कार्यालय			
मू.	17,97.52		
पु.	4,69.60		
		22,67.12	22,66.41
			- 0.71
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,69.60 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
3456. सिविल पूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[02] अंत्योदय परिवार अन्न योजना			
मू.	12,00.05		
पु.	8,50.40		
		20,50.45	20,50.45
			..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,50.40 लाख की अतिरिक्त निधियां उचित मूल्य दुकान वितरकों एवं बिक्री केन्द्र (पी ओ एस) मशीन के सम्बन्ध में देय कमीशन दर में ₹ 87 प्रति किंवाटल से ₹ 125 किंवाटल की बढ़ोतरी होने के कारण राज्य सरकार द्वारा राज्य निधि से कमीशन के भुगतान पर अधिक व्यय की पूर्ति एवं जनवरी, 2019 में विधानसभा में अन्त्योदय, बी.पी.एल. एवं स्टेट बी.पी.एल. परिवारों को एक रुपये प्रति किलो की दर से गेहूँ वितरित करने की बजट घोषणा के अनुसार गेहूँ वितरण पर अधिक सब्सिडी की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
3456. सिविल पूर्ति				
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना				
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना				
[03] अंत्योदय परिवार अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों हेतु				
मू.	60,00.05	86,57.77	86,54.61	- 3.16
पु.	26,57.72			

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 26,57.72 लाख की अतिरिक्त निधियां उचित मूल्य दुकान वितरकों एवं बिक्री केन्द्र (पी ओ एस) मशीन के सम्बन्ध में देय कमीशन दर में ₹ 87 प्रति किंवटल से ₹ 125 किंवटल की बढ़ोतरी होने के कारण राज्य सरकार द्वारा राज्य निधि से कमीशन के भुगतान पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

6. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्धन अत्यधिक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2202. सामान्य शिक्षा				
02. माध्यमिक शिक्षा				
107. छात्रवृत्तियां				
(05) अनुसूचित जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां				
[02] पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां				
मू.	78,10.00	88,74.74	80,46.72	- 8,28.02
पु.	10,64.74			

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,64.74 लाख की अतिरिक्त निधियां अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों की संख्या में अनुमान से वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 8,28.02 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण				
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण				
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना				
(01) अनुसूचित जातियों के लिए छात्रवृत्तियां तथा वजीफा				
मू.	3,31,84.41	4,28,42.95	4,14,14.84	- 14,28.11
पु.	96,58.54			

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 96,58.54 लाख की अतिरिक्त निधियां अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों की संख्या में अनुमान से वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 14,28.11 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

पूँजी

दत्तमत

1. सितम्बर, 2018 (₹ 50,00.12 लाख) तथा फरवरी, 2019 (₹ 0.04 लाख) में लिया गया ₹ 50,00.16 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 13,33,90.32 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 38,98.16 लाख अनुभ्यर्पित रही।
3. वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 4,97,46.10 लाख, ₹ 9,41,34.85 लाख, ₹ 5,76,10.24 लाख, ₹ 16,64,97.88 लाख तथा ₹ 13,33,90.32 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 8.49 प्रतिशत से 30.07 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का एक कारण भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होना तथा कार्यों का निष्पादन कम/नहीं होना था।
4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) पुलिस आवास			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	14,20.78	7,63.13	7,63.13
पु.	- 6,57.65		
31 मार्च 2019 को ₹ 6,57.65 लाख का प्रावधान कार्यकारी अभिकरणों जैसे, राजस्थान राज्य सड़क विकास तथा निर्माण निगम लिमिटेड एवं राजस्थान पुलिस आवास तथा निर्माण निगम लिमिटेड से मांग के अनुसार निधियाँ जारी न करने तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग को आहरण एवं संवितरण अधिकार अधिकृत न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सामान्य भवन (जेल विभाग)			
[02] जेल भवन का निर्माण			
मू.	3,31.43	23.25	23.25
पु.	- 3,08.18		
31 मार्च 2019 को ₹ 3,08.18 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) सामान्य भवन (भू-राजस्व)			
मू.	11,37.85	5,61.71	5,61.29
पु.	- 5,76.14		
31 मार्च 2019 को ₹ 5,76.14 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) कॉलेज शिक्षा			
[90] वृहद् निर्माण कार्य			
मू.	13,41.59		
पु.	- 1,68.93	11,72.66	11,72.66
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,68.93 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) मुख्यमंत्री सहभागिता योजना			
[01] विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास			
मू.	4,24.99		
पु.	- 1,76.49	2,48.50	2,48.50
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,76.49 लाख का प्रावधान <i>मुख्यमंत्री सहभागिता योजना</i> के तहत विद्यालयों में मौलिक आधारभूत संरचनाओं के कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. तकनीकी शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से			
मू.	4,52.57		
पु.	- 4,52.57
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 4,52.57 लाख का समस्त प्रावधान (i) सार्वजनिक निजी सहभागिता के अन्तर्गत निजी महिला पॉलीटेक्निक के निर्माण कार्यों तथा जालोर पॉलीटेक्निक के भवन निर्माण कार्यों के पुर्नभरण हेतु बजट सीमा में कटौति होने तथा (ii) 15 नये पॉलीटेक्निक तथा वर्तमान पॉलीटेक्निक के नवीनीकरण हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. तकनीकी शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) महिला बहुशिल्प (पॉलीटेक्निक) विद्यालय			
मू.	2,70.21		
पु.	- 1,55.72	1,14.49	1,14.49
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,55.72 लाख का प्रावधान भरतपुर में महिला बहुशिल्प (पॉलीटेक्निक) विद्यालय के निर्माण हेतु बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
03. खेलकूद तथा युवा सेवा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) खेल विभाग के माध्यम से जिला संकुल			
मू.	6,24.23		
पु.	- 6,24.23		
31 मार्च 2019 को ₹ 6,24.23 लाख का समस्त प्रावधान खेल विभाग से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में स्वीकृति जारी नहीं की गयी तथा तत्पश्चात् विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने से निधियां जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) औषधालय तथा सहायता चौकियां			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	49,52.22	23,00.00	23,00.00
पु.	- 26,52.22		
31 मार्च 2019 को ₹ 26,52.22 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य सड़क विकास तथा निर्माण निगम द्वारा जिला चिकित्सालय, धोलपुर के निर्माण कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) स्वास्थ्य उप-केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	32,53.65	13,61.30	13,61.30
पु.	- 18,92.35		
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[01] स्वास्थ्य उप-केन्द्रों का निर्माण			
मू.	9,00.00	4,53.00	4,53.00
पु.	- 4,47.00		
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[02] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	15,00.00	13,22.00	13,22.00
पु.	- 1,78.00		

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	12,68.00		
		7,98.00	7,98.00
पु.	- 4,70.00		..

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 29,87.35 लाख का प्रावधान (i) भूमि पर स्वामित्व विवाद, (ii) वर्ष के दौरान समय-समय पर निधियों की अनुपलब्धता तथा (iii) अक्टूबर, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक चुनाव आचार संहिता लगने के कारण निविदा प्रक्रिया में देरी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू.	18,42.56		
		4,80.22	4,80.23 + 0.01
पु.	- 13,62.34		

₹ 13,62.34 लाख की प्रत्याशित बचत (i) आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण नये एवं प्रतिबद्ध निर्माण कार्यों के कार्य आदेशों को ठेकेदारों को समय पर जारी न करने तथा (ii) कोषालय द्वारा कंथ लेब के निर्माण एवं किट की खरीद तथा जीका वायरस की जांच हेतु रिजिस्ट्रार के बिलों को पारित न किये जाने को आरोपित की गयी।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर			
मू.	6,50.01		
		4,97.72	4,97.72
पु.	- 1,52.29		..

31 मार्च 2019 को ₹ 1,52.29 लाख का प्रावधान चुनाव आचार संहिता लगने के परिणामतः लघु निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर			
मू.	16,61.01		
		11,18.12	11,18.12
पु.	- 5,42.89		..

31 मार्च 2019 को ₹ 5,42.89 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर			
मू.	6,48.51	2,12.09	2,12.09
पु.	- 4,36.42		..
31 मार्च 2019 को ₹ 4,36.42 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा			
मू.	15,50.98	6,91.86	6,91.86
पु.	- 8,59.12		..
31 मार्च 2019 को ₹ 8,59.12 लाख का प्रावधान (i) राज्य सरकार द्वारा किडनी ट्रांसप्लान्ट के लिए उपकरणों की खरीद की स्वीकृति जारी न करने, (ii) खरीदे हुए उपकरणों का भुगतान कोषालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज (ई.सी.एस.) के माध्यम से जारी न करने तथा (iii) बजट से बीड़िंग राशि के अधिक होने के कारण उपकरणों की खरीद न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट			
[01] एस.एस.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	3,40.00		
अ.	0.02
पु.	- 3,40.02		..
₹ 3,40.02 लाख का प्रावधान स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट हेतु उपकरणों की खरीद के लिए अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2019 को ₹ 3,40.02 लाख का समस्त प्रावधान मात्र एक निविदा प्राप्त होने तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के कारण निधियों का उपयोग न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू.	5,50.02		
पु.	- 5,50.02
31 मार्च 2019 को ₹ 5,50.02 लाख का समस्त प्रावधान एम.बी.बी.एस. विद्यार्थियों की महाविद्यालय में प्रवेश क्षमता में 150 से 250 की वृद्धि करने हेतु भारत सरकार से विस्तृत प्रस्तावों की स्वीकृति प्राप्त न होने तथा तत्पश्चात् राज्यांश जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[01] अन्य ग्रामीण पेयजल योजनाएं			
मू.	1,16,11.44		
पु.	- 35,64.36	80,47.08	79,68.34
			- 78.74
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[03] बीसलपुर-दूदू जल प्रदाय परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	7,38.06		
पु.	- 1,59.26	5,78.80	5,78.80
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[19] बाड़मेर लिफ्ट केनाल जल प्रदाय परियोजना फेज- II			
मू.	12,94.15		
पु.	- 12,94.15
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[22] टोंक, उनियारा और देवली को बीसलपुर बांध से जलप्रदाय परियोजना			
मू.	10,05.59		
पु.	- 8,05.59	2,00.00	2,00.00
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[23] नागौर लिफ्ट कैनाल फेज- II			
मू.	87,22.00		
पु.	- 35,51.30	51,70.70	51,70.70
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[28] फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू.	8,24.01		
पु.	- 4,43.22	3,80.79	3,80.79
			..

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[29] डीग जलपूर्ति योजना			
मू.	12,94.15		
पु.	- 1,85.78	11,08.37	11,08.37
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[33] चम्बल-बालेर-सवाई-माधोपुर जलप्रदाय योजना			
मू.	7,43.16		
पु.	- 5,21.00	2,22.16	2,22.16
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[38] बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना-फेज- II पार्ट-बी (68 गांवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	5,94.53		
पु.	- 5,18.21	76.32	76.32
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[41] ब्यावर-जवाजा क्लस्टर योजना			
मू.	12,03.46		
पु.	- 1,69.72	10,33.74	10,33.74
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[42] गागरिन जलपूर्ति योजना			
मू.	11,83.95		
पु.	- 2,54.53	9,29.42	9,29.42
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[47] बांरा क्लस्टर परियोजना			
मू.	6,59.11		
पु.	- 1,82.23	4,76.88	4,76.88

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[53] बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ जल पूर्ति परियोजना			
मू.	15,99.52		
		12,66.29	12,66.29
पु.	- 3,33.23		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[55] नर्मदा परियोजना-कलस्टर (डी.आर.)			
मू.	16,14.73		
		10,76.48	10,76.48
पु.	- 5,38.25		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[58] नर्मदा से शिव तहसील जिला बाड़मेर जलपूर्ति परियोजना (205 गांव)			
मू.	25,93.95		
		11,78.82	11,78.82
पु.	- 14,15.13		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[61] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांव हेतु जल पूर्ति परियोजना			
मू.	8,17.48		
		5,60.52	5,60.52
पु.	- 2,56.96		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[62] पांचला-देवरा-चिराई जलपूर्ति योजना			
मू.	8,68.75		
		6,41.23	6,41.23
पु.	- 2,27.52		..

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[63] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डी.डी.पी.)			
मू.	19,92.00		
पु.	- 15,64.25	4,27.75	4,22.40
			- 5.35
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[64] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जल गुणवत्ता के लिए 5 प्रतिशत निश्चित राशि			
मू.	7,96.80		
पु.	- 6,91.95	1,04.85	78.61
			- 26.24
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[84] अंता-मांगरोल तहसील जिला बारां की सोनवा पेयजल परियोजना			
मू.	5,94.52		
पु.	- 2,10.49	3,84.03	3,84.03
			..
उपरोक्त बीस शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 1,68,87.13 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
शीर्ष "4215-01-789(01) [01], [63] तथा [64]" के अंतर्गत ₹ 1,10.33 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[44] जवाई क्लस्टर परियोजना- II			
मू.	6,79.63		
पु.	- 4,83.05	1,96.58	1,96.58
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[45] बीसलपुर-दूदू परियोजना चाकसू, फागी एवं बस्सी			
मू.	8,71.20		
पु.	- 4,75.65	3,95.55	3,95.55
			..

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[51] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेज- I, पार्ट- II			
मू.	14,95.15	11,33.55	11,33.55
पु.	- 3,61.60		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[65] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए संचालन एवं संधारण पर प्रतिशतता व्यय			
मू.	43,35.23	15,30.81	15,30.81
पु.	- 28,04.42		
उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 41,24.72 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[79] बाड़मेर लिफ्ट केनाल परियोजना फेज- II, पार्ट-डी			
मू.	22,18.87	16,44.25	16,44.25
पु.	- 5,74.62		
₹ 5,74.62 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[80] जाखम बांध से जिला प्रतापगढ़ के गाँवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)			
मू.	6,68.84
पु.	- 6,68.84		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[85] झालीजी का बराना पेयजल परियोजना			
मू.	5,00.00
पु.	- 5,00.00		

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[86] गरड़दा पेयजल परियोजना			
मू.	5,00.00
पु.	- 5,00.00		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[87] कछावन पेयजल परियोजना			
मू.	5,00.00
पु.	- 5,00.00		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[90] माही बजाज सागर-जयसमंद जल स्थानांतरण परियोजना			
मू.	2,50.00
पु.	- 2,50.00		
उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 24,18.84 लाख का प्रावधान परियोजना/कार्यालय प्रारंभ न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[88] परवन-अकावाद पेयजल परियोजना			
मू.	2,50.00	1.01	1.01
पु.	- 2,48.99		..
31 मार्च 2019 को ₹ 2,48.99 लाख का प्रावधान परियोजना/कार्यालय प्रारंभ न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[02] अन्य शहरी पेयजल योजनाएं			
मू.	52,06.00	43,50.98	43,47.59
पु.	- 8,55.02		- 3.39

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[06] चम्बल-बालेर-सवाईमाधोपुर जल प्रदाय परियोजना			
मू.	8,90.00		
पु.	- 5,69.78	3,20.22	2,22.50
			- 97.72
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[13] शहरी जल प्रदाय योजना, जोधपुर के पुनर्गठन का कार्य			
मू.	21,71.60		
पु.	- 6,14.55	15,57.05	15,57.05
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[15] नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज- II			
मू.	16,02.00		
पु.	- 5,35.52	10,66.48	10,66.48
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[27] फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू.	4,45.00		
पु.	- 3,70.83	74.17	74.17
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[29] पोकरण-फलसूंड जलप्रदाय परियोजना (शहरी)			
मू.	14,19.25		
पु.	- 6,25.63	7,93.62	7,81.69
			- 11.93

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[34] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाईप लाईनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू.	10,05.00		
पु.	- 5,64.28	4,40.72	4,39.16
			- 1.56
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[43] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांवों हेतु जलपूर्ति परियोजना			
मू.	4,45.00		
पु.	- 1,86.11	2,58.89	2,58.89
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[45] इसरदा बाँध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	18,90.00		
पु.	- 2,65.17	16,24.83	16,24.83
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[46] चम्बल, धौलपुर, भरतपुर परियोजना, फेज-प्रथम, पार्ट- II (शहरी)			
मू.	18,90.00		
पु.	- 16,94.88	1,95.12	1,95.12
			..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[54] बत्तीसा नाले पर बाँध बनाकर सिसोही जिले हेतु पेयजल योजना (शहरी)			
मू.	8,75.00		
पु.	- 4,37.50	4,37.50	4,37.50
			..

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[58] बीसलपुर-जयपुर जलप्रदाय परियोजना-द्वितीय चरण (शहरी)			
मू.	36,00.00		
		99.00	99.00
पु.	- 35,01.00		..

उपरोक्त बारह शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 1,02,20.27 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

शीर्ष "4215-01-789(02)[06] एवं [29]" के अंतर्गत ₹ 1,09.65 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

01. जलपूर्ति
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)
[56] डूंगरपुर, आसपुर एवं देवड़ा पेयजल परियोजना

मू.	2,50.00			
	
पु.	- 2,50.00			

01. जलपूर्ति
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)
[57] माही बजाज सागर-जयसमंद जल स्थानांतरण परियोजना

मू.	2,50.00			
	
पु.	- 2,50.00			

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 5,00.00 लाख का समस्त प्रावधान परियोजना/कार्यालय के शुरू न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

01. जलपूर्ति
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)
[44] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं

मू.	13,65.00			
		13,64.24	11,52.84	- 2,11.40
पु.	- 0.76			

₹ 2,11.40 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) शहरी जन सहभागी योजना			
मू.	4,45.75	1,09.21	1,09.21
पु.	- 3,36.54		
31 मार्च 2019 को ₹ 3,36.54 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) शहरी सड़कें एवं नालियाँ आदि (आर.ओ.बी.)			
[01] विभिन्न शहरी निकायों के लिए			
मू.	11,58.95	3,26.72	3,26.72
पु.	- 8,32.23		
31 मार्च 2019 को ₹ 8,32.23 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
04. गन्दी बस्तियों का विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राजीव आवास योजना स्लम मुक्त भारत हेतु			
मू.	13,72.32	6,39.76	6,39.76
पु.	- 7,32.56		
₹ 7,32.56 लाख की प्रत्याशित बचत <i>स्लम मुक्त भारत हेतु राजीव आवास योजना</i> के तहत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) कन्या छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	5,00.01	9.50	9.13
पु.	- 4,90.51		
31 मार्च 2019 को ₹ 4,90.51 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) छात्रों हेतु छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	15,17.45	6,22.04	6,22.04
पु.	- 8,95.41		
31 मार्च 2019 को ₹ 8,95.41 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	8,86.52		
पु.	- 7,29.77	1,56.75	1,52.35
			- 4.40
31 मार्च 2019 को ₹ 7,29.77 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 4.40 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) आंगन बाड़ी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू.	6,25.00		
पु.	- 6,25.00
31 मार्च 2019 को ₹ 6,25.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी न किये जाने के फलस्वरूप आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) आंगन बाड़ी केन्द्र अपग्रेडेशन एवं रख रखाव मय क्रेच निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू.	7,50.01		
पु.	- 7,50.01
31 मार्च 2019 को ₹ 7,50.01 लाख का समस्त प्रावधान वित्त विभाग द्वारा जिलों में जल आपूर्ति एवं शौचालयों हेतु वित्तीय स्वीकृति देरी से अर्थात् 27.03.2019 को जारी करने तथा तदनुसार चुनाव आचार संहिता लगने के कारण जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में निधियों का हस्तान्तरण न किये जा सकने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) नवीन आई.टी.आई. भवन का निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	16,84.69		
पु.	- 4,93.86	11,90.83	11,90.83
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 4,93.86 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा बजट सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	7,00.00		
पु.	- 4,60.00	2,40.00	2,40.00
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि.के.स.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	6,52.00		
पु.	- 4,16.78	2,35.22	2,35.22
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि.के.स.)			
[03] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	9,17.18		
पु.	- 5,19.85	3,97.33	3,97.33
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि.के.स.)			
[06] कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से			
मू.	3,00.00		
पु.	- 2,90.00	10.00	10.00
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि.के.स.)			
[07] वन विभाग के माध्यम से			
मू.	11,43.86		
पु.	- 8,73.86	2,70.00	2,69.99

उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 25,60.49 लाख का प्रावधान राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के तहत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
[04] किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण

मू.	4,00.00		
पु.	- 2,50.01	1,49.99	1,49.99

31 मार्च 2019 को ₹ 2,50.01 लाख का प्रावधान (i) लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने के कारण वित्त विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् भी पंचायत समितियों के निजी निक्षेप खातों में निधियों का हस्तान्तरण न करने तथा (ii) पंचायती राज विभाग से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	2,57.94		
पु.	- 2,14.11	43.83	43.83
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 2,14.11 लाख का प्रावधान बजट सीमा में कटौती करने तथा माह मार्च, 2019 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[03] जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से			
मू.	9,90.61		
पु.	- 2,80.96	7,09.65	7,09.65
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 2,80.96 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[04] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	3,88.50		
पु.	- 3,88.50
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 3,88.50 लाख का समस्त प्रावधान विभाग की बजट सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य			
मू.	9,36.16		
पु.	- 4,81.40	4,54.76	4,45.79
			- 8.97
31 मार्च 2019 को ₹ 4,81.40 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 8.97 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. वानिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक			
मू.	8,47.07		
पु.	- 1,41.43	7,05.64	6,47.28
			- 58.36
31 मार्च 2019 को ₹ 1,41.43 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 58.36 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) बायोलोजिकल पार्क, बीकानेर			
मू.	6,00.01		
पु.	- 5,00.01	1,00.00	1,00.00
31 मार्च 2019 को ₹ 5,00.01 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	81,00.00		
पु.	- 40,50.00	40,50.00	40,50.00
31 मार्च 2019 को ₹ 40,50.00 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के फलस्वरूप जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में योजना से सम्बन्धित अवशेष राशि की पर्याप्त उपलब्धता होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से			
[01] जिला परिषदों/पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु			
मू.	3,56.00		
पु.	- 2,40.30	1,15.70	1,15.70
31 मार्च 2019 को ₹ 2,40.30 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(13) गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना			
[01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	22,34.00		
पु.	- 22,34.00
31 मार्च 2019 को ₹ 22,34.00 लाख का समस्त प्रावधान जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में योजना की गत वर्षों की निधियों की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. डांग क्षेत्र			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[01] डांग क्षेत्र का विकास			
मू.	8,77.00		
पु.	- 4,32.10	4,44.90	4,44.90
31 मार्च 2019 को ₹ 4,32.10 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के फलस्वरूप जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में डांग क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित अवशेष राशि की पर्याप्त उपलब्धता होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[01] मेवात क्षेत्र का विकास			
मू.	8,79.00
पु.	- 8,79.00
31 मार्च 2019 को ₹ 8,79.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के फलस्वरूप जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में <i>मेवात क्षेत्र का विकास योजना</i> से सम्बन्धित अवशेष राशि की पर्याप्त उपलब्धता होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. पिछड़े क्षेत्र			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[02] मगरा क्षेत्र का विकास			
मू.	8,72.00	4,44.54	..
पु.	- 4,27.46	4,44.54	..
31 मार्च 2019 को ₹ 4,27.46 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के फलस्वरूप जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में <i>मगरा क्षेत्र का विकास योजना</i> से सम्बन्धित अवशेष राशि की पर्याप्त उपलब्धता होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. पिछड़े क्षेत्र			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[04] श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन (राष्ट्रीय रूबर्न मिशन)			
मू.	17,94.00	11,64.90	..
पु.	- 6,29.10	11,64.90	..
31 मार्च 2019 को ₹ 6,29.10 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. सीमा क्षेत्र विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	34,99.50	29,08.69	..
पु.	- 5,90.81	29,08.69	..
31 मार्च 2019 को ₹ 5,90.81 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) जल निकास (क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से)			
[01] दाईं मुख्य नहर			
मू.	9,60.00	4,86.83	4,86.83
पु.	- 4,73.17		
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) जल निकास (क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से)			
[02] बाईं मुख्य नहर			
मू.	9,00.00	4,26.05	4,26.05
पु.	- 4,73.95		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 9,47.12 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा साख सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	7,89.17	3,88.85	3,88.84
पु.	- 4,00.32		
31 मार्च 2019 को ₹ 4,00.32 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा बजट सीमा में 17 प्रतिशत की कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[07] डॉ. करणी सिंह लिफ्ट (कोलायत लिफ्ट)			
मू.	2,00.01	38.66	38.66
पु.	- 1,61.35		

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[11] चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट (नोहर साहवा) सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.			
मू.	4,83.39		
		2,70.00	2,70.00
पु.	- 2,13.39		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 3,74.74 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा बजट सीमा में 17 प्रतिशत की कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(02) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना,
जैसलमेर के माध्यम से
[01] निर्माण कार्य

मू.	12,10.12		
		4,34.48	4,33.60
पु.	- 7,75.64		- 0.88

31 मार्च 2019 को ₹ 7,75.64 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(01) निर्माण कार्य

मू.	4,40,00.00		
		3,19,84.63	3,14,16.10
पु.	- 1,20,15.37		- 5,68.53

31 मार्च 2019 को ₹ 1,20,15.37 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति तथा इसी अनुरूप प्रोरेटा व्ययों के समायोजन के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,00,76.07 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 19,39.30 लाख) किया गया।

₹ 5,68.53 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

34. धौलपुर लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक)
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(01) निर्माण कार्य

मू.	27,00.00		
		6,96.35	7,96.38
पु.	- 20,03.65		+ 1,00.03

31 मार्च 2019 को ₹ 20,03.65 लाख का प्रावधान मुख्यतः कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 1,00.03 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
40. जयसमन्द परियोजना का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निदेशक एवं प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	7,20.00		
पु.	- 1,82.28	5,37.72	5,39.42
			+ 1.70
₹ 1,82.28 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्यों की धीमी गति को आरोपित की गयी।			
41. तेजावाला हेड से सरप्लस वॉटर को चुरु-झुंझुनू लाने की योजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निदेशक एवं प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	5,00.00		
पु.	- 5,00.00
			..
42. ब्राहमणी बनास परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निदेशक एवं प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	5,00.00		
पु.	- 5,00.00
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 10,00.00 लाख का समस्त प्रावधान मुख्यतः कार्यों के निष्पादन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[01] राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फोर डेजर्ट एरिया			
मू.	1,99,14.00		
पु.	- 1,27,24.80	71,89.20	71,89.20
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,27,24.80 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
63. गरदड़ा परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	6,22.80		
पु.	- 1,67.80		
	4,55.00	4,58.89	+ 3.89
₹ 1,67.80 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्यों की धीमी प्रगति को आरोपित की गयी।			
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) तकली परियोजना			
मू.	3,60.00		
पु.	- 2,90.83		
	69.17	69.38	+ 0.21
72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) गागरिन परियोजना			
मू.	3,60.00		
पु.	- 2,13.32		
	1,46.68	1,45.32	- 1.36
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 5,04.15 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
73. हाथिया देह परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निदेशन एवं प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	2,70.00		
पु.	- 2,70.00		

31 मार्च 2019 को ₹ 2,70.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों के निष्पादन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (फोर वाटर कन्सेप्ट)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	11,53.24		
पु.	- 3,18.93		
	8,34.31	8,25.61	- 8.70
31 मार्च 2019 को ₹ 3,18.93 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 8.70 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल, कोटा के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य			
मू.	3,67.51		
पु.	- 2,81.61	85.90	85.18
			- 0.72
31 मार्च 2019 को ₹ 2,81.61 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा ब्रिजिंग इरिगेशन गेप (आई एस बी आई जी) परियोजना हेतु प्रोत्साहन योजना के दिशानिर्देशों के जारी न करने के परिणामतः राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	1,38,60.00		
पु.	- 31,80.87	1,06,79.13	1,06,79.13
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 31,80.87 लाख का प्रावधान निवेश सीमा में कटौती के परिणामस्वरूप विद्युत् निगम में कम निवेश होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	87,60.00		
पु.	- 35,11.05	52,48.95	52,48.95
			..
31 मार्च 2019 को ₹ 35,11.05 लाख का प्रावधान निवेश सीमा में कटौती के परिणामस्वरूप विद्युत् प्रसारण निगम में कम निवेश होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	56,63.26		
पु.	- 20,43.80	36,19.46	36,19.46
			..
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	55,12.83		
पु.	- 24,29.94	30,82.89	30,82.89
			..

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	37,73.91		
		27,12.78	
पु.	- 10,61.13		..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 55,34.87 लाख का प्रावधान निवेश सीमा में कटौती के परिणामस्वरूप विद्युत् निगमों में कम निवेश होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) एच.पी.सी.एल.-राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड			
[02] रिफायनरी (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	2,33,00.00		
		70,00.00	
पु.	- 1,63,00.00		..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,63,00.00 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य			
से सम्बन्धित व्यय			
[01] खनन क्षेत्रों में सड़क निर्माण, सार्वजनिक निर्माण			
विभाग के माध्यम से			
मू.	55,00.00		
		29,50.21	
पु.	- 25,49.79		- 0.44
31 मार्च 2019 को ₹ 25,49.79 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खनन उपागम सड़कों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्यों के कम निष्पादन तथा व्यय सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) माईनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य			
से सम्बन्धित व्यय			
[02] खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं			
स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से			
मू.	2,95.00		
		..	
पु.	- 2,95.00		..
31 मार्च 2019 को ₹ 2,95.00 लाख का समस्त प्रावधान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यय नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरीडोर (डी.एम.आई.सी.)			
[01] भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजा एवं क्षतिपूर्ति			
मू.	50,00.00
पु.	- 50,00.00		
31 मार्च 2019 को ₹ 50,00.00 लाख का समस्त प्रावधान विभाग की भूमि अधिग्रहण शाखा में वर्ष के दौरान पदों के रिक्त रहने से डी.एम.आई.सी. परियोजना के अंतर्गत खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र में भूमि के अधिग्रहण हेतु मुआवजे का भुगतान न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) लघु जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण			
मू.	47,52.21	6,28.28	6,13.24 - 15.04
पु.	- 41,23.93		
31 मार्च 2019 को ₹ 41,23.93 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 15.04 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि की पोषित सड़कें (राज्य राजमार्ग)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	65,30.65	34,78.88	34,78.88 ..
पु.	- 30,51.77		
31 मार्च 2019 को ₹ 30,51.77 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि की पोषित सड़कें (राज्य राजमार्ग)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	5,22.45	2,78.26	2,78.18 - 0.08
पु.	- 2,44.19		
31 मार्च 2019 को ₹ 2,44.19 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के परिणामस्वरूप प्रतिशतता व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) शहरी सड़कें			
मू.	9,50.44	6,40.05	6,40.05
पु.	- 3,10.39		
31 मार्च 2019 को ₹ 3,10.39 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[12] सड़क उन्नयन परियोजना (त्रयोविंशतितमः)			
मू.	71,28.32	53,72.07	53,55.85
पु.	- 17,56.25		
31 मार्च 2019 को ₹ 17,56.25 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 16.22 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) ग्रामीण सड़कें			
मू.	3,24,24.78	2,43,64.65	2,43,12.62
पु.	- 80,60.13		
31 मार्च 2019 को ₹ 80,60.13 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 73,75.27 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 6,84.86 लाख) किया गया, जिसके तथा ₹ 52.03 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(12) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र			
आधुनिकीकरण परियोजना			
[01] ग्रामीण सम्पर्क सड़कें			
मू.	22,12.39	12,78.04	12,67.47
पु.	- 9,34.35		
31 मार्च 2019 को ₹ 9,34.35 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 10.57 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(13) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू.	1,79,49.00	1,60,68.10	1,60,68.10
पु.	- 18,80.90		
₹ 18,80.90 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(14) हवाई पट्टियों का विस्तार तथा निर्माण			
मू.	11,54.86	4,90.65	4,90.65
पु.	- 6,64.21		..

31 मार्च 2019 को ₹ 6,64.21 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) प्रतिशतता व्यय (अनुसूचित जाति क्षेत्र की सड़कें)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	47,32.12	36,78.97	36,42.56
पु.	- 10,53.15		- 36.41

80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) प्रतिशतता व्यय (अनुसूचित जाति क्षेत्र की सड़कें)			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	17,74.55	13,79.62	13,69.21
पु.	- 3,94.93		- 10.41

80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(03) प्रतिशतता व्यय (अनुसूचित जाति क्षेत्र की सड़कें)			
[92] औजार तथा सयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	11,83.05	9,19.74	9,12.81
पु.	- 2,63.31		- 6.93

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 17,11.39 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के परिणामस्वरूप कम प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 53.75 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

5452. पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू.	14,17.80	6,38.02	6,38.02
पु.	- 7,79.78		..

31 मार्च 2019 को ₹ 7,79.78 लाख का प्रावधान (i) (क) सोनार किला-जैसलमेर का काम अतिक्रमण के कारण तथा वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति जारी न करने के कारण हमीर फोर्ट फलौदी का कार्य शुरु नहीं होने, (ख) सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा जल संसाधन विभाग से लागत प्रस्तावों के प्राप्त न होने से बीसलपुर बांध के सम्बन्ध में कार्य शुरु नहीं होने, (ii) चुनाव आचार संहिता लगने के कारण नये विकास कार्यों के संदर्भ में निविदा प्रक्रिया में देरी तथा (iii) कोषालयों द्वारा माह मार्च, 2019 में बिलों को पारित न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
5452. पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) ग्रामीण पर्यटन का विकास			
मू.	2,62.00		
		86.15	86.15
पु.	- 1,75.85		..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,75.85 लाख का प्रावधान (i) पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के माध्यम से मलकोट किला, मेड़ता सिटी के निर्माण कार्यों की धीमी गति होने, (ii) चुनाव आचार संहिता लगाये जाने के कारण नये विकास कार्यों के संदर्भ में निविदा प्रक्रिया में देरी होने तथा (iii) कोषालयों द्वारा माह मार्च, 2019 में बिलों को पारित न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[01] स्वान वर्टिकल (स्टेट शेयर)			
मू.	1,54.80		
	
पु.	- 1,54.80		..
31 मार्च 2019 को ₹ 1,54.80 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
2015-16 से 2017-18 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए.डी.बी.)			
मू.	27,00.00		
		18,38.88	18,38.88
पु.	- 8,61.12		..
₹ 27,00.00 लाख का प्रावधान राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम हेतु एशियन विकास बैंक (ए डी बी) से प्राप्त ऋण की प्रत्याशा में अनुमानित था। यद्यपि, वास्तविक ऋण अनुमान से कम प्राप्त होने के परिणामस्वरूप ₹ 8,61.12 लाख का प्रावधान 31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] राजस्थान इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू.)			
मू.	42,66.00		
		34,64.75	34,64.75
पु.	- 8,01.25		..
31 मार्च 2019 को ₹ 8,01.25 लाख का प्रावधान राजस्थान इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना हेतु के.एफ.डब्ल्यू. से कम ऋण प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) सर्व शिक्षा अभियान (शिक्षा गारन्टी योजना)			
[01] सर्व शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य			
मू .	36,00.00		
पु .	4,98.94		
	40,98.94	40,98.94	..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,98.94 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(14) नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIV के तहत			
माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
[01] राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य			
अ .	0.01		
पु .	31,49.99		
	31,50.00	31,50.00	..
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 31,49.99 लाख की अतिरिक्त निधियां नाबार्ड के तहत विद्यालयों में आधारभूत ढांचे के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[34] नागौर लिफ्ट केनाल फेज-प्रथम			
मू .	8,97.13		
पु .	9,19.39		
	18,16.52	18,16.52	..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[56] इसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू .	13,90.00		
पु .	2,17.69		
	16,07.69	16,07.69	..

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[75] राजगढ़ पेयजल परियोजना, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़			
मू.	59.10	20,63.03	20,63.03
पु.	20,03.93		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[76] आर्सेनिक एवं फ्लोराईड प्रभावित गाँवों में सामुदायिक जलशोधन संयंत्र स्थापित करना			
मू.	0.01	8,25.18	8,25.13
पु.	8,25.17		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[83] क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन पेयजल परियोजना, जिला बूंदी (विस्तार चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना)–(ग्रामीण)			
मू.	5,94.52	8,05.35	8,05.35
पु.	2,10.83		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[94] जवाई क्लस्टर परियोजना- IV, जिला पाली			
अ.	0.01	1,62.58	1,62.58
पु.	1,62.57		
उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 43,39.58 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	90,98.86	1,43,43.85	1,43,43.85
पु.	52,44.99		
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 52,44.99 लाख का प्रावधान अमृत योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध कराया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	0.01		
पु.	43,91.79	43,91.80	..

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 43,91.79 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार द्वारा नर्मदा नहर परियोजना के पूर्ण होने की समयावधि 31 मार्च 2019 तक बढ़ाने के फलस्वरूप कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[01] लघु सिंचाई परियोजनाएं			
मू.	17,46.00		
पु.	1,29.70	18,75.70	19,98.10 + 1,22.40

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,29.70 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 1,22.40 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[03] वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर			
मू.	7,20.00		
पु.	3,18.96	10,38.96	10,55.08 + 16.12

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,18.96 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के बकाया दायित्वों के भुगतान तथा इसी अनुरूप प्रोरेटा व्यय के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 16.12 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना			
(आर डब्ल्यू एस एल आई पी)			
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन (गुण नियंत्रण एवं			
बाह्य सहायता कार्यक्रम) के माध्यम से			
मू.	4,64.28		
पु.	16,48.56	21,12.84	21,06.33 - 6.51

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,48.56 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 6.51 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
01. बाढ़ नियंत्रण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अन्य जिलों में बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य-अन्य जिले			
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से			
मू.	12.60		
पु.	2,26.13	2,38.73	3,84.66 + 1,45.93
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,26.13 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 1,45.93 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[11] सड़क उन्नयन परियोजना (द्विविंशतितमः)			
मू.	3,16.81		
पु.	1,62.66	4,79.47	4,79.34 - 0.13
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[13] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIV (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	23,76.11		
पु.	10,21.01	33,97.12	33,94.38 - 2.74
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,83.67 लाख की अतिरिक्त निधियां नाबार्ड से निधियों की प्राप्ति को देखते हुए सड़क निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	21,78.10		
पु.	99,12.44	1,20,90.54	1,20,90.36 - 0.18
31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 99,12.44 लाख की अतिरिक्त निधियां सड़क निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।			

अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –	
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय				
04. जिला तथा अन्य सड़कें				
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना				
(06) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)				
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)				
मू.	1,74.25	9,60.65	9,56.92	– 3.73
पु.	7,86.40			

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,86.40 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्ययों के समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(06) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)
[92] औजार व संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)

मू.	43.56	2,40.16	2,39.23	– 0.93
पु.	1,96.60			

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,96.60 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
(06) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)

मू.	65.34	3,60.25	3,58.85	– 1.40
पु.	2,94.91			

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,94.91 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्ययों के समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

6. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आर्वद्धन अनावश्यक/अत्यधिक था :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –	
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय				
01. जलपूर्ति				
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना				
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति				
[48] चम्बल-भीलवाड़ा जल प्रदाय योजना-क्लस्टर				
मू.	63,89.35	68,28.30	41,49.98	– 26,78.32
पु.	4,38.95			

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,38.95 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 26,78.32 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

अनुदान संख्या 051 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- I (ए.डी.बी)			
मू.	78,41.46		
		87,29.31	85,08.27
पु.	8,87.85		- 2,21.04

31 मार्च 2019 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,87.85 लाख की अतिरिक्त निधियां सड़क कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 2,21.04 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2019)।

परि
(पृष्ठ 15 पर विनियोग लेखों के
व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों)

अनुदान संख्या और नाम		बजट अनुमान	
		राजस्व	पूंजी
		(₹ सहस्र में)	
004.	जिला प्रशासन
005.	प्रशासनिक सेवाएं
008.	राजस्व
009.	वन	2,60,00	..
010.	विविध सामान्य सेवाएं	1	..
012.	अन्य कर	89,97,71	..
013.	आबकारी
014.	बिक्री कर	1,37,06,39	..
015.	पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	3	..
016.	पुलिस	10,00	..
019.	लोक निर्माण कार्य	5,01,98,65	2,29,41
021.	सड़कें एवं पुल	1,50,59,63	8,57,79,12
022.	क्षेत्र का विकास	..	54,12
024.	शिक्षा, कला एवं संस्कृति
026.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	1	..
027.	पेय जल योजना	3,48,82,96	50,04
028.	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1,50,92,00	..
029.	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	3,71,89,33	4
030.	जनजाति क्षेत्रीय विकास	50,00,04	2,08,46,04
032.	नागरिक आपूर्ति
033.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		
	<i>दत्तमत</i>	74,25,96	2,48,35
	<i>प्रभारित</i>	1	..
034.	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	12,77,00,00	..
037.	कृषि
039.	पशुपालन एवं चिकित्सा	1,30,00,00	..
041.	सामुदायिक विकास
043.	खनिज	1,08,14	1,10,00,08
046.	सिंचाई	2,66,38,53	42,04,02
051.	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	1,00,00,02	2,81,65,92
	दत्तमत	36,52,69,41	15,05,77,14
	कुल वसूलियां		
	<i>प्रभारित</i>	1	..

शिष्ट

सारांश में उल्लिखित)

के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदान वार विवरण)

वास्तविक		बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
		वृद्धि + कमी-	वृद्धि + कमी-
राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
(₹ सहस्र में)		(₹ सहस्र में)	
9,16	..	+ 9,16	..
17	..	+ 17	..
4	..	+ 4	..
1,43,64	..	- 1,16,36	..
..	..	- 1	..
7,13,01	2,38,20	- 82,84,70	+ 2,38,20
3	..	+ 3	..
1,39,39,61	..	+ 2,33,22	..
..	..	- 3	..
38	..	- 9,62	..
4,03,39,79	33,87	- 98,58,86	- 1,95,54
1,21,01,94	10,57,37,79	- 29,57,69	+ 1,99,58,67
..	18,20	..	- 35,92
6,31	..	+ 6,31	..
..	..	- 1	..
2,18,64,38	5,49,15	- 1,30,18,58	+ 4,99,11
2,12,40,10	..	+ 61,48,10	..
4,50,78,05	..	+ 78,88,72	- 4
32,05,51	2,12,59,83	- 17,94,53	+ 4,13,79
1	..	+ 1	..
66,63,50	1,87,16	- 7,62,46	- 61,19
2,10	..	+ 2,09	..
15,16,18,88	..	+ 2,39,18,88	..
3,00	..	+ 3,00	..
1,18,92,26	..	- 11,07,74	..
2	..	+ 2	..
49,69	82,34,04	- 58,45	- 27,66,04
2,54,23,41	11,29,45	- 12,15,12	- 30,74,57
89,59,68	3,30,56,06	- 10,40,34	+ 48,90,14
36,32,52,57	17,04,43,75	- 20,16,84	+ 1,98,66,61
2,10	..	+ 2,09	..

© भारत के नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक
2020

www.cag.gov.in